KGS IAS

करेंट अफेयर्स

अक्टूबर 2023

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

KGS IAS

UPSC-GS (Prelims + Mains)
Foundation Programme 2024-25

OFFLINE

English Medium

Karol Bagh Centre

Add: 57/14, Old Rajendra Nagar,
New Delhi - 110060

Ph. No.: +91 9205 777 818

Hindi Medium

Mukherjee Nagar Centre

Add: 704, Ground Floor, Main Road
Front Of Batra Cinema, Mukherjee
Nagar, Delhi - 110009

Ph. No.: +91 9205 777 817

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन 1

1. उच्चतम न्यायालय की समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार 1
2. सरकार द्वारा निर्णय में देरी से न्यायपालिका की क्षमता प्रभावित हो रही हैः उच्चतम न्यायालय 3
3. आधार से संबंधित चिंताएँ 4
4. पॉक्सो अधिनियम पर विधि आयोग 5
5. सूचना आयोगों के पास मामले लंबित 7
6. संसद में प्रश्न पूछना 9
7. प्रजनन की स्वायत्तता बनाम अजन्मे बच्चे के अधिकार 10

2. सामाजिक मुद्दे 13

1. वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 13
2. जाति जनगणना और बिहार जाति सर्वेक्षण 14
3. हाथ से मैला ढोना 17
4. मेरा युवा भारत 19
5. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ट्रांसजेंडर से संबंधित एडवाइजरी जारी की 20
6. शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति 22
7. आत्महत्या रोकथाम और उम्मीद दिशा-निर्देश 24
8. अंतर्राष्ट्रीय डिस्लेक्सिया जागरूकता माह 25

3. अंतर्राष्ट्रीय संबंध 27

1. मालदीव का चुनाव और भारत के रणनीतिक हित 27
2. श्रीलंका, बांग्लादेश के आरसीईपी में शामिल होने की सम्भावना 28
3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हैती में मिशन को मंजूरी दी 30
4. हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 32
5. इज़राइल फ़िलिस्तीन संघर्ष और नवीनतम हमास टकराव 34
6. विवाद निपटान और डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय 37

4. पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, भूगोल 39

4.1. पर्यावरण 39

1. 41 प्रतिशत उभयचरों के विलुप्त होने का संकट 39
2. एरोसोल द्वारा हिमालय को गर्म करना जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारकः इसरो अध्ययन 40
3. अमेज़न नदी डॉल्फ़िन 41
4. भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था की रूपरेखा 42
5. जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व स्तर पर बुनियादी ढांचे में 850 बिलियन डॉलर का वार्षिक नुकसानः सीडीआरआई रिपोर्ट 44
6. पर्यावरण प्रभाव आंकलन और हिमालय 46
7. ई-अपशिष्ट 47
8. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 49
9. ग्रीन शिपिंग के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 50
10. राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2023 51
11. सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा 53

4.2. आपदा प्रबंधन 55

1. जोशीमठ का धंसना खतरे की घंटी 55
2. सिक्किम में बादल फटा 57
3. अफगानिस्तान में भूकंप 59

4.3. भूगोल 60

1. ज़ीलैंडिया 60

5. अर्थव्यवस्था 63

1. भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) 63
2. सरकार ने एंजल टैक्स में ढील दी 64
3. आईएमएफ ने भारत का विकास अनुमान बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत किया 65
4. सूचकांक समावेशन से प्राप्त होने वाला विदेशी निवेश प्रवाह 67
5. स्टार्टअप के मामले में भारत का स्थान चौथा 69
6. वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत 40वें स्थान पर बरकरार 70
7. इंडिया स्किल्स 2023-24 शुरू किया गया 72
8. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 73
9. आरबीआई ने सरकारी एनबीएफसी तक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा विस्तारित किया 75
10. बॉन्ड यील्ड में प्रवाह 76

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 79

1. सरकार का पीपीपी मॉडल के माध्यम से एआई चिप विकास को सहायता 79
2. मानव जैसी त्वचा की बायोप्रिंटिंग 81
3. काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल थेरेपी 82
4. चीन का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन 84
5. इंफाल (यार्ड 12706) 85
6. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दीर्घकालिक जोखिम 86
7. नीमन-पिक रोग 88
8. गुलाबी इल्ली कीट 89

7. आंतरिक सुरक्षा 91

1. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में अफस्पा विस्तारित 91
2. इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया 93
3. सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची 94
4. प्रोजेक्ट उद्भव 96
5. 'त्रिशक्ति प्रहार' अभ्यास 97
6. ड्रोन के उपयोग और अनुप्रयोग 98

8. इतिहास, कला एवं संस्कृति 101

1. यक्षगान 101
2. तमिलनाडु के आगमिक मंदिर 102
3. अल्लाह बख्श और मेवाड़ी शैली की पेंटिंग 103
4. गारा कढ़ाई 104
5. कलमकारी चित्रकला 105

9. व्यक्तित्व, पुरस्कार एवं खेल 107

9.1. व्यक्तित्व 107

1. एम.एस. स्वामीनाथन 107
2. मनोहर सिंह गिल 108

9.2. पुरस्कार 109

1. 2023 नोबेल पुरस्कार 109
2. दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 111

9.3. खेल 112

1. 19वें एशियाई खेल 112

10. फैक्ट प्वाइंट्स 114

1. राजव्यवस्था एवं शासन

1. उच्चतम न्यायालय की समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार

वर्तमान संदर्भ

शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने **समलैंगिक विवाह को संवैधानिक वैधता देने के खिलाफ** 3:2 के बहुमत से फैसला सुनाया।

उच्चतम न्यायालय के फैसले की पांच बातें

- **शादी करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं:** मुख्य पीठ के सभी पांच न्यायाधीश इस बात पर सहमत हुए।
- **विशेष विवाह अधिनियम, 1954:** सभी न्यायाधीशों ने भी सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करके विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में बदलाव करना संभव नहीं है।
- विवाह पर कानून बनाना संसद और राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है।

नागरिक संघ

- *विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक नागरिक संघ दो व्यक्तियों के बीच एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संघ होता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या राष्ट्रीयता कुछ भी हो।*
- *यह कानूनी स्थिति (जो समान-लिंग वाले जोड़ों को विशिष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करता है) को भी संदर्भित करता है, जो आम तौर पर विवाहित जोड़ों को प्रदान की जाती हैं।*

- **समान-लिंग वाले जोड़ों के लिए नागरिक संघ का विस्तार करने से इनकार:** न्यायमूर्ति भट, न्यायमूर्ति कोहली और न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने बहुमत का गठन किया, जबकि सीजेआई और न्यायमूर्ति कौल ने समान-लिंग वाले जोड़ों के लिए नागरिक संघ का विस्तार करने के पक्ष में अल्पमत राय व्यक्त की।
- **"अधिकारों के गुलदस्ते" पर:** सभी पांच न्यायाधीशों ने केंद्र के रुख पर ध्यान दिया कि एक उच्च स्तरीय कैबिनेट समिति उन अधिकारों पर गौर करेगी जो गैर-विषमलैंगिक जोड़ों को प्रदान किए जा सकते हैं।
  - ✓ इसमें संयुक्त बैंक खाते खोलना, समान लिंग वाले पति-पत्नी को भविष्य निधि का लाभार्थी होना, ऐसे पति-पत्नी को पेंशन या विरासत प्राप्त होना, दूसरे पति-पत्नी के लिए चिकित्सा संबंधी निर्णय लेने में सक्षम होना आदि शामिल होगा।
- **बाल अधिकार को अपनाना:** मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति कौल के अल्पमत राय ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority-CARA) के विशिष्ट दिशानिर्देशों को इस हद तक खारिज कर दिया कि यह समान लिंग या अविवाहित जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं देता है।

समलैंगिक विवाह की वैधता

- विवाह का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है न कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार।
- हालाँकि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में इसकी मान्यता केवल भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।
  - ✓ कानून की ऐसी घोषणा संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पूरे भारत में सभी अदालतों पर बाध्यकारी है।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता न देना निम्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है:

- ***अनुच्छेद 14** (कानून के समक्ष समानता का अधिकार)*
- ***अनुच्छेद 15** (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार)*
- ***अनुच्छेद 19** (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)*
- *संविधान का **अनुच्छेद 21** (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण)*

- **उच्चतम न्यायालय के अन्य निर्णय**
  - ✓ मानव अधिकारों की वैश्विक उद्घोषणा के अनुच्छेद 16 के

संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा नोट किए गए अनुसार **किसी वयस्क व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के तहत अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है** [लता सिंह बनाम यूपी राज्य (2006), शफीन जहां बनाम अशोकन केएम (2018) और लक्ष्मीबाई चंद्रागी बी बनाम कर्नाटक राज्य (2021)]।

- ✓ एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों के अधिकार **ठोस संवैधानिक सिद्धांत** जीवन, गोपनीयता, गरिमा, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अधिकार [केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)] पर आधारित हैं।
- ✓ किसे जीवनसाथी बनाना है इसका चुनाव, यौन अंतरंगता में संतुष्टि पाने की क्षमता और भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार न होने का अधिकार यौन अभिविन्यास के संवैधानिक संरक्षण के लिए आंतरिक हैं [नवतेज सिंह जौहर बनाम यूओआई (2018)]।

विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954

- भारत में सभी विवाह संबंधित व्यक्तिगत कानून हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1954 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत किए जा सकते हैं।
  - ✓ यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका का कर्तव्य है कि पति और पत्नी दोनों के अधिकारों की रक्षा की जाए।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में भारत के लोगों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए नागरिक विवाह का प्रावधान है, चाहे किसी भी पक्ष का धर्म या आस्था कुछ भी हो।
  - ✓ अधिनियम की धारा 4 किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच विशेष विवाह संपन्न कराने से संबंधित शर्तों का प्रावधान करता है।
- अधिनियम के तहत कोई भी विवाह दो अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को विवाह के बंधन में एक साथ आने की अनुमति देता है। यह विवाह के अनुष्ठापन और पंजीकरण दोनों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।

समलैंगिक विवाह से संबंधित विवाद

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
• सभी व्यक्तियों को (चाहे उनका यौन रुझान कुछ भी हो) शादी करने और परिवार बनाने का अधिकार है।	• कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों का मानना है कि शादी केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच होनी चाहिए और वे ऐसी पारंपरिक परिभाषाओं को बदलने के खिलाफ हैं।
• विवाह जोड़ों और उनके परिवारों को सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करता है जिससे समान-लिंग वाले लोगों को भी लाभ होगा।	• कुछ लोगों का तर्क है कि विवाह का प्राथमिक उद्देश्य संतानोत्पत्ति है, और समान-लिंग वाले जोड़े जैविक बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं।
• सीजेआई ने सहजीवन को मौलिक अधिकार माना और ऐसे रिश्तों के सामाजिक प्रभाव को कानूनी रूप से मान्यता देना सरकार का दायित्व है।	• समान-लिंग विवाह को मंजूरी देने से विरासत, कर और संपत्ति के अधिकारों के साथ कानूनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
• जैविक लिंग पूर्ण नहीं है, और सामाजिक संरचना के रूप में लिंग कहीं अधिक जटिल है। पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है।	• जब समलैंगिक जोड़े बच्चों को गोद लेते हैं, तो इससे सामाजिक कलंक, भेदभाव आदि हो सकता है, खासकर भारतीय समाज में जहां LGBTQIA+ समुदाय की स्वीकार्यता कम है।

दुनिया भर में 30 से अधिक देशों में समलैंगिक विवाह वैध है

न्यायिक-अधिकार क्षेत्र जहाँ समलैंगिक युगलों को शादी करने की अनुमति है।

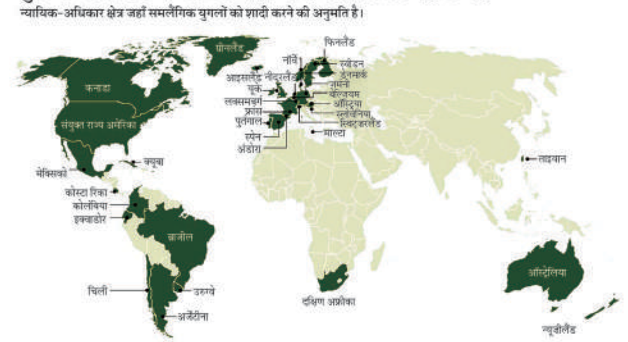

नोट: यह मई, 2023 तक का आँकड़ा है।
स्रोत: प्यू रिसर्च सेन्टर एनालिसिस ऑफ न्यूज आर्टिकल्स तथा आधिकारिक सरकारी स्रोत

आगे की राह

- **कानूनी सुधार:** व्यापक कानून के साथ-साथ धारा 377 का पूर्ण गैर-अपराधीकरण अभी भी आवश्यक है जो स्पष्ट रूप से समान-लिंग विवाह को मान्यता देता है और कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- **सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा:** उदाहरण के लिए, स्कूली पाठ्यक्रम में एलजीबीटीक्यू+ मुद्दों को शामिल करना रूढ़िवादिता को चुनौती देने, भेदभाव को कम करने और अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **मानसिक स्वास्थ्य और सहायता:** भेदभाव और कलंक का सामना करने वाले एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लिए सुलभ सेवाएँ और सहायता समूह फायदेमंद हो सकते हैं।
- **सामुदायिक भवन:** गौरव परेड और एलजीबीटीक्यू+ दृश्यता कार्यक्रम, धार्मिक और सांस्कृतिक नेताओं को संवाद में शामिल करना, सकारात्मक, गैर-रूढ़िवादी मीडिया चित्रण को प्रोत्साहित करना आदि प्रगतिशील कदम हैं।

2. सरकार द्वारा निर्णय में देरी से न्यायपालिका की क्षमता प्रभावित हो रही है: उच्चतम न्यायालय

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि किस प्रकार न्यायपालिका नई प्रतिभाओं को खो रही है (जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था), क्योंकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद (judgeships) को भरने के लिए पात्र संभावित उम्मीदवार के प्रति सरकार की ओर से निर्णय लेने में देरी हो रही है।

विवरण

- कई प्रतिभाशाली बौद्धिक लोग केंद्र सरकार (जो कॉलेजियम द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाने के बावजूद अज्ञात कारणों से एक नाम को दूसरे नाम से अधिक प्राथमिकता देते है) द्वारा नामों के पृथक्करण शिकार हुए हैं।
- इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया कि लगभग 70 उच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशें 10 महीने से अधिक समय से लंबित हैं।

न्यायालय	लंबित मामलों की संख्या
उच्चतम न्यायालय	71,411
उच्च न्यायालय	6 मिलियन
निचला न्यायालय	41 मिलियन

- ✓ उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 26 तबादलों पर सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया।
- ✓ उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई नौ नई सिफारिशों पर सरकार द्वारा न तो कार्रवाई की गई और न ही उन्हें कॉलेजियम को लौटाया गया।
- ✓ विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए सात अन्य नामों का निर्णय भी सरकार के पास अनिश्चित रूप से लंबित है।
- ✓ अति संवेदनशील मणिपुर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश अभी भी लंबित हैं।

- प्रक्रिया ज्ञापन के तहत सरकार को कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों को अविलम्ब नियुक्त करना आवश्यक है।

न्यायपालिका में नियुक्तियों को लेकर विवाद

- केंद्र सरकार और संसद न्यायपालिका की नियुक्ति के तरीकों को लेकर आलोचनात्मक रही हैं, जैसा कि **तीसरे न्यायाधीश मामले (1998)** द्वारा कोलेजियम प्रणाली की स्थापना के परिणामस्वरूप हुआ था; जिसे गैर-पारदर्शी करार दिया गया है और इसने एक प्रकार से न्यायपालिका का कद **"सुपर-कार्यकारी"** तक बढ़ा दिया, जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीशों का चयन करते हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने **99वें संविधान संशोधन अधिनियम (2014)** द्वारा निर्मित **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)** को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत होने के कारण रद्द कर दिया था क्योंकि केंद्र सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को संशोधित करने का प्रयास किया था।
- इस कदम की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसे लोगों ने आज भी तीखी आलोचना की है और इसे लोक संप्रभुता का उल्लंघन बताया है, जिसकी अभिव्यक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संसद में बनाए गए कानून हैं।
- इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के साथ संघीय सरकार का रिश्ता खटास भरा है और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी, एक बार-बार होने वाली घटना रही है।

प्रभाव

- **लंबित मामलों की संख्या :** लंबित मामलों में लगातार हो रही वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाता है जबकि ऐसी प्रक्रियाएं निर्बाध और समय-कुशल नहीं होती हैं।
- **विश्वास की कमी :** इस तरह की खींचतान से भारतीय लोकतंत्र के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक अंगो के बीच अविश्वास का वातावरण उत्पन्न होता है, सहयोग बाधित होता है और शासन और सुधार में गतिरोध भी उत्पन्न होता है।
- **सत्ता संघर्ष :** यह रस्साकशी के खेल की तरह है जहां प्रत्येक का उद्देश्य उच्च न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्ति की शक्ति पर महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त करना है।
- **शक्तियों का पृथक्करण :** सामंजस्यपूर्ण अंतर-संस्थागत संतुलन बनाए रखना संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, लेकिन ऐसे मामलों में इसकी स्पष्ट रूप से उपेक्षा की जाती है।

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 124(2) और 217** उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं।

- न्यायाधीशों की नियुक्ति औपचारिक रूप से कॉलेजियम के परामर्श और सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- **कॉलेजियम** में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं और न्यायाधीशों की नियुक्तियों, पदोन्नति और स्थानांतरण पर निर्णय लेते हैं **(तृतीय न्यायाधीश मामला, 1998)**।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश **मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों** वाले कॉलेजियम द्वारा की जाती है। हालाँकि, यह प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से शुरू किया गया है।
- **"कॉलेजियम"** शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लेकिन इसे न्यायिक उदघोषणाओं के माध्यम से स्थापित किया गया है।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कार्यकाल तय होता है, और उनके वेतन, भत्ते, पेंशन और प्रशासनिक व्यय **भारत की संचित निधि** पर भारित होते हैं।
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 128** में उल्लिखित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 224A** सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जहां किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय (राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से) किसी ऐसे व्यक्ति जिसने उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संभाला हो, से उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद संभालने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।

3. आधार से संबंधित चिंताएँ

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत के आधार कार्यक्रम जैसी बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों में सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी जोखिमों के बारे में चिंता जताई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- न्यूयॉर्क स्थित रेटिंग एजेंसी (मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस) ने 23 सितंबर को "विकेंद्रीकृत वित्त और डिजिटल संपत्ति" पर जारी एक रिपोर्ट में आधार को "दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पहचान कार्यक्रम" के रूप में मान्यता दी है, जिसमें बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा का उपयोग करते हुए 1.2 बिलियन से अधिक भारतीय निवासियों को अद्वितीय नंबर प्रदान किया गया है।

सेवा अस्वीकरण से संबंधित चिंताएं

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार का प्रबंधन करता है। इसका लक्ष्य हाशिए पर रहने वाले समूहों को एकीकृत करना और कल्याणकारी लाभों की पहुँच का विस्तार करना है।
- हालाँकि, इस सिस्टम को बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें आधिकारिक अनुमति प्राप्त करने का बोझ और बायोमेट्रिक विश्वसनीयता से जुड़ी हुई चिंताएँ शामिल हैं।
- यूआईडीएआई-आधार प्रणाली में अक्सर सेवा अस्वीकरण की समस्या देखने को मिलती है साथ ही साथ बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों की विश्वसनीयता, विशेष रूप से गर्म, आर्द्र जलवायु में हाथ से काम करने वाले मजदूरों के लिए संदिग्ध है।

✓ यह तथ्य भारत की **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा]** पर स्पष्ट रूप से लागू होता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)

- *यह भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत 12 जुलाई, 2016 को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम 2016") के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।*
- *यूआईडीएआई को भारत के सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) जारी करने के लिए गठित गया था, जिसे "आधार" नाम दिया गया। यूआईडी को (ए) नकली और जाली पहचान को समाप्त करने के लिए पर्याप्त सक्षम होना चाहिए और (बी) आसान, लागत प्रभावी तरीके से सत्यापन योग्य और प्रामाणिक होना चाहिए।*
- *29 सितंबर, 2023 तक, प्राधिकरण ने भारत के निवासियों के लिए 138.08 करोड़ आधार नंबर जारी किए हैं।*

सुरक्षा संबंधित चिंताएँ

- इसमें यह भी कहा गया है कि डिजिटल आईडी की कुछ श्रेणियाँ (जो विशेष रूप से केंद्रीय या संघीय नियंत्रण के अंतर्गत हैं) दुरुपयोग या

दोहन के प्रति अति संवेदनशील हैं। यह चिंता विशेष रूप से तब बढ़ जाती है जब इसमें फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान की जानकारी जैसा संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा शामिल होता है।

- इसमें **विकेंद्रीकृत डिजिटल पहचान** के संबंध में चिंताओं पर भी प्रकाश डाला गया है और कहा गया है कि इस तकनीक के व्यापक उपयोग में भी कई बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **विकेंद्रीकृत डिजिटल (Decentralised Digital-DID)** मौजूदा आईडी संबंधित मामलों के लिए संभावित समाधान प्रदान करता है, लेकिन तकनीकी जटिलता, साइबर जोखिम, विभिन्न रूपरेखाओं के बीच अंतरसंचालनीयता संबंधी मामले, डेटा दोहन की संभावना और संभावित सामाजिक प्रतिपरिणामों जैसी चुनौतियाँ भी पेश करता है।

नीतियाँ और विनियमन संबंधी चिंताएँ

- इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उपयुक्त नीतियों और विनियमों की कमी **पुनः प्रयोज्य प्रमाण-पत्र** के उपयोग को हतोत्साहित कर सकती है और इस तकनीक के लिए चुनौतियां पैदा कर सकती है।
- विकेंद्रीकृत डिजिटल आर्किटेक्चर (जैसे- डेटा प्रारूप, संचार प्रोटोकॉल, क्रिप्टोग्राफ़िक विधियों और सत्यापन प्रक्रियाओं) के अंतर्गत विभिन्न घटकों के लिए अच्छी तरह से परिभाषित और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानकों की कमी विभिन्न विकेंद्रीकृत डिजिटल प्रणालियों की कुशलतापूर्वक और निर्बाध रूप से एक साथ काम करने की क्षमता में अवरोध उत्पन्न करती है, जिसे **अंतर-संचालनीयता** के रूप में जाना जाता है।

सरकार की प्रतिक्रिया

- विचाराधीन रिपोर्ट में प्रस्तुत निष्कर्षों के पक्ष में किसी भी प्राथमिक या द्वितीयक डेटा या शोध का उद्धरण नहीं दिया गया है। निवेशक सेवा एजेंसी (इन्वेस्टर सर्विस) ने उठाए गए मुद्दों के संबंध में प्राधिकरण से तथ्यों की पुष्टि करने का कोई प्रयास नहीं किया।
- विश्व बैंक द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में **वित्तीय समावेशन के लिए G20- वैश्विक साझेदारी (GPFI)** द्वारा यह कहा गया है कि "जन धन बैंक खातों के साथ-साथ आधार (एक मूलभूत डिजिटल आईडी प्रणाली) जैसे डीपीआई का कार्यान्वयन और लेन-देन खाता धारकों के संख्या को बढ़ाने में मोबाइल फोन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"
- **चेहरे के प्रमाणीकरण** (face authentication) और **आईरिस प्रमाणीकरण** (iris authentication) जैसे संपर्क रहित माध्यमों से भी **बायोमेट्रिक आज्ञापालन** संभव है और कई उपयोग में मोबाइल ओटीपी (वन-टाइम पासकोड) का विकल्प भी उपलब्ध है।

आधार

- आधार, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आईडी कार्यक्रम है जो संयुक्त रूप से **बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी** का उपयोग करके 1.2 बिलियन से अधिक भारतीय निवासियों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है।
- यह प्रणाली व्यक्तियों को सत्यापन विधियों के साथ सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है जिसमें **फिंगरप्रिंट** या **आईरिस स्कैन** के साथ ही **वन-टाइम पासकोड** जैसे विकल्प शामिल हैं।
- भारत के प्रत्येक निवासी के लिए एक विशिष्ट और सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करने के लक्ष्य के साथ **यूआईडीएआई द्वारा वर्ष 2009 में** आधार कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण** आधार के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

4. पॉक्सो अधिनियम पर विधि आयोग

वर्तमान संदर्भ

भारत के विधि आयोग ने कहा है कि किशोर यौन कृत्यों को आपराधिक कानून के दायरे से छूट देने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा उम्र (18 वर्ष) में "किसी भी प्रकार का संशोधन करना उचित नहीं है" तथा इसके बजाय इसने 16-18 आयु वर्ग के लोगों से जुड़े मामलों में "सजा के मामले में निर्देशित न्यायिक विवेक" को शुरू करने का समर्थन किया है।

विवरण

- आयोग ने '**लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत सहमति की आयु**' पर अपनी रिपोर्ट संख्या-283 में उन मामलों में स्थिति को सुधारने के लिए अधिनियम में कुछ संशोधनों की सिफ़ारिश की, जिसमें 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे की ओर से कानून में सहमति नहीं होने के बावजूद वास्तव में मौन

स्वीकृति है।

- बच्चों के बीच और उनके साथ यौन गतिविधियों को पूरी तरह से अपराध घोषित कर दिया गया है, हालांकि इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा करना है, लेकिन इससे युवा लड़कों और लड़कियों को जेल में डाल दिया जा रहा है, जो यौन जिज्ञासा और अन्वेषण की आवश्यकता के परिणामस्वरूप ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो कुछ सीमा तक मानक हो सकते हैं।
  - ✓ वर्तमान स्थिति में, एक सामाजिक मूल्य जुड़ा हुआ है, जिसमें बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव के साथ-साथ जाँच एजेंसियों और अदालतों पर बोझ भी शामिल है। यह उन मामलों से ध्यान हटा देता है, जो वास्तविक हैं और जिन पर तत्काल विचार की आवश्यकता है।
  - ✓ इस तरह, सहमति से किए गए कार्य में शामिल होने के कारण पॉक्सो अधिनियम के सीमा में आने वाले बच्चों को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है।

भारत का विधि आयोग

- *यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय हैं, बल्कि यह भारत सरकार के आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है।*
- *इस आयोग का गठन एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया गयाथा तथा यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है।*
- *वर्ष 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में चार्टर अधिनियम 1833 के तहत, इस प्रकार के पहले आयोग की स्थापना की गई थी, जिसने दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को संहिताबद्ध करने की सिफारिश की थी।*
- *विधि आयोग, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ पर या स्वत: संज्ञान लेकर, कानून की जाँच करता है तथा भारत के वर्तमान कानूनों में सुधार करने और नए कानून बनाने की समीक्षा करता है।*
- *यह प्रक्रियाओं में होने वाली देरी को खत्म करने, मामलों के त्वरित निपटान, मुकदमेबाजी की लागत में कमी आदि के लिए न्याय वितरण प्रणालियों में सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करता है।*

प्रस्तावों पर गहन जाँच

- **सहमति की आयु को घटाकर 16 वर्ष करने के संबंध में :**
  - ✓ आयोग ने कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण से बहुत गंभीर प्रकृति के कई अनपेक्षित परिणाम होंगे, जिससे पॉक्सो अधिनियम एक **'कागजी कानून'** बनकर रह जाएगा।
  - ✓ इसके अलावा, पुलिस जाँच बड़ी संख्या में अपर्याप्तताओं से ग्रसित है और यदि जाँच एजेंसियाँ ही यह निर्धारित करेंगी कि सहमति थी या नहीं, तो जिन पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की आवश्यकता है, उन पर जाँच एजेंसियों द्वारा स्वयं उन्हें सहमति से रोमानी लैंगिक संबंध का मामला घोषित करने के कारण सुनवाई नहीं हो सकती है।
  - ✓ इसके अलावा, इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के विरुद्ध लड़ाई पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

किस प्रकार से कानून का दुरुपयोग होता है

- वर्ष 2012 में, यौन सहमति की कानूनी उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई
- यह पॉक्सो अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के बीच यौन गतिविधि को अपराध मानता है - भले ही यह सहमति से हो
- इससे माता-पिता को नाबालिग लड़कियों के भागने के बाद उसके किशोर साथियों पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करने का अधिकार मिलता है
- हालाँकि सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि मेडिकल जाँच पॉक्सो अधिनियम के लिए माना जाने वाला एक पैरामीटर है, लेकिन यह निर्णायक रूप से साबित नहीं करता है कि संबंधित साथी यौन संबंध में शामिल थे।

दर्ज मामले

- जनवरी, 2017 से 11 नवंबर, 2018 तक - चेन्नई में लड़का-लड़की से साथ भागने के 141 मामलों में पॉक्सो अधिनियम लगाया गया।
- इसी अवधि में, पॉक्सो अधिनियम के तहत 'लड़का-लड़की के नहीं भागने' के 179 मामले दर्ज किए गए थे।
- वर्ष 2017 में, चेन्नई में प्रवेशन लैंगिक हमला के तहत 83 मामले दर्ज किए गए थे
- इनमें से 63 को पीड़ितों से शादी करने के बहाने उनके दोस्तों के रूप में दर्शाया गया था

- **16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे से जुड़े सहमति से यौन कृत्य के मामले में सीमित अपवाद है, अतः इसे पेश किया जाना चाहिए:**
  - ✓ आयोग का विचार था कि यह चिंताजनक है और इसके दुरुपयोग होने की संभावना है, क्योंकि किसी बच्चे की सहमति कोई सहमति नहीं है और इसे उसी प्रकार लागू काफी दुविधापूर्ण होगा।
  - ✓ सभी बच्चे, इसी उद्देश्य के लिए बनाए गए विशेष कानून के

संरक्षण के योग्य हैं और सहमति की उम्र को कम करने से बाल आबादी का एक बड़ा भाग, विशेष रूप से 16 से 18 वर्ष की आयु की युवा लड़कियाँ, सुरक्षा से वंचित हो जाएँगी और उन्हें गंभीर रूप से शोषण का शिकार होना पड़ेगा।

- ✓ सँवारने की बढ़ती घटनाओं के साथ-साथ सेक्सटॉर्शन जैसे साइबर अपराध इस बात के उचित उदाहरण हैं कि इस संवेदनशील आयु वर्ग के बच्चों को किस प्रकार से फँसाया जा सकता है और उनका शोषण किया जा सकता है।
- ✓ आयोग द्वारा कहा गया है कि किशोरों द्वारा, लड़कियों को आसानी से प्रेम जाल में फंसाने और फिर तस्करी में बेचे जाने की वास्तविक संभावना की अनदेखी नहीं की जा सकती है और न ही की जानी चाहिए। सहमति के किसी भी प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है और इससे बच्चे वयस्क दुर्व्यवहारियों की दया पर निर्भर हो सकते हैं, जिससे वेश्यावृत्ति और बच्चों के शोषण होने की संभावना से इनकार नहीं किया सकता है।

- **सज़ा सुनाने की प्रक्रिया में सीमित न्यायिक विवेक का निर्धारण:**
  - ✓ ऐसा लगता है कि यह मौजूदा समस्या के समाधान के लिए एक सूक्ष्म संतुलन बनाने के साथ ही बच्चों को यौन शोषण से बचाना एक अधिक उचित दृष्टिकोण है।
  - ✓ विशेष न्यायालय को दिया गया इस प्रकार का विवेक उन मामलों में प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें कथित कृत्य के लिए 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे की ओर से तथ्यात्मक सहमति है।
  - ✓ हालाँकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि व्यापक न्यायिक विवेक से स्वेच्छाचारिता हो सकती है, जो किसी भी संभावित दुरुपयोग से सुरक्षित इस विवेकाधिकार के तर्कसंगत उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

पॉक्सो अधिनियम

- इसे **वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन** के भारत के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप वर्ष 2012 में अधिनियमित किया गया था।
- यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करने के साथ-साथ अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान करता है।
- इस विशेष कानून का उद्देश्य, बालकों के यौन शोषण के अपराधों के लिए प्रावधान करना है, जो पहले हुए थे या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं थे या अपर्याप्त रूप से दंडित किए गए थे।
- अपराधियों को रोकने और बालकों के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बालकों पर यौन अपराध करने के लिए मृत्युदंड सहित अधिक कठोर सजा देने के लिए वर्ष 2019 में इस अधिनियम की समीक्षा और संशोधन किया गया।
- भारत सरकार ने पॉक्सो नियम, 2020 को भी अधिसूचित किया है, जिसमें निम्न प्रावधान किए गए हैं:
  - ✓ विशेष अदालत, एफआईआर दर्ज होने के बाद बच्चे की राहत या पुनर्वास से संबंधित जरूरतों के लिए अंतरिम मुआवजे का आदेश दे सकती है।
  - ✓ बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) या किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बनाए गए फंड का उपयोग करके भोजन, कपड़े और परिवहन जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए तत्काल भुगतान की सिफारिश कर सकती है।
  - ✓ पॉक्सो नियम सीडब्ल्यूसी को जाँच और परीक्षण (ट्रायल) प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति प्रदान करने का अधिकार देता हैं।

5. सूचना आयोगों के पास मामले लंबित

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, देश भर के 27 राज्य सूचना आयोगों के पास कुल 3,21,537 अपीलें और शिकायतें लंबित हैं तथा लंबित मामलों (बैकलॉग) की संख्या लगातार बढ़ रही है।

विवरण

- **'भारत में सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड, 2022-23'** में बताया गया है कि वर्ष 2019 के आंकलन में पाया गया है कि उस वर्ष 31 मार्च तक, 26 सूचना आयोगों के पास कुल 2,18,347 अपील/शिकायतें लंबित थीं, जो 30 जून, 2021 तक बढ़कर 2,86,325 हो गई और फिर 30 जून, 2022 तक तीन लाख को पार कर गई।
- यह रिपोर्ट देश भर के सूचना आयोगों के प्रदर्शन और सूचना का

अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर सतर्क नागरिक संगठन (SNS) [एक नागरिक समूह, जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है] द्वारा संकलित की गई है।

मुख्य निष्कर्ष

- इस रिपोर्ट के अनुसार, **लंबित अपीलों की अधिकतम संख्या** महाराष्ट्र (1,15,524) में थी, उसके बाद कर्नाटक (41,047) का स्थान था।
- **चार सूचना आयोगों** - झारखंड, तेलंगाना, मिजोरम और त्रिपुरा इसके प्रति निष्क्रिय हैं, क्योंकि इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया।
- **वर्तमान में छह सूचना आयोग** (केंद्रीय सूचना आयोग और मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब का राज्य सूचना आयोग) नेतृत्वहीन हैं।
- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 28 सूचना आयोगों के द्वारा 01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 के बीच कुल 2,20,382 अपील और शिकायतें दर्ज की गईं, जिनकी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध थी। इसी अवधि के दौरान, 29 सूचना आयोगों के द्वारा कुल 2,14,698 मामलों का निपटारा किया गया, जिनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती थी।
- औसत मासिक शिकायत निपटान दर और आयोगों में लंबित मामलों का उपयोग करके, किसी अपील या शिकायत के निपटारे में लगने वाले समय की गणना की गई।
  - ✓ इसके आंकलन से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) को इन मामलों को निपटाने में अनुमानित 24 साल 1 महीने का समय लगेगा, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि वर्तमान मासिक दर से कार्य किया गया तो 1 जुलाई, 2023 को दायर किसी मामले को वर्ष 2047 में निपटाया जाएगा।
  - ✓ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में किसी अपील या शिकायत के निपटारे में राज्य सूचना आयोग द्वारा लिया गया अनुमानित समय चार साल से अधिक है। ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में यह दो साल से अधिक है। इस आंकलन से पता चलता है कि 10 सूचना आयोगों को किसी अपील/शिकायत का निपटारा करने में एक साल या उससे अधिक का समय लगेगा।
- सूचना आयोगों द्वारा लगाए गए दंडों के विश्लेषण से पता चलता है कि **आयोगों ने 91 प्रतिशत ऐसे मामलों में दंड नहीं लगाया, जिसमें दंड लगाए जा सकते थे।**

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को वर्ष 2005 में पारित किया गया था। यह भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी माँगने का अधिकार देने के साथ-साथ सरकार और उसके पदाधिकारियों को अधिक जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है।

आरटीआई कानून के तहत, सूचना आयोग अंतिम अपीलीय प्राधिकारी हैं और उन्हें लोगों के सूचना प्राप्त करने के मौलिक अधिकार की सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने का दायित्व प्रदान किया गया है।

इस आरटीआई अधिनियम ने सूचना स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 का स्थान ले लिया।

- *कोई भी भारतीय नागरिक किसी सरकारी प्राधिकरण से विलंबित आईटी रिफंड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने या पूरी हो चुकी या चल रही सुधार कार्य या बुनियादी ढाँचा परियोजना का विवरण माँगने जैसे विषय की जानकारी माँगने हेतु स्वतंत्र है।*
- *माँगी गई जानकारी देश में विभिन्न प्रकार के राहत कोषों के तहत आवंटित धनराशि से भी संबंधित हो सकती है।*

सूचना आयोग

- **केंद्रीय सूचना आयोग**
  - ✓ केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission-CIC) की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत की गई थी, इसलिए यह एक संवैधानिक नहीं बल्कि एक सांविधिक निकाय है।
  - ✓ इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा इसके सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
  - ✓ इस आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तक विस्तारित है।
  - ✓ मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि हेतु या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो तक पद पर बने रहेंगे। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।
  - ✓ सीआईसी की शक्तियाँ और कार्य

i. आरटीआई, 2005 के तहत माँगी गई जानकारी के संबंध में किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करना और उसकी जाँच करना।

ii. उचित आधार (स्वतः संज्ञान शक्ति) होने पर यह किसी भी मामले की जाँच का आदेश दे सकता है।

iii. जाँच के दौरान समन भेजने, दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के संबंध में आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं।

- **राज्य सूचना आयोग**
  - ✓ इसका गठन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
  - ✓ इसमें एक **राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त (SCIC)** और **अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त (SIC)** होते हैं, जिन्हें **मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति की सिफारिश** पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।

सूचना आयोगों से संबंधित समस्याएँ

- सरकारी अधिकारियों को शायद ही कभी फटकार लगाई जाती है, क्योंकि कुल मामलों में से केवल 2.2 प्रतिशत मामलों में ही जुर्माना लगाया जाता है।
- न्यायपालिका द्वारा इनकी नियुक्ति करने के आदेश के बावजूद, अत्यधिक रिक्तियाँ एक खेदजनक तस्वीर पेश करती हैं।
- यह निकाय नियुक्तियों और चयनों के संदर्भ में रिकॉर्ड के नाम पर कुछ भी नहीं रखने के साथ गोपनीयता और गैर-पारदर्शिता में आवृत है।
- आरटीआई संशोधन अधिनियम, 2019 के संदर्भ में संघीय समस्याएँ
- मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गईं थी।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को राज्यों में आयुक्तों की नियुक्ति के नियमों और शर्तों से संबंधित प्रावधान के माध्यम से इन्हें नियंत्रित करने की अनुमति देता है।
- इस प्रकार, यह संशोधन केंद्र सरकार को केंद्र और राज्य दोनों में सूचना आयुक्तों के पद, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को एकतरफा तरीके से निर्धारित करने का अधिकार देता है।

6. संसद में प्रश्न पूछना

वर्तमान संदर्भ

लोकसभा की आचार समिति के द्वारा टीएमसी सांसद पर रिश्वत लेकर प्रश्न पूछने का आरोप लगाये जाने के सन्दर्भ में एक भाजपा सांसद से 'मौखिक साक्ष्य' की सुनवाई की जाएगी।

लोकसभा में प्रश्न उठाने की प्रक्रिया

मौजूदा नियम

- प्रश्न उठाने की प्रक्रिया **"लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम"** के नियम 32 से 54 और "लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों" में वर्णित निर्देश 10-18 द्वारा शासित होती है।

प्रश्न पूछने की प्रक्रिया

- प्रश्न पूछने के लिए किसी सांसद को पहले निचले सदन के महासचिव को संबोधित किया गया एक नोटिस देना होता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाने के अपने उद्देश्य की जानकारी देनी होती है।
- आमतौर पर, किसी प्रश्न के लिए नोटिस देने की अवधि 15 दिन से कम नहीं होती है।
- **नोटिस में आमतौर पर निम्न शामिल होता है:**
  - ✓ लिखित रूप में पूरा प्रश्न।
  - ✓ उस मंत्री का आधिकारिक पदनाम जिसे प्रश्न संबोधित किया गया है।
  - ✓ वह तिथि जिस दिन उत्तर वांछित है।
  - ✓ वरीयता क्रम, यदि सांसद एक ही दिन के लिए प्रश्नों के एक से अधिक नोटिस देता है।

किसी सदस्य द्वारा पूछे जा सकने वाले प्रश्नों की संख्या

- एक सदस्य को किसी भी दिन मौखिक और लिखित उत्तरों के लिए, कुल मिलाकर प्रश्नों के पांच से अधिक नोटिस देने की अनुमति नहीं है।
- किसी सदस्य द्वारा एक दिन में पांच से अधिक नोटिस दिए जाने पर केवल उस सत्र की अवधि के दौरान उस मंत्री(ओं) से संबंधित अगले दिन(दिनों) के लिए विचार किया जाता है।
- आमतौर पर, किसी प्रश्न के लिए नोटिस देने की अवधि 15 दिन से कम नहीं होती है।

दो तरीके जिनके माध्यम से सांसद अपने प्रश्नों के नोटिस जमा कर सकते हैं:

- सबसे पहले, एक ऑनलाइन 'सदस्य पोर्टल' के माध्यम से, जिसके लिए उन्हें अपनी आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- दूसरा, संसदीय सूचना कार्यालय में उपलब्ध मुद्रित प्रपत्रों के माध्यम से।

स्पीकर की भूमिका

- नोटिस जमा करने के बाद, अगले चरण में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा

निर्धारित नियमों के आलोक में प्रश्नों के नोटिस की जांच की जाती है।

- अध्यक्ष द्वारा ही यह निर्णय लिया जाता है कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग स्वीकार्य है अथवा नहीं।

प्रश्नों की स्वीकार्यता के लिए शर्तें

- किसी सांसद द्वारा उठाए गए प्रश्न की स्वीकार्यता को नियंत्रित करनेवाले नियमों के कुछ सेटः
  - ✓ प्रश्न सामान्यतः 150 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।
  - ✓ उनमें दलीलें, मानहानिकारक बयान और किसी भी व्यक्ति की आधिकारिक या सार्वजनिक क्षमता से बाहर चरित्र या आचरण का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

- **अनुमति हेतु अयोग्य प्रश्न**
  - ✓ नीतियों के बड़े मुद्दों को उठाने वाले प्रश्नों की अनुमति नहीं है, क्योंकि किसी प्रश्न के उत्तर के सीमित दायरे में नीतियों का वर्णन करना संभव नहीं है।
  - ✓ किसी न्यायालय या किसी अन्य न्यायाधिकरण या कानून के तहत गठित निकाय के समक्ष लंबित या संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन विषयों से सम्बंधित कोई प्रश्न स्वीकार्य नहीं है।
  - ✓ देश की एकता और अखंडता को कमजोर कर सकने वाले मामलों से सम्बंधित प्रश्नों पर कोई भी जानकारी नहीं मांगी जा सकती है।

चार अलग-अलग प्रकार के प्रश्न

- **तारांकित प्रश्नः** एक तारांकित प्रश्न किसी सांसद द्वारा पूछा जाता है और प्रभारी मंत्री द्वारा मौखिक रूप से उसका उत्तर दिया जाता है।
  - ✓ प्रत्येक सांसद को प्रतिदिन एक तारांकित प्रश्न पूछने की अनुमति है।
  - ✓ तारांकित प्रश्नों को कम से कम 15 दिन पहले प्रस्तुत करना होगा (ताकि प्रभारी मंत्री को उत्तर तैयार करने के लिए समय मिल सके)।
  - ✓ एक दिन में मौखिक उत्तर के लिए केवल 20 प्रश्न सूचीबद्ध किए जा सकते हैं।
  - ✓ जब किसी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, तो उस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
  - ✓ मुद्दों पर सरकार के विचार और उसके नीतिगत झुकाव के बारे में जानने के लिए तारांकित प्रश्न अधिक उपयुक्त होते हैं।
- **अतारांकित प्रश्नः** अतारांकित प्रश्न को मंत्रालय से लिखित उत्तर मिलता है। इन्हें भी कम से कम 15 दिन पहले जमा करना होगा।
  - ✓ एक दिन में केवल 230 प्रश्नों को लिखित उत्तर के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।
  - ✓ तारांकित प्रश्नों के विपरीत, अतारांकित प्रश्न किसी भी पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं देते हैं।
  - ✓ डेटा या सूचना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अतारांकित प्रश्न अधिक अनुकूल होते हैं।
- **अल्प-सूचना प्रश्नः** अल्प-सूचना प्रश्न वे होते हैं जो अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय से संबंधित होते हैं।
  - ✓ उनसे 10 दिन से कम समय के नोटिस पर, अल्प-नोटिस के कारणों सहित पूछा जा सकता है।
  - ✓ तारांकित प्रश्न की तरह उनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, उसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं।
- **निजी सदस्यों को संबोधित प्रश्नः** किसी निजी सदस्य को पूछे जाने वाले प्रश्न स्वयं सांसद को संबोधित होते हैं।
  - ✓ यह तब पूछा जाता है जब विषय किसी विधेयक, संकल्प या सदन के कार्य से संबंधित किसी मामले से संबंधित होता है जिसके लिए वह सांसद जिम्मेदार होता है।

संसद में सवाल उठाने का महत्व

- प्रश्न पूछना एक सांसद का अंतर्निहित और स्वतंत्र संसदीय अधिकार है।
- इस अभ्यास का उद्देश्य कार्यकारी कार्यों पर विधायी नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए एक संसदीय उपकरण के रूप में कार्य करना है।
- इसका उपयोग प्रशासन और सरकारी गतिविधि के पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करने, सरकारी नीतियों और योजनाओं की आलोचना करने, सरकारी खामियों पर प्रकाश डालने और मंत्रियों को सार्वजानिक भलाई के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करने हेतु किया जा सकता है।

7. प्रजनन की स्वायत्तता बनाम अजन्मे बच्चे के अधिकार

वर्तमान संदर्भ

उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 27 वर्षीया एक विवाहित महिला की तीसरी गर्भावस्था के गर्भपात की याचिका को खारिज कर दिया।

विवरण

- भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय महिला के प्रजनन की स्वायत्तता के अधिकार का सम्मान करती है, लेकिन वह उसके अजन्मे बच्चे के अधिकारों से अनभिज्ञ नहीं हो सकती है।
  - ✓ मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि "हमें अजन्मे बच्चे के अधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए। अनुच्छेद-21 के तहत महिला की स्वायत्तता निःसंदेह महत्वपूर्ण है और यह उसका अधिकार है, लेकिन उसी प्रकार, हमें इस तथ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए कि जो कुछ भी किया जाएगा वह अजन्मे बच्चे के अधिकार को भी प्रभावित करेगा"।
- 26 सप्ताह से अधिक अवधि की गर्भवती महिला ने अनुरोध किया था कि वह गर्भावस्था को पूरा करने के लिए शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक रूप से तैयार नहीं है।
  - ✓ वह दो बच्चों की माँ है, उसका छोटा बच्चा केवल एक वर्ष का है, और वह प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित है।

महत्वपूर्ण विवरण

- इससे पहले, एक विवाहित महिला के 26 सप्ताह के गर्भपात के फैसले और अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए केंद्र के संकल्प के बारे में उच्चत्तम न्यायालय की दो महिला न्यायाधीशों की खंडपीठ की राय अलग-अलग थी।
- आम सहमति न बनने के कारण न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने मामले को तीन-न्यायाधीशों की पीठ बनाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया।
- हालाँकि, केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि महिला को अपने प्रजनन के अधिकार का प्रयोग करने की स्वायत्तता का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, क्योंकि वह उसके अजन्मे बच्चे के अधिकारों को छीन लेगा।
  - ✓ उन्होंने गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 का उल्लेख किया, जिसमें "असाधारण परिस्थितियों" में गर्भपात की समय सीमा 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया है।
  - ✓ उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में चिकित्सीय गर्भपात की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब माँ की जान बचाने के लिए या जीवन को खतरे में डालने वाली डिलीवरी के मामले में यह आवश्यक हो।
  - ✓ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दावा किया कि "एक बार जब बच्चा सक्रिय हो जाए, तो राहत एकतरफ़ा नहीं हो सकती है। जब वह बच्चे को रखना नहीं चाहती है, तब शारीरिक स्वायत्तता या अखंडता का उसका अधिकार अधिनियम के दायरे के बाहर नहीं हो सकता है।"

भारत में महिलाओं के प्रजनन का अधिकार

- देश में महिलाओं के लैंगिक एवं प्रजनन अधिकारों की मान्यता अभी भी काफी कम है।
  - ✓ भारत में प्रजनन अधिकारों को बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि जैसे चुनिंदा मुद्दों के संदर्भ में ही समझा जाता है।
- **यूनिसेफ इंडिया और विश्व बैंक के आँकड़ो** के अनुसार, दुनिया भर में मातृ मृत्यु के मामलों की तुलना में भारत में सबसे अधिक मातृ मृत्यु होती है।
  - ✓ भारत में हर साल 45,000 मातृ मृत्यु होती है, यानी हर 12 मिनट में औसतन एक मातृ मृत्यु होती है।
- असुरक्षित गर्भपात भारत में मातृ मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है।
  - ✓ भारत में आधे गर्भधारण अनपेक्षित होते हैं और लगभग एक तिहाई का गर्भपात होता है।
  - ✓ केवल 22 प्रतिशत गर्भपात सार्वजनिक या निजी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से किए जाते हैं।
- गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 वर्ष 1971 के कानून की तुलना में महिलाओं के लिए कुछ विस्तारित अधिकारों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्न अधिकार शामिल हैं-
  - ✓ इस अधिनियम के अंतर्गत, गर्भनिरोधक विधि या साधन की विफलता के मामले में किसी भी विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक की गर्भ का गर्भपात कराया जा सकता है। यह अविवाहित महिलाओं को भी इस कारण से गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है।
  - ✓ इसमें गर्भधारण के 20 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक पंजीकृत पेशेवर चिकित्सक (आरएमपी) की राय और गर्भधारण के 20 से 24 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दो चिकित्सा अधिकारी की सहमति अनिवार्य थी।
  - ✓ इसमें भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड की सहमति को आवश्यक बनाया गया है।
  - ✓ महिलाओं की विशेष श्रेणियों (जिसमें बलात्कार पीड़ित, व्यभिचार की शिकार और अन्य कमजोर महिलाओं (दिव्यांग महिलाओं, नाबालिगों सहित अन्य) शामिल हैं) के लिए गर्भधारण की अधिकतम सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने को अनिवार्य कर दिया गया।
  - ✓ हालाँकि, इस कानून के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं, जैसे-

i. यदि अवांछित गर्भावस्था 20 सप्ताह से अधिक हो गई है, तो महिलाओं को गर्भपात की अनुमति लेने के लिए मेडिकल बोर्ड और न्यायालय में जाना पड़ता है, जो बेहद कठिन और बोझिल है।

ii. कानून बच्चे के पालन-पोषण की आर्थिक लागत, करियर से

संबंधित निर्णयों पर प्रभाव या किसी अन्य व्यक्तिगत विचार पर गैर-चिकित्सीय चिंताओं को समायोजित नहीं करता है।

- **महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर उच्चत्तम न्यायालय बेहद प्रगतिशील रहा है:**

  ✓ **पुट्टास्वामी मामले (2018)** के निर्णय ने विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में, प्रजनन विकल्प चुनने के महिलाओं के संवैधानिक अधिकार को मान्यता दी।

अजन्मे बच्चे के अधिकार

- **अनुच्छेद 21** केवल उस व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्रदान करता है, जो वस्तुतः जीवित है। कानूनी तौर पर यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि अजन्मे बच्चे को एक व्यक्ति माना जाना चाहिए या नहीं।
- **परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 6** की व्याख्या में गर्भ में पल रहे शिशु को नाबालिग माना गया है।
- **भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से 8]316]** में निहित है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकेगा, या किसी अजन्मे बच्चे की शीघ्र मृत्यु का कारण बनेगा, उसे मामले के व्यवहार्यता के आधार पर दंडित किया जाएगा।
- **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956** गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ उसी तरह व्यवहार करता है जैसे किसी मृत व्यक्ति की बिना वसीयत की विरासत के लिए पैदा हुए बच्चे के साथ करता है।
- **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 416** उच्च न्यायालयों को गर्भवती महिलाओं के लिए मृत्युदंड की सजा को स्थगित करने या उसमें परिवर्तन करने की अनुमति देती है।

  ✓ यह स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त करने के अधीन किसी अजन्मे शिशु को एक सामान्य इंसान के रूप में मान्यता देता है।

2. सामाजिक मुद्दे

1. वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023

वर्तमान संदर्भ

भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index-GHI) 2023 में शामिल **कुल 125 देशों में से 111वें स्थान** पर है तथा वर्ष 2015 के बाद से भुखमरी के खिलाफ इसकी प्रगति लगभग रुकी हुई है।

विवरण

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी को व्यापक स्तर पर मापने और पता लगाने का एक साधन है।
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर एक सूत्र पर आधारित है, जिसमें **चार संकेतक शामिल हैं,** जो एक साथ भुखमरी की बहुआयामी प्रकृति पर ध्यान रखता है, जिनमें निम्न शामिल हैं:
  - ✓ अल्पपोषण
  - ✓ बाल बौनापन
  - ✓ बाल अपक्षय
  - ✓ बाल मृत्यु दर
- दुनिया के लिए वर्ष 2023 का वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर 18.3 है, जिसे मध्यम माना जाता है। हालाँकि, यह विश्व के वर्ष 2015 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर 19.1 से केवल एक अंक कम है।
- यह रिपोर्ट आयरिश की एनजीओ **कंसर्न वर्ल्डवाइड** और जर्मनी की एनजीओ **वेल्थुंगरलाइफ** द्वारा तैयार और जारी की गई है।

देशों का प्रदर्शन

- अफगानिस्तान, हैती और 12 उप-सहारा देशों का वैश्विक भुखमरी सूचकांक प्रदर्शन भारत से भी खराब है।
- दक्षिण एशिया और अफ्रीका, सहारा के दक्षिण के देशों के सबसे अधिक भुखमरी से प्रभावित क्षेत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक का वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर 27 है, जो गंभीर भुखमरी का संकेत देता है।
- पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका तीसरा सबसे अधिक भुखमरी से प्रभावित क्षेत्र है, जिसका स्कोर 11.9 है जो "मध्यम" भुखमरी को दर्शाता है।
- केवल लातिन अमेरिकी और कैरेबियाई दुनिया का ऐसा क्षेत्र है, जिसका वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर वर्ष 2015 से वर्ष 2023 के बीच काफी खराब हो गया है।
- इस रिपोर्ट में चीन के प्रभुत्व वाले पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया का वर्ष 2023 का वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर किसी भी क्षेत्र में दूसरा सबसे कम है। उदाहरण के लिए, चीन शीर्ष 20 देशों में से एक है, जिनमें से प्रत्येक का वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर 5 से कम है।
- वर्ष 2023 के सबसे कम वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर वाले क्षेत्र में यूरोप और मध्य एशिया शामिल है, जिसका स्कोर 6.0 है, जिसे "कम" माना जाता है।

भारत का प्रदर्शन

- पिछले वर्ष की तुलना में भारत इस वर्ष चार पायदान नीचे फिसल गया।
- भारत की रैंकिंग -100पॉइंट स्केल पर 28.7 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर पर आधारित है, जिसने 0 सबसे अच्छा स्कोर है (कोई भूख नहीं) और 100 सबसे खराब है।
  - ✓ यह भारत में भुखमरी की गंभीरता को "गंभीर" श्रेणी में संदर्भित करता है।

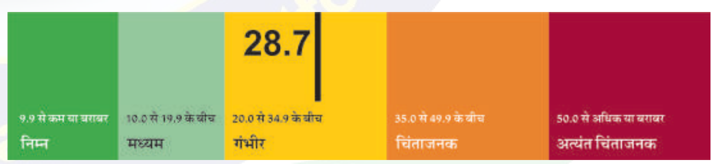

- हालाँकि भारत ने वर्ष 2000 और वर्ष 2015 के बीच बड़ी छलांग लगाई अर्थात, इसका स्कोर वर्ष 2000 में 38.4 से बेहतर होकर वर्ष 2008 में 35.5 और वर्ष 2015 में 29.2 हो गया, पिछले आठ वर्षों में देश के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में केवल 0.5 अंक का सुधार हुआ है।
- भारत में **बाल अपक्षय दर (child wasting rate) विश्व में सबसे अधिक अर्थात**, 18.7 प्रतिशत हैं, जो अत्यधिक अल्पपोषण को दर्शाता है।
  - ✓ अपक्षय को बच्चों की लंबाई के सापेक्ष उनके वजन के आधार पर मापा जाता है।

- **भारत में अल्पपोषण की दर 16.6 प्रतिशत** और **पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1 प्रतिशत** रही।
- वर्ष 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर था।
- भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान (102वें), बांग्लादेश (81वें), नेपाल (69वें) और श्रीलंका (60वें) ने सूचकांक में उससे बेहतर प्रदर्शन किया है।

भारत द्वारा इस रिपोर्ट को खारिज करने की वजह

- हालाँकि, केंद्र सरकार ने त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली का हवाला देते हुए लगातार तीसरे वर्ष भारत के प्रदर्शन पर आपत्ति जताई।
- इसमें कहा गया है कि इसके पोषण ट्रैकर पोर्टल पर दर्ज आँकड़ों से पता चला है कि पाँच साल से कम उम्र के कुल 7.24 करोड़ बच्चों (जिनके आँकड़े एकत्र किए गए हैं), में बाल अपक्षय का प्रसार की दर 7.2 प्रतिशत है।
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक सभी देशों के लिए संबंधित देश के स्कोर की गणना करने हेतु समान डेटा स्रोतों का उपयोग करता है।
  - ✓ यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि उपयोग की गई सभी दरें तुलनीय पद्धतियों का उपयोग करके तैयार की गई हैं।
  - ✓ किसी भी देश या देशों के लिए इस प्रक्रिया में अपवाद का प्रावधान करना, इसके परिणामों और रैंकिंग की तुलनीयता से समझौता करेगा।
- इस वर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दोहराई गई दूसरी आपत्ति अल्पपोषण की गणना के लिए टेलीफोन-आधारित जनमत सर्वेक्षण का कथित उपयोग था, जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में उपयोग किए जाने वाले संकेतकों में से एक है।
  - ✓ वैश्विक भुखमरी सूचकांक ने कहा है कि वह सर्वेक्षण का उपयोग करने के बजाय अल्पपोषण की गणना के लिए भारत की खाद्य बैलेंस शीट के आँकड़ों पर निर्भर रहता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के आँकड़े

- *अखिल भारतीय स्तर पर बाल पोषण संकेतकों में थोड़ा सुधार हुआ है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर बौनापन 38 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत, अपक्षय 21 प्रतिशत से घटकर 19 प्रतिशत और कम वज़न 36 प्रतिशत से घटकर 32 प्रतिशत हो गया है।*
- *दूसरे चरण के सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में बाल पोषण के संबंध में स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि अल्पावधि में इन संकेतकों के संबंध में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है।*
- *भारत के सभी राज्यों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों (58.6 से 67 प्रतिशत), महिलाओं (53.1 से 57 प्रतिशत) और पुरुषों (22.7 से 25 प्रतिशत) में खून की कमी की घटनाएँ बदतर हो गई हैं (20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत घटनाओं को मध्यम माना जाता है)। केरल (39.4 प्रतिशत) को छोड़कर, सभी राज्य "गंभीर" श्रेणी में हैं।*

2. जाति जनगणना और बिहार जाति सर्वेक्षण

वर्तमान सन्दर्भ

हाल ही में बिहार में एक जाति सर्वेक्षण के प्रकाशन के बाद, प्रमुखता से जाति जनगणना का महत्व बढ़ गया है।

सामाजिक-आर्थिक आँकड़ों पर प्रकाश डाला गया

- **मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई):**
  - ✓ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक आँकड़ों में वर्ग और जाति-आधारित पृथक्करण का संमिलन प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर है।
  - ✓ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस), 2011-12 के अनुसार सामान्य श्रेणी का ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और ओबीसी परिवारों का औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) क्रमशः 'अन्य' के एमपीसीई का 65 प्रतिशत, 73 प्रतिशत और 84 प्रतिशत था।
  - ✓ शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2011-12 में एसटी, एससी और ओबीसी परिवारों का औसत एमपीसीई सामान्य वर्ग का 68 प्रतिशत, 63 प्रतिशत और 70 प्रतिशत था।
- **बहुआयामी गरीबी**
  - ✓ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) के विद्वानों के अनुसार वर्ष 2015-16 में सभी भारतीयों में से लगभग 28 प्रतिशत बहुआयामी रूप से गरीब थे, एसटी के बीच गरीबी का अनुपात 50.6 प्रतिशत, एससी 33.3 प्रतिशत, ओबीसी 27.2 प्रतिशत और अन्य 15.6 प्रतिशत थे।
  - ✓ इसका अर्थ है वर्ष 2005-06 में एसटी, एससी और ओबीसी (जो कुल मिलाकर भारतीय आबादी का लगभग 77.6 प्रतिशत थे) वर्ष 2015-16 में बढ़कर देश के गरीबों का लगभग 84 प्रतिशत हो गये।

- **मुसलमानों में बहुआयामी गरीबी**
  - ✓ मुसलमानों में बहुआयामी गरीबी का अनुपात 31 प्रतिशत है जो हिंदुओं (28 प्रतिशत), ईसाइयों (16 प्रतिशत) और अन्य धार्मिक समुदायों (15.7 प्रतिशत) से भी अधिक है।
  - ✓ **सच्चर समिति की रिपोर्ट (2006)** के अनुसार, 31 प्रतिशत मुसलमान 'गरीबी रेखा से नीचे' थे, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच गरीबी कुल अनुपात 35 प्रतिशत था, हिंदू ओबीसी 21 प्रतिशत और अन्य हिंदू (सामान्य वर्ग) 8.7 प्रतिशत थे।

- **शिक्षा और रोजगार**
  - ✓ रोजगार में, सामान्य वर्ग के 30 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास नियमित नौकरियाँ हैं, जबकि एसटी, एससी और ओबीसी के पास अनौपचारिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अधिक है।
  - ✓ केंद्र सरकार में 18.78 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं, जिनमें से 52.7 प्रतिशत सामान्य वर्ग से हैं। सबसे कुशल समूह (ग्रुप-A) में, 64 प्रतिशत से अधिक सामान्य श्रेणी के हैं।
  - ✓ **मंडल आयोग** की शिफारिशें लागू होने के तीन दशक बाद भी ये असमानताएँ विद्यमान हैं, जिससे देशव्यापी जाति जनगणना की माँग को बल मिला है।

सामाजिक समूह द्वारा शिक्षा एवं रोजगार संकेतक

तालिका सामान्य शिक्षा स्तर के अनुसार व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण, रोजगार में व्यापक स्थिति के आधार पर सामान्य स्थिति वाले श्रमिकों और केन्द्र सरकार के पदों और सेवाओं में कर्मचारियों का प्रतिशत वितरण दर्शाती है।

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	डेटा
सामान्य शिक्षा स्तर के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण					
साक्षरता दर	69.6	72.4	76.9	85.9	भारत में शिक्षा पर घरेलू समाजिक उपभोग एनएसएस 75वां दौर (जुलाई 2017-जून 2018) एनएसओ, एमओएसपीआई, भारत सरकार
माध्यमिक शिक्षा	9.9	11.5	13.5	15.8	
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	6	7.7	9.4	12.8	
स्नातक	3.3	4.1	5.9	12.3	
स्नातकोत्तर और उससे ऊपर	0.7	0.9	1.2	3.4	
रोजगार में व्यापक सिथति के अनुसार सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) में श्रमिकों का प्रतिशत वितरण					
नियमित वेतन/वेतनभोगी	12.3	19.8	20.1	30.6	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2021-22 एनएसएसओ, एमओएसपीआई, भारत सरकार
अनौपचारिक श्रम	28.9	38.2	20	11.2	
स्वनियोजित	58.8	42.1	59.9	58.2	
केन्द्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में कर्मचारियों का प्रतिशत वितरण					
ग्रुप A	5.9	13.0	16.6	64.6	वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, कार्मिक लोक शिकायत और मंत्रालय पेंशन, भारत सरकार
ग्रुप B	7.1	16.8	16.7	59.5	
ग्रुप C	7.8	17.7	22.8	51.7	
कुल	7.7	17.5	22.1	52.7	

- **जाति जनगणना/सर्वेक्षण क्या है?** यह एक सरकारी जनसंख्या सर्वेक्षण है, जो असमानताओं, सरकारी नीति प्रभाव का अध्ययन करने और जाति-आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए लोगों की जाति या सामाजिक समूह को रिकॉर्ड करता है।

पृष्ठभूमि

- पहली व्यापक जाति जनगणना 1871 में लॉर्ड रिस्ले के नेतृत्व में आयोजित की गई थी।
- वर्ष 1947 में भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने मुख्य रूप से सकारात्मक कार्रवाई और योजना उद्देश्यों के लिए जनगणना के दौरान जाति डेटा एकत्र करने की कार्य प्रणाली जारी रखी थी।
- सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करायी गई **पिछली जाति जनगणना वर्ष 1931 में आयोजित** की गई थी और डेटा को ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक किया था।
  - ✓ यह जाति जनगणना मंडल आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन का आधार बनी।
- **हाल के घटनाक्रमः** वर्ष 2011 की जनगणना में एक अलग जाति जनगणना आयोजित करने की चर्चा हुई, जो अंततः प्रकाशित नहीं हुई।
  - ✓ इसके बजाय, सरकार ने वर्ष 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र किया।
- राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, असम और कर्नाटक सहित भारत के कई राज्य जाति सर्वेक्षण की योजना बना रहे हैं या उसका संचालन कर रहे हैं।

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011

वर्ष 2011 की जाति जनगणना, भारत की 1931 की जनगणना के बाद पहली जाति-आधारित जनगणना थी। लेकिन जाति आधारित आंकड़े जनता के सामने नहीं लाये गए।

सरकार ने जनगणना 2011 का निम्न हेतु उपयोग किया-

1. *प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)*
2. *सुमित बोस समिति ने अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए इसका उपयोग करने की सिफारिश की।*
3. *राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (ग्रामीण गरीबों को पेंशन देने के लिए)*
4. *राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन*
5. *प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)*

हाल ही में, बिहार सरकार ने राज्य में जातियों के सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए

- **बिहार जाति सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष**
  - ✓ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की हिस्सेदारी संचयी रूप से 63 प्रतिशत से अधिक है। तथाकथित "अगड़ी" जातियों की "अनारक्षित" श्रेणी लगभग 15.5 प्रतिशत है।

- ✓ अनारक्षित वर्ग या उच्च जातियाँ- ये कुल जनसंख्या का 15.52 प्रतिशत हैं।
- ✓ **अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)**- इनकी संख्या 3,54,63,936 (27.12 प्रतिशत) है।
- ✓ **अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी)**- सबसे बड़ा सामाजिक समूह जिसमें 4,70,80,514 व्यक्ति या राज्य की आबादी का 36.01 प्रतिशत शामिल है।
- ✓ **अनुसूचित जाति या दलित,** 2,56,89,820 (19.65 प्रतिशत) हैं।
- ✓ **अनुसूचित जनजातियों (एसटी)** की संख्या केवल 21,99,361 (1.68 प्रतिशत) है, जनजातीय आबादी का बड़ा भाग वर्ष 2000 में राज्य के विभाजन के बाद झारखंड का भाग बन गया है।

जनगणना से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **सातवीं अनुसूची**- संघ सूची की प्रविष्टि 69 में जनगणना आयोजित करने की केंद्र की विशेष शक्ति सम्मिलित है।
- **अनुच्छेद 246**- सातवीं अनुसूची में सूची-I में उल्लिखित किसी भी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने की विशेष शक्ति है।
- **संविधान का अनुच्छेद 15(4)** राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने में सक्षम बनाता है।

जाति सर्वेक्षण का महत्व

- **नीतिगत निर्णयों की जानकारी देना**- सर्वेक्षण जनसंख्या की जाति संरचना पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है, जिससे नीति निर्माताओं को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लक्षित नीतियाँ तैयार करने में सहायता मिलती है।
- **ओबीसी कोटा बढ़ाना**- इससे ओबीसी कोटा को मौजूदा 27 प्रतिशत से आगे बढ़ाने और संभावित रूप से ईबीसी के लिए उप-कोटा बनाने की माँग हो सकती है।
  - ✓ **जस्टिस रोहिणी आयोग** (जो ओबीसी उप-वर्गीकरण का अध्ययन कर रहा है) ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन सिफारिशों को अभी तक प्रकट नहीं किया गया है।
- **आरक्षण सीमा का पुनर्निर्धारण**- यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि डेटा विभिन्न जाति समूहों की आबादी के आधार पर समायोजन को उचित ठहरा सकता है।
- **सामाजिक-आर्थिक विकास**- यह विभिन्न जाति समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने, असमानताओं को कम करने और समावेशिता को बढ़ावा देने के प्रयासों का मार्गदर्शन करने में मदद करता है।

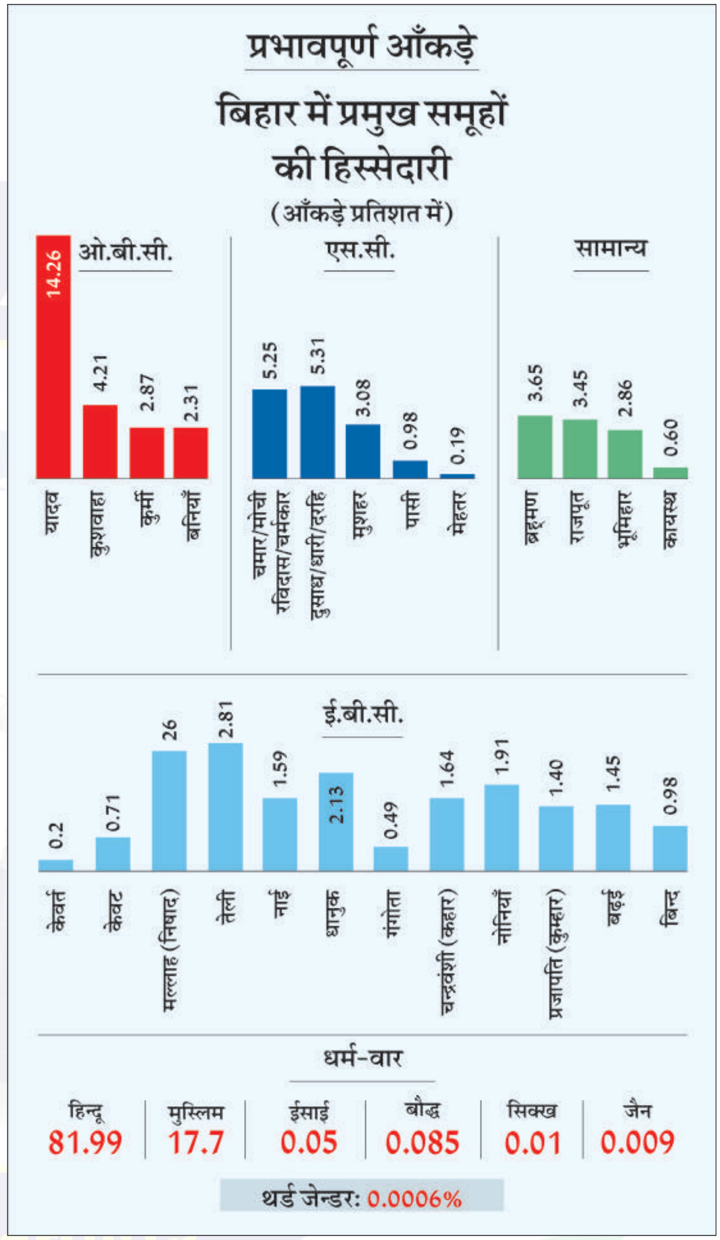

- **संवैधानिक दायित्व**- यह संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के साथ संरेखित है, जिससे संविधान में उल्लिखित सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने में सुविधा होती है।
- **सर्वोदय को साकार करना**- जाति जनगणना व्यापक असमानता से निपटने, समानता को बढ़ावा देने और लंबी अवधि में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए लक्षित रणनीति विकसित करने में सहायता कर सकती है।

आगे की राह

- बिहार जाति सर्वेक्षण नीतियों को सूचित करने, ओबीसी कोटा का विस्तार करने और आरक्षण सीमाओं पर पुनर्विचार करने के लिए भारत में राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- समावेशिता को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए एक व्यापक जाति जनगणना महत्वपूर्ण है।

3. हाथ से मैला ढोना

वर्तमान संदर्भ

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा कि केंद्र और राज्य हाथ से मैला ढोने (manual scavenging) के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध लगाने और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के कड़े कार्यान्वयन के माध्यम से हाथ से मैला ढोने के कार्य को पूरी तरह से खत्म करने की प्रतिज्ञा के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं।

विवरण

- न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सीवर की सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
- न्यायालय ने हाथ से मैला ढोने के दौरान स्थायी रूप से विकलांग होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 20 लाख और अन्य प्रकार की विकलांगता के लिए न्यूनतम 10 लाख करने का भी आदेश दिया।
- शीर्ष अदालत ने हाथ से मैला ढोने के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 14 निर्देशों का सेट जारी किया।

हाथ से मैला ढोना

- हाथ से मैला ढोने या मैनुअल स्कैवेंजिंग को "सार्वजनिक सड़कों और शुष्क शौचालयों से मानव मल को हटाना, सेप्टिक टैंक, गटर और सीवर की सफाई" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- वर्ष 2021 में भारत के 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर्स में से तीन-चौथाई से अधिक महिलाएं थीं।

हाथ से मैला ढोने की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान

- हाथ से मैला ढोने वालों के पास निम्न कई संवैधानिक सुरक्षा उपाय और अधिकार हैं:
  - ✓ कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण **(अनुच्छेद 14)**
  - ✓ अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक **(अनुच्छेद 17)**
  - ✓ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा **(अनुच्छेद 21)**
  - ✓ मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध **(अनुच्छेद 23)**

हाथ से मैला ढोने से होने वाली मौतें

- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2018 से वर्ष 2023 के बीच भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 339 लोगों की जान चली गई।
- सरकार द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में 09, वर्ष 2022 में 66, वर्ष 2021 में 58, वर्ष 2020 में 22, वर्ष 2019 में 117 और वर्ष 2018 में 67 मौतें दर्ज की गईं।

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ

- उच्चतम न्यायालय ने डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामले में हाथ से मैला ढोने के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए।
- यह वर्ष 2020 में उच्चतम न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) है। जनहित याचिका में भारत में हाथ से मैला ढोने वालों की दुर्दशा को उजागर करने और सरकार द्वारा मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने और मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई थी।

हाथ से मैला ढोने के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

- इसे वर्ष 2013 में हाथ से मैला ढोने के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध लगाने और हाथ से मैला ढोनेवाले और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए पारित किया गया था।
- अधिनियम का व्यापक उद्देश्य अस्वच्छ शौचालयों को खत्म करना, हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार और खतरनाक सीवर तथा सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई पर रोक लगाना और हाथ से मैला ढोने वालों का सर्वेक्षण करना और उनका पुनर्वास करना है।

प्रावधान

- कोई भी व्यक्ति या एजेंसी किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला ढोने के काम में नहीं लगा सकती या नियोजित नहीं कर सकती। (नोटः हालाँकि, सुरक्षात्मक गियर के साथ मल की सफाई को मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं माना जाता है)
- कोई भी व्यक्ति या एजेंसी जो एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करके किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला ढोने के काम में लगाती है, उसे 2 साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
- यह स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों के पुनर्वास के प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हाथ से मैला ढोने वालों के सर्वेक्षण के बाद, स्थानीय प्रशासन को उन्हें उनके परिवार के सदस्यों के विवरण और मौद्रिक मुआवजे के साथ एक फोटो पहचान पत्र देना होगा।
  - ✓ उनके बच्चों को सरकारी छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, और उन्हें एक आवासीय भूखंड और उस पर निर्माण के लिए धन मिलना चाहिए।
- नियोक्ता द्वारा सुरक्षात्मक गियर और सफाई उपकरण प्रदान किए बिना और सुरक्षा सावधानियों का पालन किए बिना किसी व्यक्ति द्वारा सीवर या सेप्टिक टैंक को साफ करना भी अवैध है।
- अधिनियम के तहत, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके अधिकार क्षेत्र में कोई अस्वच्छ शौचालय न हो और कोई भी मैनुअल मैला ढोने वाला नियोजित न हो।
  - ✓ एक स्थानीय प्राधिकरण एक नगरपालिका या पंचायत है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में स्वच्छता के लिए जिम्मेदार है।
- स्थानीय अधिकारियों को सामुदायिक स्वच्छता शौचालयों (जिनमें मानव मल को मैन्युअल रूप से हटाने की आवश्यकता नहीं होती है) का निर्माण करना चाहिए और हर समय उनके स्वच्छ रखरखाव की व्यवस्था करनी चाहिए।
  - ✓ उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में सीवर, सेप्टिक टैंक और ऐसे अन्य स्थानों की सफाई के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग भी सुनिश्चित करना चाहिए।

अधिनियम के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के लिए दिशानिर्देश

- प्रत्येक राज्य में एक निगरानी समिति होनी चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री और पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारी शामिल हों।
- प्रत्येक राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को इस अधिनियम को लागू करने की प्रगति के बारे में केंद्र सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट भेजनी होगी।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट कानून लागू करें। इसके लिए उपमंडल, जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर एक सतर्कता समिति का गठन करना होगा।

सरकारी पहल

- **मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (नमस्ते) [National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem-NAMASTE]:** हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने, स्वच्छता कार्यों के मशीनीकरण को बढ़ावा देने और स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में शुरू की गई योजना।

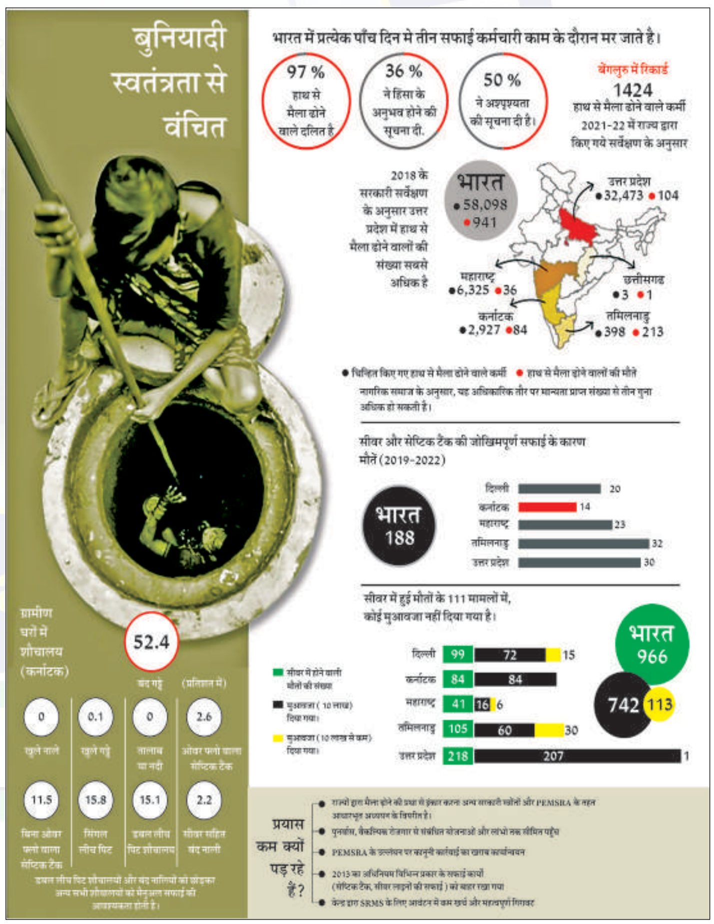

- **राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC)** उनके उत्थान के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- **स्वच्छ भारत मिशनः** स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 अक्टूबर, 2014 से अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 10.99 करोड़ से अधिक और शहरी क्षेत्रों में 62.65 लाख से अधिक स्वच्छता शौचालयों का निर्माण किया गया है और अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छता शौचालयों में परिवर्तित किया गया है।
  - ✓ इस कार्य ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान दिया।
- **स्वच्छता अभियान :** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अभी भी मौजूद अस्वच्छ शौचालयों और उनकी सफाई से जुड़े हाथ से मैला ढोने वालों का डेटा एकत्र करने के लिए एक मोबाइल ऐप "स्वच्छता अभियान" शुरू किया है।
- **सफ़ाईमित्र सुरक्षा चुनौतीः** अभियान के तहत, 243 शहरों में सीवर और सेप्टिक टैंकों को मशीनीकृत किया जाएगा और हाथ से मैला ढोने की सूचना मिलने पर शिकायत दर्ज करने के लिए एक हेल्पलाइन बनाई जाएगी।

निष्कर्ष

- हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन एक जटिल चुनौती है, लेकिन भारत को इससे निपटना ही होगा।
- उच्चतम न्यायालय का आदेश सही दिशा में एक कदम है और उम्मीद है कि सरकार इसका पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

4. मेरा युवा भारत

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा विकास और युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने हेतु एक स्वायत्त निकाय 'मेरा युवा भारत' (MY Bharat) की स्थापना को मंजूरी दे दी।

विवरण

- मेरा युवा भारत (MY Bharat), एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय युवा नीति (2014) में 'युवा' की परिभाषा के अनुरूप, 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा।
  - ✓ विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम के घटकों से लाभ प्राप्त करने वालों में 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के युवा शामिल होंगे।
- इसे 31 अक्टूबर, 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शुरू किया जाएगा।

प्रभाव

- **भौतिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर पहुँच सुनिश्चित करनाः** मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के साथ-साथ युवाओं को सामुदायिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बनने हेतु सशक्त बनाएगा।
- **वे सरकार को अपने नागरिकों से जोड़ने वाले "युवा सेतु" के रूप में कार्य करेंगे।**
  - ✓ हाल ही में, युवा कार्य विभाग के एक वेब पोर्टल ने **"मेरी माटी मेरा देश"** नामक एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की मेजबानी की, जिसमें 50 मिलियन युवाओं ने भाग लिया और पूरे भारत में अमृत वाटिका स्थापित करने के लिए 23 मिलियन पौधे लगाने में मदद की।
  - ✓ मेरा युवा भारत एक ऐसे भौतिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने और उसे बनाए रखने में मदद करेगा, जो लाखों युवाओं को एक नेटवर्क में निर्बाध रूप से जोड़ता है।
- एक प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म द्वारा समर्थित **"मेरा युवा भारत"** युवा कार्य विभाग के युवा संपर्क प्रयासों को बढ़ाने में मदद करेगा।

युवाओं हेतु सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएँ

- *राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (RYSK)*
- *प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना*
- *युवा: प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना*
- *राष्ट्रीय युवा नीति-2014*
- *राष्ट्रीय कौशल विकास निगम*
- *किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना*
- *सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व योजना*

आगे की राह

- भारत के युवाओं को राष्ट्र के भविष्य को परिभाषित करने (विशेष रूप से भारत की आजादी के 75वें वर्ष के निर्णायक मोड़ पर) में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, क्योंकि हम वर्ष 2047 तक अमृत भारत के निर्माण के लिए अगले 25 वर्षों में आदर्श परिवर्तनकारी विकास यात्रा शुरू कर रहे हैं।

- **विजन 2047** के लिए एक ऐसे ढाँचे की आवश्यकता है, जो **ग्रामीण युवाओं, शहरी युवाओं और रूर्बन युवाओं** को एक मंच पर ला सके।
  - ✓ इस विभाग की मौजूदा योजनाएँ हमारे समाज में ग्रामीण युवाओं की जरूरतों की तत्कालीन प्रचलित समझ के साथ विगत 50 वर्षों में अलग-अलग समय पर डिजाइन और शुरू की गईं।
- शहरी-ग्रामीण परिदृश्य में समय के साथ हो रहे बदलावों ने इन दृष्टिकोणों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
  - ✓ इस बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे ढाँचे को बनाने की जरूरत है जो ग्रामीण, शहरी और रूर्बन युवाओं को एक साझा मंच पर एकजुट कर सके।
  - ✓ सरकार को वर्तमान समय के युवाओं के साथ जुड़ने के लिए एक नया समकालीन प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करने की आवश्यकता है।
- आज की तेज़ गति से आगे बढ़ने वाली दुनिया (जिसमें तेज़ गति संचार, सोशल मीडिया का प्रचलन, नए डिजिटल टूल और अत्याधुनिक तकनीकों का उद्भव शामिल है) में एक प्रौद्योगिकी संचालित प्लेटफॉर्म युवाओं को उन कार्यक्रमों से जोड़ सकता है, जो उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करने के साथ-साथ उन्हें सामुदायिक गतिविधियों से जोड़ भी सकते हैं।

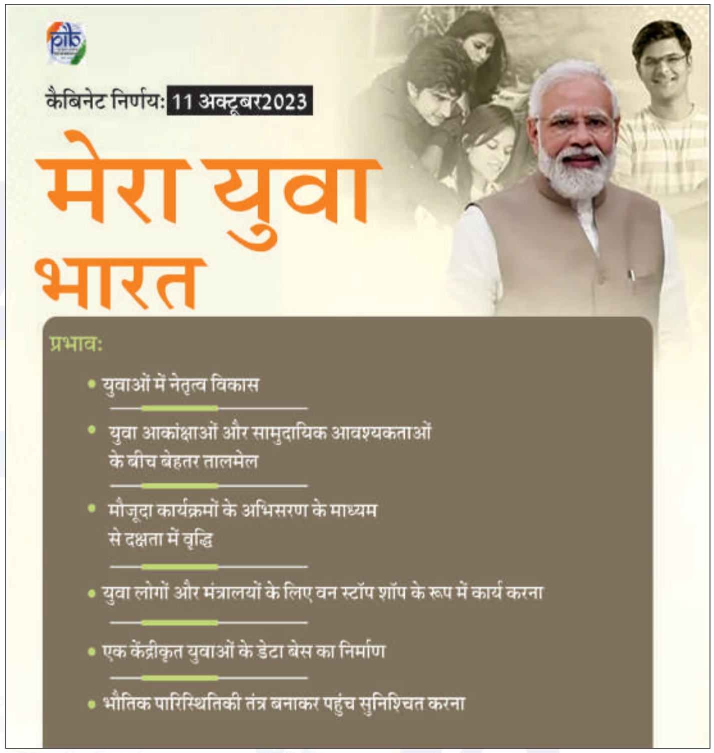

5. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ट्रांसजेंडर से संबंधित एडवाइजरी जारी की

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों को एक परामर्श (advisory) जारी करके ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने को कहा है।

विवरण

- इस एडवाइजरी (परामर्श) में आयोग ने कहा है कि देश में ट्रांसजेंडर से जुड़ी प्राथमिक चिंताओं में से एक यह है कि कानूनी सुधारों के बावजूद, उन्हे भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण रोजगार असमानताएँ, स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुँच के जरिए सामाजिक दायरे से उनका बहिष्कार किया जा रहा है।
- आयोग ने अपनी सिफारिशों को अक्षरशः लागू करने को कहते हुए दो महीने के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट माँगी है।
- इस एडवाइजरी में ट्रांसजेंडर लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार, समावेशिता, कल्याण और शिकायत निवारण तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा कार्रवाई के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सिफ़ारिशें

- मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की एकल **ट्रांस-चाइल्ड** को **पारिवारिक पेंशन और अन्य लाभों** के लिए अविवाहित बेटी के रूप में माना जाना चाहिए।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पैतृक कृषि भूमि का उत्तराधिकार प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- सरकारी योजनाओं और अन्य लाभों तक पहुँचने में मदद के लिए ट्रांसजेंडरों को बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र प्रदान किए जाने चाहिए।
- बीमा कंपनियों को दस्तावेज़ सत्यापन उद्देश्यों के लिए **उपयुक्त प्राधिकारी** द्वारा जारी **ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र** पर विचार करने के साथ-साथ स्वीकार करने की सलाह देनी चाहिए।
- संबंधित मंत्रालय को **गरिमा गृह** के तहत आवंटित धनराशि को समय पर जारी करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना चाहिए।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम,**

2020 की धारा 10(1) के तहत **ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड** की स्थापना करनी चाहिए।

- शैक्षिक अभियानों के माध्यम से जनता को ट्रांस-चाइल्ड के बारे में जागरूक करने हेतु आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ट्रांसजेंडरों के परिवार के सदस्यों तक पहुँचना चाहिए।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों की निगरानी के लिए राज्य में **पुलिस महानिदेशक** या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति के अधीन एक **ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल** की स्थापना करनी चाहिए।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के **यौन उत्पीड़न** की शिकायत से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए।
- लिंग के अनुरूप नहीं होने वाले छात्रों को धमकाने, प्रताड़ित करने या हिंसा के अन्य रूपों से बचाकर शैक्षिक संस्थानों में हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नीति तैयार की जानी चाहिए।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जिला स्तर पर एक **भेदभाव-रोधी सेल** स्थापित किया जाना चाहिए, इसके अलावा उनके खिलाफ पूर्वाग्रहों, भेदभाव, यौन शोषण के अतिरिक्त अन्य हिंसा के समस्याओं के समाधान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में एक निगरानी समिति की स्थापना की जानी चाहिए।
- उच्च अध्ययन में ट्रांसजेंडर छात्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें डिग्री/डिप्लोमा/पीजी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का उपयुक्त प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और **मुफ्त शिक्षा का प्रावधान** भी किया जाना चाहिए।
- **लैंगिक परिवर्तन से संबंधित सर्जरी** के लिए **काउंसलिंग, उपचार, परामर्श** हेतु प्रत्येक जिला नागरिक अस्पताल में प्रावधान करने के अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परामर्श में सहायता के लिए जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड स्थापित की जानी चाहिए।
- जो लोग सरकारी अस्पतालों में **लौंगिक परिवर्तन या मुफ्त लौंगिक परिवर्तन सर्जरी** के विकल्प का चयन करना चाहते हैं, उन्हे इसके लिए उचित राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- विभिन्न सिविल सेवाओं में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान श्रेणी के रूप में **'थर्ड जेंडर'** को शामिल करना चाहिए और उन्हें **प्रवेश परीक्षाओं में आवेदन करने** और उपस्थित होने में सक्षम बनाना चाहिए।
- इसके अलावा, ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच **राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल** का व्यापक प्रचार किया जाना है।
- **लैंगिक अभिविन्यास** और **लौंगिक पहचान** पर अन्य कर्मचारियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए।
- जिन संगठनों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति कार्यरत हैं, उन संगठनों को उनके समस्याओं के समाधान हेतु एक **शिकायत निवारण समिति** का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें कम से कम एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो।
- जिन प्रपत्रों में उम्मीदवारों को अपना लिंग बताना होता है, उन्हें विकल्पों में एक श्रेणी के रूप में **'थर्ड जेन्डर'** का विकल्प प्रदान करना होगा।
- सभी सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय होने चाहिए।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक विशेष मंच की सुविधा प्रदान करने के प्रावधान के साथ-साथ **ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए वृद्धाश्रम की सुविधाओं** पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कल्याण** से संबंधित गतिविधियों को **कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII** में स्पष्ट रूप से शामिल करने पर विचार कर सकता है, जो उन गतिविधियों की सूची प्रदान करता है जिन्हें कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए व्यय करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

ट्रांसजेंडरों के लिए भारत द्वारा किए जाने वाले प्रयास

- एक व्यापक कानून के रूप में **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** को अधिनियमित किया गया है।
- प्रासंगिक नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर सरकार की निगरानी, मूल्यांकन और सलाह देने हेतु वर्ष 2019 में अधिनियमित अधिनियम के अनुसार **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन** किया गया।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020** ट्रांसजेंडरों की पहचान को मान्यता देने और भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए 2019 अधिनियम के अनुसरण में।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बना राष्ट्रीय पोर्टल** उन्हें प्रमाण पत्र

और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में ट्रांसजेंडरों की मदद करेगा।

- इस समुदाय के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E)** द्वारा **गरिमा गृह नामक** स्कीम शुरू की गई है।
- **गृह मंत्रालय ने तीसरे लिंग** के कैदियों की गोपनीयता, गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के जेल प्रमुखों को एक एडवाइजरी जारी की थी।
- **निर्वाचन आयोग** ने "अन्य" का विकल्प शामिल करने के लिए **पंजीकरण फॉर्म के प्रारूप में संशोधन करने के निर्देश** (2009) जारी किया।
- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम में भारत संघ (2014)** मामले में उच्चतम न्यायालय ने इन्हे **"तीसरे लिंग"** के रूप में मान्यता दी।

6. शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति

वर्तमान संदर्भ

शिक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति ने **"उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के क्रियान्वयन"** पर संसद के विशेष सत्र के दौरान एक रिपोर्ट पेश की।

विवरण

- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में संचालित 1,043 विश्वविद्यालयों में से 70 प्रतिशत विश्वविद्यालय राज्य अधिनियम के तहत आते हैं तथा 94 प्रतिशत छात्र राज्य या निजी संस्थानों में और केवल 6 प्रतिशत छात्र केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन कराते हैं, जो कि उच्च शिक्षा प्रदान करने में राज्यों के महत्व पर बल देता है।
- इस समिति द्वारा जम्मू-कश्मीर में एनईपी को लागू करने के प्रयास की सराहना की गई। यह अपने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022 से एनईपी लागू करने वाला देश का पहला केंद्र-शासित प्रदेश बन गया है।

समिति द्वारा निम्न मुद्दों पर प्रकाश डाला गया

- **इस पैनल ने निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास किया**
  - i. विषयों का सख्ती से पृथक्करण
  - ii. सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक सीमित पहुँच
  - iii. स्थानीय भाषाओं में पढ़ाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) की कमी
  - iv. संकायों की सीमित संख्या
  - v. संस्थागत स्वायत्तता का अभाव
  - vi. अनुसंधान पर कम महत्व देना
  - vii. अप्रभावी नियामक प्रणाली
  - viii. स्नातक शिक्षा के निम्नस्तरीय मानक
- भारतीय संस्थानों को **मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट (MEME)** प्रणाली को लागू करने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
  - ✓ हालाँकि, एमईएमई एक लचीली प्रणाली की तरह प्रतीत होती है, लेकिन यदि संस्थान इसकी अनुमति देते हैं, तो उनके लिए यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होगा कि कितने छात्र बाहर जाएँगे और कितने छात्र सत्र के बीच में ही भाग लेंगे।
  - ✓ संस्थानों को छात्रों के आगमन और बहिर्गमन की जानकारी का अभाव निश्चित रूप से छात्र-शिक्षक अनुपात को असंतुलित कर सकता है।

समिति द्वारा की गई सिफारिशें

- इस पैनल द्वारा सिफारिश की गई कि वर्ष 2030 तक देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक बहु-विषयक उच्च शिक्षण संस्थान होना चाहिए।
- व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात, वर्ष 2018 के 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए।
- **इस पैनल द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से निम्नलिखित कार्रवाई करने को कहा गया**
  - i. सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों (SEDGs) की शिक्षा के लिए उपयुक्त फंड को निर्धारित करना
  - ii. एसईडीजी में बच्चों के उच्च सकल नामांकन अनुपात हेतु स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना
  - iii. उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में लैंगिक संतुलन को बढ़ाना
  - iv. सार्वजनिक और निजी दोनों उच्च शिक्षण संस्थानों में एसईडीजी को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना
  - v. प्रवेश प्रक्रियाओं और पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना
  - vi. कार्यक्रमों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना
  - vii. क्षेत्रीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढ़ाए जाने वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रमों की शुरुआत करना

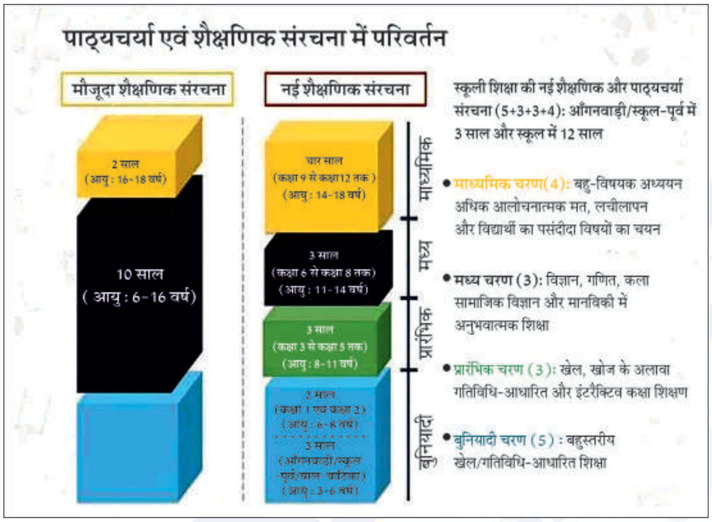

- इस समिति ने शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्रों की मदद के लिए विशिष्ट आधारभूत उपायों के साथ-साथ सभी भेदभाव-मुक्त और उत्पीड़न-विरोधी नियमों को सख्ती से लागू करने की भी सिफारिश की।
- इस समिति ने उच्च शिक्षण संस्थानों के वित्तपोषण में **उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA)** की प्रभावशीलता और कार्य क्षमता में सुधार का सुझाव दिया।
  - ✓ इसके द्वारा **उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी** को सरकारी आवंटन के अतिरिक्त अपने वित्तपोषण (फंडिंग) के स्रोतों में विविधता लाने के साथ-साथ निजी क्षेत्र के संगठनों, परोपकारी फाउंडेशनों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी की संभावनाओं के खोज की सिफारिश की गयी।
  - ✓ उच्च-शैक्षिक संस्थान (HEIs) को "अधिक प्रतिस्पर्धी और किफायती बनाने हेतु" **उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी** द्वारा प्रदान किए गए ऋणों की ब्याज दरों की समीक्षा और समायोजन करने की सिफारिश की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति: मुख्य विशेषताएँ

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 का लक्ष्य **"भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति"** बनाना है। इससे पहले वर्ष 1968 और वर्ष 1986 में दो शिक्षा नीतियाँ लायी गयीं थीं।
- यह निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है :
  - ✓ प्री-प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों तक सार्वभौमिक पहुँच।
  - ✓ 3-6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा।
- यह कला और विज्ञान, पाठयक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों, व्यावसायिक और अकादमिक (शैक्षणिक) संकायों के बीच किसी भी बड़े विभाजन को समाप्त करता है।
- इसमें एक नए **राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख** (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) के स्थापना की परिकल्पना की गई है।

एनईपी, 2020 की अनुपूरक पहल

1. **पीएम श्री (PM-SHRI) योजना** का उद्देश्य न्यायसंगत, समावेशी और आनंदमय स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है।
2. यह **निपुण भारत मिशन** मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण के निर्माण का प्रयास करता है।
3. **पीएम ई-विद्या** का उद्देश्य **दीक्षा** जैसे विभिन्न ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करके ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षण (लर्निंग) को बढ़ावा देना है।
4. यह **बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा** और बच्चों (3 से 8 वर्ष) के लिए खेल-आधारित शिक्षण सामग्री के लिए **"जादुई पिटारा"** का प्रावधान करता है।
5. **निष्ठा** भारत में शिक्षकों और स्कूल के प्राचार्यों के लिए एक क्षमता-निर्माण कार्यक्रम है।
6. एनडीईएआर वास्तुशिल्प की रूपरेखा है, जो शिक्षा से संबंधित डिजिटल प्रौद्योगिकी-आधारित अनुप्रयोगों के सृजन को सक्षम बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों और ब्लॉकों का एक समूह तैयार करता है।
7. क्रेडिट हस्तांतरण और शैक्षणिक लचीलेपन की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, **राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क** (NCrF) और **राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क** (NHEQF) जैसे **शैक्षणिक ढाँचे** का प्रावधान करना है।

संसद की स्थायी समितियों का विवरण

- संसदीय समिति सदन द्वारा नियुक्त या चयनित या पीठासीन

अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) द्वारा नामित सांसदों का एक पैनल होता है।

- यह समिति पीठासीन अधिकारी के निर्देशन में कार्य करती है और अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करती है।
- **समितियों के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित हैं :**
  - ✓ **अनुच्छेद 105:** सांसदों के विशेषाधिकार
  - ✓ **अनुच्छेद 118:** संसदीय प्राधिकार को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने का अधिकार
- **सामान्यतः संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं**
  - i. स्थायी समितियाँ
  - ii. तदर्थ समितियाँ
- **स्थायी समितियाँ समय-समय पर गठित की जाती हैं और ये अनवरत रूप से काम करती रहती हैं।**
  - ✓ इन्हें आगे छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से शिक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति विभागों में से संबद्ध स्थायी समितियों की श्रेणी में आती है।

7. आत्महत्या रोकथाम और उम्मीद दिशा-निर्देश

वर्तमान संदर्भ

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों के बीच आत्महत्या को रोकने के लिए स्कूलों के लिए उम्मीद (समझें, प्रेरित करें, प्रबंधित करें, सहानुभूति रखें, सशक्त बनाएं, विकसित करें) **[Umeed]** शीर्षक से मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए।

दिशा-निर्देश के मुख्य पहलु

- दिशानिर्देशों की **'कार्य योजना'** में वेलनेस टीमों की स्थापना, शिक्षकों और परिवार के सदस्यों का ओरिएंटेशन, और चेतावनी संकेत प्रदर्शित करने वाले छात्रों पर तत्काल प्रतिक्रिया निर्धारित करने का निर्देश है।
- इनका उद्देश्य संवेदनशीलता बढ़ाने, समझ बढ़ाने और दर्ज की गई आत्म-क्षति के मामले में सहायता प्रदान करने के लिए स्कूलों को निर्देश देना है।
- स्कूल प्रिंसिपल के नेतृत्व में एक **स्कूल वेलनेस टीम (एसडब्ल्यूटी)** का गठन किया जा सकता है, जहां प्रत्येक सदस्य संकट की स्थिति से निपटने के लिए तैयार होगा।
  - ✓ किसी हितधारक द्वारा चेतावनी संकेत प्रदर्शित करने वाले छात्र की पहचान होने पर उन्हें एसडब्ल्यूटी को सूचित करने की आवश्यकता है, जिसे तत्काल कार्रवाई करनी होती है।
- दिशानिर्देश छात्र आत्महत्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करने के लिए शिक्षकों और परिवार के सदस्यों के लिए एक वर्ष में एक बार अभिविन्यास प्रशिक्षण की सिफारिश करते हैं। ये अभिविन्यास प्रशिक्षण विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए स्कूलों द्वारा आयोजित किए जाएंगे।
- किसी छात्र द्वारा चेतावनी का संकेत दिखाने या खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हुए पाए जाने पर तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर देते हुए, दिशानिर्देश उन कार्रवाइयों को सूचीबद्ध करते हैं जो स्कूल में किसी व्यक्ति या वेलनेस टीम के सदस्य द्वारा ऐसे मामले सम्मुख आने पर की जा सकती हैं।

छात्र आत्महत्याओं की व्यापकता- प्रासंगिक डेटा

- *भारत में 2021 में प्रतिदिन 35 से अधिक की दर से 13,000 से अधिक छात्रों की मृत्यु हुई, जो वर्ष 2020 में हुई 12,526 मौतों से 4.5 प्रतिशत अधिक है।*
  - ✓ *एनसीआरबी की एडीएसआई रिपोर्ट 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 10,732 में से 864 आत्महत्याएं "परीक्षा में विफलता" के कारण हुईं।*
- *वर्ष 1995 के बाद से वर्ष 2021 में देश में आत्महत्या के कारण सबसे अधिक संख्या में छात्रों की मौत हुई है।*
  - ✓ *वर्ष 2017 के बाद से छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु में 32.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।*
- *वर्ष 2021 में 1,834 के साथ महाराष्ट्र में छात्रों की आत्महत्या की सबसे अधिक संख्या थी, इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान था।*
- *रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि छात्राओं की आत्महत्या का प्रतिशत पांच साल में सबसे कम 43.49 प्रतिशत था जबकि छात्रों की आत्महत्याएँ कुल छात्र आत्महत्याओं का 56.51 प्रतिशत थीं।*
  - ✓ *हालाँकि, वर्ष 2017 में 4,711 छात्राओं की आत्महत्या से मृत्यु हुई, जबकि 2021 में इस प्रकार की मौतें बढ़कर 5,693 हो गईं।*
- *शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2014-21 में आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय संस्थानों के 122 छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हुई।*
  - ✓ *122 में से 68 अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से थे।*

आत्महत्याओं को रोकने के लिए भारत की रणनीति: योजनाएँ और कदम

- ***मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:*** *मानसिक रूप से परेशान लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ।*
- ***किरण:*** *चिंता, तनाव, अवसाद, आत्मघाती विचारों आदि से परेशान लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन।*
- ***मनोदर्पण पहल:*** *आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को मनोसामाजिक सहायता।*
- ***राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति:*** *2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10 प्रतिशत की कमी लाने के लिए बहु-क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ।*
- ***आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन निर्देशिका:*** *भारत में कार्यरत हेल्पलाइनों का एक संग्रह।*

कमजोरियाँ, जो छात्रों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकती हैं:

- परीक्षा संबंधी तनाव जिसमें परिणाम की चिंता उन्हें मानसिक रूप से दुर्बल बना देती है।
- पारिवारिक दबाव छात्रों पर प्रदर्शन का बोझ पैदा करता है, और असफलता की स्थिति में उन्हें कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है।
- उत्पीड़न के संस्थागत रूप जैसे रैगिंग, जाति-आधारित भेदभाव, लैंगिकता के कारण प्रताड़ना आदि छात्रों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
- कठिन पाठ्यक्रम, अरुचिकर शैक्षणिक पाठ्यचर्या आदि से तालमेल बैठाने में असमर्थता भी इसका कारण बन सकती है।
- कई छात्र अपने घरों और परिवारों से दूर शैक्षणिक केंद्रों में अलगाव में रहते हैं, जिससे अपरिचित और प्रतिस्पर्धी माहौल में तालमेल बना पाना मुश्किल हो जाता है।
- साइबर प्रताड़ना और ऑनलाइन उत्पीड़न ऐसे खतरे हैं जो छात्रों की आत्महत्या का कारण बनते हैं।
- मादक द्रव्यों के सेवन के परिणामस्वरूप मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, वित्तीय कठिनाइयाँ और भावनात्मक तनाव पैदा होता है, जो सभी छात्रों के लिए मुश्किल हो सकते हैं।
- रिश्ते की समस्याओं, पारिवारिक विवादों और दोस्ती के मुद्दों से परेशान किशोरों की भावनात्मक अशांति भी छात्र आत्महत्या का कारण बन सकती है।
- शैक्षणिक केंद्रों में कई छात्र जागरूकता की कमी के कारण उत्पन्न हुए कलंक के डर से संघर्ष करते समय मदद प्राप्त करने के लिए अनिच्छुक होते हैं।

8. अंतर्राष्ट्रीय डिस्लेक्सिया जागरूकता माह

वर्तमान संदर्भ

अक्टूबर माह को डिस्लेक्सिया जागरूकता माह के रूप में मनाया गया है, इस अवसर को प्रदर्शित करने के लिए इस महीने की 29 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के साथ-साथ इंडिया गेट और भारतीय संसद को लाल रंग से रोशन किया गया।

विवरण

- प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय डिस्लेक्सिया जागरूकता माह मनाया जाता है।
- इस वर्ष की थीम 'गो रेड' थी।
- यूनेस्को एमजीआईईपी और उसके सहयोगी चेंजइंक फाउंडेशन द्वारा 'गो रेड' अभियान पोस्ट में सरकार से समर्थन की आशा व्यक्त की गयी थी, जिसमें 29 अक्टूबर की शाम को दिल्ली में कई महत्वपूर्ण इमारतों और स्मारकों पर लाल रोशनी प्रदर्शित की गई थी।
- 'गो रेड' अभियान का उद्देश्य डिस्लेक्सिया से जुड़े कलंक को दूर करना, भेदभाव को मिटाना और इस विषय के साथ-साथ डिस्लेक्सिक सोच की कई क्षमताओं के बारे में सार्वजनिक ज्ञान को बढ़ाना है।

डिस्लेक्सिया क्या है?

- डिस्लेक्सिया एक सीखने का विकार है जिसमें भाषण ध्वनियों की पहचान करने और यह सीखने में समस्याओं के कारण पढ़ने में कठिनाई होती है कि वे अक्षरों और शब्दों (डिकोडिंग) से कैसे संबंधित हैं।
- इसे पढ़ने की अक्षमता भी कहा जाता है, डिस्लेक्सिया मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में व्यक्तिगत अंतर का परिणाम है जो भाषा को संसाधित करते हैं।
- **विश्व डिस्लेक्सिया दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है।**
    - ✓ यह इन मुद्दों के साथ-साथ इस बात के लिए भी जागरूक करता है कि इस तरह के विकार को प्रबंधित करने के लिए क्या किया जा सकता है।
    - ✓ इस दिवस का उद्देश्य समावेशिता, शिक्षा तक पहुंच और डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्तियों को उनके सीखने के प्रयासों में समर्थन देने के लिए प्रभावी रणनीतियों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना है।

डिस्लेक्सिया में क्या होता है?

- डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति अक्सर बिना गलती किए तेजी से पढ़ने और लिखने में असमर्थ होते हैं।
- डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्तियों को पढ़ने, लिखने, शब्दावली और उन कार्यों में कठिनाई हो सकती है जिनमें हाथ-आँख के समन्वय की आवश्यकता होती है।
- डिस्लेक्सिया में मुख्य समस्या स्वरों को पहचानने में होने वाली कठिनाई है।
- इस प्रकार ध्वनि और उस ध्वनि के प्रतीक अक्षर के बीच संबंध स्थापित करना और ध्वनियों को शब्दों में परिवर्तित करना एक संघर्ष बन जाता है।

प्रसार

- **ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा** डिस्लेक्सिया को एक सामान्य सीखने की समस्या के रूप में परिभाषित करती है (जो विश्व स्तर पर हर 5 लोगों में से एक को प्रभावित करती है), जो मुख्य रूप से पढ़ने, लिखने और वर्तनी में समस्याओं का कारण बनती है।
- आंकड़ों के मुताबिक, 20 में से केवल 1 की ही पहचान हो पाती है और आठवीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने की संभावना **35 प्रतिशत** बढ़ जाती है।
- यह जीवन पर्यंत चलने वाली कठिनाई है लेकिन इसका किसी व्यक्ति की बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- पढ़ने और लिखने के कौशल में सुधार के लिए उचित समर्थन के साथ, डिस्लेक्सिया से पीड़ित लोग स्कूल और काम में सफल हो सकते हैं।

3. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1. मालदीव का चुनाव और भारत के रणनीतिक हित

वर्तमान संदर्भ

मालदीव के नए निर्वाचित राष्ट्रपति ने देश में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की है जिसके कारण इस क्षेत्र में भारत का भविष्य अनिश्चिततापूर्ण हो सकता है।

विवरण

- चुनाव का दूसरा दौर चुनौती देने वाले उम्मीदवार डॉ. मोहम्मद मुइज्जू के पक्ष में आया, जिन्होंने पीएनसी-पीपीएम गठबंधन का प्रतिनिधित्व किया और एमडीपी के राष्ट्रपति इबू सोलिह को 8 प्रतिशत की ठोस बढ़त के साथ हराया।
- सोलिह की सरकार को भारत समर्थक के रूप में देखा जाता है क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर "भारत प्रथम की नीति" को आगे बढाया, भारत के साथ एक प्रमुख यूटीपी-उथुरु थिलाफाल्हू तटरक्षक बंदरगाह परियोजना सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसे मालदीव में अधिक स्थायी भारतीय सैन्य उपस्थिति के लिए एक कवर के रूप में देखा जाता है।
- डॉ. मुइज्जू के नेतृत्व में विपक्ष मालदीव की संप्रभुता और स्वायत्तता बनाए रखने पर अड़ा हुआ है और उसके द्वारा "इंडिया आउट" की नीति को बढ़ावा दिया गया है।
  - ✓ पूर्व में विपक्ष के संबंध राष्ट्रपति यामीन के इसी तरह के अभियान से भी जुड़े हैं, जो चीन को तरजीह देने के बहाने चलाए गए थे।
- परिणामस्वरूप, चुनाव को इंडिया फर्स्ट बनाम इंडिया आउट अभियानों के बीच संघर्ष के रूप मे देखा गया और इसके विस्तार के रूप में यह भारत बनाम चीन मुकाबला का चुनाव हो गया।

भारत के लिए मालदीव का महत्व

- मालदीव में भारत की गहरी रुचि का श्रेय उसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति को दिया जा सकता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के लिए एक आवश्यक चौराहे के रूप में कार्य करता है।
  - ✓ भारत के लिए समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और इन जलक्षेत्रों के माध्यम से जहाजों की मुक्त आवाजाही की सुरक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- यामीन के कार्यकाल के दौरान मालदीव के साथ भारत के संबंध चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन राष्ट्रपति सोलिह के समय संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार देखा।
  - ✓ यामीन के वर्ष 2020 के **"इंडिया-आउट"** अभियान में कहा गया था कि वर्ष 2023 के चुनावों का उद्देश्य मालदीव में भारत के प्रभाव को कम करना है।
  - ✓ राष्ट्रपति सोलिह के नेतृत्व में "मालदीव की भारत प्रथम की नीति" को बरकरार रखा गया।
- राष्ट्रपति सोलिह के द्वारा, भारत को उसके अनुदान और रियायती ऋण द्वारा वित्त पोषित 500 मिलियन डॉलर की ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना सहित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
  - ✓ इस महत्वपूर्ण पहल को भारत से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पर्याप्त क्रेडिट लाइन (एलओसी) द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
  - ✓ यह सहायता पैमाने के स्तर पर सिनामाले ब्रिज कनेक्टिविटी परियोजना से भी अधिक है, जिसे चीन की सहायता से बनाया गया था।
- मालदीव में भारत की उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) का उद्देश्य स्थानीय समुदायों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, युवाओं को सशक्त बनाना और संस्कृति और विरासत को संरक्षित करना है।
- चीन के साथ तनावपूर्ण सीमा विवाद में उलझे हुए भारत के लिए हिंद महासागर में अपने क्षेत्र से चीनी प्रभाव को दूर रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और वर्तमान सोलिह सरकार के अंतर्गत भारत द्वारा अपने प्रभाव को गहरा करने के क्रम में प्रशिक्षण और सुरक्षा सहयोग बढाने के साथ-साथ अवसंरचना में 2 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है।
  - ✓ इस साल की शुरुआत में, भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर द्वारा दो समुद्री एम्बुलेंस प्रदान करने के साथ कई विकास समझौतों पर हस्ताक्षर करने हेतु मालदीव का दौरा किया गया तथा उनके द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि

भारत मालदीव की सहायता के लिए "हमेशा तैयार" है।
- ✓ अपनी सॉफ्ट सांस्कृतिक शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत द्वारा माले में एक अत्यंत सक्रिय भारतीय सांस्कृतिक केंद्र खोला गया है।

- मालदीव 500,000 से अधिक की आबादी वाला एक व्यापक रूप से फैला हुआ द्वीपसमूह है जो भारत और चीन के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान रखता है।
  - ✓ यह खाड़ी देशों से चीन को तेल आपूर्ति सहित आवश्यक पूर्व-पश्चिम कार्गो शिपिंग लाइनों के मार्ग पर स्थित है।
  - ✓ मालदीव को हिंद महासागर में वृहत भू-राजनीतिक प्रभाव और नियंत्रण के प्रवेश द्वार के रूप में भी देखा जाता है; विशेषतः चीन के सन्दर्भ में, जो इस क्षेत्र में तेजी से प्रभाव बढ़ा रहा है।
- मालदीव भारत की आईओआर (इंडियन ओशियन रीजन) रणनीति में एक प्रमुख तत्व है जिसमें चीन के "स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स" का मुकाबला करने के लिए अपने "डायमंड नेकलेस" को निम्नलिखित के माध्यम से मजबूत करना शामिल है-
  - ✓ नौसेना और वायु सेना कर्मियों की नियुक्ति, सैन्य बुनियादी ढांचे का उन्नयन
  - ✓ मानव सहायता और आपदा राहत कार्य
  - ✓ चीन द्वारा निगरानी और सैन्य अभियानों का मुकाबला करना
  - ✓ समुद्री डकैती जैसे खतरों से आईओआर समुद्री मार्गों को सुरक्षित और खुला रखना
  - ✓ यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, ईयू सहित इंडो पैसिफिक भागीदारों के साथ काम करना
  - ✓ आईओआरए, आईओएन, भारत-श्रीलंका-मालदीव त्रिपक्ष आदि सहित कई वार्ताएं काफी महत्वपूर्ण हैं।

आशय

- यद्यपि डॉ. मुइज्जू की चुनावी जीत भारत के लिए अवांछित परिणाम है परन्तु यह देखना आवश्यक है कि सोलिह सरकार के करीबी होने के कारण उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया देने में भूमिका हो सकती है और इसलिए भारत को भविष्य में संतुलन और टिकाऊ दृष्टिकोण को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।
- मालदीव में बदलते माहौल से इस द्वीप में भारत की सैन्य और गैर-सैन्य दोनों प्रकार की रणनीतियों में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है।
- भारत के लिए पारंपरिक संबंधों में अधिक विश्वास के माध्यम से कूटनीति के रास्ते पर बहुत सावधानीपूर्वक चलने और आईओआर में अपने रणनीतिक भविष्य के निर्माण के लिए शून्य-योग मानसिकता से बचना आवश्यक है।
  - ✓ सुरक्षा की दृष्टि से भारत द्वारा आईओआर में चीनी आक्रामकता को संतुलित करना और क्षेत्र में प्रमुख प्रतिस्पर्धी के रूप में अपनी स्थिति को सफलतापूर्वक स्थापित करना आवश्यक है।
- पूर्ण विकसित "इंडिया-आउट" नीति भारत के रणनीतिक हितों के लिए हानिकारक साबित होगी। भारत को अपनी सॉफ्ट पॉवर का लाभ उठाना चाहिए और नई सरकार को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि भारत से निकटता मालदीव के राष्ट्रीय हित में है।

2. श्रीलंका, बांग्लादेश के आरसीईपी में शामिल होने की सम्भावना

वर्तमान संदर्भ

भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और बांग्लादेश अब क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) में सदस्यता की अपनी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं।

विवरण

- श्रीलंका ने पहले ही आरसीईपी में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया है और राष्ट्रपति विक्रमसिंघे द्वारा **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** फोरम के लिए अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान अपने देश की उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने की उम्मीद है।
- इस बीच बांग्लादेश सरकार द्वारा वहां जनवरी 2024 में होने वाले चुनावों के बाद ही अंतिम निर्णय लेने की सम्भावना है।

निहितार्थ

- श्रीलंकाई राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा आरसीईपी सदस्यता के लिए सरकार के आवेदन की पुष्टि की गयी और क्षेत्र की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले इस विशाल व्यापार ब्लॉक की संभावनाओं को स्वीकार किया गया है।
  - ✓ राष्ट्रपति विक्रमसिंघे द्वारा श्रीलंका के वित्तीय संकट से निपटने के लिए ऋण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और अन्य लेनदारों के साथ बातचीत करते हुए, आरसीईपी सदस्यता की ओर अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से कदम बढ़ाए गए हैं।
  - ✓ द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से वह मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड से इस कदम के लिए समर्थन की आशा व्यक्त कर रहे हैं और उनके द्वारा बीजिंग में अपनी बैठकों के

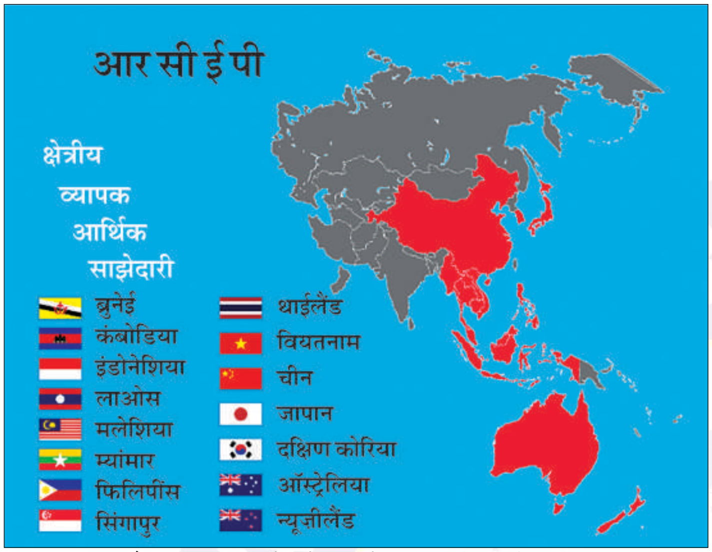

दौरान भी इस मुद्दे को उठाने की संभावना है।

- ✓ श्रीलंका में संकट के दौरान क्षेत्रीय बाज़ारों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। आरसीईपी में शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी देशों के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी होने की संभावना बढ़ती है।

- इस बीच, बांग्लादेश के नवंबर 2026 तक सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर होने की उम्मीद है जिस कारण वह वैश्विक बाजारों तक तरजीही पहुंच (Preferential Access) खो सकता है। हाल ही में ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) पेपर में अनुमान लगाया गया है कि इसके परिणामस्वरूप निर्यात आय में 14 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है और औसत शुल्क 9 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।
  - ✓ बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्ताव में कहा गया है कि आरसीईपी में शामिल होने से देश के निर्यात में 5 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है।
  - ✓ चूंकि बांग्लादेश पहले से ही 15 आरसीईपी देशों में से छह के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर वार्ता कर रहा है, लिहाजा समूह में शामिल होने से प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

भारत की प्रतिक्रिया

- विदेश मंत्रालय ने यह संकेत दिया है कि भारत के पड़ोसी देशों का आरसीईपी में शामिल होना एक "चिंता का विषय" हो सकता है, जिसमें भारत के निकटवर्ती बाजारों को चीनी व्यापार के प्रभुत्व वाले समूह के लिए खोलने का हवाला दिया गया है और यह संभावना जतायी गयी है कि वे बाजार भारत की तुलना में विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं।
- दोनों संबंधित देश संशोधित मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के लिए भी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं तथा **वर्ष 2006 के दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते (एसएएफटीए)** का हिस्सा हैं।
  - ✓ हालाँकि, वे मानते हैं कि आरसीईपी में शामिल होने से वे उपमहाद्वीपीय व्यापार से बाहर हो जाएंगे, और **दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान)** के नेतृत्व वाले समूह तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं।
- यद्यपि आरसीईपी समूह का संस्थापक सदस्य होने के बावजूद, सेवाओं में गतिशीलता पर चिंताओं और बाजार में चीनी सामानों की बाढ़ की आशंकाओं के साथ-साथ घरेलू कृषि क्षेत्र और छोटे व्यवसायों द्वारा उठायी गई आपत्तियों के कारण वर्ष 2019 में भारत वार्ता से पीछे हट गया।
  - ✓ वहीं भारत को कई अवसरों पर आरसीईपी बैठकों में पुनः शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है परन्तु सरकार द्वारा अभी तक यह संकेत नहीं दिया गया है कि वह समीक्षा पर विचार कर सकती है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी

- यह एशिया-प्रशांत के देशों के बीच एक वृहत स्तर का अंतर-क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ 10 सदस्यीय आसियान देश शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य आसियान राष्ट्रों और उसके एफटीए भागीदारों के बीच एक व्यापक, एकजुट और पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक साझेदारी समझौते को साकार करना है।
- आरसीईपी में वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा, विवाद निपटान और अन्य मुद्दे शामिल हैं।
- वर्तमान में, आरसीईपी सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 30 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं; वास्तव में, यह इस तरह का पहला समझौता है जिसमें बड़ी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
- इसका लक्ष्य 20 वर्षों के भीतर ब्लॉक के भीतर व्यापार किये गए माल पर लगाए गए टैरिफ को 90 प्रतिशत तक खत्म करना है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में प्रवेश

- जनवरी 2022 में लागू हुए आरसीईपी समझौते के तहत 18 महीने के बाद अर्थात् जुलाई 2023 से देशों से सदस्यता आवेदन स्वीकार करना अनिवार्य था।
- वर्तमान में, परिग्रहण नियमों के लिए जमीनी कार्य तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद संबंधित देशों द्वारा संभावित परिग्रहण पर बातचीत की शुरू की जाएगी।

भारत के लिए आरसीईपी के निहितार्थ

संभावित सकारात्मक	संभावित नकारात्मक
• आरसीईपी "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के तहत भारत के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक निर्णायक मंच प्रस्तुत करता है।	• यह भारत की ग्रामीण विकास और 'मेक इन इंडिया' नीतियों के प्रति संवेदनशील नहीं है, क्योंकि यह भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंचा सकता है।
• यह आसियान और उसके कुछ सदस्य देशों के साथ भारत के मौजूदा एफटीए का पूरक है, क्योंकि यह जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी व्यापार करेगा।	• वृक्षारोपण क्षेत्र पहले से ही भारत-आसियान एफटीए के प्रभाव से जूझ रहा है। • न्यूजीलैंड के प्रतिस्पर्धी डेयरी उत्पादों से भारत की लघु घरेलू इकाइयों को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
• आरसीईपी संभावित रूप से अंतर-क्षेत्रीय व्यापार, उनके नियमों और विनियमों को सुव्यवस्थित कर सकता है जो संभावित रूप से व्यापार लागत को कम करते है। • आरसीईपी से भारत के व्यापार-संबंधी नियमों, निवेश और प्रतिस्पर्धा व्यवस्थाओं को समूह के अन्य देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की उम्मीद है।	• बड़ी संख्या में औद्योगिक उत्पादों पर आयात शुल्क को खत्म करने से तनाव पैदा हो सकता है। • ई-कॉमर्स प्रतिबद्धताएं एसएमई घरेलू विनिर्माण की प्रगति को समाप्त कर सकती हैं। • खनिजों और कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध हटाने से घरेलू स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता को खतरा हो सकता है।
• यह विशाल क्षेत्रीय बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करके दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है।	• मॉडल बीआईटी में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के बिना आरसीईपी के निवेशक राज्य विवाद निपटान प्रावधान भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। • यह भारत की देयता को बढ़ा सकता है और किसी भी नीतिगत सुधार को लागू करने के लिए इसमें नीतिगत गुंजाइश बहुत सीमित है जो निवेशकों के लाभ को कम कर सकता है।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा के अलावा, आरसीईपी भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजारों तक पहुंचने के अवसर पैदा करेगा। • सेवाओं में विशेषज्ञता के कारण विनिर्माण के "सेवाकरण" से भारत को लाभ की स्थिति में रह सकता है।	• डेटा विशिष्टता पर सहमति, पेटेंट शर्तों का विस्तार और अनुचित रूप से मजबूत प्रवर्तन उपाय जेनेरिक दवाओं के उत्पादन को सीमित कर सकते हैं जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए महत्वपूर्ण है।

3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हैती में मिशन को मंजूरी दी

वर्तमान संदर्भ

हैती के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हैती की राष्ट्रीय पुलिस को बढ़ती हुई सामूहिक हिंसा को रोकने और इस संघर्षग्रस्त कैरेबियाई राष्ट्र में सुरक्षा बहाल करने में मदद करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को भेजने की मंजूरी दी है।

बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा कैरेबियाई राष्ट्र को आपराधिक गिरोहों से निपटने में मदद करने हेतु हैती में एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को भेजने का प्रावधान करने वाले संकल्प 2699 (2023) को अपनाया गया है।
- महीनों की अराजकता और नागरिकों को प्रभावित करने वाली लगातार बिगड़ती हुई परिस्थितियों के बाद, हैती की सरकार और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रकार के मिशन का अनुरोध किया गया था।
- इसके पक्ष में 13 वोट और दो अनुपस्थित (रूस और चीन) के साथ प्रस्ताव को अपनाते हुए, बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता (एमएसएस) मिशन को हवाई अड्डे, बंदरगाहों, स्कूलों, अस्पतालों और प्रमुख चौराहों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और पारगमन केंद्रों को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए कहा गया है।
- इसने मिशन में भाग लेने वाले देशों से अपने कर्मियों के लिए पारदर्शिता, आचरण और अनुशासन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ यौन शोषण सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन या दुर्व्यवहार को रोकने के लिए एक निगरानी तंत्र बनाने का भी आह्वान किया।
- यह गैर-संयुक्त राष्ट्र मिशन हैती में रहने वाले लाखों जरूरतमंद

लोगों के लिए मानवीय सहायता तक निर्बाध और सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए भी निर्धारित है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII (जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है) के तहत अपनाए गए संकल्प को संयुक्त राज्य अमेरिका और इक्वाडोर द्वारा पेश किया गया था।

हैती में स्थिति

- इस वर्ष 3,000 से अधिक हत्याओं के अलावा फिरौती के लिए अपहरण के 1,500 से अधिक मामले सामने आए हैं।
- लगभग 200,000 लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, जबकि सशस्त्र गिरोहों के द्वारा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा और दुर्व्यवहार बढ़ रहा है।
- लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।

- **हैती में मानवाधिकार की स्थिति पर महासचिव की रिपोर्ट (सितंबर, 2023)**
  - ✓ मानवाधिकार की स्थिति क्रूर हमलों से चिह्नित है, जिसमें नागरिकों की आबादी को निशाना बनाकर अंधाधुंध हत्याएँ और अपहरण शामिल हैं।
  - ✓ वहाँ पर रहने वाले लोगों के ख़िलाफ़ गिरोहों के सशस्त्र हिंसा और हमले बढ़ रहे हैं। लोगों को अंधाधुंध गोली मारने के लिए गिरोह ने छतों पर स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया है।
  - ✓ बड़े पैमाने पर लूटपाट और घरों को जलाने के परिणामस्वरूप हजारों लोग विस्थापित हुए है।
  - ✓ गिरोहों द्वारा विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को आतंकित करने के लिए सामूहिक बलात्कार सहित यौन हिंसा जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है।
  - ✓ **सशस्त्र उपद्रवियों के उद्भव** ने पहले से ही अत्यधिक चुनौतीपूर्ण सुरक्षा स्थिति में जटिलता की एक अतिरिक्त समस्या को शामिल कर दिया है।
  - ✓ राष्ट्रीय संस्थाएँ **कानून के शासन** को पुनः स्थापित करने में अपर्याप्त साबित हो रही हैं। **हैती** में सुरक्षा व्यवस्था को स्थिर बनने के लिए राष्ट्रीय पुलिस को महत्वपूर्ण सहयोग की आवश्यकता होगी।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत यूएनएससी की शक्तियाँ

- **अध्याय VII** शांति के लिए खतरों, शांति के उल्लंघन और आक्रामकता के कृत्यों के संबंध में कार्रवाई के संभावित कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है।

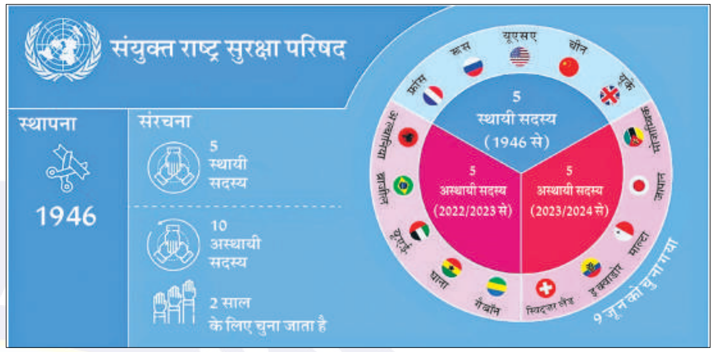

- **अनुच्छेद 39 :** सुरक्षा परिषद शांति के लिए किसी भी खतरे, शांति-व्यवस्था का उल्लंघन या आक्रामकता से संबंधित कृत्यों को निरूपित करने के साथ-साथ निर्धारित करेगी या यह अनुच्छेद इस बात को निर्धारित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने हेतु या अनुच्छेद 41 और 42 के अनुसार क्या उपाय किए जाएंगे।
- **अनुच्छेद 41 :** सुरक्षा परिषद यह तय कर सकती है कि उसके निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए सशस्त्र बल के उपयोग को शामिल नहीं करने वाले कौन से उपाय किए जाएं और यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से ऐसे उपायों को लागू करने के लिए कह सकती है।
  - ✓ इनमें आर्थिक संबंधों और रेल, समुद्र, वायु, डाक, टेलीग्राफिक, रेडियो और संचार के अन्य साधनों का पूर्ण या आंशिक रुकावट और राजनयिक संबंधों का विच्छेद शामिल हो सकता है।
- **अनुच्छेद 42 :** सुरक्षा परिषद को यह विचार करना चाहिए कि अनुच्छेद 41 में दिए गए उपाय अपर्याप्त होंगे या अपर्याप्त साबित हुए हैं, तो वह वायु, समुद्र या भूमि बलों द्वारा ऐसी कार्रवाई कर सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए आवश्यक हो सकती है।
  - ✓ इस तरह की कार्रवाई में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की वायु, जल या थल सेना द्वारा सैन्य कार्यवाई, नाकाबंदी और अन्य ऑपरेशन शामिल हो सकते हैं।
- **अनुच्छेद 44 :** जब सुरक्षा परिषद ने बल का उपयोग करने का निर्णय लिया है, तो उसे अनुच्छेद 43 के तहत अपनाए गए दायित्वों की पूर्ति में सशस्त्र बल प्रदान करने के लिए अपने सदस्य का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले सदस्य को बुलाने से पहले, उस सदस्य को आमंत्रित करना चाहिए, यदि सदस्य चाहे तो उस सदस्य के सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के कार्य से संबंधित सुरक्षा परिषद के निर्णयों में भाग ले सकता है।
- **अनुच्छेद 48 :** अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद के निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों या उनमें से कुछ द्वारा की जाएगी, जैसा कि सुरक्षा परिषद निर्धारित कर सकती है।

✓ ऐसे निर्णय संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा सीधे और उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, जिनके वे सदस्य हैं, में उनकी कार्रवाई के माध्यम से किए जाएंगे।

- **अनुच्छेद 49 :** संयुक्त राष्ट्र के सदस्य सुरक्षा परिषद द्वारा तय किए गए उपायों को पूरा करने में पारस्परिक सहायता प्रदान करने में शामिल होंगे।
- **अनुच्छेद 51:** यदि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमला होता है, तो वर्तमान चार्टर में कुछ भी व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को तब तक कम नहीं करेगा, जब तक कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय नहीं करती है।

✓ आत्मरक्षा के इस अधिकार के प्रयोग के तहत सदस्यों द्वारा किए गए उपायों की सूचना तुरंत सुरक्षा परिषद को दी जाएगी और किसी भी तरह से वर्तमान चार्टर के अंतर्गत सुरक्षा परिषद के अधिकार और जिम्मेदारी को प्रभावित नहीं करेगा, जिसे वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए आवश्यक समझता है।

4. हिंद महासागर रिम एसोसिएशन

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में कोलंबो में आयोजित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association-IORA) के मंत्रिपरिषदीय (COM) सम्मेलन का थीम 'हिंद महासागर की पहचान को मजबूत करना (Reinforcing Indian Ocean Identity)' था।

विवरण

- इसमें 23 देशों के समूह के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
- इस वर्ष के सम्मेलन में अन्य देशों ने (विशेष रूप से वे जो "संवाद भागीदार" बनने की कोशिश कर रहे हैं या इस संगठन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं) काफी रुचि दिखाई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस संगठन की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का मौलिक विचार है।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन

- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में हिंद महासागर में स्थित देशों के अतिरिक्त इसके आसपास स्थित अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और तटीय राष्ट्रों के 23 देश शामिल हैं।
- इस संगठन का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्रियों की परिषद है, जिसकी साल में एक बार बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता हर दो साल में सदस्यों के बीच चक्रानुक्रम रूप से हस्तांतरित होता है।
- श्रीलंका ने इस वर्ष बांग्लादेश से अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, और भारत इसका उपाध्यक्ष है, जिसका अर्थ यह है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की तिकड़ी में दक्षिण एशिया के अंदर के देश शामिल है।
- हालाँकि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का गठन वर्ष 1997 में (तब इसे क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर क्षेत्र-संघ कहा जाता था) मॉरीशस में किया गया था। इसके गठन की शुरुआत वर्ष 1995 में दिल्ली में नेल्सन मंडेला द्वारा दिए गए भाषण से हुई थी।
- यह एक क्षेत्रीय त्रिपक्षीय मंच है, जो सरकारी प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और व्यापारिक प्रमुखों को उनके बीच सहयोग और अधिक प्रभावी वार्ता को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- इस संगठन की स्थापना विशेष रूप से व्यापार सुविधा, निवेश, क्षेत्र के सामाजिक विकास और प्रचार के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए खुले क्षेत्रवाद के अवधारणा पर की गई है।

आईओआरए के सदस्य

- ***23 देश:*** *ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन।*
- ***11 संवाद भागीदार:*** *चीन, मिस्र, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, तुर्किये, ब्रिटेन और अमेरिका।*

- **इसकी प्रमुख पहलों में निम्न शामिल हैं:**

✓ **हिंद महासागर संवाद (आईओडी) :** यह संगठन की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत 13वीं मंत्रिपरिषद की बैठक (वर्ष 2013) में हुई थी।

✓ **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सतत विकास कार्यक्रम (आईएसडीपी):** यह आईओआरए के सदस्य राष्ट्रों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से एक परियोजना-आधारित

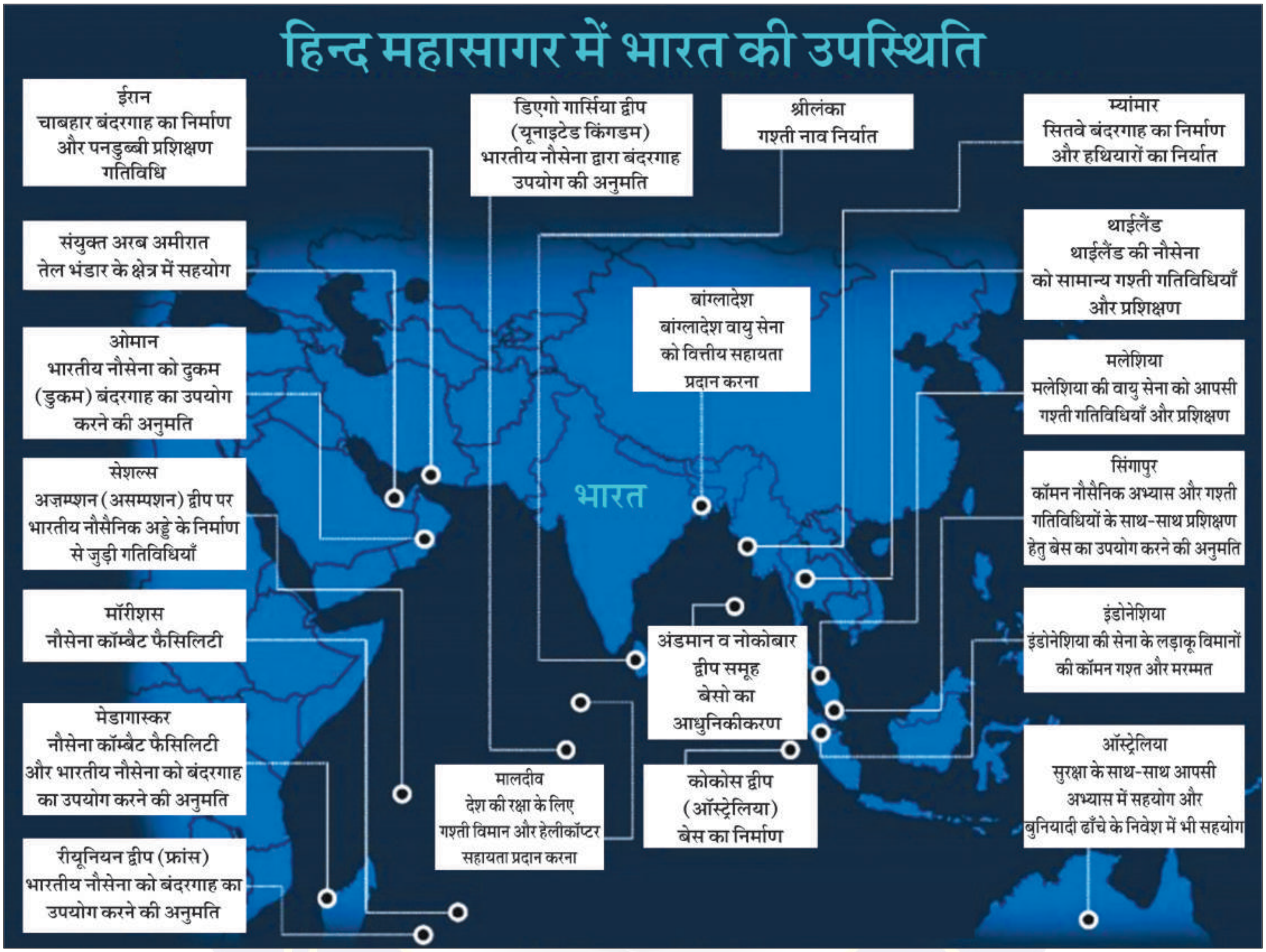

कार्यक्रम है, जिसमें सतत विकास के इर्द-गिर्द के उद्देश्यों को साकार करने के लिए आईओआरए सचिवालय के सहयोग से सदस्य देशों द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं।

हिंद महासागर क्षेत्र की भू-राजनीति में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की भूमिका

- दुनिया की एक तिहाई आबादी (2.6 अरब लोग) इस क्षेत्र में रहती है। इसके अलावा, इस क्षेत्र से वैश्विक तेल व्यापार का 80 प्रतिशत, दुनिया का 50 प्रतिशत कंटेनरीकृत कार्गो और 33 प्रतिशत थोक कार्गो होकर गुजरता है।
- यह क्षेत्र कुल मिलाकर 1 ट्रिलियन डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, और इंट्रा-आईओआरए व्यापार का वार्षिक मूल्य लगभग 800 बिलियन डॉलर है।
- इस बीच, चीन सक्रिय रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), विकास सहयोग पर चीन-हिंद महासागर क्षेत्र फोरम, चीन-दक्षिण एशियाई देशों की गरीबी उन्मूलन और सहकारी विकास केंद्र जैसे समूहों के साथ भारत के पड़ोसियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत शामिल नहीं है।

✓ हालाँकि, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन भारत और इस क्षेत्र के अन्य देशों के लिए एक "सुरक्षित स्थान" बना हुआ है, जो बड़ी शक्तियों से प्रतिद्वंद्विता की निरंतर चुनौती से दूर रहना चाहते हैं।

- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की सदस्यता आम सहमति पर आधारित है, और वर्ष 2001 में पहली बार आवेदन करने के बाद पाकिस्तान को इस आधार पर इस समूह में शामिल नहीं किया गया है कि उसने भारत को एमएफएन का दर्जा नहीं दिया है, जिससे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जैसे समूहों की तुलना में आईओआरए भारत के लिए भी कम विवादास्पद स्थान बन गया है।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मुख्य रूप से ध्यान देने वाले क्षेत्र

- **इसके चार्टर के अनुसार, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सात प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:**
  - ✓ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा
  - ✓ व्यापार और निवेश सुविधा
  - ✓ मत्स्य पालन प्रबंधन
  - ✓ आपदा जोखिम प्रबंधन
  - ✓ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
  - ✓ पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान
  - ✓ लौंगिक सशक्तिकरण
- इसके अतिरिक्त, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक विशेष फंड भी संचालित करता है, जो सदस्यों को परियोजना अनुदान के लिए 80,000 डॉलर से 150,000 डॉलर तक वितरित करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देता है।
- रणनीतिक समस्याओं के अलावा एक स्वतंत्र और खुला समुद्री मार्ग रखने का महत्व, समुद्री डकैती से बचाव इस समूह की कार्यसूची (एजेंडे) का अभिन्न अंग बन गए हैं।

इस सम्मेलन में भारत

- इस वर्ष सम्मेलन में बोलते हुए भारत के विदेश मंत्री ने हिंद महासागर को एक "स्वतंत्र, खुला और समावेशी स्थान" बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आधार पर "संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान" था।
- उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को "गुप्त एजेंडे, अव्यवहार्य परियोजनाओं या अस्थिर ऋण" के खतरों के बारे में चेतावनी दी, जिसे चीन पर लक्षित मानी जा रही है।
- भारत की पहल पर, 22वीं मंत्रिपरिषद की बैठक में हिंद-प्रशांत पर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के दृष्टिकोण को अपनाया गया।
- भारत का संदेश 'वसुधैव कुटुंबकम्' या 'दुनिया एक परिवार है' को आईओआरए के सदस्य देशों के लिए एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी।
  - ✓ भारत, अपनी व्यापक तटरेखा, समुद्री हितों और ऐतिहासिक संबंधों के साथ, इस क्षेत्र में सहयोग और वार्ता को बढ़ावा देने की स्थिति में है।
  - ✓ हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, साझा समृद्धि और क्षेत्रीय सहयोग के सिद्धांतों में निहित है।
- **भारत ने फोरम में निम्नलिखित पहलुओं पर एकमत होने पर जोर दिया:**
  - ✓ ग्लोबल साउथ की चिंताओं को स्पष्ट करना
  - ✓ नारी शक्ति या महिला नेतृत्व वाला विकास करना
  - ✓ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रित बनाना
  - ✓ मिशन लाइफ
  - ✓ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) का महत्व
  - ✓ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा
  - ✓ नीली अर्थव्यवस्था
- इस क्षेत्र के शीर्ष क्षेत्रीय निकाय में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में भारत का लक्ष्य सदस्य राष्ट्रों, संवाद भागीदारों के बीच क्षेत्रीय पहचान और सहयोग के साथ-साथ हिंद महासागर समुदाय के कल्याण और समृद्धि को और मजबूत करना है।

5. इज़राइल फ़िलिस्तीन संघर्ष और नवीनतम हमास टकराव

वर्तमान संदर्भ

7 अक्टूबर, 2023 को, अमेरिका द्वारा घोषित विदेशी आतंकवादी संगठन हमास के नेतृत्व में गाज़ा के विद्रोहियों द्वारा इजरायल के विरुद्ध जमीन, समुद्र और हवा से आकस्मिक हमला किया गया। प्रतिक्रिया स्वरूप, इज़राइल ने पूर्ण युद्ध की धमकी दी है जिसके चलते विश्व के समक्ष अभूतपूर्व मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है।

वर्तमान स्थिति

- हमास द्वारा गाज़ा को नियंत्रण में लेने के पिछले 12 वर्षों के दौरान इजरायल के खिलाफ हमलों के दायरे और घातकता का ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला है।
  - ✓ हमास द्वारा लगभग 200 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया है, कई लोगों की उनके घरों, संगीत समारोहों आदि

में बेरहमी से हत्या की गई है।

- ✓ हमास के मध्य-पूर्व की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली सीमाओं में से एक में घुसपैठ करने में सक्षम होने के चलते आलोचकों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जवाब देने में विफलता, इज़रायली सेना की देरी से तैनाती और इस स्तर के हमले का पूर्वानुमान लगाने में समग्र खुफिया सूचना तंत्र की विफलता की आलोचना की है।

- प्रतिक्रिया में, इजरायली कैबिनेट द्वारा इन लड़ाकों को इजरायली क्षेत्र से बाहर धकेलने, घनी आबादी वाले गाज़ा में उन्हें निशाना बनाने और बंधकों को बचाने के लिए औपचारिक रूप से हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गयी।
- इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) द्वारा बड़े पैमाने पर जमीनी हमले के अनुमान के बीच इजरायल द्वारा करीब 1.1 मिलियन नागरिकों को गाज़ा के दक्षिणी हिस्सों में जाने के लिए निकासी आदेश जारी किया गया है।
  - ✓ संयुक्त राष्ट्र द्वारा कहा गया है कि निकासी संभव नहीं है तथा "विनाशकारी मानवीय परिणामों" की चेतावनी दी।

हमास और गाजा

- *गाजा में हमास का उभार 1980 के दशक के अंत में हुआ और 1990 के दशक में फतह द्वारा इजरायल के साथ शांति प्रक्रिया में शामिल होने के बाद इजरायली ठिकानों पर हिंसक हमले करके खुद को धर्मनिरपेक्ष फतह आंदोलन के विकल्प के रूप में स्थापित किया।*
- *हमास के राजनीतिक नेता, राष्ट्रपति महमूद अब्बास, संभवतः कतर में हैं। कथित तौर पर हमास को अपना अधिकांश धन, हथियार और प्रशिक्षण ईरान से प्राप्त होता है।*
- *वर्ष 2003 में इज़राइल द्वारा गाजा से सैन्य बलों को वापस लेने के बाद, हमास ने वर्ष 2009 में फतह-नियंत्रित फिलिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) से इस पर जबरन कब्ज़ा कर लिया।*
- *तब से, आंशिक रूप से इज़राइल और मिस्र द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए लोगों और वस्तुओं के पारगमन पर लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों के कारण गाजा को संकटग्रस्त आर्थिक और मानवीय स्थितियों का सामना करना पड़ा है।*
- *वर्तमान हिंसा से पहले, हमास और अन्य विद्रोही वर्ष 2008- वर्ष 2009, वर्ष 2012, वर्ष 2014 और वर्ष 2021 में इज़राइल के साथ चार बड़े संघर्षों में शामिल रहे।*
- *मिस्र और कतर ने संघर्ष में मध्यस्थता करने और बुनियादी संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता की है, लेकिन गाजा में व्यापक आर्थिक सुधार या पुनर्निर्माण नहीं देखा गया है।*

- इस बीच, लेबनान में राजनीतिक वैधता प्राप्त ईरान समर्थित विद्रोही संगठन हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल पूर्ण रूप से आक्रमण करता है तो वह उत्तरी इजरायल-लेबनान सीमा पर हमला शुरू कर देगा।
- लाखों फिलिस्तीनी नागरिक भागने की कोशिश में मिस्र की सीमा के पास रफाह क्रॉसिंग पर आ गए हैं। मिस्र द्वारा उन्हें अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से मना कर दिया गया है, जबकि क्रॉसिंग के पास इजरायली हवाई हमले भी किए गए हैं।
  - ✓ हालाँकि, हमास ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इज़राइल के

मनोवैज्ञानिक युद्ध से भयभीत होकर न भागें। गाज़ा में बमबारी होने के बीच इजराइल ने इस मुद्दे को प्रकाशित किया है कि हमास ढाल के रूप में नागरिकों का प्रयोग कर रहा है।

- रफाह के रास्ते में ट्रकों के कतार में खड़े होने के कारण भोजन और आवश्यक दवा की डिलीवरी तथा अन्य प्रकार की सहायता गंभीर रूप से बाधित हो गई है। इज़राइल ने हमास से प्रतिशोध लेने के लिए गाज़ा को भोजन, ईंधन, पानी, बिजली की आपूर्ति भी बंद कर दी है।

इस क्षेत्र में शांति को बाधित करने वाले कारक

1. इस क्षेत्र में **ओटोमन काल** से ही यह भूमि ऐतिहासिक दावों के केंद्र में रही है। यह तीन प्रमुख **इब्राहिम धर्मों** (Abrahamic religions) और उनके पवित्र स्थलों का संयोजन है-
   - ✓ यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट
   - ✓ अरबों के लिए अल-अक्सा मस्जिद
   - ✓ बेथलहम को ईसा मसीह का जन्मस्थान माना गया
2. **पश्चिमी साम्राज्यवाद** और उसकी गैर-जिम्मेदाराना नीतियों ने लंबे समय से चले आ रहे विवाद में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
   - ✓ ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को हराने के लिए अरब से समर्थन लिया तथा बदले में **हुसैन-मैकमोहन पत्राचार** के माध्यम से उन्हें स्वतंत्रता देने को कहा गया।
   - ✓ **बाल्फोर घोषणा (1917)** में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र भूमि का वादा किया गया।
   - ✓ अंततः, अरब अस्वीकृति के कारण **संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना (1947-48)** विफल हो गयी और दोनों ही माँगें पूरी नहीं हुईं।
3. युद्ध, हिंसा और सशस्त्र प्रतिरोध के इतिहास ने फिलिस्तीनी जनमत को कट्टरपंथी विरोध की ओर धकेल दिया है जिसने इजरायल के लिए सुरक्षा दुविधाएँ उत्पन्न की है।
   - ✓ **अरब-इजरायल युद्ध** (1948-49)
   - ✓ **छह दिवसीय युद्ध** (1967)
   - ✓ **योम किप्पुर युद्ध** (1973)
4. यह क्षेत्र फ़िलिस्तीनी समर्थकों द्वारा सहायता प्राप्त आतंकवाद से भी प्रभावित हुआ है।
   - ✓ **हमास** अमेरिका द्वारा घोषित एक विदेशी आतंकवादी संगठन है।
5. इस क्षेत्र में **हिंसा की उच्च तीव्रता** (जिसमें बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए हैं तथा जानमाल की हानि हुई है) के कारण शांति एक सपने जैसी बन गयी है।
   - ✓ **इंतिफ़ादास** (वर्ष 1987-1993 में प्रथम, वर्ष 2000-2005 में द्वितीय)
6. उग्रवाद और कट्टरवाद द्वारा शांति के प्रयास बार-बार असफल हुए हैं।
   - ✓ वर्ष 1978 में कैंप डेविड समझौते पर हस्ताक्षर के बाद मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई।
   - ✓ **वर्ष 1993 में ओस्लो समझौते** पर हस्ताक्षर के बाद इज़राइल में दक्षिणपंथी हिंसा हुई थी।

नवीनतम संघर्ष को प्रेरित करने वाले कारक

1. **इजरायली नीतियों ने फिलिस्तीनी आबादी को नियमित बेदखली, फिलिस्तीनी परिवारों के विस्थापन द्वारा अलग-थलग कर दिया है।**
   - वेस्ट बैंक फिलीस्तीनी लोगों के खिलाफ अत्याचार का मुख्य केंद्र रहा है जिसके लिए **आईडीएफ** को नियमित रूप से नागरिकों के खिलाफ कठोर बल का उपयोग करने के लिए तैनात किया गया है।
   - चिन्हित फ़िलिस्तीनी भूमि में निरंतर **अवैध इज़रायली बस्तियों** के बढ़ने से भी फ़िलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ है (संयुक्त राष्ट्र के अनुसार)।
   - संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाले रोम संविधि के अनुसार युद्ध-अपराधों के उल्लेखनीय उदाहरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है।
   - विशेष रूप से प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अधीन इज़राइल में दक्षिणपंथी घरेलू राजनीति ने फिलिस्तीनी लोगों की व्यवस्थित अधीनता में वृद्धि की है तथा ये वेस्ट बैंक के सभी या कुछ हिस्सों को इज़राइल में शामिल करने के लिए **द्वि-राज्य समाधान** को खुले तौर पर खारिज करते हैं और फ़िलिस्तीनियों को पूर्ण अधिकार या वोट के अधिकार के बिना शासन जारी रखने की वकालत करते हैं।
     - ✓ इज़रायली और विदेशी मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इज़रायल ने अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में रंगभेद का एक रूप विकसित किया है।
2. **वर्ष 2006 से "डेथ टू इजराइल" की विचारधारा के साथ हमास का राजनीतिक उदय भी एक कारक है।**
   - कब्जे वाले वेस्ट बैंक और यरूशलेम में बसने वालों द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने वाली धुर दक्षिणपंथी इजरायली सरकार की नीतियाँ फिलिस्तीनियों के बीच हताशा की भावना और प्रतिक्रिया की मांग बढ़ने का कारण बनी हैं।
   - साथ ही, इन नीतियों के कारण वेस्ट बैंक में बढ़ते तनाव के कारण इन बस्तियों की रक्षा के लिए इजरायली सेना को दक्षिण से दूर उत्तर की ओर स्थानांतरित करना आवश्यक हो गया था। इससे हमास को ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के माध्यम से हमला करने का कारण और अवसर दोनों प्राप्त हुआ।
   - ऐसा प्रतीत होता है कि हमास ने अल-अक्सा मस्जिद में इजरायल द्वारा किये जाने वाले उल्लंघनों को रोकने और इजरायली जेलों में

बंद फिलिस्तीनी राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए सौदेबाजी करने हेतु लोगों को बंधक बनाया है।

- ईरान के साथ अपने संबंधों को सुधारने में कामयाब होने के बाद हमास का हौसला बढ़ गया है। हिजबुल्लाह महासचिव हसन नसरल्लाह ने कहा है कि वह हमास और दमिश्क के बीच संबंधों को सुधारने में व्यक्तिगत रूप से शामिल थे।

3. **अरब-इजरायल संबंधों के सामान्यीकरण को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।**

- हमास नेतृत्व को अरब नेताओं के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे का महत्व कम होने के कारण कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनकी रूचि इस मामले के सन्दर्भ में इज़राइल पर दबाव डालने के लिए कम हो गयी थी।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में सऊदी-इज़राइल संबंधो का सामान्यीकरण मूल रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे पर कट्टरपंथी अरब विचारधारा के विरुद्ध है, इस कारण आतंकवादी इस तरह के चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।

6. विवाद निपटान और डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में संपन्न जी-20 घोषणापत्र में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सुधार किए जाने और वर्ष 2024 तक सभी सदस्यों के लिए सुलभ, पूर्ण और बेहतर कार्यशील विवाद निपटान प्रणाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता दोहराई गई है।

विवरण

- चूंकि, भारत का उद्देश्य एक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था स्थापित करना रहा है, इसलिए अपीलीय समीक्षा के लिए भारत का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून में राज्यों और निवेशकों का अधिक विश्वास सुनिश्चित करेगा।
- डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली, जिसे द्वि-स्तरीय पैनल सह अपीलीय निकाय संरचना के रूप में स्थापित किया गया है, जो वर्ष 2019 से निष्क्रिय रहा है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपीलीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति को अवरुद्ध कर दिया था।
- डब्ल्यूटीओ की सर्वोच्च व्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित विवाद निपटान प्रणाली द्वारा अपीलीय समीक्षा की गुंजाइश और निर्णयों को लागू करने के तंत्र के साथ वर्ष 1995 में अपनी स्थापना के बाद से 493 से अधिक फैसले किए गए हैं।
  - ✓ इसे एक संदर्भ में समझने के लिए एक तथ्य लिया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा वर्ष 1947 के बाद से केवल लगभग 190 मामलों को निपटाया गया है।
- अपीलीय निकाय फैसलों में सुसंगतता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करने तथा डब्ल्यूटीओ विवाद प्रक्रिया में विश्वास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहा है।
- हालांकि जी-20 घोषणापत्र में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता उत्साहजनक है, लेकिन अमेरिका द्वारा अपीलीय समीक्षा प्रक्रिया का निरंतर विरोध किया जा रहा है, इसलिए यह देखा जाना अभी शेष है कि क्या इसमें एक अपीलीय प्रक्रिया होगी या सिर्फ एक-चरणीय पैनल प्रक्रिया होगी।
  - ✓ ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका की रूचि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून का गैर-न्यायिकीकरण करने की ओर है, जो एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके तहत देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और न्यायाधिकरणों से नियंत्रण वापस लेने का प्रयास किया जाता है।
  - ✓ हालाँकि, राष्ट्रीय अदालतों में निर्णयन की तरह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपीलीय समीक्षा प्रक्रिया कानून की व्याख्या और अनुप्रयोग पर एक आवश्यक जाँच के रूप में कार्य करती है और स्थिरता सुनिश्चित करती है।

विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटान: पक्षों का संबंध

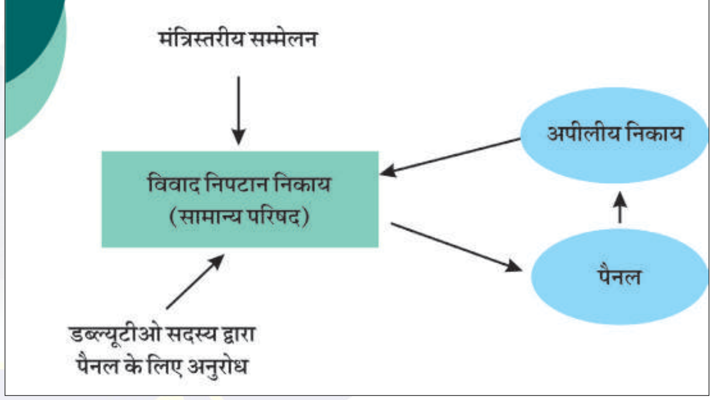

अपीलीय समीक्षा के लाभ

- एक मजबूत अपीलीय तंत्र, आईएसडीएस तंत्र के एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक पहलू को व्यक्त करेगा, जिससे यह बिना किसी अपीलीय समीक्षा के तदर्थ या एकात्मक मध्यस्थता न्यायाधिकरणों

के माध्यम से संचालित होता है।

- ✓ अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून में विभिन्न मध्यस्थ संस्थानों के तहत कार्य करने वाले सैकड़ों आईएसडीएस न्यायाधिकरणों ने अनेक अवसरों पर समान संधि प्रावधान की अलग-अलग व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं।
- ✓ इसी प्रकार, समान संधि की व्याख्या करने और उसे समान तथ्यों पर लागू करने के बावजूद ये न्यायाधिकरण विपरीत निष्कर्ष पर भी पहुँचे हैं।

निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS)

- *जबकि डब्ल्यूटीओ की अपीलीय प्रक्रिया का भविष्य अनिश्चित है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक अन्य क्षेत्र है जो अपीलीय प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक चरणों का प्रमाण है, निवेशक-राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून है। जो द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs) का एक सर्वव्यापी घटक है।*
- *आईएसडीएस आज अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून विवादों को निपटाने का प्रमुख साधन तंत्र है। 1 जनवरी, 2023 तक 1,257 आईएसडीएस मामले शुरू किए गए हैं। आईएसडीएस के मामले में भारत का इतिहास उतार-चढ़ाव वाला रहा है, जिसमें पांच प्रतिकूल अधिनिर्णय, चार पक्ष में और कई लंबित दावे शामिल हैं।*

- अपीलीय समीक्षा तंत्र की अनुपस्थिति का तात्पर्य है कि असंगत तथा असंबद्ध निर्णय और कानूनी तर्क अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून के परिदृश्य की ओर संकेत करते हैं।
  - ✓ इससे राज्यों और विदेशी निवेशकों के लिए अस्थिरता और असंभाव्यता पैदा होती है, जिससे शासन व्यवस्था में अराजकता उत्पन्न होती है।
- एक अपीलीय समीक्षा तंत्र, कानून की त्रुटियों को सुधारने और अलग-अलग व्याख्याओं को सुसंगत करने में सहायक होगा।
  - ✓ इसे प्रथम-स्तरीय न्यायाधिकरण के निर्णय को बनाए रखने, संशोधित करने या पलटने की शक्ति होगी और इस प्रकार सुसंगतता और स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप आईएसडीएस प्रणाली में पूर्वानुमेयता और निश्चितता आएगी।
- एक अपीलीय तंत्र, मौजूदा तंत्र जैसे कि रद्द करने की कार्यवाही से भी बेहतर होगा, जो केवल निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा प्रशासित मध्यस्थता पर लागू है। भारत इस संस्था का सदस्य नहीं है।
  - ✓ इसके अलावा, इस तरह की रद्द करने की कार्यवाही केवल सीमित मुद्दों से संबंधित है, जैसे कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का अनुचित गठन या भ्रष्टाचार, लेकिन कानूनी व्याख्या में त्रुटियों को ठीक नहीं किया जा सकता है।
- अपीलीय तंत्र, किसी अदालत में मध्यस्थता की सीट पर सीमित प्रक्रियात्मक आधारों पर अलग से आईएसडीएस के अधिनिर्णय को प्राप्त करने से बेहतर होगा।

विश्व व्यापार संगठन के शीर्ष निकाय को पुनः स्थापित करना

- **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (UNCITRAL)** के कार्य समूह-III में आईएसडीएस (ISDS) सुधारों पर विचार-विमर्श करते हुए एक अपीलीय समीक्षा तंत्र बनाने पर चर्चा चल रही है।
- अपीलीय समीक्षा तंत्र बनाने में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि यह कैसा होना चाहिए –
  - ✓ एक तदर्थ अपीलीय तंत्र (मामले-दर-मामले के आधार पर विवादित पक्षों द्वारा गठित एक निकाय) या एक स्थायी अपीलीय तंत्र।
  - ✓ प्रथम-स्तरीय न्यायाधिकरण के निर्णयों की समीक्षा का मानक क्या होना चाहिए।
  - ✓ निर्णय की समय सीमा और प्रभाव क्या होना चाहिए।

भारतीय सन्दर्भ

- हालाँकि, भारत ने इस मुद्दे पर कोई औपचारिक वक्तव्य नहीं दिया है, भारत संभवतः आईएसडीएस में अपीलीय समीक्षा के विचार का समर्थन करता है क्योंकि भारतीय मॉडल बीआईटी अनुच्छेद 29 में इसका प्रावधान है।
- आईएसडीएस प्रणाली में असंगतता और असंबद्धता के संबंध में भारत की चिंताओं को देखते हुए, अपीलीय समीक्षा तंत्र के निर्माण का समर्थन करना, भारत के हित में होगा।
- प्रत्येक स्थिति में भारत को यूरोपीय संघ के साथ चल रही निवेश संधि वार्ता के भाग के रूप में, इस मुद्दे पर एक दृढ रुख अपनाना होगा, जो निवेश विवादों के लिए एक अपीलीय समीक्षा तंत्र के निर्माण का समर्थन कर रहा है।
- चूंकि, भारत का उद्देश्य हमेशा एक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने का रहा है, इसलिए उसे एक अपीलीय समीक्षा का समर्थन करना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून में देशों और निवेशकों के लिए अधिक विश्वास पैदा करेगा।
- उपर्युक्त कारणों से, भारत को डब्ल्यूटीओ में संपूर्ण और बेहतर कार्यशील विवाद निपटान प्रणाली के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के पुनःस्थापन पर भी ध्यान देना चाहिए।

4. पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, भूगोल

4.1. पर्यावरण

1. 41 प्रतिशत उभयचरों के विलुप्त होने का संकट

वर्तमान संदर्भ

100 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञों के एक अध्ययन में प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार विश्व की उभयचर प्रजातियों में से 41 प्रतिशत प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, जिसका अर्थ है कि ये प्रजातियाँ या तो असुरक्षित हैं, संकटग्रस्त हैं या गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं।

विवरण

- यह किसी भी कशेरुक समूह के लिए अन्य प्रजातियों जैसे- स्तनधारियों के 26.5 प्रतिशत, सरीसृपों के 21.4 प्रतिशत और पक्षियों के 12.9 प्रतिशत की तुलना में सबसे अधिक है।
- वर्ष 2004 और वर्ष 2022 के बीच, कुछ गंभीर खतरों के कारण 300 से अधिक उभयचर प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं।
- अध्ययन में पाया गया कि प्राकृतिक निवास स्थान का विनाश और क्षरण सभी संकटग्रस्त उभयचर प्रजातियों के 93 प्रतिशत को प्रभावित करने वाला जिम्मेदार कारक है और यह इन प्रजातियों पर आसन्न सबसे आम संकट है।
- आइयूसीएन रेड लिस्ट के नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार, प्राकृतिक निवास स्थान में ह्रास और जलवायु परिवर्तन विश्व स्तर पर उभयचरों की संख्या में गिरावट के प्रमुख कारक हैं।
  - ✓ उभयचरों की 39 प्रतिशत प्रजातियों के लिए जलवायु परिवर्तन प्राथमिक संकट था।

इन प्रजातियों के सर्वाधिक संकटग्रस्त होने के कारण

- उभयचर विश्व के सर्वाधिक संकटग्रस्त प्राणी हैं।
- इन प्रजातियों को नाजुक त्वचा होने के कारण भी संकट का सामना करना पड़ता है। अधिकांश उभयचर सांस लेने के लिए अपनी त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, और इसलिए उनकी रक्षा के लिए उनके पास शल्क, पंख या फर नहीं होते हैं।
  - ✓ अपनी अद्वितीय जैविकी और पारगम्य त्वचा के कारण ये पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं।
  - ✓ जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और नमी के स्तर में तीव्र उतार-चढ़ाव की तरह रासायनिक प्रदूषण, बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण भी उन पर तीव्रता से प्रभावित करते हैं।
- अध्ययन में यह भी पाया गया कि खेती और पशुपालन के विस्तार के कारण होने वाले प्राकृतिक निवास स्थान का ह्रास सम्पूर्ण विश्व में उभयचरों के लिए सबसे बड़ा संकट है।
- लेकिन उभयचर प्रजातियों का बढ़ता प्रतिशत भी अब नई बीमारियों और जलवायु परिवर्तन के कारण संकट की कगार पर है।
  - ✓ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि, नमी और तापमान में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि और आग आदि के परिणामस्वरूप इन प्रजातियों के प्रमुख प्रजनन स्थलों में ह्रास, मृत्यु दर में वृद्धि, निवास स्थान में गिरावट और प्राकृतिक निवास स्थान से स्थानांतरण जैसे परिवर्तन संभव हुए हैं। इन सभी कारणों से उभयचरों के लिए उपयुक्त रहने योग्य स्थान खोजना कठिन हो गया है।

उभयचर

- *उभयचर छोटे कशेरुकी प्राणी हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए पानी या नम वातावरण की आवश्यकता होती है। इस समूह की प्रजातियों में मेंढक, टोड, सैलामैंडर और न्यूट्स शामिल हैं। सभी अपनी बहुत पतली त्वचा के माध्यम से सांस ले सकते हैं और पानी को अवशोषित कर सकते हैं।*
- *उभयचर विशेष रूप से कमजोर जानवर हैं। उनके अलग-अलग जीवन चरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक को अक्सर अलग-अलग आवास की आवश्यकता होती है, इसलिए वे जलीय या भूमि वातावरण में परिवर्तन से बाधित हो सकते हैं।*

भारत में स्थिति

- भारत एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के साथ-साथ उभयचर विविधता और स्थानिकता का एक प्रमुख केंद्र है। भारत में उभयचरों के बारे में समग्र समझ और स्थिति दुनिया भर में उभयचरों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
- 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय उभयचर प्रजातियाँ देश के लिए स्थानिक हैं तथा दुनिया में कहीं और नहीं पायी जाती हैं।

- ✓ इसका निहितार्थ है कि इन प्रजातियों के विलुप्त होने पर वे पृथ्वी की सतह से पूरी तरह से समाप्त हो जाएँगी।
- भारत में उभयचर प्रजातियों की कुल संख्या 453 थीं, जिनमें से 426 प्रजातियों का मूल्यांकन किया गया था।
- मूल्यांकन की गई उभयचर प्रजातियों में से 139 संकटग्रस्त पाई गई हैं, अर्थात गंभीर खतरों का सामना कर रही हैं जिनके कारण ये विलुप्ति के करीब हैं।
  - ✓ इन संकटग्रस्त प्रजातियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है- 16 प्रजातियाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त, 72 प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं और 51 प्रजातियाँ असुरक्षित श्रेणी में हैं।

संकटग्रस्त उभयचर प्रजातियों का स्थान

- संकटग्रस्त उभयचर प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या कैरेबियाई द्वीपों, उष्णकटिबंधीय एंडीज़, मेडागास्कर और श्रीलंका सहित कई जैव विविधता वाले हॉटस्पॉटों में चिह्नित की गई थी।
- संकटग्रस्त उभयचर प्रजातियों की बड़ी संख्या वाले अन्य स्थानों में ब्राज़ील का अटलांटिक वन, दक्षिणी चीन और दक्षिणपूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका आदि शामिल हैं।

2. एरोसोल द्वारा हिमालय को गर्म करना जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारकः इसरो अध्ययन

वर्तमान संदर्भ

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के एक नए विश्लेषण से पता चला है कि हिंदू कुश-हिमालय-तिब्बती पठार क्षेत्र में एरोसोल के स्तर में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है।

रिपोर्ट का विवरण

- तापमान में वृद्धि, वर्षा के स्वरूप में बदलाव और ग्लेशियर की त्वरित कमी का कारण हिंदू कुश-हिमालय-तिब्बती पठार क्षेत्र में एरोसोल में वृद्धि हो सकती है।
- एरोसोल विशेषताओं और विकिरण संबंधी बल, भारत-गंगा के मैदानों (आईजीपी), हिमालय की तलहटी और तिब्बती पठार में कई स्थानों पर जलवायु के प्राकृतिक या मानवजनित कारकों के कारण वातावरण में ऊर्जा प्रवाह में परिवर्तन का आकलन करने के लिए अपनी तरह के इस पहले अध्ययन में ज़मीन-आधारित अवलोकन, उपग्रह डेटा और सिमुलेशन का उपयोग किया गया।
  - ✓ आंकड़ों से पता चलता है कि एरोसोल रेडियेटिव फोर्सिंग दक्षता (ARFE) [जो वायुमंडल के शीर्ष पर विकिरण प्रवाह पर मानवजनित एरोसोल के प्रभाव को दर्शाती है] हिमालय की तलहटी में काफी अधिक थी। उच्च एओडी (एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ) और एरोसोल अवशोषण के कारण दक्षिण और पूर्वी एशिया के अन्य प्रदूषित स्थलों की तुलना में यहां औसत एआरएफई दो से चार गुना अधिक है।
- क्षेत्रीय रूप से सम्बद्ध एरोसोल-प्रेरित वार्मिंग जो हम क्षेत्र की उच्च तुंगता पर देखते हैं वह हवा के तापमान में वृद्धि, ग्लेशियरों की त्वरित कमी और इस क्षेत्र में जलीय चक्र और वर्षा स्वरूप में बदलाव का एक प्रमुख कारक है।
- इस प्रकार, एरोसोल हिमालय की जलवायु को गर्म कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारक बने रहेंगे।

ग्लोबल वार्मिंग संभावना

इसे विभिन्न गैसों के ग्लोबल वार्मिंग प्रभावों की तुलना करने में सहायता के लिए विकसित किया गया था। विशेष रूप से, यह इस बात का माप है कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के उत्सर्जन के सापेक्ष, एक निश्चित अवधि में 1 टन गैस का उत्सर्जन कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा।

एरोसोल

- वे हवा में या गैस के रूप में निलंबित छोटे ठोस या तरल कण हैं।
- एरोसोल प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे कोहरा या ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैस या कृत्रिम, जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से निकलने वाला धुआं।
- एरोसोल कण या तो सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं (प्राथमिक एरोसोल) या वायुमंडल में पूर्ववर्ती गैसों (द्वितीयक एरोसोल) से उत्पन्न होते हैं।
- एरोसोल कण छोटे, लेकिन असंख्य होते हैं, और अक्सर कई अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं।
  - ✓ प्रमुख एरोसोल समूहों में सल्फेट्स, कार्बनिक कार्बन, ब्लैक कार्बन, नाइट्रेट, खनिज धूल और समुद्री नमक शामिल हैं।
- एरोसोल ने लगभग 50 प्रतिशत वार्मिंग को कम किया है अन्यथा यह ग्रीनहाउस गैसों द्वारा पृथ्वी की सतह के पास गर्मी को फँसाने के कारण होता।
- वास्तविक एरोसोल कणों का व्यास कुछ मिलीमीटर से लेकर लगभग 1 माइक्रोमीटर (10-4 सेमी के बराबर) तक होता है।
- 0.1 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणों को कभी-कभी एटकेन

न्यूक्ली कहा जाता है।

- वायुमंडलीय एरोसोल प्लम के दृश्यमान रूपों में धुआं, कोहरा, धुंध और धूल शामिल हैं।

एरोसोल का जलवायु पर प्रभाव

- एरोसोल कण, जैसे धूल, अवक्षेपण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, न्यूक्ली प्रदान करते हैं जिस पर संघनन और हिमीकरण होता है।
- वे आने वाले सौर विकिरण को परावर्तित या अवशोषित करके और बादलों की चमक और इस प्रकार परावर्तनशीलता को बढ़ाकर जलवायु को प्रभावित करते हैं।
  - ✓ यद्यपि अधिकांश एरोसोल सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, कुछ इसे अवशोषित भी करते हैं।
- प्रकाश पर एरोसोल का प्रभाव मुख्य रूप से कणों की संरचना और रंग पर निर्भर करता है। मोटे तौर पर, चमकीले रंग या पारभासी कण सभी दिशाओं में विकिरण को प्रतिबिंबित करते हैं और वापस अंतरिक्ष की ओर जाते हैं।
- गहरे रंग के एरोसोल महत्वपूर्ण मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं।
- शुद्ध सल्फेट और नाइट्रेट लगभग सभी विकिरणों को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे वातावरण ठंडा हो जाता है।
- इसके विपरीत, ब्लैक कार्बन, विकिरण को आसानी से अवशोषित करता है, वातावरण को गर्म करता है लेकिन सतह को छायांकित भी करता है।
  - ✓ केवल एक एरोसोल है- कालिख (जिसे ब्लैक कार्बन भी कहा जाता है), यह वास्तव में वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के वार्मिंग प्रभाव को बढ़ाकर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करने में मदद करता है।
- जैविक कार्बन, जिसे कभी-कभी ब्राउन कार्बन या जैविक पदार्थ भी कहा जाता है, सतह के नीचे की जमीन की चमक के आधार पर वातावरण पर गर्म प्रभाव डालता है।
- धूल अलग-अलग डिग्री तक विकिरण को प्रभावित करती है, यह धूल के कणों में शामिल खनिजों की संरचना पर निर्भर करता है, चाहे वे काले या भूरे कार्बन से लेपित हों। नमक के कण अपने सामने आने वाली सारी सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर देते हैं।
- हालांकि अवशोषण, प्रतिबिंब की तरह, जमीनी स्तर पर सूर्य के प्रकाश को कम करता है, बढ़ा हुआ वायुमंडलीय ताप अंततः सतह को गर्म करता है और प्रतिबिंब के कारण होने वाली ठंडक को रोकता है।
- वे रासायनिक प्रक्रियाओं में भी मिल जाते हैं और वायुमंडल के विद्युत गुणों को प्रभावित करते हैं।

हिंदू कुश-हिमालय-तिब्बती पठार

- हिंदू कुश-हिमालय-तिब्बती पठार क्षेत्र में अंटार्कटिक और आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़ा बर्फ द्रव्यमान है, और ग्लेशियरों में एक स्पष्ट गिरावट देखी गई है, जो एशिया की अधिकांश प्रमुख नदियों में भी पानी का स्रोत हैं।
- इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) की वर्ष 2019 की रिपोर्ट में पाया गया कि हिंदू कुश हिमालय वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है और इस क्षेत्र में इसके परिणाम गंभीर थे।
  - ✓ इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हिंदू कुश हिमालय के लिए "बहुत गर्म" है।
- यह एचकेएच क्षेत्र के आधे ग्लेशियरों को प्रभावित करेगा, एशिया की नदियों को अस्थिर करेगा और अरबों लोगों के जीवन और आजीविका को खतरे में डालेगा।

3. अमेज़न नदी डॉल्फ़िन

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, ब्राजील में अमेज़ॅन नदी की एक सहायक नदी में 100 से अधिक नदी डॉल्फ़िन के शव तैरते हुए पाए गए थे; विशेषज्ञों का अनुमान है कि ऐसी परिस्थितियाँ गंभीर सूखे और गर्मी के कारण उत्पन्न हुई हैं।

विवरण

- दुनिया का सबसे बड़ा जलमार्ग, अमेज़ॅन नदी, वर्तमान में अपने शुष्क मौसम में है और नदी वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियाँ टेफे झील में रिकॉर्ड उच्च तापमान से जूझ रही हैं, जो कि 39 डिग्री सेल्सियस (102 डिग्री फ़ारेनहाइट) से अधिक है।
- अमेज़ॅन नदी की विशिष्ट गुलाबी और ग्रे (स्लेटी) रंग की डॉल्फ़िन दुनिया में पाए जाने वाली कुछ मीठे पानी की डॉल्फ़िनों में से हैं।

अमेज़न नदी

- *अमेज़ॅन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।*
- *अमेज़ॅन नदी एक मीठे पानी की नदी है और यह वैश्विक स्तर पर महासागरों में प्रवेश करने वाले मीठे पानी की मात्रा के लगभग पांचवें हिस्सेदारी रखती है।*

अमेज़न नदी डॉल्फ़िन

- अमेज़न नदी डॉल्फ़िन (Inia geoffrensis) को बोटो, बुफ़ेओ या गुलाबी नदी डॉल्फ़िन के रूप में भी जाना जाता है। यह दन्तयुक्त व्हेल की एक प्रजाति है जो मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की प्रजाति है और इनिइडे परिवार में वर्गीकृत है।
- वर्तमान में **तीन उप-प्रजातियां** मान्यता प्राप्त हैं: **आई.जी. जिओफ्रेंसिस (अमेज़ॅन नदी डॉल्फ़िन), आई.जी. बोलिविएन्सिस (बोलिवियन नदी डॉल्फ़िन) और आई.जी. हम्बोल्टटियाना (ओरिनोको नदी डॉल्फ़िन)** जबकि क्लैड के भीतर अरागुआयन नदी डॉल्फ़िन (आई.जी. अरागुआएन्सिस) की स्थिति अभी भी अस्पष्ट है।
- तीन उप-प्रजातियाँ क्रमशः अमेज़ॅन बेसिन, बोलीविया में ऊपरी मदीरा नदी और ओरिनोको बेसिन में पायी जाती हैं।
- अमेज़ॅन नदी डॉल्फ़िन, नदी डॉल्फ़िन की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसमें वयस्क नर वजन में 185 किलोग्राम और लंबाई में 2.5 मीटर (8.2 फीट) तक लम्बे हो सकते हैं।
- ये पशु प्रजातियां प्रतिध्वनिस्थान-निर्धारण (**echolocation**) का उपयोग करती हैं जो इसे अपने आस-पास की वस्तुओं या वस्तु आकृति और आकार का पता लगाने में सक्षम बनाती है।
- संरक्षण की स्थिति- **आईयूसीएन : लुप्तप्राय**

गंगा नदी डॉल्फ़िन

- **गंगा नदी डॉल्फ़िन को आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में खोजा गया था।**
- गंगा नदी डॉल्फ़िन नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगू नदी प्रणालियों में भी पायी थी, लेकिन यह प्रजाति अपने अधिकांश प्रारंभिक वितरण क्षेत्रों से विलुप्त हो गई है।
- गंगा नदी डॉल्फ़िन केवल मीठे पानी में रहने में सक्षम है और अनिवार्य रूप से नेत्रहीन होती है।
- वे शिकार करने के लिए **अल्ट्रासोनिक ध्वनियों** का उत्सर्जन करती हैं।
- मादा डॉल्फ़िन, नर की तुलना में बड़ी होती है और प्रत्येक दो से तीन साल में एक बार केवल एक बच्चे को जन्म देती है।
- गंगा नदी डॉल्फ़िन महत्वपूर्ण प्राणी है क्योंकि यह पूरे नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक विश्वसनीय संकेतक है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2009 में इसे **राष्ट्रीय जलीय जीव** घोषित किया।
- वैज्ञानिक नाम : **प्लैटानिस्ता गैंजेटिका**
- पर्यावास : **मीठे पानी की नदियाँ**

- **संरक्षण की स्थिति**
  - ✓ भारतीय वन्यजीव (संरक्षण), अधिनियम 1972: **अनुसूची I**
  - ✓ प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN): **लुप्तप्राय**
  - ✓ लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन (CITES): **परिशिष्ट I** (अत्यंत लुप्तप्राय)
  - ✓ प्रवासी प्रजातियां सम्मेलन (CMS): **परिशिष्ट II** (प्रवासी प्रजातियां जिन्हें संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता होती है या जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से काफी लाभ हो सकता है)।

सरकारी पहल

- ✓ **प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन :** इस परियोजना से डॉल्फ़िन की आबादी में वृद्धि सम्भव हुई है।
- ✓ **डॉल्फिन अभयारण्य :** बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित किया गया है।
- ✓ **राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फ़िन दिवस :** स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फ़िन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

4. भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था की रूपरेखा

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2023 के उद्घाटन के दौरान भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक खाका 'अमृत काल विजन 2047' का अनावरण किया गया।

विवरण

- इस रूपरेखा में उन रणनीतिक पहलों को रेखांकित किया गया है जो बंदरगाह सुविधाओं को बेहतर करने, टिकाऊ कार्यों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गयी हैं।
- विज़न 2047 के तहत अगली पीढ़ी के मेगा पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट, द्वीप विकास, अंतर्देशीय जलमार्ग और मल्टी-मोडल हब प्रारंभ किए जाएँगे, जिससे व्यवसाय करने की लागत और पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कमी आएगी।
- प्रधानमंत्री द्वारा भारत की समुद्री नीली अर्थव्यवस्था (maritime blue economy) के विकास से जुड़ी, **23,000 करोड़ रुपये** से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गयी।
- भारत में तटीय नौवहन प्रणाली का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा पिछले दशक में तटीय कार्गो यातायात दोगुना होने के कारण लोगों के लिए लागत प्रभावी लॉजिस्टिक विकल्प उपलब्ध हुए हैं।
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को अधिक कुशल और प्रभावी बनाकर आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अधिक सुधार किये जा रहे हैं।
- इस क्षेत्र के लिए नेट-शून्य रणनीति के माध्यम से भारत के प्रमुख बंदरगाहों को कार्बन-तटस्थ बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

नीली अर्थव्यवस्था

- "**नीली अर्थव्यवस्था**" का तात्पर्य आर्थिक विकास के लिए महासागर और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण से है। इसमें मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन, नौवहन, नवीकरणीय ऊर्जा और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।
- अपनी विशाल तटरेखा और समुद्री संसाधनों के साथ भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था में अपार संभावनाएं विद्यमान हैं।

भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था का महत्व

- भारत की नीली अर्थव्यवस्था परिवहन के माध्यम से होने वाले देश के 95 प्रतिशत व्यापार में सहायक है तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अनुमानित रूप से 4 प्रतिशत का योगदान प्रदान करती है।
- विश्व व्यापार का 80 प्रतिशत व्यापार समुद्री माध्यम से किया जाता है, दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी तटीय क्षेत्रों के पास रहती है तथा 3 अरब से अधिक की आबादी द्वारा अपनी आजीविका के लिए महासागरों का उपयोग किया जाता है।
- महासागर जैव विविधता की रक्षा करने के साथ-साथ ग्रह को ठंडा रखते हैं तथा वैश्विक कार्बनडाईऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 30 प्रतिशत अवशोषित करने में योगदान देते हैं।
  - ✓ वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 3-5 प्रतिशत हिस्सा महासागरों से प्राप्त होता है।

भारत में समुद्री क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

- भारत में वर्तमान में 12 प्रमुख और 200 गैर-प्रमुख/मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह है, जबकि मुद्रा सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है।
- भारत दुनिया के शीर्ष 5 जहाज रीसाइक्लिंग देशों में से एक है और वैश्विक जहाज रीसाइक्लिंग बाजार में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है।
- भारत का लगभग 95 प्रतिशत वाणिज्यिक व्यापार समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है।
  - ✓ भारत में बंदरगाहों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के लगभग 95 प्रतिशत (मात्रा के अनुसार) और 68 प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) का प्रबंधन किया जाता है।
- **विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) 2023 रिपोर्ट** के अनुसार, जहाज से माल उतारने और लादने का समय बेहतर होने के साथ भारत के बंदरगाहों की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पहला 100 प्रतिशत लैंडलॉर्ड मॉडल वाला प्रमुख बंदरगाह बन गया है।
- आने वाले दशक में भारत के शीर्ष पांच जहाज निर्माता देशों में शामिल होने की सम्भावना है।

समुद्री क्षेत्र से संबंधित भारत की पहल

- **भारत की नीली अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय नीति-2021-** इस नीति का उद्देश्य भारत की जीडीपी में नीली अर्थव्यवस्था का योगदान बढ़ाना, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के जीवन में सुधार करना, समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना तथा समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों की राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है।
- **डीप ओशन मिशन** का उद्देश्य गहरे महासागरों से जीवित और निर्जीव संसाधनों का दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। भारतीय महासागरों में धातुओं के खनन की योजना 110 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है जिसमें तांबा, निकेल, कोबाल्ट और मैंगनीज, आदि धातु शामिल हैं।
- **सागर (SAGAR): 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास'-** यह मिशन महासागरों के सतत उपयोग के लिए सहकारी उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **सागरमाला परियोजना** भारत की 7,500 किमी लंबी तटरेखा, 14,500 किमी संभावित नौगम्य जलमार्ग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करके देश में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गयी है।

- भारत का लक्ष्य **ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी)** प्रारंभ करने के साथ वर्ष 2030 तक **हरित जहाज निर्माण का वैश्विक केंद्र ('Global Hub for Green Ship')** बनना है।
  - ✓ इसका लक्ष्य देश में कार्यरत सभी टगबोटों (जहाजों को खीचने वाली नौका) को मेथनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे गैर-जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले **'ग्रीन हाइब्रिड टग्स'** में परिवर्तित करना है।
- **वैश्विक समुद्री भारत विज़न 2030** भारत को एक समुद्री महाशक्ति में बदलने और आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापार के लिए इसकी विस्तृत तटरेखा का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक रोडमैप है। यह पहल वर्ष 2030 तक भारत में एक संपन्न और टिकाऊ समुद्री क्षेत्र की परिकल्पना करती है।
- **ओ-स्मार्ट-महासागर-सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी) (Ocean–Services, Modelling, Application, Resources and Technology-O-SMART):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य द्वीपों के लिए टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल समाधान प्रदान करना है। एमओईएस (MoES) द्वारा तटीय बुनियादी ढांचे के लिए योजना और डिजाइन के नवीन तरीकों को अपनाया गया है। यह बुनियादी ढांचा जलवायु और प्राकृतिक आपदा-प्रतिरोधी है।
- **ग्रीन वॉयेज 2050 परियोजना-** यह नॉर्वे सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के बीच मई 2019 में शुरू की गई एक साझेदारी परियोजना है, जिसका लक्ष्य शिपिंग उद्योग को कम कार्बन भविष्य की ओर रूपांतरित करना है। भारत ग्रीन वॉयेज 2050 परियोजना का हिस्सा है।
- **सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर भारत-नॉर्वे सहयोग-** नॉर्वे-भारत सहयोग समुद्री पर्यावरण की रक्षा करते हुए और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए आर्थिक विकास और नौकरियां पैदा करने में योगदान दे रहा है।

आगे की राह

- प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों, जहाज पुनर्चक्रण और जहाज निर्माण प्रयासों के माध्यम से यह स्पष्ट है कि भारत का समुद्री क्षेत्र प्रगति कर रहा है।
- आगे बढ़ते हुए, गहरे समुद्र में संसाधन उपयोग और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर जोर देते हुए दक्षता, उत्पादकता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोगात्मक प्रयास भारत की समुद्री क्षमताओं को और बढ़ाते हुए एक गतिशील और हरित समुद्री शक्ति के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करेंगे।

5. जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व स्तर पर बुनियादी ढांचे में 850 बिलियन डॉलर का वार्षिक नुकसानः सीडीआरआई रिपोर्ट

वर्तमान संदर्भ

आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure-CDRI) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में 850 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक औसत वैश्विक हानि (एएएल) हुई है, जिसका अर्थ यह है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की जीडीपी वृद्धि का 14 प्रतिशत हिस्सा जोखिम में है।

रिपोर्ट में मुख्य बातें

- यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट हैं, जो ग्लोबल साउथ के सामने आने वाली समस्या और उसके खराब बुनियादी ढाँचे के प्रशासन को सामने लाती है।
- इस द्विवार्षिक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बुनियादी ढाँचे की परिसंपत्तियों के वैश्विक मूल्य का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा उच्च आय वाले देशों में केंद्रित है।
- उच्च और निम्न मध्यम आय वाले देशों की हिस्सेदारी क्रमशः 25 प्रतिशत और 7 प्रतिशत है।
  - ✓ हालाँकि वे 0.4 प्रतिशत की अनुमानित औसत वार्षिक नुकसान के साथ सबसे अधिक सापेक्ष जोखिम वाले देश हैं, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह 0.1 प्रतिशत है।
- **पहली बार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भविष्य के संभाव्य जोखिम मॉडल- ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मॉडल और रेजिलिएंस इंडेक्स (GIRI)** के साथ सामने आई है, जो आपदाओं के कारण औसत वार्षिक नुकसान के आँकड़ों को निर्धारित करती है।
- इस रिपोर्ट में नौ बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया है और दावा किया गया है कि कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए, देशों को वर्ष 2050 तक लचीले बुनियादी ढांचे

में सालाना 9.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता है, जिसमें से भारत सहित केवल विकासशील देशों में 2.9 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है।

- यह पहली ग्लोबल साउथ-संचालित रिपोर्ट है, जो राष्ट्रीय नीतियों और बुनियादी ढाँचे के प्रशासन को प्रभावित करेगी।
  - ✓ इनमें से कई उच्च जोखिम वाले देश उप-सहारा अफ्रीका और मिडील-ईस्ट में स्थित हैं।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च आय वाले देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण वार्षिक नुकसान में 11 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है, लेकिन मध्यम आय वाले देशों में यह आँकड़ा 22 प्रतिशत और कम आय वाले देशों में 33 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।
- सरकारें इस रिपोर्ट का उपयोग अपने सामने आने वाले जोखिम को समझने के लिए कर सकती हैं और यह महसूस कर सकती हैं कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी बुनियादी ढाँचे पूरी तरह से लचीले हों।
- हालाँकि औसत वार्षिक बुनियादी ढाँचे का 30 प्रतिशत नुकसान भूकंप और सुनामी जैसे **खतरों से संबंधित है, जबकि लगभग 70 प्रतिशत जलवायु से संबंधित आपदाओं** जैसे चक्रवात, बाढ़, तूफान आदि से संबंधित है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि **लगभग 80 प्रतिशत जोखिम** बिजली, परिवहन और दूरसंचार क्षेत्रों में केंद्रित है, जिसमें परिसंपत्तियों के निर्माण इसके डिजाइन जीवनचक्र में कुल व्यय का केवल 15-30 प्रतिशत होता है, जबकि 70-85 प्रतिशत तक संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है।

ग्लोबल-साउथ के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- इस रिपोर्ट के अनुसार, एलएमआईसी (निम्न और मध्यम आय वाले देश) को कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा नुकसान भी शामिल है, जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अवरुद्ध करता है।
  - ✓ इन देशों में खराब बुनियादी ढाँचा प्रशासन के परिणामस्वरूप यहाँ निम्न गुणवत्ता वाली बुनियादी ढाँचा भी है।
- जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए उनके पास बहुत अधिक सीमित संसाधन और तकनीकी क्षमताएँ भी हैं।
- वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार, वर्ष 2019 में चरम मौसम की घटनाओं के परिमाणित प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित दस देशों में से आठ निम्न-से-निम्न-मध्यम आय श्रेणी वाले देश हैं और उनमें से आधे सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) हैं।
- वर्ष 2009 में, कोपेनहेगन में 15वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी 15) में विकसित देशों ने विकासशील देशों की जलवायु उन्मूलन और अनुकूलन आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए वर्ष 2020 तक संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता का निर्णय लिया।
  - ✓ हालाँकि, यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं हुआ।

समाधान

- जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और क्षति को कम करने के साधनों में चरम मौसम या धीमी गति से शुरू होने वाली घटना के घटित होने से पहले लचीलापन बढ़ाना, जैसे- बाढ़ सुरक्षा को मजबूत करने और उन लोगों (जो पहले ही नुकसान और क्षति का अनुभव कर चुके हैं) को वित्तीय या सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करने के लिए तंत्र स्थापित करना शामिल है।
- बीमा एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन यह सभी के लिए सस्ता या सुलभ नहीं है।
- पुनर्प्राप्ति में लचीलेपन (जैसे- भविष्य में अधिक जलवायु-लचीला होने के लिए बुनियादी ढाँचे का पुनर्निर्माण करना) को शामिल करके चरम मौसम की घटनाओं के बाद नुकसान और क्षति को कम करने के अवसर भी हैं।
- विकासशील देशों का दावा है कि जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित देशों की ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी है।
  - ✓ इस प्रकार, उन्होंने विकसित देशों से मुआवजे की माँग की है, ताकि उन्हें पहले ही हो चुके नुकसान और क्षति से निपटने में मदद मिल सके और भविष्य में होने वाले नुकसान और क्षति को कम किया जा सके।

आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन

- वर्ष 2019 में स्थापित आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिए गठबंधन राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र और ज्ञान संस्थानों की साझेदारी है।
- इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति बुनियादी ढाँचे के प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके।
- यह रिपोर्ट सीडीआरआई को 20 वैश्विक साझेदारों के साथ वैश्विक मानचित्र पर रखती है, जिससे यह 'लचीलापन लाभांश' को सामने लाने के लिए साक्ष्य के एक अद्वितीय निकाय को एक साथ लाकर एक बेहतर आर्थिक, राजनीतिक और वित्तीय मामले को बुनियादी ढाँचे में मौलिक रूप से उन्नत निवेश बनाता है।

6. पर्यावरण प्रभाव आंकलन और हिमालय

वर्तमान संदर्भ

अक्टूबर की शुरुआत में सिक्किम में तीस्ता बाँध के टूटने के अलावा हाल ही में, हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ और भूस्खलन इस बात पर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि हमारा विकास मॉडल हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी (विशेषकर पहाड़ों में) पर कितना कहर बरपा रहा है।

भारतीय हिमालय क्षेत्र

- भारतीय हिमालय क्षेत्र (IHR) 2 केंद्रशासित प्रदेशों और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। उत्तर-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा तक, इसमें लद्दाख (UT), जम्मू और कश्मीर (UT), उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की पहाड़ियाँ, असम की पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय शामिल हैं।
- यह लगभग 2500 किमी की लंबाई में फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई 330-220 किमी है। इन पहाड़ी क्षेत्र (जिसमें विविध जनसांख्यिकीय और बहुमुखी आर्थिकी, पर्यावरणीय, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में वर्गीकृत किया गया है) में लगभग 50 मिलियन लोग रहते हैं।

संवेदनशील क्षेत्र

- इस क्षेत्र को पूरे देश के लिए अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व के क्षेत्र (यह जल टावर और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रदाता के रूप में कार्य करता है) के रूप में देश के किसी भी अन्य हिस्से की तरह माना जाता है।

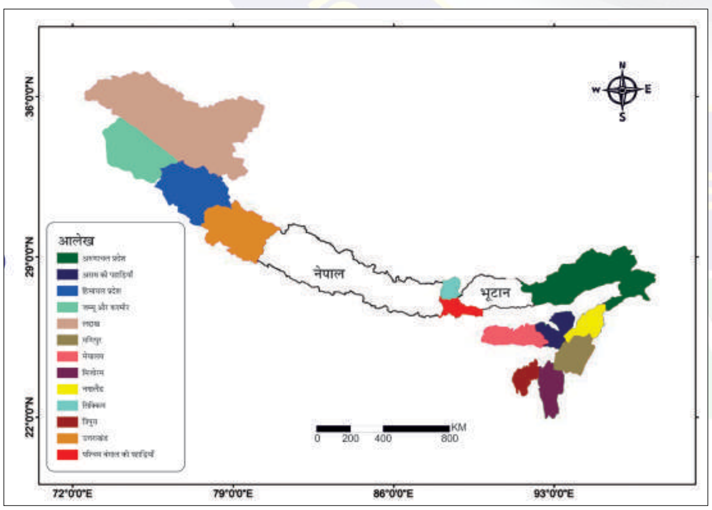

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मानवजनित उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में भूमंडलीय ऊष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिंग) के वर्तमान रुझानों का एक स्पष्ट प्रमाण है।
  - ✓ आईपीसीसी ने यह भी अनुमान लगाया है कि अगले 100 वर्षों में वैश्विक औसत सतह तापमान 1 से 6.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा।
- भारतीय हिमालय क्षेत्र में बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा स्वरूप से क्षेत्रीय पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र और मानव आबादी के कुछ वर्गों पर और भी अधिक गहरे प्रभाव पड़ने की उम्मीद की जा सकती है। ये परिवर्तन संभवतः जटिल हो सकती है।
- हिमालय प्राकृतिक रूप से भारी बारिश, अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी चरम मौसम स्थितियों के प्रति संवेदनशील होने के साथ-साथ भूकंपीय रूप से सक्रिय है।
- जलवायु परिवर्तन ने इस पारिस्थितिकी तंत्र में भेद्यता की एक और परत जोड़ दी है।
- हिमालय की नाजुकता और असुरक्षा की समझ के बावजूद, उन पर्यावरण मानकों के किसी विभिन्न श्रेणी का कोई उल्लेख नहीं है, जिसकी आईएचआर में स्थित किसी भी परियोजना के लिए आवश्यकता है।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र की विशेष जरूरतें

- इस क्षेत्र की नाजुकता और असुरक्षा पर अलग से विचार नहीं किया गया है।
  - ✓ हालाँकि अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित कुछ उद्योग संबंधित राज्यों की औद्योगिक नीतियों के कारण भारतीय हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, जबकि अन्य उद्योगों और परियोजनाओं को देश के बाकी हिस्सों में समान सीमा का पालन करना होगा।
- ईआईए प्रक्रिया के लिए व्यापक, विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता होगी और यह तभी प्रभावी होगा जब इसे परियोजना के संबंध में सबसे उपयुक्त, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो। इसलिए, बेस लाइन डेटा के आधार पर भविष्य के संभावित प्रभावों की भविष्यवाणी की जा रही है, यह बेहद महत्वपूर्ण है।
- अधिसूचना के अंत में सभी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य सामान्य शर्तों में भारतीय हिमालयी क्षेत्र या एक निश्चित सीमा से ऊपर के

पहाड़ों के बारे में या कुछ निर्दिष्ट विशेषताओं के साथ एक खंड भी हो सकता है, जो परियोजना प्रस्तावक के दायित्व को बढ़ा सकता है।

- अधिसूचनाओं ने परियोजनाओं को खनन, प्राकृतिक संसाधनों की निकासी के अलावा बिजली उत्पादन और भौतिक बुनियादी ढाँचे जैसे विभिन्न शीर्षक के तहत वर्गीकृत कर दिया है।
  - ✓ दुर्भाग्य से, इन सभी परियोजनाओं के लिए ईआईए की आवश्यक सीमा पूरे देश में एक समान है।

पर्यावरण प्रभाव आंकलन

- **पर्यावरण प्रभाव आंकलन** (Environment Impact Assessment-EIA) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा किसी परियोजना के क्रियान्वयन से पहले उसके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने हेतु एक साधन के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह साधन प्रस्तावित परियोजना के लिए विभिन्न विकल्पों की तुलना करने के साथ-साथ विभिन्न परिदृश्यों में सभी संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी और विश्लेषण करता है।
- ईआईए उचित उन्मूलन रणनीतियों के निर्धारण में भी मदद करता है।

भारत में पर्यावरण प्रभाव आंकलन

- भारत में पर्यावरण प्रभाव आंकलन की शुरुआत वर्ष 1976-77 में तब हुई जब योजना आयोग ने पर्यावरण के दृष्टिकोण से नदी घाटी परियोजनाओं का आंकलन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को निर्देश दिया।
- 27 जनवरी, 1994 को **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (ईपीए) के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** ने कुछ निर्दिष्ट नई परियोजनाओं की स्थापना और कुछ विशिष्ट गतिविधियों के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए **पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance-EC) को अनिवार्य बनाने वाली पहली ईआईए अधिसूचना** जारी की गई।
- वर्ष 2006 की अधिसूचना की पहचान पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण के रूप में किया गया था। राज्य सरकारों को कुछ मामलों में पर्यावरणीय मंजूरी जारी करने की शक्तियाँ भी दी गईं। वर्ष 2006 की अधिसूचना के अंतर्गत, सभी परियोजनाओं को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था :
  - ✓ **केंद्रीय स्तर पर श्रेणी 'ए'**- प्रभाव मूल्यांकन एजेंसी और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजना।
  - ✓ **राज्य स्तर पर श्रेणी 'बी'**- राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजना।
- ईआईए अधिसूचना के मसौदे में वर्ष 2006 के ईआईए (जो लोगों को प्रतिक्रिया देने के लिए "न्यूनतम 30 दिन" निर्दिष्ट करता है) को अद्यतन करने का प्रस्ताव है।
  - ✓ अद्यतन का वर्तमान स्वरूप, जो संभवतः 60 दिनों में कानून बन जाएगा, नोटिस अवधि को "न्यूनतम 20 दिन" कर देगा।
  - ✓ इसमें यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक-सुनवाई प्रक्रिया को 45 दिनों के मौजूदा मानदंड के विपरीत, 40 दिनों में पूरा किया जाए।

7. ई-अपशिष्ट

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन (ICEA) ने "पाथवे टू सर्कुलर इकोनॉमी इन द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर" नामक एक व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो ई-अपशिष्टों के प्रबंधन में बदलाव लाने और इसकी क्षमता का लाभ उठाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है।

ई-अपशिष्ट के विवरण

- इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट) एक सामान्य शब्द है, जिसका उपयोग सभी प्रकार के पुराने, अपनी अवधि पूरा कर चुके या बेकार पड़े बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जैसे घरेलू उपकरण, कार्यालय की सूचना और संचार उपकरण, मनोरंजन और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रकाश के लिए उपयोग होने वाले उपकरण, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
- चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में ई-अपशिष्ट का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है।
- वर्ष 2020-2021 में भारत ने 3.4 लाख टन ई-अपशिष्ट पैदा किया।
- भारत में वित्तीय वर्ष 20-2019 में उत्पादित कुल 10,14,961.21 टन ई-अपशिष्टों में से केवल 22.7 प्रतिशत को ही एकत्र किया, नष्ट किया गया और पुनर्नवीनीकरण या निपटान किया गया।
  - ✓ इस ई-अपशिष्ट में **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016** के अंतर्गत अधिसूचित 21 प्रकार के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) शामिल हैं।

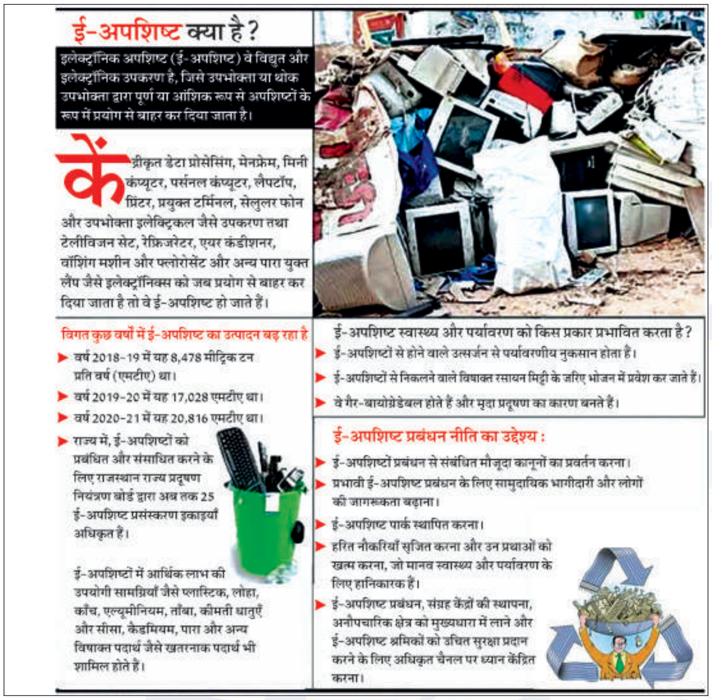

ई-अपशिष्ट क्या है?

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट) वे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसे उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से अपशिष्टों के रूप में प्रयोग से बाहर कर दिया जाता है।

केंद्रीकृत डेटा प्रोसेसिंग, मेनफ्रेम, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, प्रयुक्त टर्मिनल, सेलुलर फोन और उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल जैसे उपकरण तथा टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन और फ्लोरोसेंट और अन्य पारा युक्त लैंप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को जब प्रयोग से बाहर कर दिया जाता है तो वे ई-अपशिष्ट हो जाते हैं।

विगत कुछ वर्षों में ई-अपशिष्ट का उत्पादन बढ़ रहा है

- वर्ष 2018-19 में यह 8,478 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीए) था।
- वर्ष 2019-20 में यह 17,028 एमटीए था।
- वर्ष 2020-21 में यह 20,816 एमटीए था।
- राज्य में, ई-अपशिष्टों को प्रबंधित और संसाधित करने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अब तक 25 ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयाँ अधिकृत हैं।

ई-अपशिष्टों में आर्थिक लाभ की उपयोगी सामग्रियाँ जैसे प्लास्टिक, लोहा, काँच, एल्यूमीनियम, ताँबा, कीमती धातुएँ और सीसा, कैडमियम, पारा और अन्य विषाक्त पदार्थ जैसे खतरनाक पदार्थ भी शामिल होते हैं।

ई-अपशिष्ट स्वास्थ्य और पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है?

- ई-अपशिष्टों से होने वाले उत्सर्जन से पर्यावरणीय नुकसान होता है।
- ई-अपशिष्टों से निकलने वाले विषाक्त रसायन मिट्टी के जरिए भोजन में प्रवेश कर जाते हैं।
- वे गैर-बायोग्रेडेबल होते हैं और मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नीति का उद्देश्य:

- ई-अपशिष्टों प्रबंधन से संबंधित मौजूदा कानूनों का प्रवर्तन करना।
- प्रभावी ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और लोगों की जागरूकता बढ़ाना।
- ई-अपशिष्ट पार्क स्थापित करना।
- हरित नौकरियाँ सृजित करना और उन प्रथाओं को खत्म करना, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं।
- ई-अपशिष्ट प्रबंधन, संग्रह केंद्रों की स्थापना, अनौपचारिक क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने और ई-अपशिष्ट श्रमिकों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिकृत चैनल पर ध्यान केंद्रित करना।

- हालाँकि, आँकड़े बताते हैं कि उत्पन्न ई-अपशिष्टों के 25 प्रतिशत का भी ठीक से प्रबंधन नहीं किया जा रहा है।
- ई-अपशिष्ट में हमारे कुल विषाक्त अपशिष्टों का 70 प्रतिशस्त हिस्सा शामिल है।

ई-कचरे से संबंधित समस्या

- **पर्यावरणीय जोखिम:** ई-अपशिष्ट विषाक्त हो सकता है। यह जैव निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) नहीं होने के साथ-साथ पर्यावरण, मिट्टी, हवा, पानी और मौजूद चीजों पर जमा हो जाता है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक घटकों से मूल्यवान सामग्रियों को पुनर्प्राप्त करने के लिए उसे खुली जगह में जलाया और अम्ल अवगाह (acid baths) किया जाता है जिससे पर्यावरण में विषाक्त पदार्थ फैलते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन :** जलवायु परिवर्तन पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों के प्रभाव पर भी विचार करना उचित है। अब तक उत्पादित प्रत्येक उपकरण में कार्बन फुटप्रिंट होता है और यह मानव निर्मित भूमंडलीय ऊष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिंग) में योगदान दे रहा है। एक टन लैपटॉप बनाने पर लगभग 10 टन CO_2 उत्सर्जित होती है।
- **पुनर्चक्रण का अभाव:** ई-अपशिष्ट जैव निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) नहीं है। पुनर्चक्रण का अभाव वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर भारी पड़ती है और जैसे-जैसे उपकरण काफी मात्रा में, छोटे और अधिक जटिल होते हैं, तो समस्या बढ़ जाती है। वर्तमान में कुछ प्रकार के ई-अपशिष्टों के पुनर्चक्रण के साथ-साथ सामग्रियों और धातुओं को पुनर्प्राप्त करना एक महँगी प्रक्रिया है।
- **जागरूकता की कमी:** अधिकांश लोगों का मनाना हैं कि ई-अपशिष्ट उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाता है।
- **धन का अभाव:** भारत सरकार के पास पर्याप्त ई-अपशिष्ट बुनियादी ढाँचा और ई-अपशिष्टों की प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।
- **अप्रभावी कानून:** अधिकांश एसपीसीबी/पीसीसी वेबसाइटों पर इससे संबंधित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक जानकारी का अभाव है। यहाँ तक कि बुनियादी ई-अपशिष्ट नियम और दिशानिर्देश भी अपलोड नहीं किए गए हैं।
- **अत्यधिक आयात:** विकसित देशों के द्वारा पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) के लिए **अपने 70-80 प्रतिशत ई-अपशिष्ट को भारत, चीन, घाना और नाइजीरिया** जैसे विकासशील देशों में भेजा जाता है।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, २०१6

- *कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) और पारा युक्त लैंप सहित 21 से अधिक उत्पादों को नियमों की अनुसूची-I में शामिल किया गया था।*
- *ये नियम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या भागों या स्पेयर के साथ-साथ उनके उत्पादों पर भी लागू होते हैं।*
- *इन नियमों ने पहली बार उत्पादको को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के दायरे में लाया।*
- *इन नियमों में विनिर्माता के लिए लक्ष्य का प्रावधान किया गया था, जो नियम के पहले संस्करण में नहीं था।*
- *इसमें उत्पादक, डीलर और नवीनीकरण करने वाले (रिफर्बिशर्स) और उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन जैसे अन्य हितधारक शामिल थे।*

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022

- यह ई-अपशिष्टों या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण, बिक्री, हस्तांतरण, खरीद, नवीनीकरण, निराकरण, पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) और प्रसंस्करण में शामिल सभी निर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता, विघटनकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता पर लागू होगा।
- यह नियम सभी विद्युत उपकरणों और रेडियोथेरेपी उपकरण, परमाणु चिकित्सा उपकरण और सहायक उपकरण, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिम्बन (Magnetic Resonance Imaging-MRI), इलेक्ट्रिक खिलौने, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव आदि पर लागू है।
- नया नियम शीशा (लेड), पारा और कैडमियम जैसे खतरनाक पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- **ईपीआर प्रमाणपत्र** किसी तीसरे पक्ष को ई-अपशिष्टों की जिम्मेदारी की भरपाई करने की अनुमति देगा।
- इसके अंतर्गत विनिर्माताओं द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा, ताकि अंतिम उत्पाद को पुनर्चक्रण योग्य बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विभिन्न निर्माताओं द्वारा बनाए

गए घटक या हिस्से एक-दूसरे के साथ संगत हों ताकि ई-अपशिष्टों की मात्रा को कम किया जा सके।

- राज्य सरकार ई-अपशिष्ट के निस्तारण और पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिए औद्योगिक स्थान को चिन्हित करेगी।
- विनिर्माण अंतिम उत्पाद को पुनर्चक्रण योग्य बना देगा।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खतरनाक पदार्थों के प्रावधानों में कमी के अनुपालन की निगरानी और सत्यापन करने हेतु बाजार में आए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रेंडम तरीके से नमूनाकरण करेगा।

8. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

वर्तमान संदर्भ

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management-CAQM) ने आपातकालीन सेवाओं को संचालित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan-GRAP) से उन जेनसेट्स को छूट देने का प्रस्ताव दिया है जो डीजल से स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित नहीं हुए हैं।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

- यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु-प्रदूषण के अचानक खतरनाक स्तर तक बढ़ने पर राज्य-प्रतिक्रिया की रूपरेखा बनाने के लिए एक अनुक्रमिक प्रतिक्रिया तंत्र है।
- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान केवल एक आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है। इस प्रकार, योजना में औद्योगिक, वाहन और दहन उत्सर्जन से निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पूरे वर्ष की जाने वाली कार्रवाई शामिल नहीं है।
- यह योजना वृद्धिशील प्रकृति की है, इसलिए जब हवा की गुणवत्ता 'खराब' से 'बहुत खराब' हो जाती है, तो दोनों वर्गों के तहत सूचीबद्ध उपायों का पालन किया जाना चाहिए।
- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान निम्न दो ऐसे काम करने में सफल रहा है जो पहले नहीं किए गए थे-
  - i. पूरे दिल्ली-NCR क्षेत्र के लिए चरण-दर-चरण योजना बनाना।
  - ii. कई एजेंसियों (सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण, नगर निगम, भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी और अन्य) को शामिल करना।
- योजना के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान (एनसीआर क्षेत्रों) में 13 विभिन्न एजेंसियों के बीच कार्रवाई और समन्वय की आवश्यकता है। किसी भी उपाय को लागू करने से पहले ईपीसीए सभी एनसीआर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करता है।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई

1. **गंभीर+ या आपातकालीन (48+ घंटों के लिए पीएम 2.5>300 g/m या पीएम10>500 g/m)**
- ट्रकों का प्रवेश रोकना (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर)।
- निर्माण कार्य बंद करना। निजी वाहनों के लिए सम-विषम योजना लागू करना।

2. **गंभीर (PM 2.5>250 g/m या PM10>430 g/m)**
- ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर को बंद करना।
- कोयले से उत्सर्जन कम करने के लिए अधिकतम बिजली प्राकृतिक गैस से उत्पादित करना।
- सड़कों की मशीनीकृत सफाई और पानी का छिड़काव।

3. **बहुत खराब (PM2.5>120 g/m या PM10>350 g/m)**
- डीज़ल जनरेटर सेट का उपयोग बंद करना।
- अपार्टमेंट मालिक द्वारा सर्दियों में आग जलाने पर रोक लगाना।

4. **ख़राब (PM2.5>60 g/m या PM10> 100 g/m)**
- कूड़ा जलाने पर भारी जुर्माना और ईंट के भट्टों और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण नियम लागू करना। सड़कों पर मशीनीकृत सफाई और पानी का छिड़काव।
- पटाखों पर प्रतिबंध सख्ती से लागू करना।

किए गए अन्य उपाय

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने शहर के भीतर पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
- खुले में आग जलाने पर काफी हद तक अंकुश लगा है।
- दिल्ली नहीं जाने वाले वाहनों के लिए पूर्वी और पश्चिमी परिधीय (eastern and western peripheral) एक्सप्रेसवे का पूरा होना।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की प्रभावशीलता

- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की सबसे महत्वपूर्ण सफलता जवाबदेही और समय सीमा तय करने में रही है। एक विशेष वायु गुणवत्ता श्रेणी के तहत की जाने वाली प्रत्येक कार्रवाई के लिए निष्पादक एजेंसियों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाता है।

- जिम्मेदारियों के स्पष्ट सीमांकन के कारण चार राज्यों की 13 एजेंसियों के बीच समन्वय सरल हो गया है।
- तीन प्रमुख नीतिगत निर्णय जिनका श्रेय ईपीसीए और जीआरएपी को दिया जा सकता है, वे निम्न हैः
  - i. बदरपुर में थर्मल पावर प्लांट को बंद करना
  - ii. प्रारंभ में निर्धारित समय सीमा से पहले दिल्ली में BS-VI ईंधन लाना
  - iii. दिल्ली-एनसीआर में ईंधन के रूप में पीट कोक पर प्रतिबंध

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- इसने वर्ष 1998 में स्थापित पूर्ववर्ती पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण (Environment Pollution Prevention and Control Authority-EPCA) को भंग कर दिया।
- वायु गुणवत्ता सूचकांक के आसपास की समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान एवं समाधान और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग की स्थापना की गई है।
- यह जुर्माना लगा सकता है, असुरक्षित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा सकता है।
- यह संरेखित कार्य करने वाले सभी मौजूदा निकायों का स्थान लेता है, केवल राष्ट्रीय हरित अधिकरण उन मामलों की सुनवाई करने में सक्षम है जहां सीएक्यूएम शामिल है।

वायु-प्रदूषण का सामना

राष्ट्रव्यापी उपाय

1. *केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण सूचकांक*
2. *वाहनों के लिए भारत स्टेज VI मानदंड*
3. *राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम*
4. *राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम*
5. *राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक*
6. *प्रदूषकों की निगरानी की सफर (SAFAR) प्रणाली*
7. *राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक*

दिल्ली एनसीआर विशिष्ट उपाय

1. *पूसा डीकंपोजर*
2. *सुपर एसएमएस और हैप्पी सीडर*
3. *स्मॉग टावर्स*
4. *उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन क्रैकर्स लागू*

9. ग्रीन शिपिंग के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, नौवहन महानिदेशक ने दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी समुद्री प्रदर्शनी और सम्मेलन आईएनएमईएक्स एसएमएम इंडिया 2023 के 13वें सत्र में कहा कि ग्रीन शिपिंग के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कम उत्सर्जन वाले जहाजों के लिए पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों और प्रोत्साहनों को बढ़ावा देकर भारत के समुद्री क्षेत्र को समृद्ध और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार भविष्य के लिए तैयार करेगी।

मुख्य विवरण

- भारतीय नौसेना नौवहन क्षेत्र में प्रगति करने के लिए दृढ़ है, वहीं पूरी तत्परता से नवाचार के लिए प्रोत्साहन, स्टार्ट-अप के लिए सहायता प्रदान कर रही है और एक ग्रीन, अधिक सक्षम समुद्री भविष्य को तैयार करने के लिए सहयोग का आह्वान कर रही है।
- शिपिंग क्षेत्र में हालिया उपलब्धियों में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता को दोगुना करना, पर्याप्त जलमार्ग विकास, क्रूज यात्रियों और नाविकों में वृद्धि, विस्तारित सौर ऊर्जा और लाइटहाउस पर्यटन आदि शामिल हैं।
- यह कदम सागरमाला जैसे परिवर्तनकारी सुधारों और डिजिटलीकरण पहलों से प्रेरित है, जिसमें संवहनीयता प्रमुख तत्व है, जैसा कि पर्यावरणीय आंकड़ों के लिए स्वच्छ सागर पोर्टल के माध्यम से देखा गया है।
- भारत के समुद्री क्षेत्र की 9 प्रतिशत अनुमानित विकास दर के साथ वर्ष 2047 तक भारत के 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

ग्रीन शिपिंग

- यह परिवहन प्रक्रिया में उत्पन्न प्रदूषकों से पर्यावरण की रक्षा के लिए यथासंभव न्यूनतम संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग करके जहाजों के माध्यम से माल या लोगों का परिवहन है।
- यह उत्सर्जन नियंत्रण, कुशल बंदरगाह प्रबंधन और उपकरण प्रबंधन

को लागू करने के लिए स्वच्छ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अपनाने के प्रयासों में अग्रणी है।

- इसे सफल बनाने के लिए उद्योग के प्रत्येक तत्व- नियामकों, बंदरगाह प्राधिकरणों और समुदायों से वृहत प्रयासों और संसाधनों का समावेशन भी शामिल है।

ग्रीन शिपिंग-समय की जरूरत

- समुद्री डीजल सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जिस कारण वैकल्पिक रणनीति के रूप में ग्रीन शिपिंग को अपनाने का आह्वान किया जा रहा है।
- CO_2 की उत्सर्जन तीव्रता, अपशिष्ट का अनुपयुक्त निपटान, तेल, अपशिष्ट जल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड इस क्षेत्र की निरंतरता के संबंध में प्रमुख चिंताएं हैं।
- मानवजनित स्रोतों द्वारा होने वाले क्रमशः 13 प्रतिशत और 15 प्रतिशत SO_x और NO_x उत्सर्जन के साथ-साथ शिपिंग क्षेत्र 3 प्रतिशत कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है।
- यूरोपीय आयोग के अनुसार, समुद्री क्षेत्र 940 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जित करता है और संपूर्ण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इसका योगदान 5 प्रतिशत है।

अंतर्राष्ट्रीय कदम

- **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ)** विशेष रूप से सल्फर सामग्री के संबंध में मानकों को नियंत्रित करता है।
- **वर्ष 2015 के पेरिस समझौते** के तहत समुद्री व्यापार को भी बाहर रखा गया था, लेकिन भविष्य के समझौतों में इसे शामिल किया जा सकता है।

भारतीय परिदृश्य

- भारत आईएम्ओ ग्रीन वॉयेज 2050 परियोजना के तहत ग्रीन शिपिंग से संबंधित एक पायलट परियोजना संचालित करने वाला प्रारंभिक देश है।
- इसके लिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने **ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP)** के शुभारंभ के साथ वर्ष 2030 तक भारत को ग्रीन शिप निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना की है, जिसके तहत, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र (NCoEGPS) स्थापित किया गया है।
  - ✓ यह कार्यक्रम ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा संचालित 'ग्रीन हाइब्रिड टग्स' के साथ प्रारंभ होगा और बाद में इसके द्वारा (मेथनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन) जैसे गैर-जीवाश्म ईंधन उपायों को अपनाएगा।
  - ✓ इसका उद्देश्य भारत में शिपिंग क्षेत्र में कार्बन तटस्थता और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
- भारत का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों की समग्र बिजली मांग में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना है।
- सतत् समुद्री क्षेत्र और आकर्षक नीली अर्थव्यवस्था के संबंध में समुद्री विजन दस्तावेज़ 2030 शुरू किया गया था।
- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) द्वारा भारत के बंदरगाह उद्योग में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 'हरित सागर' ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देश 2023 पेश किया गया है।
- बंदरगाहों द्वारा भी वर्ष 2030 तक प्रति टन कार्गो द्वारा कार्बन उत्सर्जन को 30 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
  - ✓ पारादीप बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह और वी.ओ. चिदंबरम बंदरगाह आदि को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, जो वर्ष 2030 तक हरित हाइड्रोजन का प्रबंधन, भंडारण और उत्पादन करने में सक्षम होंगे।

आगे की राह

- वैकल्पिक ईंधन को अपनाना शिपिंग क्षेत्र के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है।
- उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए बंदरगाह की अवसंरचना और संचालन में सुधार करना अनिवार्य है।
- उन्नत पतवार डिजाइन, अनुकूलित प्रणोदन प्रणाली और एकीकृत ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पोत डिजाइन को सुधारने और दक्षता बढ़ाने से उत्सर्जन में कमी होती है, जिससे यह क्षेत्र अधिक पर्यावरण अनुकूल बन सकता है।

10. राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2023

वर्तमान संदर्भ

जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (DoWR, RD & GR) ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार (NWA), 2023 शुरू किया है।

राष्ट्रीय जल पुरस्कार का विवरण

- सरकार के 'जल समृद्ध भारत' दृष्टिकोण को पूरा करने में देश भर में राज्यों, जिलों, व्यक्तियों, संगठनों आदि द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों एवं प्रयासों को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार (The National Water Awards-NWAs) शुरू किए गए थे।
- इसका उद्देश्य जनता को पानी के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
- विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का उद्देश्य हितधारकों को देश में जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है क्योंकि जल चक्र में सतही जल और भूजल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- शुरुआती राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2018 में शुरू किए गए थे और वितरण समारोह 25 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें 14 श्रेणियों में 82 विजेताओं को सम्मानित किया गया था।
- वर्ष 2022 में, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 30 जुलाई, 2022 को गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर शुरू किया गया।

पात्रता

- **राष्ट्रीय जल पुरस्कार निम्न विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए खुले हैं :**
  - ✓ राज्यों
  - ✓ जिलों
  - ✓ ग्राम पंचायतों
  - ✓ शहरी स्थानीय निकायों
  - ✓ स्कूल और कॉलेज
  - ✓ संस्थान (स्कूलों या कॉलेजों को छोड़कर)
  - ✓ उद्योगों
  - ✓ नागरिक समाज संगठनों
  - ✓ जल उपयोगकर्ता संघ
  - ✓ व्यक्ति

ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र

- 'सर्वश्रेष्ठ राज्य' और 'सर्वश्रेष्ठ जिला' श्रेणियों के लिए विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
- शेष श्रेणियों में - 'सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत', 'सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय', 'सर्वश्रेष्ठ स्कूल/कॉलेज', 'सर्वश्रेष्ठ संस्थान (स्कूल/कॉलेज के अलावा)', 'सर्वश्रेष्ठ उद्योग', 'सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज', 'सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ', 'सर्वश्रेष्ठ उद्योग' और 'उत्कृष्टता हेतु सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति' विजेताओं को नकद पुरस्कार के साथ-साथ ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
- प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार क्रमशः 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये और 1 लाख रुपये।

चयन प्रक्रिया

- राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी आवेदनों की जांच जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की एक जांच समिति द्वारा की जाती है।
- अल्पसूचीगत किए गए आवेदनों को एक सेवानिवृत्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाली निर्णायक समिति के समक्ष रखा जाता है।
- इसके बाद, अल्पसूचीगत किए गए आवेदनों की स्थल जांच जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के संगठनों [केंद्रीय जल आयोग (CWC) और केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)] के संगठनों द्वारा की जाती है।

जल संरक्षण की आवश्यकता

- जल का अत्यधिक उपयोग भूजल के घटने का प्रमुख कारण है।
- जलवायु परिवर्तन से जल संसाधनों पर यह दबाव बढ़ने की संभावना है, भले ही देश में बाढ़ और सूखे की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही हो।
- देश में दुनिया की आबादी का 18 प्रतिशत हिस्सा निवास करती है, लेकिन इसके जल संसाधन केवल 4 प्रतिशत हैं, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक जल संकट वाले देशों में से एक बनाता है।
  - ✓ सरकार के नीति निर्धारक (नीति आयोग) की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी संख्या में भारतीयों को अत्यधिक जल संकट का सामना करना पड़ता है।
- भारत की वर्तमान जल आवश्यकता प्रति वर्ष लगभग 1,100 बिलियन क्यूबिक मीटर होने का अनुमान है, जिसके वर्ष 2050 तक 1,447 बिलियन क्यूबिक मीटर तक जाने का अनुमान है।
  - ✓ एक कृषि प्रधान देश होने के नाते, सिंचाई अब तक भारत के जल भंडार का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, जिसमें कुल जल भंडार का 78 प्रतिशत उपयोग होता है, इसके बाद घरेलू क्षेत्र (6 प्रतिशत) और औद्योगिक क्षेत्र (5 प्रतिशत) का स्थान आता है।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार, भारत में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए हर साल 230 बिलियन मीटर क्यूबिक भूजल निकाला जाता है, जिससे देश के कई हिस्सों में भूजल की तेजी से कमी हो रही है।
  - ✓ भारत में भूजल की कुल अनुमानित कमी 122-199 बिलियन मीटर क्यूब की सीमा में है।
- जल संरक्षण हेतु सरकार की पहल
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)

- प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (PMKSY)
- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT)
- एकीकृत भवन उपनियम (UBBL)
- अटल भूजल योजना
- जल शक्ति अभियान
- पानी बचाओ पैसा कमाओ

11. सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा

वर्तमान संदर्भ

पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भारी वृद्धि के कारण मानव-जनित वार्मिंग को विश्व स्तर पर सहमत लक्ष्य तक सीमित करने की गुंजाइश कम हो रही है, लेकिन संभावना अभी भी बनी हुई है।

विवरण

- रिपोर्ट में जलवायु कार्रवाई में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें आवश्यक वार्षिक निवेश वर्ष 2023 में 1.8 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2030 की शुरुआत तक 4.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा।
- यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से निपटने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालती है, जो ग्लोबल वार्मिंग और इसके विनाशकारी परिणामों को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देती है।
- वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए है।
- रिपोर्ट में पाया गया कि पिछले दो वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 240 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में तीन गुना वृद्धि की जरुरत है।
- ग्रीनहाउस गैस के रूप में मीथेन की क्षमता को देखते हुए, ऊर्जा क्षेत्र से मीथेन के उत्सर्जन में 75 प्रतिशत कमी की आवश्यकता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा और ईवी(e-वाहन) में प्रगति के बावजूद, ऊर्जा क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (जिसमें कोयला, तेल और गैस उत्पादन शामिल है) ख़तरनाक ढंग से उच्च बना हुआ है। पिछले वर्ष यह उत्सर्जन 37 गीगाटन के नये रिकॉर्ड पर पहुँच चुका है।

वैश्विक जलवायु समझौते

- **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल** का उद्देश्य, क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) जैसे ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाले पदार्थों का उत्पादन रोकना है।
  - ✓ वर्ष 2016 में **किगाली संशोधन** के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाली शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) के अपने **उत्पादन** को कम करने के लिए पार्टियाँ सहमत हुईं।
- **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी)** ने 1992 में वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं के लिए एक वार्षिक मंच की स्थापना की, जिसे कॉन्फ्रेन्स ऑफ़ पार्टीज या सीओपी के रूप में जाना जाता है। इन बैठकों के माध्यम से क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते की नींव पड़ी।
- **क्योटो प्रोटोकॉल** कानूनी रूप से बाध्यकारी, प्रथम जलवायु संधि थी। इसमें विकसित देशों के उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर से औसतन 5 प्रतिशत कम करने की आवश्यकता थी।
- **पेरिस समझौते** के तहत देशों को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दृढ़ लक्ष्य के साथ ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम तक सीमित करने के लिए उत्सर्जन-कटौती प्रतिज्ञाएँ निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के रूप में जाना जाता है। अंतिम लक्ष्य, सदी के मध्य तक वैश्विक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का है, जिसे जलवायु या कार्बन तटस्थता के रूप में जाना जाता है।

सौर ऊर्जा और भारत की पहल

- भारत, दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसकी प्रयुक्त विद्युत क्षमता का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है।
- वर्ष 2014 के बाद से सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 2.6 गीगावॉट से लगभग 30 गुना बढ़कर 70.10 गीगावॉट हो गई है।
- भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता अब 70,000 मेगा वाट के आँकड़े को पार कर गई है और राजस्थान सभी राज्यों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के उच्चतम स्थापित आधार के साथ सबसे आगे है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन:** अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बढते नियोजन के लिए एक कार्य-उन्मुख, सदस्य-संचालित सहयोगी मंच है।

- **किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम):** ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना का समर्थन करने और ग्रिड पर निर्भरता को कम करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा पीएम-कुसुम योजना शुरू की गई थी।
- **राष्ट्रीय सौर मिशन:** भारत ने वर्ष 2010 में राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य देश में सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना है। यह सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है।
- **सौर पार्क:** भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन की सुविधा के लिए सौर पार्क और अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की है।
- भारत में छत पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए **सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया (SRISTI-सृष्टि) योजना।**
- स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)** की अनुमति।
- सरकार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना** के तहत नई सब-स्टेशन का निर्माण कर रही है तथा सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियों की स्थापना हेतु मानकों की अधिसूचना और निवेश को आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना विकास सेल की स्थापना की है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन

- इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) ऐसे ऑटोमोबाइल हैं जो रिचार्जेबल बैटरी में संग्रहित विद्युत (जो वाहन को चलाने हेतु इलेक्ट्रिक मोटर चलाते हैं) से संचालित होते हैं।
- इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहनों का एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है, जो शून्य टेलपाइप उत्सर्जन पैदा करता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है।
- पिछले तीन वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में 2,218 प्रतिशत से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2022-23 तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की संचयी बिक्री 1 मिलियन यूनिट के आंकड़ों को पार कर गई है। कुल इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में दोपहिया वाहनों की भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक है।
- सरकार ने वर्ष 2030 तक देश में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन प्रवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

भारत की पहल

- **भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण II** (फेम इंडिया चरण II) योजना परिवहन में हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके और वाहन उत्सर्जन की समस्याओं के समाधान किये जा सके।
- **उन्नत रसायन विज्ञान सेल (एसीसी) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** यह योजना देश में 50 गीगावाट घंटे (GWh) के लिए गीगा स्केल एसीसी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। इन एसीसी का उपयोग बैटरियों में किया जाएगा जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने को बढ़ावा देना है।
- **नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP)** ने वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके वर्ष 2020 से प्रत्येक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
- परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन ईवी को अपनाने के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और भारत में गीगा-स्केल बैटरी विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना करना है।
- **वाहन स्क्रैपेज नीति** पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- **गो इलेक्ट्रिक अभियान (Go Electric campaign)** का उद्देश्य ईवी और ईवी चार्जिंग आधारभूत ढाँचे के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। भारत उन चुनिन्दा देशों में से एक है जो वैश्विक EV30@30 अभियान का समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत नए इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री करना है।

आगे की राह

- सौर ऊर्जा अपनाने और इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में वृद्धि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने की उम्मीद प्रदान करती है।
- हालाँकि, एक टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल भविष्य की ओर गतिमान हेतु नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और वैश्विक सहयोग के लिए निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

4.2. आपदा प्रबंधन

1. जोशीमठ का धंसना खतरे की घंटी

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, एक विशेषज्ञ समिति ने आंकलन किया है कि जोशीमठ में भूमि धंसाव कई कारणों से हुआ और इस प्रकार, शहर को **कोई नया निर्माण क्षेत्र नहीं (No New Construction Zone)** बनाने की सिफारिश की गई है।

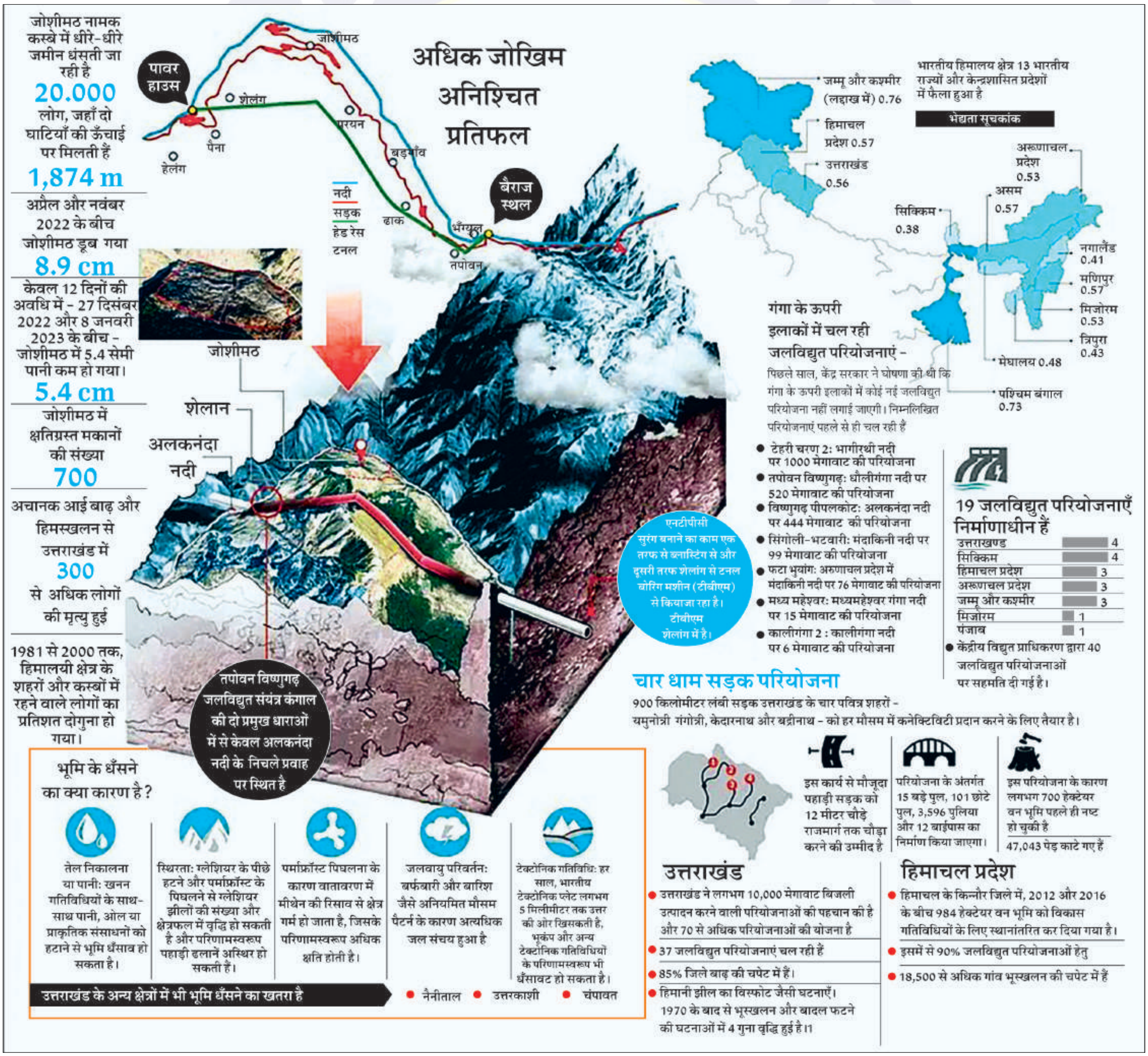

विवरण

- वर्ष की शुरुआत में, जोशीमठ को **भूस्खलन-धँसाव क्षेत्र (भू-धँसाव क्षेत्र)** घोषित किया गया था।
  - ✓ हाल ही में हुए नुकसान का आंकलन करने और प्रभावित क्षेत्रों के दीर्घकालिक पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सहायता का निर्धारण करने हेतु 35 सदस्यीय दल ने **"आपदा के बाद की आवश्यकताओं का आंकलन"** किया। इस दल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और अन्य एजेंसियों के विशेषज्ञ शामिल थे।
- भू-धँसाव (ज़मीन धंसने) से उत्तराखंड की तीर्थनगरी जोशीमठ में लगभग 65 प्रतिशत घर प्रभावित हुए हैं।
- आंकलन रिपोर्ट के मुताबिक, **जोशीमठ के कुल 2,152 घरों में से 1,403 घर** जमीन धँसने से प्रभावित हुए हैं और इन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।
  - ✓ इसमें से कुल **472 घरों के पुनर्निर्माण की जरूरत है और 931 घरों की मरम्मत/ अनुरूपांतरण करने की जरूरत है।**
  - ✓ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि "क्षतिग्रस्त घरों को न केवल भूस्खलन, बल्कि अन्य आपदाओं के प्रति उनकी प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए 'बिल्ड बैक बेटर' सिद्धांतों के अनुरूप फिर से तैयार किया जाना चाहिए।"

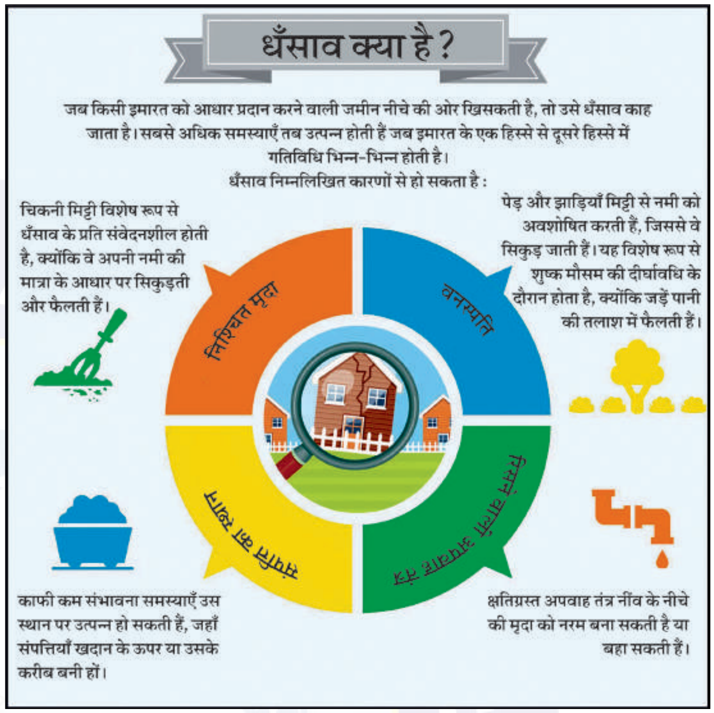

क्षेत्र की संवेदनशीलता

- जोशीमठ-औली रोड के पास स्थित एक क्षेत्र में कई घरों और नागरिक संरचनाओं में भू-धंसाव जनित बड़ी दरारें दिखाई दी, जिस कारण 355 परिवारों को स्थानांतरित किया गया।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ में इमारतों को हुए नुकसान के मुख्य कारणों में कमजोर निर्माण सामग्री का उपयोग, अपर्याप्त सुदृढीकरण, संरचनात्मक खामियाँ और खड़ी ढलानों पर इमारतों का निर्माण शामिल है।
  - ✓ कुछ इमारतों में उन्हें स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्रबलित कंक्रीट (आरसी) या लकड़ी के बैंड जैसी मजबूत आधार संरचनाएँ नहीं होती हैं।
  - ✓ कुछ इमारतों में बहुत लंबी दीवारें होती हैं, जिसमें मजबूत आधार नहीं होता है तथा छतें हल्की होती हैं जिसके कारण इमारत फैलने और सिकुड़ने में सक्षम होती है, जो अंततः जमीन में हलचल होने पर क्षति का कारण बनती है।
- समिति ने राज्य सरकार से मानसून के अंत तक शहर में नए निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और मानसून के बाद जमीनी स्थितियों के पुनर्मूल्यांकन के बाद केवल हल्के वजन वाली संरचनाओं के लिए अनुमति देने का भी आग्रह किया।
- यह रिपोर्ट इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि **यद्यपि भवन उपनियम मौजूद हैं, परन्तु ये आवासीय भवनों के लिए अनिवार्य नहीं हैं,** हालाँकि लोग केवल ऋण या अन्य सरकारी आवश्यकताएँ होने पर ही अनुमति (परमिट) लेते हैं।
  - ✓ जोशीमठ की वर्तमान स्थिति का एक प्रमुख कारण **भवन निर्माण अनुमति व्यवस्था** का अभाव है।
  - ✓ हालाँकि जोखिम-आधारित भवन उपनियमों के मौजूद होने तथा उनके अनुरूप इमारतें निर्मित होने पर, होने वाली क्षति और अनुरुपांतरण में खर्च को कम किया जा सकता था।
- रिपोर्ट में जताई गई चिंताओं में एक अन्य मुद्दा **नगर नियोजन की कमी और जोखिम-सूचित भूमि उपयोग मानचित्रों का अभाव** है।
  - ✓ यहाँ सड़कें बहुत संकरी हैं और आस-पड़ोस में कोई खुली जगह नहीं होती है। इस कारण यह शहर अत्यधिक असुरक्षित है, क्योंकि आपातकालीन स्थितियों में पहुँच लगभग असंभव हो जाती है।
- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि **नीचे की मिट्टी में आंतरिक अपरदन** के कारण शहर की पूरी संरचना में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है।
- इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जोशीमठ के विस्तार के कारण **ऊपर से बहकर आने वाले प्राकृतिक नालों का प्रवाह बाधित हुआ है।**
  - ✓ नालियों का पानी लगातार जमीन के अंदर रिस रहा है, जिससे विगत 10 वर्षों में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षति का स्तर बढ़ गया है।

मुख्य निष्कर्ष

- इस समिति का प्रतिनिधित्व करने वाली एजेंसियों ने अगले 15-10 वर्षों के लिए एक सुरक्षित और जलवायु अनुकूल जोशीमठ के निर्माण के उद्देश्य से तत्काल एक **संभावित योजना** को प्रारंभ करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- यह **हिमालयी शहर भूकंपीय क्षेत्र V** (भूकंप के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र) के अंतर्गत शामिल है तथा यहाँ भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बना रहता है।
- **केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (Central Building Research Institute-CBRI)** ने न केवल जोशीमठ बल्कि अन्य पहाड़ी शहरों और कस्बों में लगातार तेजी से हो रहे निर्माण को लेकर भी चेतावनी देते हुए हिमालय क्षेत्र में नगर नियोजन के सिद्धांतों की समीक्षा की सिफारिश की।
- इस बीच, **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)** और **राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान** (एनआईएच) द्वारा **चमोली जिले** में **अलकनंदा नदी** पर एनटीपीसी की 520 मेगावाट की **विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना** को "क्लीन चिट" दी गयी है।
  - ✓ स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों का यह मानना था कि इन परियोजनाओं (चार धाम राजमार्ग परियोजना के लिए ड्रिलिंग और विस्फोटकों के उपयोग) के काम ने क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है।

- **वर्ष 1970 के दशक में भी जोशीमठ में भूमि धँसने की घटनाएँ**
  - ✓ गढ़वाल के आयुक्त महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में गठित एक पैनल द्वारा वर्ष 1978 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें बताया गया था कि शहर के अलावा **नीती और माणा घाटियों** में बड़े निर्माण कार्य नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि ये क्षेत्र मोरेन (चट्टानों, तलछट और मिट्टी का एक समूह, जो ग्लेशियर द्वारा लाया और जमा किया जाता है) पर स्थित हैं।

- **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि उत्तराखंड का जोशीमठ लगभग पाँच दशकों से भूमि धँसने की समस्या का सामना कर रहा है।**
  - ✓ इस रिपोर्ट में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जोशीमठ में 81 दरारों की पहचान की। इनमें से 42 दरारें हाल ही की हैं, जो 2 जनवरी, 2023 को हुई धँसाव घटना से संबंधित हैं, जबकि अन्य दरारें पुरानी हैं।

- **इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनएसआरसी)** ने जोशीमठ शहर के उपग्रह चित्र जारी किये हैं, जिससे प्रारंभिक भूमि धँसाव विश्लेषण का पता चलता है जिसमें यह बताया गया है कि पूरा शहर संपूर्ण रूप से धँसने के कगार पर है।
  - ✓ प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार, जोशीमठ अप्रैल और नवंबर, 2022 के बीच 8.9 सेमी तक धँस गया, इस दौरान जमीन के धंसाव की दर धीमी थी।
  - ✓ हालाँकि, 27 दिसंबर, 2022 और 8 जनवरी, 2023 के बीच जमीन के धँसने की दर में तेजी आई, जिसके कारण यह शहर केवल 12 दिनों में 5.4 सेमी तक धँस गया था।

2. सिक्किम में बादल फटा

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, उत्तरी सिक्किम में ल्होनक झील (Lhonak Lake) पर बादल फटने से लाचेन घाटी में तीस्ता नदी से सटे क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई।

विवरण

- सिक्किम में लगातार बारिश के कारण दक्षिण ल्होनक झील के फटने से निचले क्षेत्रों में जलप्रवाह से लगभग चौदह लोग मारे गए और कम से कम 23 सैन्य कर्मियों सहित 102 लोग लापता हो गए।
- सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसएसडीएमए) के अनुसार, तीस्ता नदी में जल स्तर बढ़ गया, जिससे मंगन, गंगटोक, पाक्योंग और नामची सहित कम से कम चार जिलों में बाढ़ आ गई।
- कई अध्ययनों ने ग्लेशियर के पिघलने के कारण दक्षिण ल्होनक झील के तेजी से बढ़ते आकार पर प्रकाश डाला है और इसे **हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (glacial lake outburst floods-GLOF)** के लिए अतिसंवेदनशील के रूप में चिह्नित किया है।
- वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण, सिक्किम हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे कई ग्लेशियर झीलें बन रही हैं और क्षेत्र में पहले से मौजूद झीलों का विस्तार हो रहा है।

बादल फटना

- **नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA)** के अनुसार, बादल फटना भारी वर्षा की संक्षिप्त लेकिन तीव्र अवधि है, यह तब होती है जब थोड़े समय में संवहनी बादल से बड़ी मात्रा में वर्षा जल छोड़ा जाता है।

- यह सामान्यतयः तूफान से जुड़ा होता है और अचानक बाढ़, भूस्खलन और पानी से संबंधित अन्य प्रकार की आपदाओं का कारण बनता है।
- विशेष रूप से मानसूनी महीनों के दौरान, बादल फटना कोई असामान्य घटना नहीं है। इनमें से अधिकांश हिमालयी राज्यों में बादल फटते हैं जहाँ स्थानीय स्थलाकृतियाँ, पवन प्रणाली एवं निचले और ऊपरी वायुमंडल के बीच ताप प्रवणता जैसी परिस्थितियाँ बादल फटने के लिए उत्तरदायी होती हैं।

बादल फटने के कारण

- बादल तब फटता है जब अत्यधिक नमीयुक्त वायु एक पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ती है, जिससे बादलों का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनता है जिसे क्यूम्यलोनिम्बस बादलों के रूप में जाना जाता है। ये बादल आमतौर पर वर्षा, गरज और चमक का कारण बनते हैं।
- बादलों के ऊपर की ओर गति को **'ऑरोग्राफिक लिफ्ट'** के रूप में भी जाना जाता है। इन अस्थिर बादलों के कारण एक छोटे से क्षेत्र में भारी वर्षा हो सकती है।
- बादलों की ऊपर की ओर गति बादल फटने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। यह आमतौर पर समुद्र तल से 1,000-2,500 मीटर ऊपर होता है। नमी सामान्यतयः गंगा के मैदानी इलाकों में कम दबाव प्रणाली से जुड़ी निम्न-स्तरीय पूर्वी हवाओं द्वारा उत्पन्न होती है।

- **हाल के वर्षों में, जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है।**
  - ✓ जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने की बढ़ती घटनाएँ जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट प्रमाण हैं।
- पर्वतीय क्षेत्रों में अनियोजित विकास के कारण बादल फटने से होने वाली क्षति भी बढ़ रही है।
- ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी का अधिक वाष्पीकरण हो रहा है और इसके कारण घने तूफानी बादल बन रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप तीव्र वर्षा हो रही है तथा अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा भी पड़ रहा है।

एनडीएमए दिशा-निर्देश

- बादल फटने की संभावना के बारे में अधिकारियों द्वारा पता लगाना एवं सूचना देने के लिए मौसम संबंधी निगरानी बढ़ाना और पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित करना।
- संवेदनशील क्षेत्रों में समुदायों के लिए आपातकालीन योजनाएँ तैयार कर सूचित करना, यह भी सुनिश्चित करना कि वे निकासी मार्गों और सुरक्षित स्थानों को जानते हों।
- भारी वर्षा से निपटने और बाढ़ को रोकने के लिए जल निकासी प्रणालियों, तटबंधों और अन्य आधारभूत ढांचे को डिजाइन और रखरखाव करना।

- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण को रोकने के लिए नियम लागू करना और बादल फटने के प्रभाव को कम करने हेतु स्थायी भूमि उपयोग को बढ़ावा देना।
- स्थानीय समुदायों के बीच बादल फटने और उनके जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उन्हें निवारक उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करना।

हिमनद झील विस्फोट बाढ़

- हिमनद झीलें जल के बड़े भंडार हैं जो पिघलते ग्लेशियर के सामने, ऊपर या नीचे स्थित होते हैं। जैसे-जैसे वे बड़े होते जाते हैं, वे और अधिक खतरनाक होते जाते हैं क्योंकि हिमनद झीलें ज्यादातर अस्थिर बर्फ या ढीली चट्टान और मलबे से बनी तलछट से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
- यदि उनके चारों ओर की सीमा टूटती है, तो अत्यधिक मात्रा में जल पहाड़ों के किनारे से नीचे की ओर बहता है, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। इसे हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) कहा जाता है।
  - ✓ वर्ष 2013 में, ऐसी ही एक घटना उत्तराखंड के केदारनाथ में हुई थी जब इस क्षेत्र के चोराबाड़ी ताल में हिमनद झील के कारण जीएलओएफ के साथ अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे।
- हिमनद झील विस्फोट बाढ़ कई कारणों से शुरू हो सकता है, जिनमें भूकंप, अत्यधिक वर्षा (बादल फटना) और बर्फ का हिमस्खलन आदि शामिल हैं।

3. अफगानिस्तान में भूकंप

वर्तमान संदर्भ

15 अक्टूबर, 2023 को पश्चिमी अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके ठीक एक हफ्ते पहले तेज कम्पन और झटकों ने हजारों लोगों की जान ले ली और उस क्षेत्र के गाँव पूरी तरह से तबाह हो गए।

विवरण

- संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप का केंद्र हेरात शहर से 33 किमी उत्तर पश्चिम में था।
- 7 अक्टूबर को आए भूकंप ने हेरात में पूरी तरह से गांवों को तबाह कर दिया, यह देश के हाल के इतिहास में सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक था।
- शुरुआती भूकंप, कई बाद के झटके और 11 अक्टूबर को 6.3 तीव्रता के दूसरे भूकंप ने गांवों को तबाह कर दिया, सैकड़ों कच्ची-ईंट से बने घर (जो इतनी तीव्रता का सामना नहीं कर सकते थे) नष्ट हो गए। स्कूल, हेल्थ क्लीनिक और अन्य ग्रामीण सुविधाएं भी ध्वस्त हो गईं।
- एक सप्ताह पहले मारे गए लोगों में 90 प्रतिशत से अधिक महिलाएं और बच्चे थे।
- पहले आए भूकंपों ने पूरे प्रांत में 2,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। भूकंप का केंद्र ज़ेंडा जान जिले में था, जहां 1,294 लोग मारे गए, 1,688 घायल हुए और वहां का प्रत्येक घर नष्ट हो गया।

अफगानिस्तान का क्षेत्र भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील

- अफगानिस्तान भूकंप-प्रवण है (क्योंकि यह पहाड़ी हिंदू कुश क्षेत्र में स्थित है, जो **अल्पाइन बेल्ट** का हिस्सा है)।
- यह बेल्ट प्रशांत ज्वालामुखी पर्वतमाला (Pacific Ring of Fire) के बाद दुनिया का दूसरा सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है।
- एल्पाइन बेल्ट यूरेशिया के दक्षिणी भाग से हिमालय और अटलांटिक तक लगभग 15,000 किलोमीटर तक फैली हुई है।
- हिंदू कुश के साथ, इसमें कई पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं, जैसे- आल्प्स, एटलस पर्वत और काकेशस पर्वत।

एक केंद्राभिमुख प्लेट सीमा

- पृथ्वी की पपड़ी अफगानिस्तान में विशेष रूप से जीवंत है, क्योंकि यह वह जगह है जहां अरब, भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं।
- भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच की सीमा पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद है।
- हाल के भूकंप तब बने जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से जोरदार तरीके से टकराई।

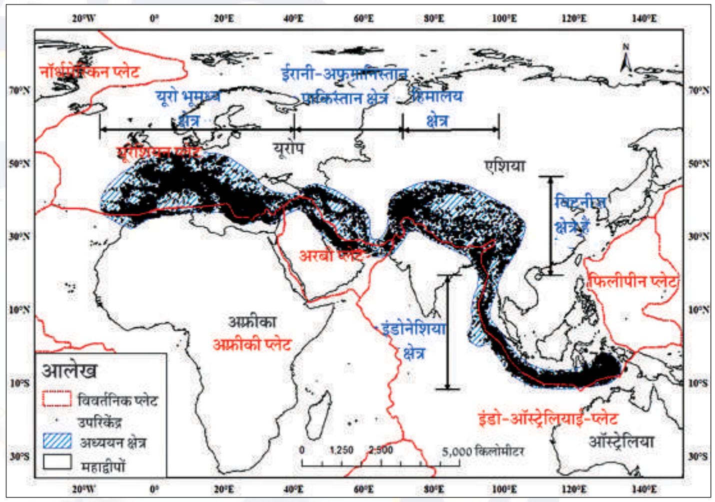

- इस तरह के टकराव से जमीन हिलती है और ऊपर की ओर खिसक जाती है।
- यह हलचल भूकंप पैदा करने के साथ-साथ पूर्वोत्तर अफगानिस्तान

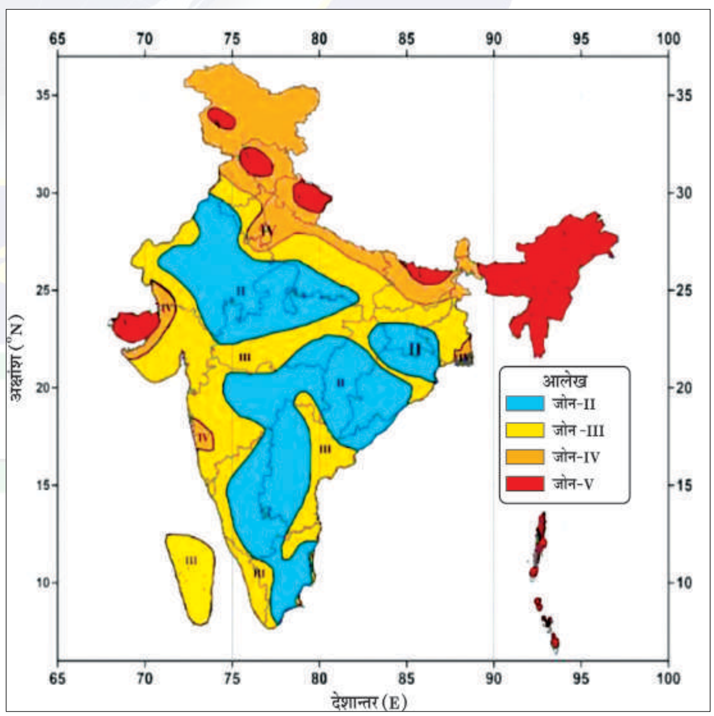

में हिमालय या हिंदू कुश और पामीर पर्वत श्रृंखला जैसे पहाड़ों का निर्माण करती है।

टेक्टोनिक प्लेट

- *कोई भी टेक्टोनिक प्लेट (जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है) ठोस चट्टान का एक विशाल, अनियमित आकार का स्लैब होता है, जो आम तौर पर महाद्वीपीय और महासागरीय लिथोस्फीयर से बना होता है।*
- *प्लेट की मोटाई भी बहुत भिन्न होती है, नवीन समुद्री स्थलमंडल के लिए 15 किमी से कम से लेकर प्राचीन महाद्वीपीय स्थलमंडल के लिए लगभग 200 किमी या उससे अधिक (उदाहरण के लिए, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के आंतरिक भाग)।*
- *प्लेटें एक-दूसरे की ओर या एक-दूसरे से दूर जा सकती हैं, जिसके आधार पर प्लेट की सीमाओं को अभिसरण या अपसारी सीमाएँ कहा जा सकता है।*

भूकंप

- भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे होने वाली हलचल के कारण होने वाला ज़मीन का तीव्र कंपन है।
  - ✓ **अवकेंद्र (Hypocentre):** पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है, अवकेंद्र कहलाता है।
  - ✓ **उपरिकेंद्र (Epicenter):** पृथ्वी की सतह पर अवकेंद्र के ठीक ऊपर के स्थान को उपरिकेन्द्र कहा जाता है।
- ऐसा तब होता है जब पृथ्वी के दो खंड (टेक्टोनिक प्लेटें) अचानक एक-दूसरे के पास से खिसक कर भूकंपीय तरंगों के रूप में संग्रहित 'इलास्टिक स्ट्रेन' ऊर्जा छोड़ते हैं।
- ये पृथ्वी पर फैलते हैं और जमीन को हिलाने का कारण बनते हैं।
- इन्हें स्केल पर मापा जाता है जिसे निम्न कहा जाता है :
  - ✓ **मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल (Mw),** भूकंप के निकलने के कुल क्षण (किसी फॉल्ट द्वारा चली गई दूरी और उसे स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल का परिणाम) पर आधारित है।
  - ✓ **रिक्टर स्केल (परिमाण पैमाना)** - स्रावित ऊर्जा - 0-10
  - ✓ **तीव्रता स्केल/मर्कल्ली स्केल -** दृश्यमान क्षति - 1-12
- भूकंप सबसे सामान्य प्राकृतिक खतरा बना हुआ है जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित नहीं की जा सकी है।

भारत में भूकंप का ख़तरा

- भारत की कुल ₹59 प्रतिशत भूमि (भारत के सभी राज्यों को शामिल करते हुए) विभिन्न तीव्रता के भूकंपों के प्रति संवेदनशील है।
- देश के भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार, कुल क्षेत्रफल को चार भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ज़ोन V भूकंपीय दृष्टि से सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र है, जबकि ज़ोन II सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है। देश का लगभग 11 प्रतिशत क्षेत्र ज़ोन V में, ₹18 प्रतिशत ज़ोन IV में, ₹ 30 प्रतिशत ज़ोन III में और शेष ज़ोन II में आता है।

भूकंप से निपटने में जुटीं सरकारी एजेंसियां

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत **राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र** देश में और उसके आसपास भूकंप की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।
  - ✓ इस उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र एक राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क बनाए रखता है जिसमें देश भर में फैली 115 वेधशालाएँ शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से हर साल नियमित जागरूकता अभियान चलाने में लगा हुआ है।
- इसके अलावा, भूकंप के कारण जान-माल की हानि और संपत्ति की क्षति को कम करने के लिए भूकंप जोखिम प्रतिरोधी संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण के लिए भारत सरकार भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (BMTPC) और आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) आदि के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है।

4.3. भूगोल

1. ज़ीलैंडिया

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, भूवैज्ञानिकों और भूकंपविज्ञानियों की एक छोटी अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा ज़ीलैंडिया का एक नया परिष्कृत नक्शा बनाया गया था, जिन्होंने समुद्र तल पर चट्टान के नमूनों से प्राप्त डेटा का उपयोग किया था, क्योंकि यह आठवां महाद्वीप मुख्य रूप से पानी में डूबा हुआ है।

विवरण

- ज़ीलैंडिया नाम के दुनिया के इस आठवें महाद्वीप का 94 फीसदी हिस्सा समुद्र के नीचे है और बाकी 6 फीसदी द्वीप हैं जिनमें न्यूजीलैंड और पास में पड़ने वाले प्रशांत महासागर के अन्य द्वीप शामिल हैं।
- रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि, लगभग 83 मिलियन वर्ष पहले, ज्वालामुखीय बल ने गोंडवाना के महाद्वीप (supercontinent) को अलग करके उन महाद्वीपों का निर्माण किया था जो वर्तमान में मौजूद हैं।
- ज़ीलैंडिया के मौजूदा मानचित्रों को परिष्कृत करने के लिए, अनुसंधान दल ने समुद्र तल से चट्टानों और तलछट के नमूनों के संग्रह का अध्ययन किया, जिनमें से अधिकांश नमूने ड्रिलिंग स्थलों से आए थे, जबकि अन्य क्षेत्र में द्वीपों के तटों से आए थे।
- नमूनों की जांच से पश्चिमी अंटार्कटिका में भू-गर्भीय स्वरूप का पता चला, जिससे पता चला कि न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट पर कैंपबेल पठार के पास एक सबडक्शन जोन मौजूद हो सकता है।
- इससे पहले, वर्ष 2021 के एक अध्ययन में बताया गया था कि ज़ीलैंडिया 1 अरब वर्ष पुराना है, जो कि भूवैज्ञानिकों के दावे से लगभग दोगुना पुराना है।

ज़ीलैंडिया

- ऐसा माना जाता है कि ज़ीलैंडिया का निर्माण लगभग 83 मिलियन वर्ष पहले, उत्तर चाकमय युग के दौरान हुआ था।
- यह एक लंबा, संकीर्ण सूक्ष्म महाद्वीप है, जो ज्यादातर दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है।
- ज़ीलैंडिया लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका से और फिर लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ था।
- ज़ीलैंडिया मूल रूप से गोंडवाना के प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा था, जो लगभग 550 मिलियन वर्ष पहले बना था और लगभग दक्षिणी गोलार्ध में एक संचयी भूभाग के रूप में एक साथ मिला हुआ था।
  - ✓ यह पूर्वी हिस्से के एक कोने तक फैला था, जहां इसकी सीमा कई अन्य स्थानों से लगती थी, जिसमें पश्चिम अंटार्कटिका का आधा हिस्सा और पूरा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया शामिल था।
  - ✓ ज़ीलैंडिया गोंडवाना से अलग होने के लगभग 30 मिलियन से 50 मिलियन वर्ष बाद जलमग्न हो गया था।
- ज़ीलैंडिया अरब प्रायद्वीप, विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप से भी काफी बड़ा है।

भौगोलिक विशेषताएं

- यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी भाग से लेकर उत्तर की ओर न्यू कैलेडोनिया तक और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में केन पठार तक फैला हुआ है।

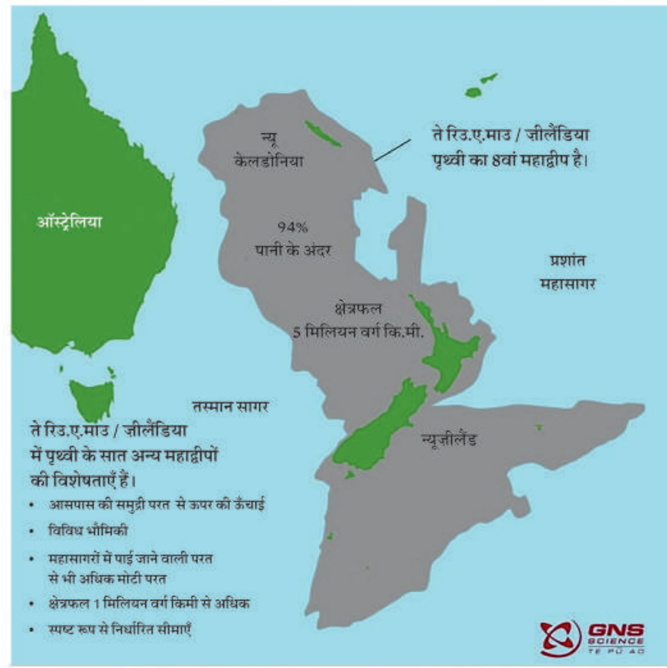

ज़ीलैंडिया महाद्वीप   जीएनएस विज्ञान

- न्यूज़ीलैंड के अलावा, अन्य क्षेत्र जो महाद्वीप के करीब हैं उनमें न्यू कैलेडोनिया और लॉर्ड हाउ द्वीप से संबंधित अन्य ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र शामिल हैं।
- इसकी उपस्थिति का पहला प्रमाण वर्ष 1642 में मिला, जब एक डच नाविक (एबेल तस्मान) दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक विशाल महाद्वीप की खोज के मिशन पर गया था।
- महाद्वीपीय परत (SiAl) आमतौर पर लगभग 40 किमी गहरी होती है, समुद्री परत (SiMa) [जो लगभग 10 किमी होती है] की तुलना में काफी मोटी होती है।
- ज़ीलैंडिया विवर्तनिक रूप से (tectonically) एक सक्रिय क्षेत्र है। इस सूक्ष्म महाद्वीप (microcontinent) का एक भाग ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पर है, जबकि दूसरा भाग प्रशांत प्लेट पर है।
  - ✓ ज़ीलैंडिया का उत्तरी भाग अत्यधिक ज्वालामुखीय है। यहां सक्रिय ज्वालामुखी वाले छह प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें से सबसे बड़ा उत्तरी द्वीप पर ताओपो ज्वालामुखी क्षेत्र है।
- ज़ीलैंडिया का जलमग्न भाग खनिज भंडार से समृद्ध है, हालाँकि न्यूज़ीलैंड की सरकार समुद्र के नीचे खनन गतिविधि पर सख्ती से नियंत्रण रखती है।
  - ✓ पूरे ज़ीलैंडिया में कई प्राकृतिक गैस क्षेत्र भी फैले हुए हैं। तस्मान सागर में माउ (Maui) प्राकृतिक गैस क्षेत्र उन सभी में सबसे बड़ा है।

स्व कार्य हेतु

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

5. अर्थव्यवस्था

1. भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS)

वर्तमान संदर्भ

भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिडएक्स स्टेशन पर दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया।

क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना

- क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (Regional Rapid Transit System-RRTS) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा विकसित किया गया है, जो भारत सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है।
- एनसीआर में विकसित किए जाने वाले कुल आठ आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई है, जिनमें से तीन कॉरिडोर को चरण-I में लागू करने के लिए प्राथमिकता दी गई है, जिनमें निम्न शामिल हैं:
  - ✓ दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर
  - ✓ दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर कॉरिडोर
  - ✓ दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर

- दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। जिसे सिर्फ एक घंटे में तय किया जाएगा। इसमें 24 स्टेशन शामिल हैं।
- यह गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर के शहरी केंद्रों से गुजरते हुए एक घंटे से भी कम यात्रा समय में दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा।
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का 17 किलोमीटर का प्राथमिकता युक्त खंड साहिबाबाद को 'दुहाई डिपो' से जोड़ेगा और रास्ते में गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई स्टेशन भी होंगे।
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला 8 मार्च, 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी।
- इस परियोजना के निर्माण में 30,274 करोड़ रुपये की लागत आई है।
- एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी इस परियोजना को वित्तपोषित किया है।

क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

- प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप नए विश्व स्तरीय परिवहन बुनियादी ढाँचे के निर्माण के माध्यम से देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बदलने के लिए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना विकसित की जा रही है।
- आरआरटीएस एक नई रेल-आधारित, सेमी हाई-स्पीड, हाई-फ्रीक्वेंसी कम्यूटर ट्रांज़िट प्रणाली है।
- दिल्ली का प्रतिष्ठित लोटस टेम्पल स्थिरता का प्रतीक है क्योंकि इसकी डिज़ाइन प्रकाश और वायु परिसंचरण के प्राकृतिक स्रोतों के प्रवाह की अनुमति देता है।
  - ✓ इसी आधार पर, आरआरटीएस रोलिंग स्टॉक में कम ऊर्जा खपत के साथ यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रकाश और तापमान नियंत्रण प्रणाली होगी।
- एनसीआरटीसी के अनुसार, रैपिडएक्स (RAPIDX) सेवाएँ देश की "पहली रेलवे प्रणाली" होंगी, जिसकी पूरी लंबाई के साथ अधिकतम परिचालन गति 160 किमी प्रति घंटे हो जायेगी।
- आरआरटीएस पर रैपिडएक्स ट्रेनों की औसत गति 100 किमी प्रति

घंटे होगी, जो मेट्रो ट्रेनों और भारतीय रेलवे की यात्री ट्रेनों की गति सीमा को पार कर जाएगी।
- 180 किमी प्रति घंटे की डिज़ाइन गति के साथ, आरआरटीएस एक परिवर्तनकारी, क्षेत्रीय विकास पहल है, जिसे हर 15 मिनट में इंटरसिटी आवागमन के लिए हाई-स्पीड ट्रेनें प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है, जो आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक 5 मिनट में बार-बार जा सकती है।
- आरआरटीएस का निर्माण पूरी तरह से सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत किया जा रहा है।

विशेषताएं

- रैपिडएक्स (RAPIDX) ट्रेनों में छह कोच होंगे, प्रत्येक RAPIDX ट्रेन में एक प्रीमियम कोच होगा, जिसमें रिक्लाइनिंग सीटें, कोट हुक्स, मैगजीन होल्डर, फुटरेस्ट और प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग प्रवेश और निकास बिंदु जैसी कई सुविधाएँ होंगी।
  - ✓ इस कोच में प्रवेश केवल प्लेटफॉर्म पर एक प्रीमियम लाउंज के माध्यम से ही संभव हो सकेगा।
- प्रत्येक रैपिडएक्स ट्रेन में सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रेन अटेंडेंट को नियुक्त किया जाएगा।
- प्रत्येक रैपिडएक्स ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है जो प्रीमियम कोच के निकट वाला कोच है।
- अंतिम कोच में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर के लिए एक निर्दिष्ट स्थान प्रदान किया गया है।
- छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए, प्रत्येक स्टेशन पर महिला शौचालय में डायपर बदलने वाला स्थान प्रदान किया गया है।
  - ✓ अन्य कई यात्री-केंद्रित सुविधाओं में ओवरहेड सामान रैक, वाई-फाई, प्रत्येक सीट पर मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग सुविधाएं शामिल हैं।
- स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा जाँच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) युक्त डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी) का उपयोग किया जाएगा।
- ट्रेनें वेंडिंग मशीन की सुविधा से भी सुसज्जित होंगी।
- यात्री पेपर क्यूआर कोड-आधारित यात्रा टिकट, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) कार्ड और डिजिटल क्यूआर कोड-आधारित टिकटों का उपयोग करके यात्रा कर सकेंगे, जिनका लाभ एनसीआरटीसी के मोबाइल ऐप, 'रैपिडएक्स कनेक्ट' के माध्यम से लिया जा सकता है।
- इसके अलावा, रैपिडएक्स में एक खोया-पाया केंद्र स्थापित किया गया है और कोई भी खोई हुई वस्तु 24 घंटे के भीतर उसी स्टेशन से प्राप्त की जा सकती है।
  - ✓ प्राथमिक के रूप में गाजियाबाद रैपिडएक्स स्टेशन पर खोया और पाया केंद्र स्थित है।

आरआरटीएस का महत्व

- देश में विकसित किया जा रहा आरआरटीएस एक अत्याधुनिक क्षेत्रीय गतिशीलता का साधन है, और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ साधन के समतुल्य है।
- यह देश में सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक इंटरसिटी आवागमन का साधन प्रदान करेगा।
- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, आरआरटीएस नेटवर्क में रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, बस सेवाओं आदि के साथ व्यापक मल्टी-मॉडल-एकीकरण होगा।
- ऐसे परिवर्तनकारी क्षेत्रीय गतिशीलता समाधान इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देंगे, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के अवसरों तक बेहतर पहुँच प्रदान करेंगे और वाहनों की भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद करेंगे।

2. सरकार ने एंजल टैक्स में ढील दी

वर्तमान संदर्भ

सरकार ने इस वर्ष के बजट में गैर-निवासी निवेशकों द्वारा उनके उचित बाजार मूल्य से अधिक प्रीमियम पर स्टार्टअप में निवेश से संबंधित पेश किए गए **एंजल टैक्स** के कुछ प्रावधानों को आसान बना दिया है।

विवरण

- इसने शेयरों के लिए पाँच अलग-अलग मूल्यांकन विधियों की शुरुआत की है और स्वीकृत शेयर मूल्यांकन से विचलन के लिए 10 प्रतिशत लचीलेपन की पेशकश की है।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, आयकर अधिनियम के तहत नियम 11UA में संशोधन किया गया है, जिसमें मसौदा मानदंडों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे स्टार्टअप में संभावित विदेशी निवेशकों को राहत मिलेगी।

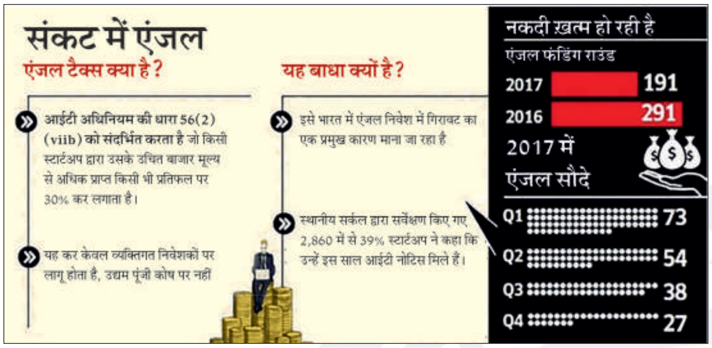

एंजल निवेशक कौन हैं?

एंजल निवेशक उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति होते हैं, जो अपनी व्यक्तिगत आय को व्यावसायिक स्टार्टअप या छोटी और मध्यम स्तर की कंपनियों में निवेश करते हैं।

प्रभाव

- इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के लिए पाँच वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों की शुरूआत की, जिनका मूल्यांकन अब तक केवल निवल परिसंपत्ति मूल्य (NAV) और रियायती नकदी प्रवाह विधियों (Discounted Free Cash Flow methods) के आधार पर किया जा सकता था। यह किसी कंपनी के मूल्यांकन के लिए मर्चेंट बैंकरों हेतु अधिक लचीला है।
  - ✓ इन पाँच तरीकों में से किसी भी तरीके से इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन का विकल्प घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध नहीं है।
- इन नियमों में अस्पष्टता के कारण, भारतीय कंपनियों और निवेशकों को पूँजी निवेश से जुड़े एक सरल लेनदेन को निष्पादित करने में गंभीर व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उम्मीद है कि निवेशकों को अब भारतीय कंपनियों में अपना निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- संशोधित नियम निवेशक और निवेश प्राप्तकर्ता दोनों के लिए अधिक स्पष्टता लाता है, जिसके लिए एक उचित मूल्यांकन पद्धति अपनाई जा सकती है, जिससे भविष्य में किसी भी विवाद की संभावना कम हो जाएगी और पात्र स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा देते हुए अवैध या गैर-वास्तविक लेनदेन का पता लगाया जा सकेगा।
- एक मुद्दा, जिसपर विचार की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या इन घोषणाओं की प्रकृति में स्पष्टीकरण है और इसलिए बयान में पूर्वव्यापी माना जा सकता है या क्या ये अधिसूचना की स्पष्ट व्याख्या के अनुसार तत्काल प्रभाव से लागू होंगे?

एंजल टैक्स

- एंजल टैक्स स्टार्टअप्स द्वारा जुटाए गए फंड (यदि वे कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक हो) पर लगाया जाने वाला कर है।
- बजट 2023-24 में विदेशी निवेशकों से जुड़े लेनदेन पर 'एंजल टैक्स' के प्रावधानों का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया था।
- यदि किसी भारतीय गैर-सूचीबद्ध कंपनी को किसी विदेशी निवेशक के शेयरों की बिक्री पर अतिरिक्त प्रीमियम प्राप्त होता है, तो यह कर के अधीन होगा क्योंकि प्रीमियम को "अन्य स्रोतों से आय" माना जाता है।
- इस प्रस्ताव से पहले, एंजल टैक्स केवल घरेलू निवेशक द्वारा किए गए निवेश पर लगाया जाता था। अब इसमें विदेशी निवेशकों को भी टैक्स के दायरे में शामिल होगा।
  - ✓ जब कोई स्टार्टअप किसी विदेशी निवेशक से धन जुटाता है, तो इसे भी आय के रूप में गिना जाएगा और संशोधन के बाद वह कर योग्य होगा।
- ऐसी छूट भी दी गयी है जहाँ विदेशी निवेशकों को भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, डीपीआईआईटी पंजीकृत स्टार्टअप में निवेश करते समय कोई एंजल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

अर्थव्यवस्था के लिए एंजल टैक्स का क्या मतलब है?

- स्टार्टअप्स में घटती फंडिंग प्रवृत्ति के संदर्भ में, यह स्टार्टअप्स की फंडिंग को प्रभावित कर सकता है।
  - ✓ भारत के स्टार्टअप्स पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में 33 प्रतिशत गिरकर, 24 बिलियन डॉलर रह गए।
- यह स्टार्टअप्स के बीच आशंका पैदा करता है, क्योंकि एंजल टैक्स लगाने से कंपनी के उचित बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, यह स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- एंजल टैक्स, एफडीआई प्रवाह को प्रभावित करते हैं क्योंकि निवेशक किसी स्टार्टअप को फंड देते समय, अतिरिक्त कर नहीं देना चाहते हैं।

3. आईएमएफ ने भारत का विकास अनुमान बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत किया

वर्तमान संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अप्रैल-जून तिमाही में अपेक्षा से अधिक मजबूत खपत के कारण वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है।

विवरण

- वित्त वर्ष 2025 के लिए पूर्वानुमान 6.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है। उम्मीद है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विकास पूर्वानुमानों को नीचे की ओर संशोधित किये जाने के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने का अनुमान है।
- आईएमएफ की यह वृद्धि भारत के लिए कई संशोधनों में नवीनतम है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 के विकास पूर्वानुमानों को भारतीय रिजर्व बैंक के 6.5 प्रतिशत अनुमान के करीब देखा गया है।

मुख्य विवरण

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण (World Economic Outlook-WEO) में कहा कि भारत में विकास दर वर्ष 2023 के लिए 0.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि के साथ वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में 6.3 प्रतिशत पर मजबूत रहने का अनुमान है, जो अप्रैल-जून के दौरान उम्मीद से अधिक मजबूत खपत को दर्शाता है।
- भारत के लिए आईएमएफ का वर्ष 2023-24 का विकास पूर्वानुमान अब वही है जो विश्व बैंक ने 3 अक्टूबर, 2023 को अपने भारत विकास सुधार में अनुमान लगाया था।
- अक्टूबर के विश्व आर्थिक दृष्टिकोण डेटा में भारत की वर्ष 2024-25 की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित छोड़ दिया गया है।
- जबकि आईएमएफ का भारत की वर्ष 2023-24 की जीडीपी विकास में बढ़ोतरी का संशोधन जून 2023 को समाप्त तिमाही में 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि को देखते हुए आया है, वार्षिक वृद्धि संख्या अभी भी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के 6.5 प्रतिशत अनुमान से कम है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ की गई थी, जिसे ब्रेटन वुड्स ट्विन्स के रूप में जाना जाता है।
- इसे वर्ष 1944 में गठित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन 190 सदस्य देशों के प्रति जवाबदेह है जो इसे तकरीबन वैश्विक संस्था बनाते हैं।
  - ✓ 27 दिसंबर, 1945 को भारत इसमें शामिल हुआ था।
- **आईएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य** अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली [विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली जो देशों (और उनके नागरिकों) को एक-दूसरे के साथ लेनदेन करने में सक्षम बनाती है] की स्थिरता सुनिश्चित करना है।
  - ✓ वैश्विक स्थिरता पर प्रभाव डालने वाले सभी व्यापक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों को शामिल करने के लिए आईएमएफ के अधिकारों को वर्ष 2012 में अद्यतन किया गया था।
- **आईएमएफ द्वारा जारी रिपोर्ट**
  - ✓ वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
  - ✓ विश्व आर्थिक दृष्टिकोण

विश्व आर्थिक दृष्टिकोण

- यह आईएमएफ द्वारा एक द्वि-वार्षिक सर्वेक्षण है जो आमतौर पर अप्रैल और अक्टूबर माह में प्रकाशित होता है।
- यह निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण, अनुमान और भविष्यवाणी करता है।

नवीनतम रिपोर्ट की मुख्य बातें

- आधारभूत अनुमान यह है कि वैश्विक वृद्धि वर्ष 2022 में 3.5 प्रतिशत से धीमी होकर 2023 में 3.0 प्रतिशत और वर्ष 2024 में 2.9 प्रतिशत हो जाएगी, जो कि वर्ष 2000-19 के ऐतिहासिक औसत 3.8 प्रतिशत से काफी कम है।
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के वर्ष 2022 में 2.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023 में 1.5 प्रतिशत और वर्ष 2024 में 1.4 प्रतिशत होने की उम्मीद है क्योंकि नीति में सख्ती शुरू हो गई है।
- उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में वर्ष 2022 में 4.1 प्रतिशत से वर्ष 2023 और 2024 में 4.0 प्रतिशत की मामूली गिरावट का अनुमान है।
- अंतर्राष्ट्रीय सामानों की कम कीमतों की वजह से सख्त मौद्रिक नीति के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आने का अनुमान है, जो वर्ष 2022 में 8.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023 में 6.9 प्रतिशत और वर्ष 2024 में 5.8 प्रतिशत हो जाएगी।
- मुख्य मुद्रास्फीति में आम तौर पर धीरे-धीरे गिरावट आने का अनुमान है और ज्यादातर मामलों में वर्ष 2025 तक मुद्रास्फीति लक्ष्य पर लौटने की उम्मीद नहीं है।
- मुद्रास्फीति की उम्मीदों को नियंत्रित रखने के लिए मौजूदा समय में मौद्रिक नीति कार्रवाई और रूपरेखा महत्वपूर्ण हैं।
- इसके अध्याय 2 में, निकट और मध्यम अवधि के फैलाव और विभिन्न एजेंटों पर मुद्रास्फीति की उम्मीदों में हाल के रुझानों का दस्तावेजीकरण किया गया है।
- यह एजेंटों की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के प्रबंधन के माध्यम से उत्पादन की कम लागत पर अवस्फीति प्राप्त करने में मदद करने हेतु संचार रणनीतियों सहित मौद्रिक नीति ढांचे की पूरक भूमिका पर जोर देता है।
- भू-आर्थिक विखंडन के बारे में बढ़ती चिंताओं को देखते हुए, अध्याय 3 में आंकलन किया गया है कि वस्तुओं में वैश्विक व्यापार में व्यवधान किस प्रकार वस्तुओं की कीमतों, आर्थिक गतिविधि और हरित ऊर्जा संक्रमण को प्रभावित कर सकता है।

4. सूचकांक समावेशन से प्राप्त होने वाला विदेशी निवेश प्रवाह

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, वित्तीय सेवा कंपनी द्वारा घोषणा की गयी है कि 330 बिलियन डॉलर के संयुक्त अंकित मूल्य वाले 23 भारतीय सरकारी बॉन्ड को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स (जीबीआई-ईएम) में शामिल करने के लिए पात्र हैं।

विवरण

- भारत के उभरते बाजार वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में शामिल होने के बाद सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक प्रदाता के बीच लगभग एक दशक तक चली वार्ता भी समाप्त हो गयी है।
- इन बॉन्ड को **28 जून 2024 से** 10 महीनों की अवधि में सूचकांकों में शामिल किया जाएगा, जिसमें **प्रति माह 1% भार** जोड़ा जाएगा, और **31 मार्च 2025 तक 10% के अधिकतम भार** तक पहुंचने की उम्मीद है।

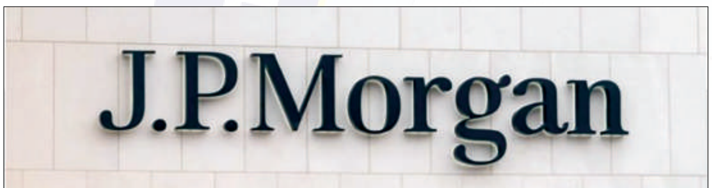

बैंक ने एक शोध रिपोर्ट में कहा कि जेपी मॉर्गन के वैश्विक उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांक में भारत के शामिल होने से विदेशी निवेशकों से 25 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त हो सकता है। जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी के रणनीतिकार आर्थर लुक ने कहा कि सूचकांक में भारत के बड़े महत्व को देखते हुए, इस प्रक्रिया के 10 महीने तक चलने की संभावना है।

- अर्थशास्त्रियों और दलालों का अनुमान है कि इस कदम से अगले 18-21 महीनों में **40 अरब डॉलर** तक का निवेश प्रवाह प्राप्त होने की संभावना है।
- यह इन बॉन्ड को अपने उभरते बाजारों के सूचकांक में शामिल करने वाला **पहला वैश्विक सूचकांक प्रदाता** बन गया है। इस निर्णय ने एक ऐसे समय मे अरबों डॉलर के प्रवाह के लिए मंच तैयार किया है जब बॉन्ड बाजार रिकॉर्ड सरकारी उधारी के दबाव में है।

वैश्विक बॉन्ड सूचकांक क्या है?

- वैश्विक बॉन्ड सूचकांक एक वित्तीय मानदंड है जो वैश्विक बॉन्ड बाजार के एक विशिष्ट खंड के प्रदर्शन का व्यापक आकलन प्रदान करता है।
  - ✓ ये सूचकांक आम तौर पर दुनिया भर के विभिन्न देशों और क्षेत्रों से निश्चित आय प्रतिभूतियों, जैसे सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, नगरपालिका बॉन्ड और अन्य ऋण उपकरणों की एक विविध श्रृंखला की निगरानी करते हैं।
- वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों के उदाहरणों में ब्लूमबर्ग बार्कलेज ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स और जे.पी. मॉर्गन ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स शामिल हैं।
  - ✓ ये सूचकांक बॉन्ड बाजारों की एक विस्तृत श्रृंखला को समावेशित करने के साथ-साथ बॉन्ड निवेशकों के लिए परिसंपत्ति आवंटन निर्णयों और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का मार्गदर्शन करके निवेश जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- किसी प्रमुख वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करने की यह पहली घटना है।

वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में शामिल होने के लाभ

- यह भारत में विदेशी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रेरक कारक हो सकता है और भारतीय निश्चित आय बाजार में अब विदेशी निवेशकों के अधिक सक्रिय होने की संभावना है
- यह कदम एक बड़ी वैश्विक बढ़त के लिए भारत की आकांक्षाओं को भी बल देगा क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेज़ आर्थिक वृद्धि दर वाला देश है और खुद को चीन के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है।
- इस समावेशन से देश का सार्वजनिक वित्त विदेशी निवेशकों द्वारा अधिक परीक्षण के लिए खुल सकता है जिससे स्थानीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ने की संभावना है।
- इसे संरचनात्मक रूप से दरों और विदेशी मुद्रा बाजारों के लिए अच्छा संकेत होना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए उधार लेने की लागत कम होगी और अधिक जवाबदेह राजकोषीय नीति-निर्माण होगा।
- सूचकांक में शामिल होने से जून 2024 और मार्च 2025 के बीच अप्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ हो सकता है। यदि अन्य सूचकांकों में भी भारत सरकार की प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है तो निवेश प्रवाह मे वृद्धि हो सकती है।
- व्यापक रूप से निगरानी करने वाले सूचकांक में शामिल होने से भारत को अगले 18 से 24 महीने की अवधि में लगभग 20-40 बिलियन डॉलर का लाभ होने की संभावना है क्योंकि भारतीय बॉन्ड विदेशी निवेशकों के लिए सुलभ होंगे, जबकि रुपये के मजबूत होने की संभावना है, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

- ✓ इस कारण बॉन्ड से होने वाले प्रतिफल में कमी जबकि मुद्रा मजबूत हो सकती है।
- यह अगले एक या दो वर्षों में चालू खाता और राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए एक अतिरिक्त स्रोत उत्पन्न कर सकता है।
  - ✓ यद्यपि एक बार प्रारंभिक समायोजन हो जाने के बाद, यह भारतीय बॉन्ड बाजार और भारतीय विदेशी पूंजी को भी अपेक्षाकृत अधिक अस्थिरता प्रदान करेगा
- भारत के निश्चित आय बाज़ारों में अगले डेढ़ वर्ष में $40 बिलियन से अधिक का प्रवाह देखने को मिल सकता है।

सरकारी बॉन्ड

- सरकारी बॉन्ड विभिन्न उद्देश्यों के लिए धन जुटाने हेतु सरकार द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां हैं, जैसे कि बजट घाटे का वित्तपोषण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्तपोषण, या सरकारी खर्चों का प्रबंधन।
- भारतीय रिज़र्व बैंक भारत सरकार की ओर से बॉन्ड जारी करता है। ये व्यापार योग्य और परिवर्तनीय सरकारी प्रतिभूतियाँ या जी-सेक होती हैं।
- आम बोलचाल की भाषा में एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल कहा जाता है, और लंबी परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों को सरकारी बॉन्ड कहा जाता है।

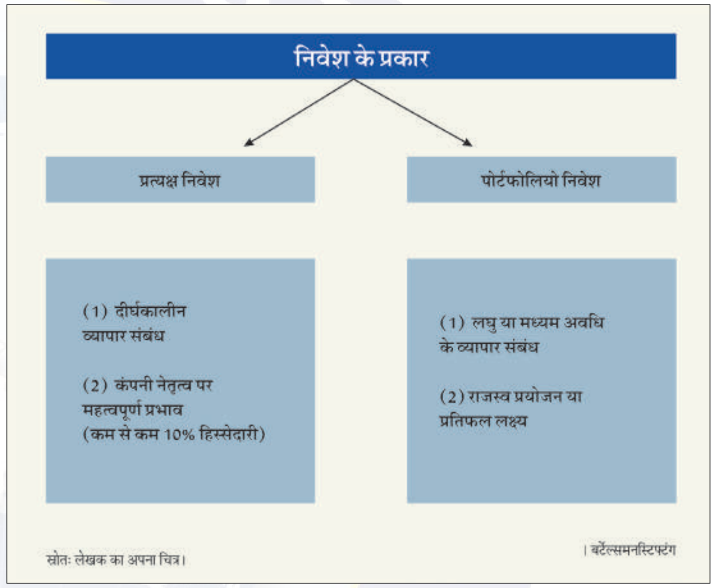

विदेशी आमद

- **विदेशी प्रवाह** से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी स्रोतों से पूंजी, निवेश या धन के प्रवाह से है। यह विभिन्न रूपों में हो सकता है तथा विदेशी प्रवाह के निम्न प्रकार होते हैं:
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)**- एफडीआई के अंतर्गत मेजबान देश के अंदर व्यवसायों, अवसंरचना या परिसंपत्तियों में दीर्घकालिक निवेश करने वाली विदेशी संस्थाएं शामिल होती हैं।
- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)**- एफपीआई विदेशी व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा स्टॉक, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों में किए गए निवेश को प्रदर्शित करता है।
  - ✓ इन निवेशों को आम तौर पर एफडीआई की तुलना में अधिक अल्पकालिक माना जाता है।
- **विदेशी सहायता और अनुदान**- विदेशी सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, या गैर-सरकारी संगठन, प्राप्तकर्ता देश में विभिन्न परियोजनाओं या पहलों का समर्थन करने के लिए सहायता या अनुदान प्रदान कर सकते हैं।
- **विदेशी ऋण और उधार**- एक देश में सरकारी या निजी संस्थाएं विदेशी ऋणदाताओं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बैंकों या सरकारों से धन उधार ले सकती हैं।
- **विदेशी प्रेषण**- विदेश में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने परिवारों या अपने देश में प्राप्तकर्ताओं को भेजी गई धनराशि को इस प्रकार के प्रवाह में शामिल किया जाता है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार**- किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में रखी गई परिसंपत्ति को विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है।
- **विदेशी दान और परोपकार**- विदेशी व्यक्ति, संगठन या फाउंडेशन किसी दूसरे देश में धर्मार्थ, शैक्षिक या सामाजिक कारणों का समर्थन करने के लिए धन का दान कर सकते हैं।
- **विदेशी व्यापार और निर्यात**- जब कोई देश विदेशी बाजारों में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है, तो यह विदेशी मुद्रा आय के रूप में आय का सृजन करता है।

निष्कर्ष

वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में सरकारी बांडों का प्रवेश विदेशी पूंजी प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से आकर्षित कर सकता है। धन का यह प्रवाह भारत के वित्तीय बाजारों को मजबूत करने के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है और इसके वैश्विक एकीकरण को बढ़ा सकता है, जिससे देश के लिए सकारात्मक आर्थिक माहौल तैयार हो सकता है।

5. स्टार्टअप के मामले में भारत का स्थान चौथा

वर्तमान संदर्भ

स्टार्टअप जीनोम की स्केलअप रिपोर्ट के पहले संस्करण के अनुसार, स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है, जिसे 50 मिलियन डॉलर से अधिक की घोषित उद्यम पूँजी (venture capital-VC) निवेश प्राप्त हुई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- इस सर्वेक्षण में 12,400 स्टार्टअप्स को शामिल किया गया था, जिसमें **अमेरिका** के 7,184, **चीन** के 1,491 और **यूके** के 623 के बाद **भारत** 429 स्केलअप (अपेक्षाकृत बड़े उद्यम) के साथ चौथे स्थान पर रहा है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि **भारत के 429 स्केलअप पंजीकृत** है, जिसमें उद्यम पूँजी निवेश 127 बिलियन डॉलर तथा तकनीकी निवेश का कुल आकार 446 बिलियन डॉलर है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऐसे स्टार्टअप हैं, जिनके 50 प्रतिशत या उससे अधिक उपभोक्ता अपने महाद्वीप के बाहर के हैं और यहाँ स्केलअप दर सबसे अधिक है।
  - ✓ 6 या उससे अधिक के स्थानीय कनेक्टिविटी सूचकांक स्कोर वाले स्टार्टअप 3.8 प्रतिशत की तुलना में 5.1 प्रतिशत का स्केलअप प्राप्त करते हैं, जबकि 4-2 के स्कोर वाले स्टार्टअप में 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है।
- यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि भारत में बी2सी (बिजनेस टू कंज्यूमर) स्टार्टअप देश से बाहर गए बिना यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर अरबों डॉलर की निकासी कर सकते हैं।

भारत में वर्तमान परिदृश्य

- 31 मई, 2023 तक देश के 670 जिलों में 99,000 से अधिक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के साथ, भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनकर उभरा है।
- भारत मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में वैज्ञानिक संस्थानों और अपने विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में शीर्ष स्थानों के साथ नवाचार गुणवत्ता में दूसरे स्थान पर है।
- भारतीय स्टार्टअप के पारिस्थितिकी तंत्र में पिछले कुछ वर्षों (-2015 2022) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है जो निम्न प्रकार की है:
  - ✓ स्टार्टअप्स की कुल वित्तपोषण में 15 गुना वृद्धि
  - ✓ निवेशकों की संख्या में 9 गुना वृद्धि
  - ✓ इन्क्यूबेटरों की संख्या में 7 गुना वृद्धि
- भारत के स्टार्टअप आज केवल महानगरों या बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि **भारत के 49 प्रतिशत स्टार्टअप टियर2- और टियर3- शहरों से हैं।**
- 31 मई, 2023 तक भारत में 108 यूनिकॉर्न हैं, जिनकी कुल पूँजी 340.80 बिलियन डॉलर है।

चुनौतियाँ

- आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2022-23 के अनुसार, भारतीय स्टार्टअप वर्ष 2016 में 452 से बढकर वर्ष 2022 में 84,012 हो गए, स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद भी, इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **वित्तीय संसाधन** : स्टार्टअप के लिए वित्त की उपलब्धता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह स्थायी समस्या बनी रहती है।
- **राजस्व सृजन** : कई स्टार्टअप व्यवसाय में वृद्धि के साथ खराब राजस्व सृजन के कारण विफल हो जाते हैं। जैसे-जैसे परिचालन बढ़ता है, राजस्व कम होने के साथ खर्च भी बढ़ता है, जिस कारण स्टार्टअप को वित्तपोषण (फंडिंग) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे व्यवसाय के बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान कम हो जाता है।
  - ✓ जनवरी, 2023 तक दुनिया भर में 47 कंपनियों ने डेकाकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर लिया है।
  - ✓ वर्तमान में, भारत में पाँच स्टार्टअप (फ्लिपकार्ट, बायजु, नायका, स्विगी और फोनपे) को डेकाकॉर्न की सूची में सम्मिलित किया गया है।
- **सहायक बुनियादी ढाँचा** : ऐसे कई सहायक तंत्र हैं, जो स्टार्टअप के जीवनचक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें इनक्यूबेटर, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पार्क, व्यवसाय विकास केंद्र आदि सम्मिलित हैं। ऐसे सहायक तंत्र तक पहुँच न होने से विफलता का खतरा बढ़ जाता है।
- **विनियमन संबंधी बाधाएँ** : व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी एजेंसियों से कई अनुमतियों की आवश्यकता होती है। हालाँकि इस संबंध मे सार्थक परिवर्तन हुआ है, फिर भी विनियामक बाधाओं और लालफीताशाही के कारण किसी कंपनी को पंजीकृत करना आज भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत में श्रम कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार, विवाद समाधान आदि से संबंधित नियम काफी कठोर हैं।
- **फ़्लिपिंग की प्रवृत्ति में वृद्धि** : व्यवहार्यता की कमी के कारण

किसी भारतीय कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी इकाई को स्थानांतरित करने की घटनाएँ काफी अधिक देखने को मिल रही हैं।

भारत में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहल

- स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने, एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने और भारत को नौकरी चाहने वाले देश के स्थान पर रोजगार सृजन करने वाले देश में परिवर्तित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।
- **स्टार्टअप इंडिया की कार्य योजना :** 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना प्रारंभ की गई। इस कार्य योजना में "सरलीकरण और सहायता", "वित्त पोषण के लिए समर्थन और प्रोत्साहन" के साथ-साथ "उद्योग-अकादमिक साझेदारी" और "इन्क्युवेशन" जैसे क्षेत्रों में 19 कार्यात्मक विषय सम्मिलित हैं।
- **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) :** किसी उद्यम की संवृद्धि के शुरुआती चरणों में उद्यमियों के लिए पूँजी की उपलब्धता को आसान बनाने की आवश्यकता है। इस योजना का उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
    - ✓ वर्ष 22-2021 से शुरू होने वाली 4 वर्षों की अवधि के लिए, एसआईएसएफएस योजना के तहत 945 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- **राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (NSA) :** राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, उन उत्कृष्ट स्टार्टअप और पारिस्थितिकी तंत्र सहायकों को पहचानने और पुरस्कृत करने की एक पहल है, जो रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता वाले नवाचारी उत्पादों या उपायों या उच्च वृद्धि की क्षमता वाले ऐसे उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जो समाज में मापन योग्य सामाजिक प्रभावों का प्रदर्शन करते हैं।
- **श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन :** स्टार्टअप को निगमन की तारीख से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए अपने अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने की अनुमति है।
- **SCO स्टार्टअप फोरम :** इसके उद्घाटन सत्र को सामूहिक रूप से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और उसमें सुधार लाने के लिए वर्ष 2020 में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था।
- **प्रारंभ (Prarambh) :** इसका उद्देश्य नवाचारों और अविष्कारों को साथ लाने के लिए स्टार्टअप तथा युवाओं के विचारों के लिए एक मंच डिजाइन करना है।

6. वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत 40वें स्थान पर बरकरार

वर्तमान संदर्भ

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organisation-WIPO) द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index-GII) 2023 में भारत ने अपना 40वां स्थान बरकरार रखा है, जिससे यह निम्न मध्यम आय समूह के देशों में अग्रणी स्थान पर है।

मुख्य निष्कर्ष

- वैश्विक नवाचार सूचकांक, नवाचार के पारंपरिक उपायों से आगे जाकर (क्योंकि नवाचार की परिभाषा व्यापक हो गई है) अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक और निजी स्रोतों से 80 संकेतकों के संग्रह का एक समृद्ध डेटासेट है।
- वैश्विक नवाचार सूचकांक 132 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन और सबसे नवीनतम वैश्विक नवाचार रुझानों का पता लगाता है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, ईरान, फिलीपींस, तुर्किये, वियतनाम और इंडोनेशिया वैश्विक नवाचार सूचकांक के शीर्ष 65 में शामिल अर्थव्यवस्थाओं में से हैं, जो पिछले दशक में रैंकिंग में सबसे तेजी से आगे बढ़े हैं।

संबंधित आय समूहों के अनुसार शीर्ष तीन नवाचार अर्थव्यवस्थाएँ

उच्च आय	उच्च-मध्यम आय	निम्न-मध्यम आय	निम्न-आय
स्विट्ज़रलैंड	चीन	भारत	रवांडा
स्वीडन	मलेशिया	वियतनाम	मेडागास्कर
संयुक्त राज्य अमेरिका	बुल्गारिया	यूक्रेन	टोगो

भारत का प्रदर्शन

- वैश्विक नवाचार सूचकांक ने भारत को उन 21 अर्थव्यवस्थाओं में सूचीबद्ध किया है, जिन्होंने विकास के स्तर के सम्बन्ध में नवाचार

पर लगातार 13वें वर्ष बेहतर प्रदर्शन किया है।

- ✓ यह उपलब्धि हासिल करने वाले अन्य देशों में मोल्दोवा गणराज्य और वियतनाम शामिल हैं।

- भारत निम्न-मध्यम आय समूह की अर्थव्यवस्था वाले 37 देशों में पहले स्थान पर है एवं मध्य और दक्षिण अमेरिका की 10 अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है।
- वर्ष 2015 में भारत 81वें स्थान पर था और तब से विगत आठ वर्षों में लगातार विकास कर रहा है।
- भारत का प्रमुख संकेतकों में शीर्ष स्थान है, जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सेवा निर्यात (5वें स्थान पर), प्राप्त उद्यम पूँजी (6वें), विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक (11वें) और वैश्विक कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास निवेशकों में (13वें) शामिल हैं।
- **अन्य मापदंड जहाँ भारत ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया :** सांस्कृतिक और रचनात्मक सेवाएँ, व्यापार के प्रतिशत के रूप में निर्यात (18वां स्थान), अमूर्त संपत्ति की तीव्रता (8वां स्थान) और समग्र बाजार परिष्कार (20वां स्थान)।
- व्यापक क्षेत्र, जहाँ बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है, वे बुनियादी ढाँचा (84वां स्थान), व्यावसायिक परिष्करण (57वां स्थान) और संस्थानों (56वां स्थान) हैं।

सरकार की पहल

- नीति आयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नीति-आधारित नवाचार लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों का अनुकूलन सुनिश्चित करने हेतु अथक प्रयास कर रहा है। इसने राज्यों और जिलों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में भी भूमिका निभाई है। नवाचार क्षेत्र के लिए सरकारी प्रयासों में निम्न शामिल हैं :
- **अटल इनोवेशन मिशन (AIM),** नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है, जो इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना और विस्तार के लिए दो कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर रही है।
- **अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AICs),** यह योजना ग्रीन फील्ड इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना में सहायता करती है जो मापनीय और टिकाऊ उद्यम बनने के लिए नवीन स्टार्टअप व्यवसायों का पोषण करते हैं।
- **निधि (National Initiative for Developing and Harnessing Innovation-NIDHI) कार्यक्रम** नवाचारों के विकास और उपयोग के लिए राष्ट्रीय पहल है, जिसके तहत इनक्यूबेटर, सीड फंड, उत्प्रेरक की स्थापना एवं नवप्रवर्तकों और उद्यमियों के लिए 'अवधारणा का प्रमाण' अनुदान कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
  - ✓ निधि के तहत, **प्रयास (Promoting and Accelerating Young and Aspiring innovators & Startups-PRAYAS)** कार्यक्रम युवा और महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने और उनमें तेजी लाना हेतु शुरू किया गया है, जिसमें स्थापित टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स (TBI) को नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिया जाता है एवं इसमें 'अवधारणा का प्रमाण' और प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए विशेष रूप से निर्धारित अनुदान शामिल हैं।
- **सीड (Sustaining Enterprise and Entrepreneurship Development-SEED) कोष :** आगे बढ़ाने के लिए बायो-इनक्यूबेटरों के माध्यम से स्टार्टअप और उद्यमों को 30 लाख रुपये तक की इक्विटी आधारित वित्तपोषण सहायता।
- **लीप (Launching Entrepreneurial Driven Affordable Products Fund for Startups-LEAP) कोष :** वृद्धिशील उद्यमों के लिए इनक्यूबेटरों के माध्यम से कार्यान्वित स्टार्टअप्स और उद्यमों को 1 करोड़ रुपये तक की इक्विटी आधारित वित्तपोषण सहायता।

वैश्विक नवाचार सूचकांक

- यह **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन** द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- यह विश्व भर की सरकारों के लिए अपने संबंधित देशों में नवाचार से प्रेरित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए एक विश्वसनीय उपकरण है।
- इस वर्ष नीति आयोग, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के साथ साझेदारी में आभासी रूप से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2023 के भारतीय संस्करण के शुरूआत की मेजबानी कर रहा है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन

- यह विश्व भर में रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से काम करता है।
- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन **संयुक्त राष्ट्र** की **15 विशिष्ट एजेंसियों** में से एक है।
- वर्तमान में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के **193 सदस्य** हैं।
- इसका **मुख्यालय जिनेवा** में है।

7. इंडिया स्किल्स 2023-24 शुरू किया गया

वर्तमान संदर्भ

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने 17 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में इंडियास्किल्स 2023-24 की शुरुआत की और विश्व कौशल 2022 विजेताओं को सम्मानित किया।

विवरण

- यह पहल बड़े पैमाने (2.5 मिलियन) पर प्रतिभागियों को सशक्त बनाने का प्रयास करती है, जो विगत वर्ष के 250,000 प्रतिभागियों की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।
- इस कार्यक्रम में वर्ल्डस्किल्स 2022 प्रतियोगिता (जहां देश ने वैश्विक मंच पर 11वां स्थान हासिल किया था) में भारत के विजेताओं का अभिनंदन भी किया गया।
- यह अत्यधिक कुशल और सक्षम कार्यबल को विकसित करने की देश की प्रतिबद्धता पर जोर देता है, जो न केवल राष्ट्रीय मंच पर बल्कि वैश्विक मंच पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम है।
- इंडियास्किल्स प्रतिष्ठित वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता (जहां राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे) के लिए सीढ़ी के रूप में कार्य करता है।

वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता

- यह दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, जो हर दो साल में एक बार आयोजित की जाती है। इसका संचालन **वर्ल्डस्किल्स इंटरनेशनल (WorldSkills International)** द्वारा किया जाता है, जिसके 86 सदस्य देश हैं।
- ये प्रतियोगिताएं उच्च प्रदर्शन के लिए एक मानदंड और व्यावसायिक उत्कृष्टता का आंकलन करने का एक उद्देश्यपूर्ण तरीका प्रदान करती हैं।
- भारत ने 50 कौशलों में भाग लिया और डब्ल्यूएससी 2022 में 2 रजत पदक, 3 कांस्य पदक और उत्कृष्टता के लिए 13 पदकों के साथ 11वां स्थान हासिल किया, जो विश्व कौशल प्रतियोगिता में देश की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है।

इंडियास्किल्स प्रतियोगिता

- यह राज्य सरकारों और उद्योगों के साथ साझेदारी में एनएसडीसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हर दो साल में आयोजित किया जाता है।
- देश भर के कुशल युवा अपने-अपने कौशल में एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता अगले एक वर्ष में अपने कौशल को निखारते हैं और विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खुद को तैयार करते हैं।

इंडियास्किल्स के लक्ष्य और उद्देश्य

- भारतीय युवाओं को विश्व कौशल प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करना और दुनिया के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन करना।
- भारत के स्थानीय/घरेलू कौशल सेटों को पुनर्जीवित करना और बढ़ावा देना।
- भारतीय युवाओं के लिए कौशल को आकांक्षी और फायदेमंद बनाना।
- कौशल विकास की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करना और राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा और क्षमता तैयार करना।

भारतीय युवाओं में कौशल विकास की आवश्यकता

- **राष्ट्रीय श्रम-अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (NILERD)** द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) में प्रशिक्षुओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान किए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं था।
- आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे कौशल संस्थानों में नामांकन उनकी नामांकन क्षमता की तुलना में कम रहता है। इसका कारण कौशल विकास कार्यक्रमों के बारे में युवाओं में जागरूकता का कम स्तर है।
- श्रम बाजार में सफल होने के लिए पर्याप्त कौशल की कमी के कारण लगभग 450 मिलियन युवा (10 में से 7) आर्थिक रूप से असंबद्ध हैं।
- प्रशिक्षण की खराब गुणवत्ता एक गंभीर समस्या है जो लोगों को कार्यबल में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने से रोक सकती है।
  - ✓ योग्य प्रशिक्षकों की कमी, पुरानी प्रशिक्षण सामग्री, अपर्याप्त संसाधन और उद्योग-संरेखित प्रशिक्षण की कमी इसके उदाहरण हैं।
- जबकि सरकार को उम्मीद थी कि कुछ पीएमकेवीवाई-प्रशिक्षु अपना खुद का उद्यम स्थापित करेंगे, केवल 24 प्रतिशत प्रशिक्षुओं ने अपना व्यवसाय शुरू किया। उनमें से केवल 10,000 ने मुद्रा ऋण के लिए आवेदन किया।

- विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, **देश की 395.2 मिलियन श्रम शक्ति में से केवल 91.6 मिलियन महिलाएं हैं।**
- **लगभग 23 प्रतिशत** कंपनियाँ कार्यबल कौशल को अपने परिचालन में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में बताती हैं। कुछ अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में यह हिस्सेदारी **बढ़कर 40-60 प्रतिशत तक पहुँच जाती है।**

भारत में कौशल विकास की दिशा में सरकार की पहल

- **कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, 2015** का उद्देश्य देश के भीतर की जा रही सभी कौशल गतिविधियों के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करना, उन्हें सामान्य मानकों के अनुरूप बनाना और कौशल को मांग केंद्रों से जोड़ना है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:** यह सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और मुख्यधारा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देती है जो छात्रों को उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न कौशल प्राप्त करने में मदद करेगी।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

- *एक विशिष्ट समय अवधि में औद्योगिक उत्पाद उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा मापा जाता है।*
- ***राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ),*** *सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसे हर महीने संकलित और जारी करता है।*
- *आईआईपी के लिए आधार वर्ष 2011-2012 है।*
- *भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय और आर्थिक सलाहकार कार्यालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) सहित सरकारी एजेंसियां, नीति-निर्माण उद्देश्यों के लिए आईआईपी सूचकांक का उपयोग करती हैं।*

- **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन** का लक्ष्य कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में सामंजस्य बनाना है।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। पूर्व अनुभव वाले व्यक्तियों का भी पूर्व शिक्षण की मान्यता (Recognition of Prior Learning-RPL) के तहत मूल्यांकन और प्रमाणित किया जाता है।
  - ✓ **पीएमकेवीवाई 3.0 (2021)** उद्योग की जरूरतों को पूरा करने, बाजार की मांगों को पूरा करने और सेवाओं और नए युग की रोजगार भूमिकाओं में कौशल प्रदान करने के लिए पूरे देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित और बढ़ावा देगा जो कि कोविड-19 महामारी के आगमन के साथ महत्वपूर्ण हो गए हैं।
- **प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK)** भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे भारत के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें रोजगार योग्य बनाना है।
- **आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion-"SANKALP)** विश्व बैंक से ऋण सहायता के साथ कौशल विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है।
- **भारतीय कौशल विकास सेवाओं (ISDS)** का निर्माण कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के प्रशिक्षण निदेशालय के लिए बनाया गया है और यह एक समूह 'ए' सेवा है।

8. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey-PLFS)** पर अपना त्रि-मासिक बुलेटिन जारी किया, जिसमें बताया गया है कि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान शहरी बेरोजगारी दर गिरकर 6.6 प्रतिशत हो गई।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की मुख्य बातें

- **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)**
  - ✓ शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए **एलएफपीआर 47.5 प्रतिशत (अप्रैल-जून, 2022) से बढ़कर 48.8 प्रतिशत (अप्रैल-जून, 2023)** हो गया।
  - ✓ अप्रैल-जून, 2023 में, एलएफपीआर महामारी-पूर्व अवधि के **46.2 प्रतिशत से 47.8 प्रतिशत की सीमा** को पार कर गया।

- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR)**
  - ✓ 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में डब्ल्यूपीआर 43.9 प्रतिशत (अप्रैल-जून 2022) से बढ़कर 45.5 प्रतिशत (अप्रैल-जून 2023) हो गया।
  - ✓ अप्रैल-जून 2023 में डब्ल्यूपीआर ने महामारी-पूर्व अवधि की 41.8 प्रतिशत से 44.1 प्रतिशत की सीमा को पार कर लिया।
- **बेरोजगारी दर (UR)**
  - ✓ शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 7.6 प्रतिशत (अप्रैल-जून 2022) से घटकर 6.6 प्रतिशत (अप्रैल-जून 2023) हो गया।
  - ✓ अप्रैल-जून 2023 में बेरोजगारी दर महामारी-पूर्व अवधि की 7.8 प्रतिशत से 9.7 प्रतिशत की सीमा से कम था।

श्रम बल भागीदारी दर

- ***श्रम बल भागीदारी दर:*** *श्रम बल भागीदारी दर को जनसंख्या में श्रम बल (यानी काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध) व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।*
- ***श्रमिक जनसंख्या अनुपात:*** *श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।*
- ***बेरोजगारी दर:*** *यूआर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।*
- ***सामान्य स्थिति:*** *किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। जब गतिविधि की स्थिति सर्वेक्षण की तारीख से पहले विगत 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है, तो इसे व्यक्ति की सामान्य गतिविधि स्थिति के रूप में जाना जाता है।*
- ***वर्तमान साप्ताहिक स्थिति:*** *सर्वेक्षण की तारीख से पहले विगत 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित गतिविधि स्थिति को व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के रूप में जाना जाता है।*

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने अप्रैल, 2017 में पीएलएफएस की शुरुआत की थी।
- **इसके निम्न दो उद्देश्य हैं:**
  - ✓ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वार्षिक रूप से 'सामान्य स्थिति' (ps+ss) और 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।
  - ✓ सीडब्ल्यूएस पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी क्षेत्रों के लिए तीन महीने के **अल्पकालिक अंतराल में प्रमुख रोजगार** और **बेरोजगारी संकेतक (श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर)** का अनुमान लगाना।

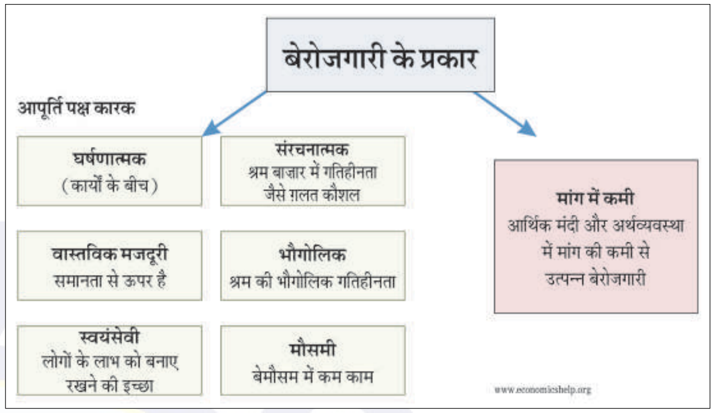

- **डेटा जारी करने की आवृत्ति :** दिसंबर, 2018 से मार्च, 2023 तक की अवधि को शामिल करते हुए पीएलएफएस के कुल अठारह तिमाही बुलेटिन जारी किए गए।
- **त्रि-मासिक बुलेटिन में अंतर्निहित विषय :** त्रि-मासिक बुलेटिन एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर, यूआर और शहरी क्षेत्रों के लिए सीडब्ल्यूएस में व्यापक रोजगार की स्थिति और उद्योग में काम के माध्यम से श्रमिकों के वितरण सहित श्रम बल संकेतकों का अनुमान उपलब्ध कराते हैं।
- **वर्तमान बुलेटिन (अप्रैल-जून 2023) :** नवीनतम त्रि-मासिक बुलेटिन (इस श्रृंखला का उन्नीसवाँ) अप्रैल-जून 2023 की अवधि से संबंधित है और तीन महीने के अंतराल के साथ शहरी क्षेत्रों में श्रम बल आँकड़ों पर लगातार ध्यान केंद्रित करता है।

बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा किए गए पहल

- **आत्मनिर्भर भारत पैकेज :** रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं के साथ व्यापक पैकेज। इसके अंतर्गत 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।
- **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) :** इसे नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अक्तूबर, 2020 में शुरू की गई थी। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से क्रियान्वयान्वित किया गया।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (YMMP) :** यह 10 लाख रुपये तक संपार्श्विक-मुक्त ऋण (collateral-free loans) के साथ स्व-रोज़गार की सुविधा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 34.08 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत हुए हैं।
- **गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (GKRA) :** इसे ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे प्रवासी श्रमिकों और प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया। इसने 50.78 करोड़ मानव श्रम दिवस का रोजगार सृजित किया।
- **पीएम गति शक्ति :** इसे आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए

परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया। इसने बुनियादी ढाँचे के विकास, स्वच्छ ऊर्जा और नौकरी के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया।

- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ :** बजट 22-2021 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएलआई योजनाएँ शुरू की गईं। इससे रोजगार पैदा होने और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है।
- **रोजगार के लिए लक्षित सरकारी योजनाएँ :** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS-मनरेगा), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY), दीन दयाल अंतोदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) आदि।
- **प्रमुख पहल:** मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, सभी के लिए आवास और बुनियादी ढाँचा विकास और औद्योगिक गलियारे।

9. आरबीआई ने सरकारी एनबीएफसी तक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा विस्तारित किया

वर्तमान संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अक्टूबर, 2024 से **'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा'** के दायरे को सरकारी एनबीएफसी (बुनियादी स्तर वाले को छोड़कर) तक बढाने का निर्णय लिया है।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

- पीसीए ढांचे का उद्देश्य उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करना है और पर्यवेक्षित इकाई को समय पर उपचारात्मक उपाय शुरू करने और लागू करने की आवश्यकता है, ताकि उसके वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल किया जा सके।
- पीसीए रूपरेखा का उद्देश्य प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करना भी है।
- पीसीए रूपरेखा, इसके द्वारा निर्धारित सुधारात्मक कार्रवाईयों के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक पर किसी भी समय (जब वह उचित समझे) पर कोई अन्य कार्रवाई करने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता है।
- आरबीआई द्वारा वर्ष 2002 में उन बैंकों के लिए एक संरचित प्रारंभिक-हस्तक्षेप तंत्र के रूप में पीसीए ढाँचे की शुरुआत की गई थी, जो खराब परिसंपत्ति गुणवत्ता के कारण अल्प पूंजीकृत हो जाते हैं, या लाभप्रदता में कमी के कारण असुरक्षित हो जाते हैं।
- भारत में वित्तीय संस्थानों के लिए समाधान व्यवस्थाओं पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) के कार्य समूह और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2017 में इस रूपरेखा की समीक्षा की गई थी।

सुधारात्मक कार्रवाई

- **पीसीए में प्रयुक्त मानदंडों (पैरामीटर्स) में निम्न शामिल हैं:**
  - i. **पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)** - इसका उपयोग वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बढ़ावा देने और दुनिया भर के जमाकर्ताओं को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है।
  - ii. **सीईटी1- अनुपात** - यह आरबीआई के बेसल III दिशानिर्देशों में परिभाषित कुल जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के लिए नियामक समायोजनों को छोड़कर सामान्य इक्विटी पूँजी का प्रतिशत है।
  - iii. **गैर-निष्पादित परिसंपत्ति** - यह एक ऐसा ऋण है, जिसके ब्याज का भुगतान 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है।
  - iv. **टियर 1 लीवरेज अनुपात** - यह किसी बैंक की मुख्य पूँजी और कुल परिसंपत्ति के बीच की कड़ी है।

सुधारात्मक कार्रवाईयों में निम्न शामिल हैं:

- **जोखिम सीमा 1**
  - i. इसमें लाभांश वितरण और मुनाफे का प्रेषण प्रतिबंधित है।
  - ii. विदेशी बैंकों के लिए मालिकों, प्रमोटरों और मूल संस्थाओं को पूँजी लाने के लिए आवश्यकता होगी।
- **जोखिम सीमा 2**
  - i. उपर्युक्त सभी कार्रवाईयों का पालन करना।
  - ii. चाहे वह विदेशी हो या घरेलू इकाई, सभी के शाखा विस्तार पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
- **जोखिम सीमा 3**
  - i. जोखिम सीमा 2 और 3 के सभी परिणामी चरणों का पालन करना।
  - ii. यह प्रतिबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा के अंतर्गत तकनीकी उन्नयन को छोड़कर अन्य पूँजीगत व्यय पर लागू होगा।
- **विवेकाधीन कार्रवाइयाँ**
  - i. समामेलन, पुनर्निर्माण, विखंडन द्वारा एनबीएफसी का समाधान करना।

ii. आईबीसी के तहत दिवालिया का आवेदन दायर करना तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करना और एनबीएफसी को बंद करना।

iii. प्रवर्तकों/शेयरधारकों को नया प्रबंधन/बोर्ड की सिफारिश करना।

iv. आरबीआई अधिनियम (जैसा लागू है) के तहत प्रबंधकीय व्यक्तियों को हटाना।

v. निदेशक को हटाना और/या उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करना।

vi. आरबीआई अधिनियम के तहत बोर्ड को भंग करने के साथ-साथ अन्य लोगों के मध्य एक प्रशासक नियुक्त करना।

- यदि लगातार चार त्रैमासिक वित्तीय विवरणों के अनुसार किसी भी मानदंड (पैरामीटर) पर जोखिम सीमा का कोई उल्लंघन नहीं होता है तो पीसीए प्रतिबंध हटाये जा सकते हैं। हालाँकि, आरबीआई के नेतृत्व वाले पर्यवेक्षण के बाद, इन विवरणों में से एक विवरण वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (आरबीआई के आकलन के अधीन) होना चाहिए।

एनबीएफसी

- कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम (Non-Banking Financial Corporation-NBFC) एक कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है और ऋण व्यवसाय, अवक्रय (किराया-खरीद), पट्टे, बीमा व्यवसाय, कुछ मामलों में जमा प्राप्त करने, चिट-फंड, स्टॉक और शेयर अधिग्रहण, आदि में शामिल है।
- एनबीएफसी के कार्यों का प्रबंधन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है।

- **भारत में एनबीएफसी के उदाहरण**

i. बजाज फिनसर्व

ii. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

iii. महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज

iv. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी

v. मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, आदि

10. बॉन्ड यील्ड में प्रवाह

वर्तमान संदर्भ

भारत सरकार की बॉन्ड यील्ड में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि हाल ही में, यील्ड (लाभ) में हुए क्षणिक परिवर्तन के बाद व्यापारियों ने लगातार नए निवेश किए हैं, जबकि अमेरिकी प्रतिस्पर्धियों में नरमी ने राहत प्रदान की है।

विवरण

- बेंचमार्क वाले 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड IN071833G=CC पिछले सत्र में 7.3471 प्रतिशत पर समाप्त करने के बाद 7.3049 प्रतिशत पर बंद हुआ।
  - ✓ यह भारतीय रिजर्व बैंक की बॉन्ड बिक्री की घोषणा के बारे में अटकलों के कारण सात महीने के उच्चतम स्तर 7.3952 प्रतिशत पर पहुँच गया था।
- हालाँकि, यील्ड में देखे गए हालिया उछाल ने व्यापारियों के लिए मूल्य-खरीद का अवसर प्रदान किया, जिसके कारण पिछले दो सत्रों में यील्ड में कमी देखने को मिली।

मुख्य विवरण

- वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में समावेशन, सकारात्मक वास्तविक दर स्थिति, मुख्य मुद्रास्फीति में नरमी और वर्ष की दूसरी छमाही में अपेक्षाकृत संतुलित माँग-आपूर्ति गतिशीलता जैसे कारकों के कारण बॉन्ड को उच्च लाभ पर खरीदार मिल सकते हैं।
- मिडिल-ईस्ट में संघर्ष की वजह से सुरक्षित-स्थान की माँग के कारण -10वर्षीय बेंचमार्क अमेरिकी यील्ड में 4.55 प्रतिशत से नीचे की गिरावट आई, जबकि फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की टिप्पणियों ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि फेडरल रिजर्व के फेड रेट में और बढ़ोतरी नहीं होने की संभावना है।
- व्यापक बाजार धारणा को भी समर्थन मिला, क्योंकि ब्रेंट क्रूड करार बेंचमार्क 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे कारोबार करने के साथ इज़राइल और इस्लामवादी समूह हमास के बीच संघर्ष के बावजूद तेल की कीमतों में कोई बड़ी वृद्धि नहीं देखी गई।
- बाजार भागीदार अब संबंधित केंद्रीय बैंकों की नीतियों का आकलन करने के लिए अमेरिका और भारत के मुद्रास्फीति स्थिति का इंतजार कर रहे हैं।
  - ✓ हाल ही में, आरबीआई ने मौद्रिक नीति को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है, लेकिन संकेत दिया है कि ब्याज दरें तब तक उच्च स्तर पर बनी रहेंगी जब तक कि मुद्रास्फीति लक्ष्य नीति कार्रवाइयों 4 प्रतिशत के करीब न हो जाए।

बॉन्ड यील्ड क्या है?

- यह वह रिटर्न है, जो निवेशक को बॉन्ड पर मिलता है। लाभ (yield) की गणना के लिए प्रयुक्त गणितीय सूत्र में वार्षिक कूपन दर को बॉन्ड के मौजूदा बाजार मूल्य से विभाजित किया जाता है।
- कीमत और यील्ड एक-दूसरे के विपरीत रूप होती हैं अर्थात, बॉन्ड की कीमत बढ़ती है, तो इसकी यील्ड कम हो जाती है और इसके विपरीत भी होती है।

बॉन्ड क्या है?

- यह पैसे उधार लेने का एक साधन है। किसी भी देश की सरकार या किसी भी कंपनी द्वारा धन जुटाने के लिए बॉन्ड जारी किया जा सकता है।
- बॉन्ड जारीकर्ताओं द्वारा बॉन्ड के अंकित मूल्य पर भुगतान की जाने वाली ब्याज दर को कूपन दर के रूप में जाना जाता है।
- बॉन्ड ऋण निवेश हैं, जो किसी बैंक से ऋण प्राप्त करने के बजाय कॉरपोरेट्स या सरकारों द्वारा सीधे निवेशकों को जारी किए जाते हैं।
- निवेशक बॉन्ड खरीदता है और इकाई को पैसा उधार देता है, जिसके परिणाम स्वरूप निवेशक निश्चित ब्याज प्राप्त करता है।
- यह एक निर्धारित अवधि (परिपक्वता तिथि तक) और एक परिवर्तनीय या निश्चित ब्याज दर (कूपन दर) के लिए होता है।

बॉन्ड की कीमतें और ब्याज दरें

- **बॉन्ड की कीमतें**
  - ✓ वे अंकित मूल्य (बांड की परिपक्वता पर धनराशि का मूल्य) हैं। यह वह संदर्भ राशि भी है, जिसका उपयोग बॉन्ड जारीकर्ता ब्याज भुगतान की गणना करते समय करता है।
  - ✓ किसी भी अन्य सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली प्रतिभूतियों की कीमत की तरह ही किसी बॉन्ड की कीमत में भी दैनिक आधार पर उतार-चढ़ाव होता है।
  - ✓ किसी बॉन्ड का बाजार मूल्य निम्न कारकों पर निर्भर करता है :
    - i. जारीकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता
    - ii. परिपक्वता की अवधि
    - iii. उस समय के सामान्य ब्याज दर परिवेश की तुलना में कूपन दर
- **ब्याज दरें**
  - ✓ बॉन्ड की कीमत मुख्य रूप से बाजार में ब्याज दरों में होने वाली बदलाव के साथ बदलती है।
  - ✓ बाजार में निवेशक बॉन्ड की कीमत पर तब तक बोली लगाते हैं, जब तक कि यह मौजूदा ब्याज दर के स्थिति के बराबर प्रीमियम पर कारोबार न करने लगे।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1. सरकार का पीपीपी मॉडल के माध्यम से एआई चिप विकास को सहायता

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) रोडमैप पर विचार करने के लिए गठित छह कार्य समूहों ने अपनी रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रस्तुत किया।

विवरण

- इस रिपोर्ट में एआई अनुप्रयोगों के लिए सेमीकंडक्टर बनाने हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को शामिल करने की सिफारिश की गई है।
- पीपीपी मॉडल का उपयोग तथाकथित "जीपीयू क्लस्टर" (जो कि एआई अनुप्रयोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन-गहन ग्राफिक्स प्रोसेसर के समूह हैं) को बनाने के लिए किया जाएगा। ये क्लस्टर भारतीय स्टार्ट-अप और शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे।
- इंडिया एआई (India AI) पहल कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, फिनटेक, सुरक्षा और शासन में चुनौतियों को हल करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- **इंडिया डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म :** इंडिया एआई पहल भारतीय शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए अपने मल्टी-पैरामीटर मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए अज्ञात डेटा का एक विशाल और विविध डेटासेट का संग्रह करेगी।

सेमीकंडक्टर चिप

- सेमीकंडक्टर चिप्स वे सामग्रियाँ हैं, जिनमें कंडक्टर और गैर-कंडक्टर या इंसुलेटर के बीच चालकता होती है।
- इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम, या यौगिक जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड जैसे शुद्ध तत्व हो सकते हैं।

महत्व

- सेमीकंडक्टरों का उपयोग उद्योगों और अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है, जिनमें निम्न शामिल हैं:
  - ✓ **कंप्यूटिंग :** माइक्रोप्रोसेसर, मेमोरी चिप्स, कंप्यूटर, सर्वर, डेटा सेंटर, आदि।
  - ✓ **संचार :** सेल फोन, सैटेलाइट सिस्टम, वायरलेस संचार सिस्टम, नेटवर्क उपकरण, डेटा ट्रांसमिशन हार्डवेयर, आदि।
  - ✓ **ऊर्जा :** सौर सेल, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, बिजली प्रबंधन अनुप्रयोग, वोल्टेज नियामको, बिजली आपूर्ति, आदि।
  - ✓ **ऑटोमोटिव :** इंजन नियंत्रण इकाइयाँ, सेंसर, सुरक्षा प्रणालियाँ, इलेक्ट्रिक वाहन, स्वचालित वाहन, आदि।
  - ✓ **स्वास्थ्य सेवाओं :** चिकित्सा इमेजिंग, निगरानी, नैदानिक उपकरण, चिकित्सा प्रत्यारोपण, उपकरण, आदि।
- भारत में सेमीकंडक्टरों का उपयोग **वर्ष 2026 तक 80 बिलियन डॉलर और वर्ष 2030 तक 110 बिलियन डॉलर** को पार करने की उम्मीद है।
- दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने भारत के अंदर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए **प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई)** योजना के तहत 76,000 करोड़ रुपये मंजूर किए।
- सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकी की नींव हैं, जो उद्योग 4.0 के तहत डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण को संचालित कर रहे हैं।

रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय रणनीति मसौदा

- *यह नई दुनिया में विनिर्माण के लिए **प्रतिस्पर्धात्मकता, किफायती और कंप्यूटर संबंधी दृष्टिकोण** के महत्व पर जोर देता है।*
- *हालाँकि रोबोटिक्स एक बहु-विषयक तकनीक है जिसमें कई क्षेत्रों और उद्योगों को बदलने और बाधित करने की क्षमता है, जो इसके अपनाने से आज तक मुख्य रूप से आर्थिकी से प्रेरित रहा है।*
- *विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली रोबोटिक्स प्रौद्योगिकियाँ **"बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स से काम कराने से होने वाले लाभों को प्रदर्शित करके"** महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं।*
- *यह रोबोटिक्स हार्डवेयर के स्थानीय विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने, **प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने और प्रदर्शन करने हेतु 'प्रमाणन सुविधाओं' के निर्माण** और रोबोटिक्स क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय हस्तक्षेप की सिफारिश करता है।*

- काउंटरप्वाइंट रिसर्च और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण उपभोक्ता संबंधित इलेक्ट्रॉनिकी, दूरसंचार, आईटी हार्डवेयर और औद्योगिक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण माँग के साथ घरेलू और निर्यात बाजारों द्वारा संचालित होगा।
- भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास ईवी सहित उपभोक्ता संबंधित इलेक्ट्रॉनिकी और ऑटोमोबाइल में बढ़ती सेमीकंडक्टर सामग्री और स्मार्टफोन की बढ़ती माँग से प्रेरित हो सकती है, क्योंकि भारत में स्मार्टफोन की संख्या वर्ष 2026 तक एक अरब तक पहुँचने का अनुमान है।

सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

- **भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना से संबंधित योजना** सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर वेफर निर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना है।

- **भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना से संबंधित योजना**, डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य देश में टीएफटी एलसीडी/एमोलेड आधारित डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना है।
- **कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर्स फैब** और सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटी सुविधाओं (फैसिलिटीज) के गठन से संबंधित योजना ने भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (SiPh)/सेंसर (MEMS सहित) फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को पूँजीगत व्यय पर 30 प्रतिशत का वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाता है।
- **डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DL)** योजना इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (SoCs), सिस्टम और आईपी कोर तथा सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के विकास और उपयोग के विभिन्न चरणों में वित्तीय प्रोत्साहन, डिजाइन बुनियादी ढाँचे का समर्थन प्रदान करती है।
- **भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)** को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया है। आईएसएम के पास सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां हैं और उसे विनिर्माण, पैकेजिंग और डिजाइन में भारत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- सरकार ने **सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, मोहाली** को **ब्राउनफील्ड फैब** के रूप में आधुनिकीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सेमीकंडक्टर उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- **आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध :** यह **कोविड-19 महामारी, भू-राजनीतिक तनाव और व्यापारिक विवादों** के कारण देखने को मिल रहा है।
- **तकनीकी जटिलता और लघुकरण :** नवाचार करने के साथ-साथ **गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन में सुधार** और समय-समय पर बाजार सुनिश्चित करने का लगातार दबाव देखने को मिल रहा है।
- **प्रतिभा की कमी और कौशल का अंतर :** सामग्री विज्ञान, उपकरण भौतिकी, अभियांत्रिकी की प्रक्रिया और सॉफ्टवेयर विकास जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले कुशल पेशेवरों की उच्च माँग देखने को मिल रही है।
- भारत में बहुत कम सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधाएँ हैं, तथा जो मौजूद हैं वे दुनिया की नवीनतम सुविधाओं के अनुरूप परिष्कृत नहीं हैं।
- **डेलॉइट की वर्ष 2023 की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आउटलुक** रिपोर्ट के अनुसार, सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ती ब्याज दरों, उच्च मुद्रास्फीति और कम उपभोक्ता विश्वास जैसे व्यापक आर्थिक कारकों के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

2. मानव जैसी त्वचा की बायोप्रिंटिंग

वर्तमान संदर्भ

एक उल्लेखनीय प्रगति करते हुए वैज्ञानिकों की एक टीम ने बायोप्रिंटेड त्वचा (जो प्राकृतिक त्वचा के करीब-करीब समान है) के निर्माण के माध्यम से घाव को भरने में अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त की है।

विवरण

- चूहों और सूअरों पर किए गए प्रयोगों की एक श्रृंखला में, शोधकर्ताओं ने पाया कि इस नई विकसित त्वचा में घाव के निशान को कम करते हुए घाव को तेजी से भरने की उल्लेखनीय क्षमता है।
  - ✓ इन पशु परीक्षणों में, बायोप्रिंटेड त्वचा ने नई रक्त वाहिकाओं के शीघ्र निर्माण और स्वस्थ दिखने वाले नए ऊतकों की उत्पत्ति को तेज करने की उल्लेखनीय क्षमता प्रदर्शित की, जिसके परिणाम उपरोपण (ग्राफ्ट) से प्राप्त विशिष्ट परिणामों से काफी बेहतर थे।

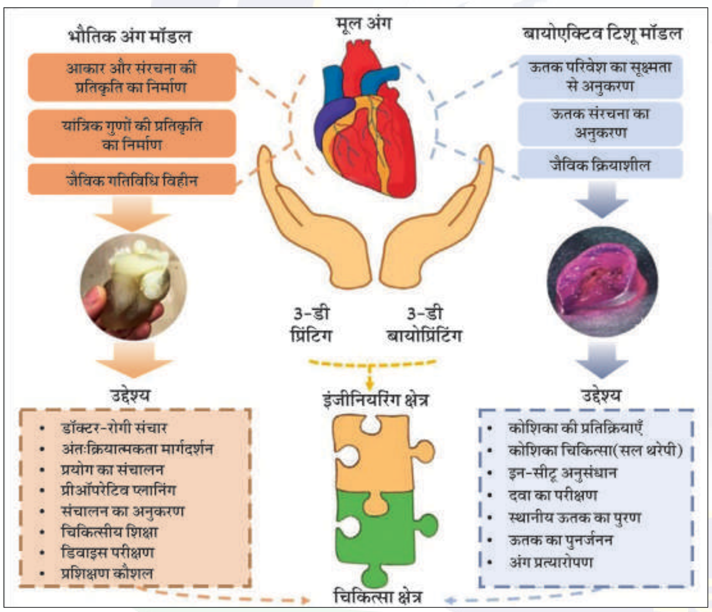

- यह नवोन्मेषी तकनीक **गंभीर रूप से जलने के उपचार में क्रांति लाने में सक्षम है,** साथ ही साथ यह तकनीक लोगों को त्वचा की प्रतिस्थापना की संभावना का अवसर प्रदान करती है।
- चोट लगने से क्षतिग्रस्त त्वचा के पूर्ण पुनर्निर्माण को बढ़ावा देकर इन चोटों के उपचार की संभावना अनुसंधान का एक रोमांचक अवसर है।
- **वेक फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर रीजनरेटिव मेडिसिन** के वैज्ञानिक **बायोप्रिंटिंग तकनीक** (जो ऊतक जैसी संरचनाओं को तैयार करने के लिए उन्नत -3डी प्रिंटिंग तकनीकों का उपयोग करती है) की क्षमता का उपयोग करके उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, जो काफी हद तक प्राकृतिक ऊतक के प्रतिरूप लगते है।
- **अनुसंधान टीम ने बायो-इंक के रूप में काम करने वाले विशेष हाइड्रोजेल के संयोजन से त्वचा की कोशिकाओं की सभी छह प्रमुख श्रेणियों का उपयोग करके सफलतापूर्वक बायोप्रिंटेड त्वचा तैयार की।**
  - ✓ परिणामी संयोजन उल्लेखनीय रूप से पूरी मोटाई वाली मानव त्वचा जैसा दिखता है, जिसमें त्वचा की सभी तीन परतें भी शामिल हैं, इसे शोधकर्ताओं ने अभूतपूर्व उपलब्धि माना है।

महत्त्व

- विश्व स्तर पर, जलना एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।
  - ✓ एक अनुमान के अनुसार, प्रत्येक वर्ष केवल आग से जलकर 2,65,000 लोगों की मृत्यु होती है, जिनमें झुलसने, बिजली से जलने और अन्य प्रकार के जलने से होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक होती हैं, जिसके लिए कोई वैश्विक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है।
  - ✓ आग से संबंधित 96 प्रतिशत से अधिक प्राणघातक घटनाएँ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं।
- भारत जलने के सबसे अधिक मामले दर्ज करने वाले देशों में से एक है, यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख जलने के मामले देखने को मिले हैं, तथा इससे लगभग 1.4 लाख मौतें और 2.4 लाख लोग विकलांग हुए हैं, जिसके कारण जलने के मामलों की संख्या सड़क दुर्घटनाओं के बाद दूसरे स्थान पर है।
- हालाँकि अस्थायी और स्थायी त्वचा उपरोपण, जिसमें एक भाग से चोट वाली जगह पर अक्षत त्वचा का प्रत्यारोपण शामिल है, जीवन बचाने और गंभीर घावों के इलाज में सहायक रहे हैं, लेकिन वे आमतौर पर त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य के पुनः प्राप्त करने में विफल रहते हैं।
- व्यापक त्वचा उपचार दुनिया भर में लाखों व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण विषय को परिलक्षित करता है, जिसके सीमित उपचार विकल्प उपलब्ध हैं।
- ये परिणाम पूरी मोटाई वाली मानव बायोअभियान्त्रिक त्वचा निर्माण

की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करते हैं, जो न केवल उपचार प्रक्रिया को तेज करती है बल्कि अधिक प्राकृतिक और सौंदर्य की दृष्टि से सुखद परिणाम भी प्रदान करती है।

- यह बायोप्रिंटेड त्वचा संभावित रूप से व्यक्तियों को भविष्य में गंभीर जलन के अलावा अन्य महत्वपूर्ण त्वचा की चोटों से पूरी तरह से ठीक होने की संभावना प्रदान करती है।

बायोप्रिंटिंग प्रौद्योगिकी

- बायोप्रिंटिंग -3डी प्रिंटिंग (जो किसी वस्तु को परत दर परत प्रिंट करने के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में एक डिजिटल फ़ाइल का उपयोग करती है) की तरह एक योगात्मक विनिर्माण (एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग) प्रक्रिया है।
- लेकिन -3डी प्रिंटिंग के विपरीत, बायोप्रिंटर कोशिकाओं और जैवसामग्री के साथ प्रिंट करते हैं, जिससे अंग जैसी संरचनाएँ निर्मित होती हैं, जो जीवित कोशिकाओं की वृद्धि में सहायता करती हैं।
- हालाँकि यह एक अपेक्षाकृत नई तकनीक है, लेकिन इसमें पुनर्योजी और वैयक्तिक चिकित्सा, दवा की खोज और सौंदर्य प्रसाधन जैसे उद्योगों को लाभ पहुँचाने की काफी अधिक क्षमता है।
- बायोप्रिंटिंग में विभिन्न प्रकार के ऊतकों को फिर से बनाने के लिए जीवित कोशिकाओं, आवश्यक पोषक तत्वों और अन्य जैविक घटकों का समामेलन शामिल होता है।

3. काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल थेरेपी

वर्तमान संदर्भ

इम्यूनोएसीटी (ImmunoACT) को भारत में रिलैप्स्ड/रेफ्रैक्टरी बी-सेल लिंफोमास और ल्यूकेमिया के लिए पहले मानवकृत सीडी-19लक्षित काइमेरिक एंटीजेन रिसेप्टर टी-सेल (CAR T-cell) थेरेपी उत्पाद के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation-CDSCO) के विपणन प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है।

विवरण

- **लॉरस लैब्स** प्रारंभ से इम्यूनोएसीटी (ImmunoACT) की समर्थक रही है तथा इसके द्वारा अनुसंधान और विकास के साथ-साथ व्यावसायीकरण प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है।
- NexCAR19 आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर (TMC) के बीच एक दशकीय सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम है।
  - ✓ NexCAR19 को आईआईटी बॉम्बे में डिज़ाइन और विकसित किया गया और उसके बाद इम्यूनोएसीटी (ImmunoACT) में सीजीएमपी (cGMP) के तहत एकीकृत प्रक्रिया विकास और विनिर्माण किया गया।
  - ✓ टाटा मेमोरियल सेंटर की टीमों द्वारा नैदानिक जाँच और इसमें होने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन किए गए।
- वर्ष 2018 में आईआईटी बॉम्बे में सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (SINE) के तत्वावधान में इम्यूनोएसीटी (ImmunoACT) की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य अकादमिक अनुसंधान को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पाद में परिवर्तित करने में सक्षम बनाना था।

टी सेल्स

- *टी सेल्स लिम्फोसाइटों का एक विविध और महत्वपूर्ण समूह हैं, जो परिपक्व होती हैं और थाइमस में सकारात्मक और नकारात्मक चयन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं।*
- *टी सेल कई प्रकार के होते हैं; इसमें से सबसे आम और प्रसिद्ध सेल इस प्रकार हैं:*
  - ✓ *सीडी4+ टी सेल्स (सहायक T कोशिकाएँ) और*
  - ✓ *सीडी8+ टी सेल्स (साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या किलर टी सेल्स)।*
- *जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सहायक टी सेल्स प्रतिरक्षा प्रणाली की अन्य कोशिकाओं को 'मदद' करते हैं, जबकि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वायरल रूप से संक्रमित कोशिकाओं और ट्यूमर को समाप्त कर देते हैं।*

महत्व

- इम्यूनोएसीटी (ImmunoACT) ने कहा है कि उसका लक्ष्य NexCAR19 (एक्टैलिकैब्टाजीन ऑटोल्यूसेल), CAR-T सेल थेरेपी को यथाशीघ्र अपने साझेदार अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराना है।
  - ✓ स्वदेशी रूप से विकसित उत्पाद देश को उन्नत सेल-और-जीन थेरेपी के वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में सहायक होगा।

- इम्यूनोएसीटी के अनुसार, इसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को उच्च गुणवत्तायुक्त और किफायती काइमेरिक एंटीजेन रिसेप्टर टी-सेल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है।
  - ✓ इससे भारत के अलावा अन्य सीमित संसाधनों वाले देशों में रोगियों को किफायती कीमत पर यह जीवनरक्षक दवा उपलब्ध होगी।
  - ✓ तकनीकी उपलब्धि के मामले में, यह भारत को उन चुनिंदा देशों की विशिष्ट सूची में शामिल करती है, जिनके पास सीएआर-टी थेरेपी मौजूद है।
- मल्टी-सेंटर के पहले/दूसरे चरण में आर/आर बी-सेल लिंफोमा और ल्यूकेमिया के 60 रोगियों पर निर्णायक नैदानिक परीक्षण किया गया था।
  - ✓ नैदानिक परीक्षण के आँकड़े लगभग 70 प्रतिशत समग्र प्रतिक्रिया दर का संकेत देते हैं।
- साइटोकाइन रिलीज़ सिंड्रोम और न्यूरोटॉक्सिसिटी की अनुपस्थिति के संदर्भ में सुरक्षा प्रोफ़ाइल अन्य व्यावसायिक रूप से अनुमोदित सीडी19-निर्देशित CAR-T सेल थेरेपी की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार का संकेत देती है।

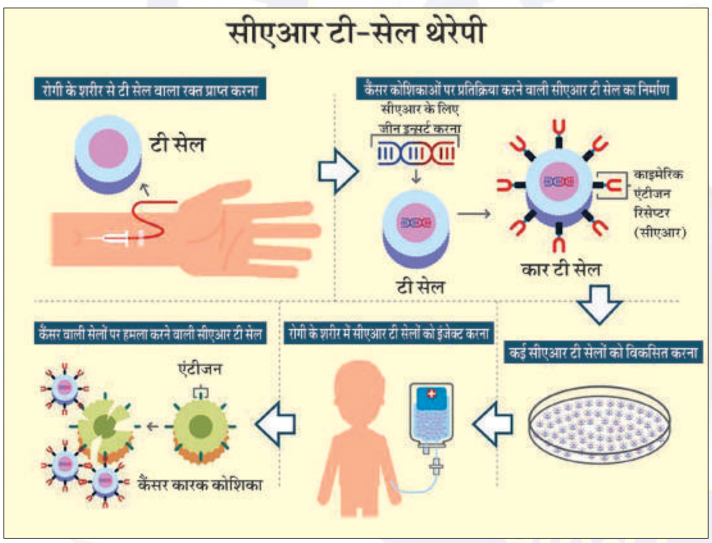

काइमेरिक एंटीजेन रिसेप्टर टी-सेल थरेपी

- **सीएआर टी-सेल थेरेपी** कैंसर के इलाज की दिशा में एक बड़ी सफलता है, क्योंकि दवाओं के सेवन पर अत्याधिक निर्भर करने वाली रसायन चिकित्सा (कीमोथेरेपी) के विपरीत इसमें रोगी की मूल कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें टी-सेल्स (कोशिकाओं) को सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है।
- सीएआर टी-सेल थेरेपी को ल्यूकेमिया (श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर) और **लिम्फोमा** (लसीका प्रणाली से उत्पन्न होने वाला कैंसर) के लिए अनुमोदित किया गया है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन

- *यह औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है।*
- *स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (National Regulatory Authority-NRA) है।*
- *औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है:*
  - *i. औषधियों की स्वीकृति।*
  - *ii. नैदानिक परीक्षण (क्लिनिकल टेस्ट) करना।*
  - *iii. औषधियों हेतु मानक निर्धारित करना।*
  - *iv. देश में आयातित औषधियों की गुणवत्ता को नियंत्रित करना।*
  - *v. राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों की गतिविधियों का समन्वय।*
- *इसके अलावा सीडीएससीओ, राज्य नियामकों के साथ, टीके और सीरा आदि जैसे महत्वपूर्ण दवाओं की कुछ विशेष श्रेणियों के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करने हेतु संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।*
- *भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) सीडीएससीओ के प्रमुख होते हैं, जो दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन हेतु जबावदेह होते हैं।*

- टी-सेलों को रोगी के रक्त से प्राप्त किया जाता है और फिर एक विशेष रिसेप्टर जीन (जो लक्षित कैंसर कोशिकाओं पर एक विशिष्ट प्रोटीन से जुड़ता है) को प्रयोगशाला में टी-कोशिकाओं में जोड़ा जाता है।
- इस रिसेप्टर को काइमेरिक एंटीजेन रिसेप्टर (सीएआर) कहा जाता है, जिसे प्रयोगशाला में बड़ी संख्या में बनाया जाता है।
- सीएआर टी-सेल थेरेपी स्थान-विशिष्ट होते हैं और कैंसर का मुकाबला करने वाली जन्मजात रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करती हैं, जिससे नैदानिक प्रभावकारिता में सुधार होता है, इसलिए इसे **"जीवन रक्षित दवाओं"** की श्रेणी में शामिल किया गया है।

काइमेरिक एंटीजेन रिसेप्टर टी-सेल थेरेपी में सुधार की संभावना

- काइमेरिक एंटीजेन रिसेप्टर टी-सेल थेरेपी तैयार करने में आने वाली कठिनाई उनके लंबे समय तक संकलन और विकास में देखने को मिलती है।
  - ✓ इसका पहला नैदानिक परीक्षण (क्लीनिकल ट्रायल) एक दशक पहले सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। इसके अलावा, वर्ष 2021 में भारत में पहली स्वदेशी रूप से विकसित चिकित्सा 2021 में की गई थी।

- विभिन्न प्रकार के ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में प्रभावकारिता प्रतिक्रिया असंगत है।
- उदाहरण के लिए, कुछ अनियंत्रित, साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम (जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली की व्यापक सक्रिय होती है और शरीर की सामान्य कोशिकाओं को संपार्श्विक क्षति होती है) चिंताजनक विषय है।
- भारत में सीएआर टी-सेल थेरेपी विकसित करना इसकी किफायती लागत पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।

4. चीन का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन

वर्तमान संदर्भ

चीन पहले से ही कक्षा में मौजूद तीन मॉड्यूलों में तीन और मॉड्यूल जोड़कर अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का विस्तार करने की योजना बना रहा है। तियांगोंग की भविष्य की योजनाओं को बाकू में हुए 74वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस (इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस) में बताई गईं।

विवरण

- इस आउट्पोस्ट की क्षमता और सामर्थ्यों का यह विस्तार इसे कक्षा में प्रयोगों और मिशनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक व्यवहार्य विकल्प बना सकता है।
- इस विस्तार का लक्ष्य निकट-पृथ्वी मिशनों, विशेष रूप से अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्रियों हेतु एक वैकल्पिक मंच प्रदान करना है, क्योंकि नासा के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) अपने परिचालन अवधि के अंत के करीब पहुँच गया है, जो वर्ष 2030 के आसपास का समय है।
- चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (CAST) [चीन के प्राथमिक अंतरिक्ष संविदाकार की एक प्रमुख इकाई] ने कहा है कि वह अंतरिक्ष स्टेशन के कार्यात्मक अवधि को 10 साल से बढ़ाकर अब 15 साल करने की योजना बना रहे हैं।

तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन

- चीनी अंतरिक्ष स्टेशन (जिसे तियांगोंग के नाम से जाना जाता है, जिसका अनुवाद "स्काई पैलेस" है) अंतरिक्ष में चीन के नवीनतम उद्यम का प्रतिनिधित्व करता है, जो तियांगोंग-1 और तियांगोंग-2 मॉड्यूल का अनुवर्ती है। वर्तमान में मौजूद तियांगोंग का वजन 96,000 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 55.6 मीटर और चौड़ाई 39 मीटर है।
- तियांगोंग 340 से 450 किलोमीटर की ऊँचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जो आईएसएस के समान प्रक्षेप पथ (ट्रजेक्टरी) है।
  - ✓ हालाँकि, तियांगोंग आईएसएस से काफी छोटा और हल्का है, जहाँ आईएसएस के 16 मॉड्यूल लगे हैं, वहीं इसमें केवल तीन मॉड्यूल हैं।
- **चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में तीन मॉड्यूल हैं:**
  - ✓ तियान्हे कोर मॉड्यूल ("पवित्र नदी" क्रू मॉड्यूल)
  - ✓ लेबोरेटरी केबिन मॉड्यूल 'वेंटियन' ("क्वेस्ट फॉर हेवन")
  - ✓ मेंगटियन ("ड्रीमींग ऑफ हेवन")

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन

- *अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है।*
- *इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दल, प्रक्षेपण वाहनों की एक श्रृंखला, विश्व स्तर पर वितरित प्रक्षेपण और उड़ान संचालन, प्रशिक्षण सुविधाएं, इंजीनियरिंग और विकास संसाधन, संचार नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान समुदाय शामिल हैं।*
- *चीन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम में भागीदार नहीं है।*

- **यह वर्ष 2022 के अंत से कार्य कर रहा है और एक समय में तीन अंतरिक्ष यात्रियों को पनाह दे रहा है।**

तियान्हे

- इसे 29 अप्रैल, 2021 को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था।
- इसमें तीन चालक दल के सदस्यों के रहने के लिए क्वार्टर हैं तथा यह बिजली, प्रणोदन, मार्गदर्शन, नेविगेशन और जीवन समर्थन प्रणालियों सहित अंतरिक्ष स्टेशन की अधिकांश प्रमुख कार्यक्षमताएं प्रदान करता है।
  - ✓ तियान्हे मॉड्यूल में एक "चिनर्म" (Chinarm) नामक रोबोटिक आर्म भी है।

वेंटियन

- वेंटियन विज्ञान मॉड्यूल ने तियान्हे के कुछ कार्यों के लिए बैकअप के रूप में नेविगेशन, प्रणोदन और अभिविन्यास नियंत्रण को संकलित किया है।
- यह एक संपीडित वातावरण के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें शोधकर्ता शून्य-गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रयोग कर सकते हैं।
- कुछ प्रयोग इस मॉड्यूल के बाहर भी आयोजित किए जा सकते हैं,

जैसे वे प्रयोग जो सौर हवाओं, ब्रह्मांडीय किरणों और अन्य अंतरिक्ष स्थितियों के संपर्क के प्रभावों को मापते हैं।

✓ वेंटियन में "इंडेक्सिंग आर्म" नामक एक रोबोटिक आर्म भी है।

मेंगटियन

- इसे मुख्य रूप से विज्ञान संबंधी प्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसने कई अत्याधुनिक भौतिकी प्रयोगों को पूरा किया, जिसमें एक ऐसी सुविधा (फैसिलिटी) भी लगाई गई है, जिसके बारे में चीन का दावा है कि यह ब्रह्मांड में सबसे ठंडा पदार्थ बना सकता है।
- 31 अक्तूबर, 2022 को मेंगटियन को कक्षा में लॉन्च किया गया और 3 नवंबर, 2022 को शेष अंतरिक्ष स्टेशन के साथ जोड़ दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस (International Astronautical Congress-IAC) एक उत्कृष्ट मंच है, जो हम सभी को एक साथ लाता है, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट करता है और मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष की अप्रयुक्त क्षमता का पता लगाने के लिए तैयार करता है।
- आईएसी 2023 को 2 से 6 अक्टूबर के बीच अज़रबैजान के बाकू में आयोजित किया गया, जिसका थीम ग्लोबल चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी : गिव स्पेस ए चांस था।
- इसकी मेजबानी **इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन** द्वारा की गयी थी।

इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन

- वर्ष 1951 में स्थापित, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन 75 देशों में 468 सदस्यों के साथ विश्व की अंतरिक्ष की बात करने वाली अग्रणी संस्था है। इसमें दुनिया भर की सभी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ-साथ उद्योग, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, समाज, संघ, संस्थान और संग्रहालय शामिल हैं।
- अपने आदर्श वाक्य "कनेक्टिंग @ एलएल स्पेस पीपल" (Connecting @ll Space People) और थीम "ए स्पेस-फेरिंग वर्ल्ड कोऑपरेटिव फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी" अर्थात, मानवता के हित के लिए सहयोग करने वाली एक अंतरिक्ष-उभरती दुनिया का अनुसरण करते हुए फेडरेशन वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर अंतरिक्ष संपत्तियों के विकास और अनुप्रयोग का समर्थन करते हुए अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान को आगे बढ़ाता है।

5. इंफाल (यार्ड 12706)

वर्तमान संदर्भ

मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने भारतीय नौसेना को **प्रोजेक्ट 15बी क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक** यानी यार्ड 12706 (IMPHAL) का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक सौंप दिया है।

इंफाल

- इस जहाज को स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग करके बनाया गया है और यह भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक जहाजों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 164 मीटर और इसका विस्थापन 7500 टन से अधिक है।
- यह सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक 'ब्रह्मोस' मिसाइलों और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली 'बराक-8' मिसाइलों से लैस है।
- यह विध्वंसक स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी रोधी हथियारों और सेंसरों से सुसज्जित है, जिनमें मुख्यतः इसके अग्रभाग पर लगे हुए सोनार हम्सा एनजी नामक भारी वजन वाले टॉरपीडो ट्यूब लॉन्चर और एएसडब्ल्यू रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं।
- यह जहाज गीगाबाइट ईथरनेट आधारित शिप डेटा नेटवर्क (जीईएसडीएन), कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस), ऑटोमैटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम (एपीएमएस) और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम (आईपीएमएस) जैसे परिष्कृत डिजिटल नेटवर्क के साथ बहुत ही उच्च स्तर के स्वचालन प्रणाली का दावा करता है।

विशेषताएँ

- इस जहाज को एक शक्तिशाली संयुक्त गैस और गैस प्रोपल्शन प्लांट (COGAG) द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें चार प्रतिवर्ती गैस टर्बाइन शामिल हैं, जो इसे 30 समुद्री मील (लगभग 55 किमी प्रति घंटे) से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- इस जहाज पर चालक दल के 312 सदस्य रह सकते हैं, इसकी क्षमता 4000 समुद्री मील है और यह जहाज क्षेत्र से बाहर विस्तारित

मिशन समय के साथ समान्यतः 42 दिनों के मिशन को अंजाम दे सकता है।

✓ इसके अतिरिक्त, इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल होने पहला विध्वंसक है, जिसे महिला अधिकारियों और नौ-सैनिकों के रहने के अनुरूप बनाया गया है।

- यह जहाज **सभी P15B जहाजों में से पहला जहाज** है, जिसे लंबी दूरी और amp की दोहरी भूमिका क्षमता के साथ-साथ ज़मीन पर हमला करने वाली उन्नत ब्रह्मोस मिसाइलों से लैश किया जाना है।
- इसने समावरक (पोत का बाहरी आवरण) को आकार देने और रडार पारदर्शी डेक फिटिंग के उपयोग के माध्यम से **उन्नत स्टील्थ सुविधाएँ** प्राप्त की हैं, जिससे इन जहाजों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
- **इस P15B श्रेणी के विध्वंसक में 72 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री** लगी है, जो कि इसके पूर्ववर्ती P15A (59 प्रतिशत) और P15 (42 प्रतिशत) श्रेणी के विध्वंसक से एक पायदान ऊपर है।
- यह जहाज अपनी पहुँच को और बढ़ाने के लिए दो हेलीकॉप्टरों से सुसज्जित है।
- दुश्मन की पनडुब्बियों, सतह के युद्धपोतों, जहाज-रोधी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के विरुद्ध इम्फाल की सर्वांगीण क्षमता इसे सहायक जहाजों के बिना स्वतंत्र रूप से संचालित करने में सक्षम बनती हैं, जिसके कारण यह नौसेना टास्क फोर्स के प्रमुख जहाज के रूप में भी कार्य करेगी।
- जहाज समुद्री युद्ध के पूर्ण विस्तार को शामिल करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों और मिशनों को पूरा करने में सक्षम एक प्रभावशाली प्लेटफॉर्म है।

अन्य जहाज

- P15B (विशाखापत्तनम) के पहले जहाज को 21 नवंबर, 2021 को जलावतरण किया गया था।
- दूसरे जहाज **(मोरमुगाओ)** को 18 दिसंबर, 2022 को जलावतरण किया गया था।
- तीसरे जहाज **(इम्फाल)** को **20 अक्टूबर, 2023** को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है।
- चौथे जहाज (**सूरत**) को **17 मई, 2022** को शुरू किया गया था और यह आउटफिटिंग के उन्नत चरण में है।

प्रोजेक्ट 15B

- प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक (कोलकाता-श्रेणी के विध्वंसक का एक उन्नत संस्करण) को भारतीय नौसेना के लिए मझगाँव डॉकयार्ड लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा बनाया गया है।
- जनवरी, 2011 में प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत चार विध्वंसक के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे।

6. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दीर्घकालिक जोखिम

वर्तमान संदर्भ

सेंटर फॉर एआई सेफ्टी के एक नवीनतम वक्तव्य के माध्यम से 350 से अधिक एआई पेशेवरों ने एआई प्रौद्योगिकी के संभावित जोखिमों पर अपनी चिंता जताई है।

विवरण

- जोखिम एक गतिशील और निरंतर विकसित होने वाली अवधारणा है, जो सामाजिक मूल्यों, तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक खोजों में बदलाव के प्रति संवेदनशील होती है।
- जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी की क्षमताएं स्पष्ट होती जाएंगी, एआई जोखिम के बारे में हमारी समझ में भारी बदलाव आ सकता है। यह लघु और दीर्घकालिक जोखिमों की पहचान करने के महत्व को रेखांकित करता है।
- तात्कालिक जोखिमों में प्रत्यक्ष चिंताएँ शामिल हैं, जैसे- एआई सिस्टम द्वारा बिना किसी खराबी के त्रुटिरहित ढंग से अपने दैनिक कार्य संपन्न करने को सुनिश्चित किया जाना।
- दीर्घकालिक जोखिमों में समाज में एआई की भूमिका से सम्बंधित व्यापक और अस्तित्व संबंधी प्रश्नों से निपटना और संपूर्ण मानवता पर इसके संभावित प्रभाव आदि शामिल है।
- इन जोखिमों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण में वर्तमान चुनौतियों पर विचार करते हुए एआई प्रौद्योगिकी के भविष्य में संभावित परिणामों को भी ध्यान में रख जाना चाहिए।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence-AI) कंप्यूटर विज्ञान का क्षेत्र है, जो ऐसी प्रणाली

के निर्माण पर केंद्रित है जो उन कार्यों को करने में सक्षम है जिनके लिए सामान्यतः मानव बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है।

स्रोत - जस्टअंडरस्टैंडिंगडेटा

- **इन कार्यों में निम्न शामिल हो सकते हैं:**

  ✓ **मशीन लर्निंग:** एआई एल्गोरिदम पूर्वानुमान हेतु या निर्णय लेने के लिए डेटा से सीखते हैं।

  ✓ **प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण:** एआई मानव भाषा को समझता है और उत्पन्न करता है।

  ✓ **कंप्यूटर विज़न:** एआई कंप्यूटर को दृश्य जानकारी की व्याख्या और विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है।

  ✓ **रोबोटिक्स:** एआई रोबोट को स्वायत्त रूप से कार्य करने के लिए नियंत्रित करता है।

  ✓ **अनुशंसा प्रणाली:** एआई द्वारा उपयोगकर्ता के व्यवहार के आधार पर उत्पादों, सामग्री या सेवाओं का सुझाव दिया जाता है।

  ✓ **स्वायत्त वाहन:** एआई स्व-चालित कारों को उर्जा प्रदान करता है।

  ✓ **स्वास्थ्य सेवा:** एआई चिकित्सा निदान और दवा खोज में सहायता करता है।

  ✓ **वित्त:** एआई का उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने, व्यापार और जोखिम मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

  ✓ **आभासी सहायक:** सिरी या एलेक्सा जैसे एआई आवाज-नियंत्रित सहायता प्रदान करते हैं।

  ✓ **गेमिंग:** एआई सिस्टम शतरंज जैसे जटिल गेम में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है।

एआई के दीर्घकालिक जोखिम

- **आवश्यक बुनियादी ढांचे में एआई:** ऐसे परिदृश्य में जहां एक शहर की जल और बिजली आपूर्ति प्रणालियाँ, प्रबंधन और रखरखाव के लिए एआई पर बहुत अधिक निर्भर हैं; यदि ये एआई सिस्टम खराब हो जाते हैं या उनमें हेर-फेर किया जाता है, तो इससे व्यापक व्यवधान पैदा हो सकता है, जिससे सार्वजनिक कल्याण प्रभावित हो सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव:** चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के पास एआई विनियमन के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। यदि ये क्षेत्र वैश्विक एआई प्रशासन पर सहयोग नहीं करते हैं, तो इसकी परिणति असमान एआई विकास के रूप में हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी भी देश द्वारा वैश्विक नैतिक मानकों का पालन किए बिना अपनी एआई क्षमताओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसके परिणाम अनापेक्षित हो सकते हैं।
- **सैन्य एआई जोखिम:** स्वायत्त सैन्य ड्रोन या एआई-संचालित हथियारों का विकास उनके संभावित दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में चिंताजनक हो सकता है। स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और विनियमों के बिना, ये प्रौद्योगिकियाँ संघर्षों में वृद्धि का कारण बन सकती हैं या विनाशकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती हैं।
- **अस्तित्वगत जोखिम:** मानव क्षमताओं से श्रेष्ठ अत्यधिक-बुद्धिमान एआई सिस्टम का विकास संभावित रूप से मानवता के अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकता है, जैसे- वैश्विक संघर्ष प्रारंभ करना, संसाधनों का गलत आवंटन या पर्यावरणीय आपदाएं उत्पन्न करना।
- **नैतिक पहलू:** एआई द्वारा संचालित **चेहरे की पहचान तकनीक (Facial recognition technology)** का उपयोग सरकारों और निगमों द्वारा निगरानी के लिए किया जा रहा है। यह गोपनीयता, नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के बारे में नैतिक प्रश्न उठाता है, क्योंकि व्यक्तियों की पहचान और गतिविधियों पर उनकी सहमति के बिना नजर रखा और विश्लेषण किया जा सकता है।
- **एआई और स्वास्थ्य देखभाल:** चिकित्सा निदान और उपचार योजना में एआई का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। उचित विनियमन नहीं किए जाने की स्थिति में स्वास्थ्य देखभाल में एआई पर निर्भरता से

गलत निदान हो सकता है या सर्वोत्तम रोगी परिणामों के बजाय लागत प्रभावी उपचार को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है।

- **डीपफेक:** एआई-जनित डीपफेक वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के प्रसार से गलत सूचना और हेर-फेर संभव है। इन तकनीकों का उपयोग राजनीतिक हस्तियों सहित व्यक्तियों का प्रतिरूपण करने और भ्रामक बातें फैलाने के लिए किया जा सकता है।
- **सोशल मीडिया हेर-फेर:** एआई-संचालित सोशल मीडिया एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं को संलग्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अक्सर इको चेंबर्स (Echo Chambers) और चरमपंथी विचारधाराओं के प्रसार का कारण बनता है। समय के साथ, यह समाजों का ध्रुवीकरण करने और तर्कसंगत चर्चा में बाधा उत्पन्न करने में सक्षम है।

भारत में एआई के नियमन के लिये प्रमुख नीतिगत ढाँचे

- **डिजिटल इंडिया अधिनियम** का उद्देश्य भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करना है, जो साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा और मध्यस्थ विनियमन जैसे मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा **राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (NDGFP)** का मसौदा जारी किया गया है।
  - ✓ इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य भारत में एआई और डेटा-संचालित अनुसंधान और स्टार्ट-अप के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जो डेटासेट के व्यापक भंडार की स्थापना करके प्राप्त किया गया है।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप (जीपीएआई)** एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसमें कई हितधारक शामिल हैं और इसका उद्देश्य मानवाधिकार, समावेश, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास जैसे सिद्धांतों पर जोर देते हुए एआई के उत्तरदायित्वपूर्ण विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
  - ✓ वर्ष 2023 का जीपीएआई शिखर सम्मेलन 12-14 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली (भारत) में प्रस्तावित है।
- **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)** द्वारा 20 जुलाई, 2023 को **"दूरसंचार क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़े डेटा का लाभ उठाने"** पर सिफारिशें जारी की गयी।
  - ✓ सिफारिश दस्तावेज में सभी क्षेत्रों के एआई को शामिल करने वाले एक सामान्य नियामक ढांचे की तत्काल स्थापना का आह्वान किया गया है।
- फरवरी 2023 में अपने बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि डिजिटल निरंतरता समाधान की तलाश करने वाले देशों के लिए, भारत, **गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (GIFT IFSC)** में अपने डेटा दूतावास स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगा।

7. नीमन-पिक रोग

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में नीमन-पिक रोग, एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार (जो शरीर की कोलेस्ट्रॉल और वसा चयापचय करने की क्षमता को प्रभावित करता है) से पीड़ित बच्चों के माता-पिता ने केंद्र सरकार से इस बीमारी को दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत अधिसूचित करने का आग्रह किया है।

विवरण

- यह वित्तीय सहायता और महँगी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ज़ेनपोज़ाइम तक पहुँच प्रदान करेगा।
- यह बीमारी 250,000 व्यक्तियों में से एक को प्रभावित करती है और वर्तमान में भारत में केवल कुछ दुर्लभ बीमारियों के लिए अनुमोदित उपचार हैं।
- **भारत के औषधि महानियंत्रक** की समिति ने अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से मंजूरी मिलने के उपरांत एक फार्मा कंपनी को भारत में दवा के आयात और विपणन की अनुमति दे दी।
  - ✓ ज़ेनपोज़ाइम को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जापान और मलेशिया में 'दुर्लभ दवा' का दर्जा दिया गया है।
- नीमन पिक इंडिया चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन के अनुसार, दिल्ली के दो बच्चों सहित कुल 16 बच्चों (जो इलाज के लिए पात्र हैं) की पहचान रोगियों के रूप में की गई है।

दुर्लभ रोग क्या है?

- दुर्लभ बीमारी कम प्रसार वाली एक स्वास्थ्य स्थिति है जो सामान्य आबादी में अन्य प्रचलित बीमारियों की तुलना में कम संख्या में लोगों को प्रभावित करती है।
- एक अनुमान के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 6000 से 8000 दुर्लभ बीमारियाँ पाई गई हैं, और चिकित्सा साहित्य में नियमित रूप से नई दुर्लभ बीमारियाँ बताई जाती हैं।

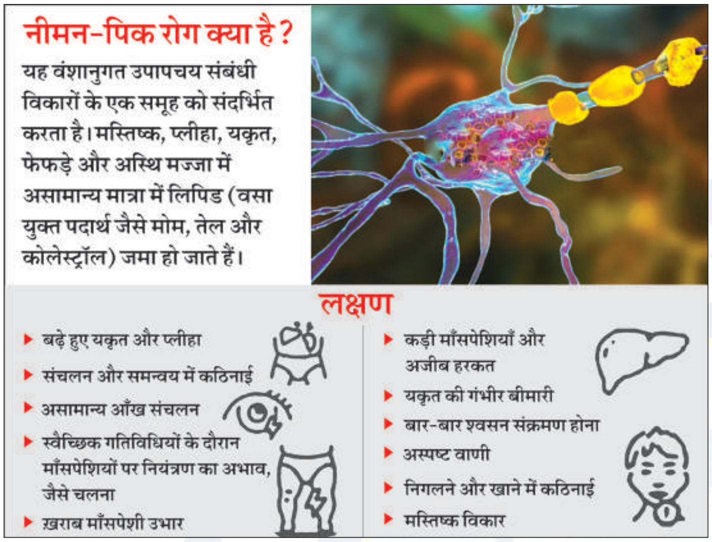

- ✓ हालाँकि, सभी दुर्लभ रोग रोगियों में से 80 प्रतिशत लगभग 350 दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित होते हैं।

- दुर्लभ बीमारियों में आनुवंशिक रोग, दुर्लभ कैंसर, संक्रामक उष्णकटिबंधीय रोग और अपक्षयी रोग सम्मिलित हैं। 80 प्रतिशत दुर्लभ बीमारियाँ मूल रूप से आनुवांशिक होती हैं और इसलिए ये बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
- भारत में लगभग 72 से 96 मिलियन लोग दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित हैं।
- भारत में लगभग 500 दुर्लभ बीमारियाँ पहचानी गई हैं, जिसमें भारत के औषधि महानियंत्रक का अनुमोदित उपचार वर्तमान में केवल कुछ के लिए उपलब्ध है, जिनमें गौचर रोग, पोम्पे रोग, एमपीएस-1 और फैब्री रोग सम्मिलित हैं।

दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति

- सरकार ने दुर्लभ बीमारी से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (National Policy for Rare Diseases-NPRD), 2021 शुरू की है।

राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति

- *एक पांच सदस्यीय पैनल है जो दुर्लभ रोग नीति को लागू करने और रोगियों को कुशल उपचार सुनिश्चित कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित दुर्लभ रोगों के रोगियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करेगा।*

रेयर डिजीज इंटरनेशनल

रेयर डिजीज इंटरनेशनल (आरडीआई) रोगी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है। यह दुनिया भर में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित सभी व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए अधिक समानता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दुर्लभ रोग समूहों और संघों को परस्पर साथ लाता है।

- **इसकी मुख्य विशेषताओं को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है**
  - ✓ **समूह 1:** एक बार उपचारात्मक उपचार उपलब्ध।
  - ✓ **समूह 2:** अपेक्षाकृत कम लागत और दस्तावेजी लाभों के साथ दीर्घकालिक/जीवन भर उपचार की आवश्यकता होती है।
  - ✓ **समूह 3:** जीवन भर चिकित्सा की चुनौतियों के साथ रोगी चयन, उच्च लागत युक्त निश्चित उपचार उपलब्ध है।

- राष्ट्रीय आरोग्य निधि की मुख्य योजना के बाहर, एनपीआरडी-2021 में उल्लिखित किसी भी उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence-CoE) में इलाज के लिए दुर्लभ बीमारियों की सभी श्रेणियों के रोगियों के लिए 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।
- वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, मरीजों को मूल्यांकन के लिए निकटतम उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) से संपर्क करना चाहिए।
- दुर्लभ बीमारियों के निदान, रोकथाम और उपचार के लिए आठ उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की पहचान की गई है।
- आनुवंशिक परीक्षण और परामर्श सेवाओं के लिए पांच निदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

8. गुलाबी इल्ली कीट

वर्तमान संदर्भ

राजस्थान और हरियाणा में गुलाबी इल्ली कीट (Pink Bollworm-PBW) के प्रकोप के कारण उत्तर भारत में होने वाले कपास उत्पादन पर संकट विद्यमान है।

विवरण

- वर्ष 2021 से इस कीट का प्रकोप, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण-पश्चिमी पंजाब के कपास क्षेत्र में प्रायः देखे जाने वाली चुनौती के रूप में सामने आया है परन्तु पहले की अपेक्षा इस बार होने वाला नुकसान कहीं अधिक व्यापक और गंभीर है।
- राजस्थान सरकार द्वारा हनुमानगढ़ और गंगानगर जैसे फसल

प्रभावित जिलों में किसानों को 10 दिनों के भीतर सहायता प्रदान करने घोषणा की गई है।

- हरियाणा में कपास उत्पादन करने वाले 25 फीसदी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत नुकसान हुआ है।
- इस वर्ष समय से पहले बारिश होने के कारण गुलाबी इल्ली कीट (Pink Bollworm) का प्रकोप अधिक व्यापक है, क्योंकि बारिश इन कीड़ों की वृद्धि और पनपने के लिए अनुकूल है।
- दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो कि जोधपुर स्थित कृषि विज्ञान संगठन है, के अध्यक्ष ने बताया कि बीटी कपास (जिसमें मृदा के बैक्टीरिया के जीन शामिल होते हैं जो अमेरिकी इल्ली कीट हेतु विषाक्त प्रोटीन हैं) ने भी पीबीडब्ल्यू के विरुद्ध अपनी प्रतिरोधी क्षमता खो दी है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति

- *जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए उत्पादन / उपयोग / आयात / निर्यात और खतरनाक सूक्ष्म जीवों / आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक जीवों अथवा कोशिकाओं कीभंडारण नियमावली (नियम, 1989)" के तहत गठित सांविधिक समिति है।*
- *यह समिति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अधीन कार्य करती है।*
- *यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है।*
- *यह समिति प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से परिवर्तित (जीई) जीवों और उत्पादों को बाजार में लाने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए भी उत्तरदायी है।*

गुलाबी इल्ली

- गुलाबी इल्ली या पेक्टिनोफोरा गॉसीपिएला एक कीट है जो कपास के पौधों के प्रजनन भागों, (जहाँ रेशे पैदा होते हैं) को खाता है।
- पीबीडब्ल्यू लार्वा कपास के पौधों के विकासशील फलों (बॉल्स) में घुस जाते हैं, तथा लिंट फाइबर और बीज वाले बीजकोषों के वजन और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है।
  - ✓ जब लार्वा परिपक्व हो जाते हैं, तो वे सन अर्थात, रूई के गोल बीज को काटकर जमीन पर गिरा देते हैं और मिट्टी की सतह के पास कोकून बनाते हैं।
- यह कीड़ा कपास के बीजों को खाता है और इस प्रकार कपास के सन अर्थात, रूई के गोल बीज के खुलने से बहुत पहले ही उसमें कपास के रेशों के विकास को रोक देता है।
  - ✓ इल्ली एक घातक कीट है, जो बुआई के 70-65 दिन बाद कपास के पौधे पर फूल आने की अवस्था के समय दिखाई देता है। यह मोनोफैगस या केवल कपास के पौधों को खाने वाला कीट है।

गुलाबी इल्ली का जीवन चक्र

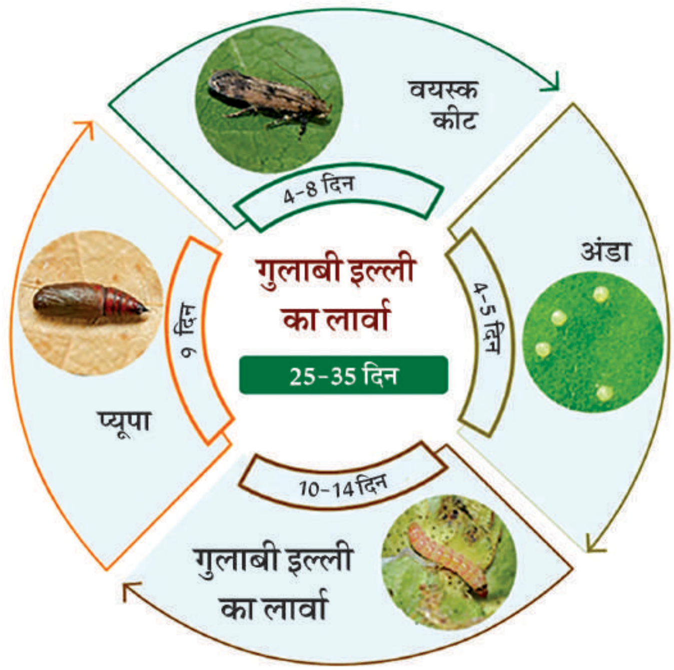

- इसे दुनिया भर में कपास के लिए सबसे नुकसानदायक कीटों में से एक माना जाता है तथा यह भारत में कपास उद्योग के लिए एक बड़ी समस्या है।
  - ✓ यह रूस, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों के तथा ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है।
- भारत में इसे पहली बार वर्ष 1842 में देखा गया था।

जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग से इल्ली का प्रतिरोध

- कपास को गुलाबी इल्ली कीट (बॉलवर्म) सहित प्रमुख लेपिडोप्टेरान कीटों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए **बैसिलस थुरिंगिएन्सिस (बीटी)** जीवाणु से कीट-नाशक प्रोटीन का उत्पादन करने हेतु आनुवंशिक संशोधित किया गया है। आनुवंशिक रूप से संशोधित की गई फसलों में उपस्थित बीटी प्रोटीन सामान्य लोगों, अन्य कशेरुकियों, या सबसे फायदेमंद कीड़ों के लिए विषाक्त नहीं है।
- भारत के जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक) नियामक **जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)** ने बायोसीड रिसर्च इंडिया, हैदराबाद को गुलाबी इल्ली कीट के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए जैव सुरक्षा अनुसंधान के पहले स्तर (बीआरएल1-) के परीक्षण को मंजूरी दे दी।
  - ✓ इस किस्म (बीटी कपास) के एक जीन Cry2Ai को बैसिलस थुरिंगिएन्सिस जीवाणु से लिया गया है। यह पौधे को ऐसे प्रोटीन का निर्माण करने में मदद करता है, जो गुलाबी इल्ली कीट (पिंक बॉलवॉर्म) के लिए जहरीला होता है।

7. आंतरिक सुरक्षा

1. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में अफस्पा विस्तारित

वर्तमान संदर्भ

गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (**Armed Forces (Special Powers) Act-AFSPA**) को अगले छह महीने के लिए विस्तारित कर दिया है।

विवरण

- अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग (लांगडिंग) जिले के साथ-साथ असम की सीमा से लगने वाले नामसाई जिले में नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को **अफस्पा 1958** की धारा 3 के तहत "अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया है।
- राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद नागालैंड के नौ जिलों के अलावा चार जिलों के 16 पुलिस स्टेशनों को भी "अशांत क्षेत्र" घोषित कर दिया गया।
- इससे पहले 1 अप्रैल को, गृह मंत्रालय ने असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में "अशांत क्षेत्रों" की संख्या में काफी कम कर दी थी। वर्ष 1995 से पूरे नागालैंड में अफस्पा लागू था।

अफस्पा की अवधि विस्तार की वजह

- नागालैंड जैसे उग्रवाद प्रभावित राज्यों में उग्रवाद-रोधी अभियानों में लगे सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्य-पद्धति राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता है।
- अरुणाचल प्रदेश पर केंद्रित चीनी आक्रामकता इस क्षेत्र को किसी भी समय संघर्ष का संभावित केंद्र बनाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में निर्बाध प्रतिक्रिया तंत्र के साथ-साथ भारी सैन्य उपस्थिति की आवश्यकता होती है।
- ऐसे माहौल में काम करने वाले सशस्त्र बलों को एक सक्षम कानून के रूप में कुछ विशेष अधिकार और सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- यह अधिनियम अशांत क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (अफस्पा) 1958

- **अफस्पा (AFSPA)** "अशांत क्षेत्रों" में तैनात सशस्त्र बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मारने और गिरफ्तारी करने के अलावा बिना वारंट और कानूनी अभियोजन की संरक्षा के किसी भी परिसर की तलाशी लेने की अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान करता है।

अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र

- *इस अधिनियम को वर्ष 1972 में* ***संशोधित*** *किया गया था और अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, किसी क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने का अधिकार राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई।*
- *केंद्रीय गृह मंत्रालय केवल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए* ***अफस्पा*** *की अवधि बढ़ाने के लिए समय-समय पर अधिसूचना जारी करता है।*
- *मणिपुर और असम के लिए, राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचनाएँ जारी की जाती हैं।*
- *त्रिपुरा और मेघालय ने क्रमशः वर्ष 2015 और वर्ष 2018 में इस अधिनियम को वापस ले लिया था। मेघालय में 27 वर्षों के बाद इसको वापस लिया गया।*

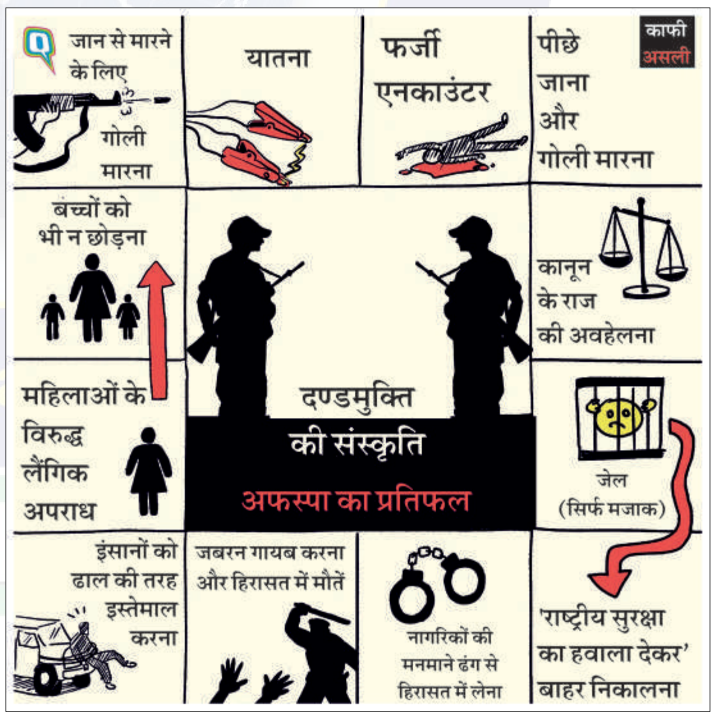

- इस अधिनियम को पहली बार वर्ष 1958 में नागा हिल्स में विद्रोह और उसके बाद असम में विद्रोह से निपटने के लिए लागू किया गया था।
- अफस्पा को तब लागू किया जाता है जब उग्रवाद या विद्रोह का कोई ऐसा मामला सामने आता है, जिससे भारत की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में होती है।

- **इस अधिनियम का मूल:**
  - ✓ यह भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के समय का ब्रिटिश काल का कानून है, जिसे वर्ष 1947 में चार अध्यादेशों के माध्यम से जारी किया गया था।
  - ✓ स्वतंत्रता के बाद, प्रधानमंत्री नेहरू ने वर्ष 1958 में इसे एक अधिनियम के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया।

अफस्पा की आलोचना

1. मानवाधिकारों का उल्लंघन

- सशस्त्र बलों द्वारा इन असाधारण शक्तियों के प्रयोग से अक्सर अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर फर्जी मुठभेड़, लैंगिक अपराधों और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं, जबकि नागालैंड और जम्मू-कश्मीर जैसे कुछ राज्यों में अनिश्चित काल तक अफस्पा लगाए जाने पर सवाल उठाए गए हैं।
- हाल के वर्षों में कई घटनाओं ने इन चिंताओं पर ध्यान आकृष्ट किया है, जिनमें मोन किलिंग से लेकर जम्मू-कश्मीर के शोपियाँ में फर्जी एनकाउंटर तक शामिल हैं।
  - ✓ गृह मंत्रालय के अनुसार, दिसंबर, 2021 में भारतीय सेना के एक असफल ऑपरेशन में कुल 14 नागरिक मारे गए थे।

2. वास्तविक शक्ति का दुरुपयोग

- किसी अधिकारी के विवेक पर देखते ही गोली मारने की शक्ति, अत्यधिक महत्व के आधार पर जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
- आपातकाल के दौरान भी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) तथा अनुच्छेद 20 के तहत कुछ अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन सशस्त्र बलों को दी गई परम शक्ति इन अंतर्निहित अधिकारों को निलंबित कर देती है।

3. संवैधानिक दृष्टिकोण का उल्लंघन

- सशस्त्र बलों को दी गई मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति अनुच्छेद 22 की अवधारणा के विरुद्ध है, जो निवारक और दंडात्मक हिरासत के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।
- उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना होगा।

4. किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के विरुद्ध प्रतिरक्षा

- अफस्पा के खिलाफ सबसे अधिक आक्रोश का मुख्य कारण सशस्त्र बलों को दी गई छूट है।
- केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई अभियोजन, मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
- यह प्रतिरक्षा सशस्त्र बलों की रक्षा करती है और उनको कभी-कभी अनुचित निर्णय लेने की सुविधा भी देती है, स्पष्ट रूप से संदिग्ध है।

महत्वपूर्ण उपाय

1. जीवन रेड्डी समिति की सिफ़ारिशें

- नवंबर, 2004 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया।

- **इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्न हैं :**
  - ✓ अफस्पा को निरस्त किया जाना चाहिए और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में उचित प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए।
  - ✓ सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए और प्रत्येक जिला (जहाँ सशस्त्र बल तैनात हैं) में शिकायत कक्ष स्थापित किए जाने चाहिए।

2. दूसरी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफ़ारिश

- सार्वजनिक व्यवस्था पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की 5वीं रिपोर्ट में भी अफस्पा को हटाने की सिफारिश की गई है। हालाँकि, इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है।

3. संतोष हेगड़े समिति

- मणिपुर में वर्ष 1979 से अब तक 1528 लोगों को मुठभेड़ में मारने की जाँच के लिए वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संतोष हेगड़े की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।
- संतोष हेगड़े समिति ने वर्ष 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि छह में से पाँच मुठभेड़ "यथार्थ नहीं" थे और "बिना किसी ज्ञात आपराधिक पृष्ठभूमि" वाले व्यक्तियों के विरुद्ध "अनुचित बल" का प्रयोग किया गया था, साथ ही इसने यह भी कहा कि अफस्पा ने नागरिकों को इसके दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान किए बिना सुरक्षा बलों को "व्यापक शक्तियाँ" दीं हैं।

- इसके अलावा, समिति का विचार था कि यदि अधिक शक्ति दी जाएगी तो नियंत्रण भी उतना ही अधिक होगा और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए तंत्र भी उतना ही कठोर होगा, लेकिन मणिपुर के मामले में इस प्रकार की कोई संभावना नहीं थी।

4. इस अधिनियम पर उच्चत्तम न्यायालय की राय

- उच्चत्तम न्यायालय ने **नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ मामले के फैसले (1998)** में अफस्पा की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए कहा है कि–
  - ✓ केंद्र सरकार द्वारा स्वतः संज्ञान से घोषणा की जा सकती है, हालाँकि, यह वांछनीय है कि घोषणा करने से पहले केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से परामर्श किया जाना चाहिए।
  - ✓ इसकी घोषणा सीमित अवधि यानी 6 महीने के लिए होनी चाहिए और समय-समय पर यानी घोषणा के 6 महीने की अवधि के समाप्त होने से पहले इसकी समीक्षा होनी चाहिए।
  - ✓ अफस्पा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय, प्राधिकृत अधिकारी को निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के संदेह के खिलाफ धारा 4 के तहत प्रभावी कार्रवाई के लिए आवश्यक न्यूनतम बल का उपयोग करना चाहिए।
  - ✓ धारा 4 के तहत गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को सौंपना होगा।

- **एक्स्ट्रा जूडिशल एक्सक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन (EEVFAM) और अन्य याचिकाकर्ता बनाम भारत संघ और अन्य (2016)** में उच्चत्तम न्यायालय ने निम्न बातें कहीं-
  - ✓ 'अशांत क्षेत्रों' में प्रत्येक मौत, चाहे वह किसी आम व्यक्ति की हो या विद्रोही हो, के संबंध में एनएचआरसी के कहने पर सीआईडी द्वारा गहन जाँच की जानी चाहिए।
  - ✓ अशांत क्षेत्र में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक शस्त्रधारी व्यक्ति दुश्मन (शत्रु) नहीं है।
  - ✓ भले ही उसे दुश्मन माना जाए, लेकिन इसकी गहन जाँच होनी चाहिए, क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान के अनुच्छेद 21 सहित सभी मौलिक अधिकारों का हकदार है।
  - ✓ यदि जाँच में पीड़ित को दुश्मन पाया जाता है, तो भी जाँच में यह देखना चाहिए कि क्या अत्यधिक या प्रतिशोधात्मक बल का उपयोग किया गया था।
  - ✓ अपराध करने वाले सेना कर्मियों के लिए पूर्ण छूट की कोई अवधारणा नहीं है।

- उच्चत्तम न्यायालय ने वर्ष 1979 से वर्ष 2012 तक मणिपुर राज्य में सुरक्षा बलों द्वारा कथित गैरकानूनी मुठभेड़ों की जाँच (2017) का आदेश दिया।
  - ✓ मणिपुर में हुई 1,528 हत्याओं की जाँच की माँग करने वाले पीड़ितों के परिवारों और गैर-सरकारी समूहों द्वारा दायर याचिका के जवाब में न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा कम से कम 87 मुठभेड़ों की जाँच के लिए पाँच सदस्यीय टीम गठित करने का निर्देश दिया।

2. इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया

वर्तमान संदर्भ

इंटरपोल ने भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर कथित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) आतंकवादी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया है।

विवरण

- करणवीर सिंह भारत में आपराधिक साजिश और हत्या समेत कई आरोपों में वांछित घोषित है। माना जाता है कि 38 वर्षीय करणवीर सिंह पाकिस्तान में छिपा हुआ है।
- बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक खालिस्तानी आतंकवादी समूह है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है।
- जून में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच बढ़ते हुए तनाव के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है।
  - ✓ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया गया, जबकि भारत द्वारा इन दावों को "बेतुका" और "प्रेरित" की संज्ञा दी गयी है।

- इंटरपोल द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, करणवीर सिंह पर आपराधिक साजिश, हत्या, शस्त्र अधिनियम से संबंधित अपराध,

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित अपराध, आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाने और आतंकवादी गिरोह का सदस्य होने का आरोप है।

इंटरपोल

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) की स्थापना वर्ष 1923 में सुरक्षित सूचना-साझाकरण के लिए की गई थी, जो दुनिया भर में पुलिस बलों की आपराधिक जांच में सहायता करती है।
- इसका मुख्यालय ल्योन, फ्रांस में है। इसमें 195 सदस्य देश हैं। भारत वर्ष 1949 से इसका सदस्य है।

इंटरपोल की कार्यप्रणाली

1. यह विभिन्न क्षेत्रों में अपराधियों और पुलिस के रडार पर आने वाले लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखता है और उन पुलिस बलों को सूचना देता है जिन्होंने या तो इंटरपोल की सहायता मांगी थी या जो इंटरपोल की नज़र में उसके पास उपलब्ध विवरणों से लाभान्वित होंगे।
2. इसका उद्देश्य आपराधिक पुलिस बलों के बीच व्यापक संभव पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना है।
3. यह विभिन्न पुलिस बलों से प्राप्त सूचनाओं के प्रभावी संग्रह और प्रसार में संलग्न रहता है।

- किसी देश की कानून प्रवर्तन एजेंसी का इंटरपोल के साथ सभी प्रकार से संपर्क देश की सर्वोच्च जांच संस्था के माध्यम से होता है।
  - ✓ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भारत में एक नोडल एजेंसी है, जिसका एक वरिष्ठ अधिकारी इस विश्व निकाय के साथ संपर्क के लिए इसके विशेष इंटर-विंग का नेतृत्व करता है।

3. सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, भारत के रक्षा मंत्री ने 98 वस्तुओं की पाँचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (पीआईएल) जारी की, जिसमें शामिल सामग्री को तीनों सशस्त्र सेनाओं द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं से चरणबद्ध तरीके से खरीदा जाएगा।

विवरण

- रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना का नवीनतम स्वदेशीकरण रोडमैप भी जारी किया, जिसे **स्वावलंबन 2.0** नाम दिया गया है।
- नवीनतम स्वदेशीकरण सूची प्रमुख प्रणालियों के घटकों के आयात प्रतिस्थापन पर विशेष ध्यान देती है, जिन्हें विकसित किया जा रहा है और इसके अगले पाँच से दस वर्षों में स्थायी ऑर्डर के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है।
- इस सूची में शामिल वस्तुएँ घरेलू उद्योग को सशस्त्र बलों के अनुरूप और भविष्य की जरूरतों को समझने के साथ-साथ देश के भीतर अपेक्षित अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण क्षमता तैयार करने के लिए पर्याप्त दृष्टिकोण और अवसर प्रदान करेंगी।
- एनआईआईआईओ (NIIO) और रक्षा नवाचार संगठन

(Defence Innovation Organisation-DIO) ने **iDEX इनोवेटर्स हब (iIH)** के माध्यम से रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में उद्यम पूँजी (वेंचर कैपिटल) के निवेश की सुविधा पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए एक समझौता किया।

- **'INVentT' (iDEX-नेवी वेंचर फॉर टेक्नोलॉजी)** शुरु करने के अतिरिक्त शिक्षा जगत और उद्योग सहित कई अन्य समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया।
- **एसबीआई नैवईकैश (SBI NAVeCash)** कार्ड भी जारी किया गया। यह कार्ड भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय नौसेना द्वारा विकसित अपनी तरह का एक अनूठा डुअल-चिप डेबिट कार्ड है।
- iDEX और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग (US DoD) द्वारा संयुक्त रूप से अंतिम रूप दिए गए 'INDUS-X म्यूचुअल प्रमोशन ऑफ एडवांस्ड कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजीज' (IMPACT) के चैलेंजों के अंतर्गत **दो INDUS X चैलेंजों** की शुरुआत की गई।

पाँचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची

- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (Positive Indigenisation List-PIL) में मुख्यतः उन वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिनको सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) द्वारा केवल घरेलू निर्माताओं से खरीदा जाएगा। इसके निर्माता निजी क्षेत्र या रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (Defense Public Sector Undertakings-DPSUs) से हो सकते हैं।
- पाँचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची सैन्य कार्य विभाग (Department of Military Affairs-DMA) द्वारा तैयार की गई है।
  - ✓ डीएमए ने इससे पहले चार सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ जारी की थीं, जिनमें 411 सैन्य सामग्री शामिल थीं।
- इस सूची में कुछ वस्तुओं में एक भविष्योन्मुखी पैदल सेना लड़ाकू वाहन, आर्टिकुलेटेड ऑल-टेरेन वाहन, कई प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन, तोपखाने के लिए एक मध्यम दूरी की सटीक मारक प्रणाली, Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के लिए गुरुत्वाकर्षण रोलर्स और पी81 के फ्लेयर्स, मीग 29-के एयरक्राफ्ट आदि-फ्लेयर शामिल हैं।

महत्व

- इस सूची में शामिल वस्तुएँ घरेलू उद्योग को सशस्त्र बलों की भविष्य की जरूरतों को समझने और देश के भीतर अनुसंधान एवं विकास के साथ-साथ विनिर्माण क्षमता विकसित करने में मदद करेंगी।
- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- कोविड19- और यूक्रेन युद्ध ने उद्योगों को अपनी रणनीतियों को फिर से बनाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से व्यवस्थित करने और झटके के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए मजबूर किया है।

5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची

क्रम संख्या	विवरण
दिसंबर 2028 से प्रभावी	
91.	हल्के वजन वाले टारपीडो के लिए इलेक्ट्रो विस्फोटक उपकरण
92.	व्यक्तिगत बचाव प्रकाश स्तम्भ
93.	जहाजों के लिए भारतीय क्षेत्रीय नेवीगेशन उपग्रह प्रणाली रिसीवर
94.	बीएमपी -II आधारित बख्तरबंद वाहन ट्रैक (एवीटी)(एल आर)
दिसंबर 2030 से प्रभावी	
95.	हवा में प्रक्षेपित एण्टी रेडिएशन कॉम्बैट स्वार्म ड्रोन
96.	विमान वाहक पोत के लिए प्रिसीजन अप्रोच रडार
97.	अधिक ऊँचाई आधारित छद्म उपग्रह (एच ए पी एस)
98.	मिग-29 विमान के लिए फ्लेयर

- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों ने एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने तथा आयात में कटौती करने के मजबूत संकल्प का संकेत दिया है।

रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण

- रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम करके, अपनी स्वयं की सैन्य प्रौद्योगिकी और उपकरणों को आत्मनिर्भर रूप से विकसित करने हेतु देश का एक प्रयास है।
- इस रणनीति में घरेलू रक्षा उद्योगों, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और बाहरी जोखिमों को कम करना शामिल है।
- **SIPRI (स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट) के आंकड़ों के अनुसार:** सरकार के रक्षा उत्पादन में "मेक इन इंडिया" पर लगातार जोर देने के बावजूद, भारत वर्ष 1993 से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है, जो वर्ष 2018-2022 में कुल वैश्विक आयात का 11 प्रतिशत है।

रक्षा उत्पादों में स्वदेशीकरण के निम्न स्तर की वजह

- **व्यावहारिक व्यापक नीति का अभाव :** वर्तमान समय में स्वदेशीकरण की अलग-अलग तरीकों से व्याख्या की जाती है, और स्वदेशीकरण द्वारा, विशेषकर विशेष मिश्र धातुओं और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में पैसा बचाना हमेशा संभव नहीं होता है।
- **व्यापक संगठन का अभाव :** स्वदेशीकरण में कई एजेंसियाँ शामिल हैं, लेकिन उनके प्रयास असंबद्ध होने के साथ-साथ उनमें समन्वय की कमी है।

- **प्रक्रियात्मक जटिलताएँ :** स्वदेशीकरण में शामिल एजेंसियाँ अपनी प्रक्रियाओं और मानदंडों का पालन करना जारी रखती हैं, जिससे निजी क्षेत्र, विशेषकर एमएसएमई से भागीदारों का चयन करना मुश्किल हो जाता है।
- **बजटीय बाधाएँ :** भविष्य के उपकरणों, प्लेटफार्मों और हथियार प्रणालियों के बड़े पैमाने पर स्वदेशी डिजाइन, विकास और उत्पादन के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करना मुश्किल है।

सरकार द्वारा की गई पहल

- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defense Acquisition Procedure-DAP)** त्रि-सेवाओं और अन्य संबद्ध रक्षा सेवाओं, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, उत्पादों और सेवाओं की खरीद को आसान बनाकर रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देती है।
- **रक्षा उद्योग में एफडीआई नीति**
  - ✓ स्वचालित मार्ग द्वारा 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति।
  - ✓ सरकार के माध्यम से 100 प्रतिशत तक एफडीआई, जिसमें यह आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान कर सकता है।
- **मिशन डेफस्पेस (DefSpace):** इसे अंतरिक्ष क्षेत्र में रक्षा संबंधी नवाचारों और विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया।
- **रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार (iDEX)** को एमएसएमई, स्टार्ट-अप, व्यक्तिगत नवाचारकों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और अकादमिक सहित उद्योगों को शामिल करके रक्षा और हवाई क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल, 2018 में शुरू किया गया था।
- सरकार ने हवाई क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा देश में एक व्यापक रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने हेतु **दो (उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में एक-एक)** रक्षा औद्योगिक गलियारे भी स्थापित किया है।
- **सृजन (SRIJAN)** को आयात प्रतिस्थापन के लिए एमएसएमई/ स्टार्ट-अप/उद्योग को विकास सहायता प्रदान करने हेतु एक उद्योग इंटरफ़ेस के साथ **सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों** (DPSUs) के लिए शुरू किया गया है।
- **सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017** 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ आय और रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देता है।
- पिछले चार वर्षों में विदेशी स्रोतों से भारत की रक्षा खरीद 46 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत हो गई है, जो स्वदेशीकरण पर सरकार के कार्यों को दर्शाता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की कुल 4149 वस्तुओं को चार "सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों" में शामिल किया गया है।

4. प्रोजेक्ट उद्भव

वर्तमान संदर्भ

भारत के प्राचीन रणनीतिक कौशल को समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत करने और भारत के दर्शन और संस्कृति में निहित एक स्वदेशी रणनीतिक शब्दावली विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास, प्रोजेक्ट उद्भव (Project UDBHAV) हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा शुरू किया गया था।

विवरण

- परियोजना का उद्देश्य समकालीन सैन्य अभ्यासों के साथ प्राचीन ज्ञान को समन्वित करना और आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करना है।
- यह भारतीय सेना की एक दूरदर्शी पहल है जो सदियों पुराने ज्ञान को समकालीन सैन्य शिक्षाशास्त्र के साथ एकीकृत करना चाहती है।
- प्रोजेक्ट उद्भव, सेना और एक रक्षा सेवा थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USI) के बीच एक सहयोग, यूएसआई द्वारा आयोजित पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव (Indian Military Heritage Festival-IMHF) में शुरू किया गया था।

पारंपरिक भारत में सामरिक संस्कृति

- प्रोजेक्ट उद्भव हमारी ज्ञान प्रणालियों और दर्शन की गहन समझ की सुविधा प्रदान करेगा और आधुनिक समय में उनके स्थायी जुड़ाव, प्रासंगिकता और प्रयोज्यता को समझने का भी लक्ष्य रखेगा।
- **चाणक्य के अर्थशास्त्र** जैसा साहित्य रणनीतिक साझेदारी, गठबंधन और कूटनीति के महत्व को रेखांकित करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सॉफ्ट पावर उभार जैसी आधुनिक सैन्य अभ्यासों के साथ सम्बद्ध होता है।
  - ✓ शासन कौशल और युद्धकला पर चाणक्य की शिक्षाओं का अध्ययन विश्व के विभिन्न संस्थानों द्वारा किया जाता है।
- इसी तरह, **तमिल दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित शास्त्रीय**

तमिल ग्रन्थ (तिरुक्कुरल) का ज्ञान युद्ध सहित सभी प्रयासों में नैतिक आचरण की वकालत करता है।
  - ✓ यह न्यायसंगत युद्ध की आधुनिक सैन्य आचार संहिता और जिनेवा सम्मेलन के सिद्धांतों के अनुरूप है।
- प्राचीन ग्रंथों के अतिरिक्त प्रमुख सैन्य अभियानों और प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं के विषय में अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। **चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक** और **चोलों** के साम्राज्य अपने-अपने समय में फले-फूले और उनके प्रभाव में विस्तृत हुए।
- **वर्ष 1671 में लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में सरायघाट की नौसेना लड़ाई,** समय पर मनोवैज्ञानिक युद्ध को नियोजित करने, सैन्य खुफिया जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने और मुगलों की रणनीतिक कमजोरी का फायदा उठाने के लिए चतुर राजनयिक वार्ता के उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- प्राचीन ज्ञान प्रणाली द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को **छत्रपति शिवाजी** और **महाराजा रणजीत सिंह** द्वारा भी अपनाया गया था, जिन्होंने संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ मुगल और अफगान आक्रमणकारियों को हराया था।
  - ✓ जबकि शिवाजी द्वारा गुरिल्ला रणनीति के उपयोग को अच्छी तरह से प्रयोग किया गया है, बाहरी खतरों से बचने के लिए पश्चिमी समुद्र तट के साथ नौसेना किलों की एक श्रृंखला के निर्माण में उनकी दूरदर्शिता पर कम प्रकाश डाला गया है।

पहल की मुख्य बातें

- इस शोध में एक पहल पहले सेना प्रशिक्षण कमान द्वारा की गई थी, जिसने प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे अर्थशास्त्र, कामन्दकी द्वारा नीतिसार और महाभारत का अध्ययन करने के बाद '75 रणनीतियों का संग्रह' संकलित किया था।
- कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जैसे अन्य शैक्षणिक संस्थानों ने भी भारतीय संस्कृति और रणनीतिक सोच की कला के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक अध्ययन किया है। ये अध्ययन परियोजना उद्भव के लिए मूल्यवान जानकारी भी प्रदान करेंगे।
- प्रोजेक्ट उद्भव रणनीतिक सोच, शासन कला और युद्ध से संबंधित पहले से कम खोजे गए विचारों और सिद्धांतों के उद्भव की सुविधा प्रदान करेगा, गहरी समझ को बढ़ावा देगा और सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को समृद्ध करने में योगदान देगा।

महत्व

- प्रोजेक्ट उद्भव, सर्वश्रेष्ठ रणनीति, रणनीतिक सोच और शासन पद्धति पर चर्चा के संदर्भ में भारतीय विरासत के अंतर को समाप्त करने और ज्ञान सृजन का एक प्रयास है।
- प्रोजेक्ट उद्भव के भाग के रूप में, कार्यक्रमों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला, हमारी रणनीतिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी और जनवरी 2024 में एक प्रकाशन के साथ समाप्त होगी, ताकि इस तरह के ज्ञान का दस्तावेजीकरण और संस्थागतकरण किया जा सके।
- सदियों पुराने ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षाशास्त्र और संचालन के साथ जोड़कर, 'प्रोजेक्ट उद्भव' एक मजबूत, प्रगतिशील और भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना के लिए मंच तैयार करता है जो न केवल देश की ऐतिहासिक सैन्य दूरदर्शिता बल्कि माँगों के अनुरूप भी है और समकालीन युद्ध और कूटनीति की गतिशीलता के साथ प्रतिध्वनित होती है।
- 'प्रोजेक्ट उद्भव' के शुरू होने के साथ, भारतीय सेना में एक नए युग की शुरुआत हुई है, जो एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है जहाँ हमारी सैन्य शक्ति और रणनीतिक सोच हमारे समृद्ध और रणनीतिक अतीत का संवर्द्धन करती है।

5. 'त्रिशक्ति प्रहार' अभ्यास

वर्तमान संदर्भ

भारतीय सेना द्वारा राजस्थान में पश्चिमी मोर्चे पर उन्नत हथियार प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए 'त्रिशक्ति प्रहार' नामक युद्ध अभ्यास की तैयारी की जा रही है।

विवरण

- यह अभ्यास **21 कोर** (जो 12 लाख की मजबूत भारतीय सेना के भीतर चार प्रमुख **"स्ट्राइक फॉर्मेशन"** में से एक है) द्वारा आयोजित किया जाता है।
- यह अभ्यास (जिसमें सेना की सभी सेवाएं शामिल थीं) भारतीय वायु सेना और सीएपीएफ को एक नेटवर्क युक्त, एकीकृत वातावरण में सुरक्षा बलों की सबसे आधुनिक उपकरणों और हथियारों का उपयोग करते हुए लड़ने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- भारतीय सेना अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों का

परीक्षण करने के उद्देश्य से एक व्यापक युद्ध अभ्यास के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रही है।

- यह अभ्यास, जिसका कोडनेम 'त्रिशक्ति प्रहार' है, लंबी दूरी की मारक क्षमता, युद्ध-तत्परता और शक्ति-संरक्षण (Force Preservation) में नई अवधारणाओं को मान्य करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- अभ्यास का अंतिम चरण नवंबर की पहले पखवाड़े के लिए निर्धारित है और इसमें 30,000 से अधिक सैनिक शामिल होंगे, जिनमें टी-90एस और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक, हॉवित्जर, हेलीकॉप्टर और अन्य सैन्य हथियारों की एक विविध श्रृंखला शामिल होंगी।
- **लड़ाकू जेट, अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, चिनूक हेवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टर** और भारतीय वायु सेना तथा नौसेना के विभिन्न विमान भी इस अभ्यास में भाग लेंगे।

अभ्यास का केंद्रित उद्देश्य

- यह अभ्यास एकीकृत हवाई-जमीनी और संयुक्त हथियार संचालन, तीव्रता से जुटाव, डीप-स्ट्राइक आक्रामक क्षमताओं और खुफिया, निगरानी, टोही और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता पर आधारित सटीक अधिक प्रबलता वाले हमलों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- इसके अतिरिक्त, अभ्यास में हथियार से लैस झुंड में उड़ने वाले ड्रोन और कामिकेज़ ड्रोन सहित हवा में देर तक मंडराने वाले हथियार शामिल होंगे।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय सेना मुस्तैद और भविष्य के लिए तैयार रहे, कई आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी-समावेशन की पहल की गयी हैं। स्वदेशी समाधान और विशिष्ट प्रौद्योगिकियाँ इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं।

अभ्यास का महत्व

- रूस-यूक्रेन संघर्ष से सीखे गए सबक को शामिल करते हुए, सेना द्वारा बढ़ी हुई गतिशीलता और प्रभावी शूट-एंड-स्कूट क्षमताओं पर केंद्रित किया जाएगा।
- पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध (जो चौथे वर्ष में है) ने भारतीय सेना को महत्वपूर्ण आपातकालीन खरीद में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है।
  - ✓ इन खरीदों में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे- मानव रहित हवाई वाहन (UAVs/drones), सटीक-निर्देशित मिसाइलें, और हवा में देर तक मंडराने वाली (loiter) युद्ध सामग्री।
  - ✓ ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए संचार और स्वचालित स्पेक्ट्रम निगरानी प्रणाली भी प्राप्त की गई है।
- रूस-यूक्रेन युद्ध ने रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान एवं विकास में आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण आवश्यकता को भी रेखांकित किया है।
  - ✓ उभरते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए सैन्य निर्वाह के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्व भी स्पष्ट हो गया है।
- इसके अलावा, लंबी अवधि के बहु-क्षेत्रक युद्धों के लिए तैयारी करने की आवश्यकता प्रमुखता से उभरी है, जिससे पूर्व प्रचलित धारणा को चुनौती मिली है कि संघर्ष छोटे, प्रचंड और तेज़ होंगे।
  - ✓ 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़े हुए तनाव ने भारतीय सेना को चीन के साथ लगती सीमा पर महत्वपूर्ण बलों और गोलाबारी को फिर से तैनात करने के लिए प्रेरित किया है।

निष्कर्ष

- यद्यपि 'त्रिशक्ति प्रहार' अभ्यास शुरू होने वाला है जो न केवल अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, बल्कि आधुनिक युद्ध की लगातार बदलती गतिशीलता के अनुकूल होने के दृढ़ संकल्प का भी प्रतीक है।
- इस अभ्यास से सीखे गए सबक निस्संदेह एक मजबूत और अधिक तैयार भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान में योगदान देंगे।

6. ड्रोन के उपयोग और अनुप्रयोग

वर्तमान संदर्भ

मानवरहित हवाई वाहनों (unmanned aerial vehicles-UAVs) के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के साथ सभी क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है; अतः भारत इस क्षेत्र में एक गंभीर वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम हो सकता है।

ड्रोन

- **ड्रोन नियमों (नए नियमों) 2021**, ड्रोन को "एक विमान के रूप में परिभाषित करते हैं जो या तो स्वचालित हो सकता है या बिना पायलट के दूर से संचालित किया जा सकता है।" ड्रोन को

मानवरहित विमान प्रणाली (UAS) या मानवरहित हवाई वाहन के रूप में भी जाना जाता है।

- ड्रोन विभिन्न गतिविधियों के लिए कम लागत पर उत्पादकता और दक्षता प्रदान करने में सक्षम हैं।
- मानवरहित विमान प्रणालियों को पेलोड सहित उनके अधिकतम समग्र वजन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्न प्रकार के हैं:
  - ✓ **नैनो मानवरहित विमान प्रणाली :** 250 ग्राम से कम या उसके बराबर वजन।
  - ✓ **सूक्ष्म मानवरहित विमान प्रणाली :** 250 ग्राम से अधिक वजन, परन्तु 2 किलोग्राम से कम या उसके बराबर।
  - ✓ **छोटी मानवरहित विमान प्रणाली :** 2 किलोग्राम से अधिक वजन, लेकिन 25 किलोग्राम से कम या उसके बराबर।
  - ✓ **मध्यम मानवरहित विमान प्रणाली:** 25 किलोग्राम से अधिक वजन, लेकिन 150 किलोग्राम से कम या उसके बराबर।

ड्रोन प्रौद्योगिकी विनियम

- कई स्वीकृतियों और अनुमतियों को समाप्त करते हुए, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भारत को ड्रोन अनुसंधान और विकास का केंद्र बनाने हेतु वर्ष 2021 में ड्रोन नियमों को अधिसूचित किया गया।
- अब, माइक्रो और नैनो ड्रोन के गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और हरित क्षेत्रों में ड्रोन संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- 500 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ ड्रोन का उपयोग मानवरहित उड़ान टैक्सियों के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा, ड्रोन संचालित करने वाली कंपनियों के विदेशी स्वामित्व की भी अनुमति दी गई है।
- सरकार द्वारा तीन वित्तीय वर्षों के लिए ड्रोन और उनके घटकों के लिए 120 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी है। ड्रोन और इसके घटक उद्योगों की योजना में इस तकनीक के रणनीतिक, सामरिक और परिचालन अनुप्रयोग शामिल किया गया है।
- वर्ष 2030 तक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर भारत ने अगस्त 2021 से ड्रोन के लिए एक सक्षम नीति पारिस्थितिकी तंत्र अपनाया है।

- **ड्रोन विनियम 3.0 में निम्न शामिल हैं:**
  - ✓ ड्रोन नियमों (नए नियमों) अगस्त, 2021
  - ✓ एक उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना
  - ✓ राष्ट्रीय मानवरहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन नीति ढांचा (UTM 2.0)
  - ✓ मानवरहित विमान प्रणालियों के लिए प्रमाणन योजना (CSUAS)
  - ✓ ड्रोन आयात नीति और ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022।
  - ✓ इसके अतिरिक्त, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा ड्रोन बीमा के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया गया।
  - ✓ कृषि मंत्रालय ने मिट्टी के पोषक तत्वों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को सुव्यवस्थित करने हेतु मानक संचालन प्रोटोकॉल (SOPs) जारी किए।
  - ✓ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जून 2022 में स्वास्थ्य देखभाल में ड्रोन के उपयोग के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज़ जारी किया गया।

रक्षा क्षेत्र में ड्रोन

- भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा अपना घरेलू मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) या मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस) कार्यक्रम विकसित किया गया है।
- परियोजना का लक्ष्य मानवरहित वाहनों के मौजूदा बेड़े को बदलने और बढ़ाने के लिए एक घरेलू शस्त्रागार विकसित करना है। जैसे-
  - ✓ डीआरडीओ लक्ष्य
  - ✓ डीआरडीओ निशांत
  - ✓ डीआरडीओ रुस्तम

ड्रोन और आंतरिक सुरक्षा

- रक्षा क्षेत्र में आतंकवादी हमलों के खिलाफ ड्रोन को एक बराबरी के हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसे युद्ध के लिए **राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र प्रणाली** में एकीकृत किया जा सकता है, इसके द्वारा ड्रोन-रोधी उपायों के साथ दूरदराज के क्षेत्रों में संचार किया जा सकता है।
- यह हथियारों और ट्रांसमिशन लाइनों की वास्तविक समय निगरानी, चोरी की रोकथाम, दृश्य निरीक्षण और रखरखाव, निर्माण योजना और प्रबंधन में मदद करता है तथा इसका उपयोग अवैध शिकार से निपटने, वनों और वन्यजीवों की निगरानी करने, प्रदूषण का मूल्यांकन करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए भी किया जा सकता है।
- मानवरहित हवाई वाहन स्थानों के वास्तविक समय चित्रों को प्राप्त करने के लिए सबसे उन्नत प्रणाली है और आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य के सन्दर्भ में उपयोगी है।
- वर्तमान में, **सीआरपीएफ** के पास **10 सूक्ष्म-यूएवी** (NETRA) हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ सहित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में तैनात किया गया है।
- इसके अलावा **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन** (NTRO)

भी वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए सीआरपीएफ को अपना यूएवी कवरेज प्रदान कर रहा है।

- इसके अलावा, ओडिशा में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बीएसएफ का एक **छोटे-यूएवी** तैनात किया गया है।
- भारतीय वायु सेना में चार नए हेरॉन मार्क-2 ड्रोन शामिल किए गए हैं, जिनमें प्रहार करने की भी क्षमता है और ये एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर निगरानी कर सकते हैं।

सख्त नियमों की आवश्यकता

- हाल ही में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल विस्फोटकों को गिराने के लिए किया गया, इनका प्रयोग जम्मू स्थित वायु सेना स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में विस्फोट करने के लिए किया गया था।
- पाकिस्तान स्थित संगठनों द्वारा पिछले दो वर्षों में भारतीय क्षेत्र में हथियारों, गोला-बारूद और दवाओं की तस्करी के लिए प्रायः ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है।
  - ✓ सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष **2019 में**, पाकिस्तान के साथ सटी सीमा पर ड्रोन देखे जाने की **167 घटनाएं** दर्ज की गईं, और **2020 में ऐसी 77** घटनाएं दर्ज की गईं थी।
- हाल के वर्षों में ड्रोन तकनीक के तेजी से प्रसार और इसके वैश्विक बाजार के अप्रत्याशित विस्तार को देखते हुए, दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में भी ड्रोन हमले की संभावना से इंकार किया जाना असंभव है।
- ऐसे संघर्ष क्षेत्रों में, जहां राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हैं और प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच है, वहां ड्रोन एक सुरक्षा जोखिम बन रहे हैं।

ड्रोन के अन्य उपयोग

- *रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की गई।*
- *भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा "स्वामित्व" योजना के तहत गांवों के बसे हुए क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा।*
- *भारत द्वारा कोविड-19 टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन तैनात किए गए।*
- *आईसीएमआर के नेतृत्व में एक प्रारंभिक परियोजना मणिपुर, नागालैंड एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू किया जा रहा है।*
- *लॉकडाउन दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन का उपयोग कोविड-19 हॉटस्पॉट और रोकथाम क्षेत्रों की निगरानी के लिए किया गया था।*
- *भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा वर्ष 2021 में भारत क्रिकेट सत्र की लाइव एरियल सिनेमैटोग्राफी के लिए ड्रोन तैनात किए गए।*

Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

8. इतिहास, कला एवं संस्कृति

1. यक्षगान

वर्तमान संदर्भ

तुलसी हेगड़े (कर्नाटक के तटीय क्षेत्र की रहनेवाली 15 वर्षीय लड़की), पारंपरिक नृत्य-नाटक यक्षगान के क्षेत्र में एक मशहूर व्यक्तित्व बन गई है।

विवरण

- तुलसी ने तीन साल की उम्र से ही मंच पर अभिनय करना प्रारंभ कर दिया था और तब से उन्होंने रामायण, महाभारत और गीता जैसे हिंदू महाकाव्यों के विभिन्न जटिल पात्रों को चित्रित किया है।
- उन्होंने पूरे भारत में 800 से अधिक कार्यक्रमों में प्रस्तुतियाँ दी हैं तथा वह देश के संपूर्ण भूभाग में यक्षगान को लोकप्रिय बनाने की महत्वकांक्षा रखती हैं।

यक्षगान

- यक्षगान का शाब्दिक अर्थ है "**यक्ष का गीत**" **(उपदेवता/पुण्य-आत्माएं)**, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक लोक नृत्य-नाट्य शैली है।
- यह एक मंदिर कला शैली है, जो पौराणिक कहानियों और पुराणों को दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि यक्षगान की उत्पत्ति वैष्णव भक्ति आंदोलन के परिणामस्वरुप हुई है।

- **इसके मेला या मंडली में दो मुख्य भाग होते हैं:**
  - ✓ **मुम्मेला** (मंच पर अभिनय करने वाला अभिनेता)
  - ✓ **हिम्मेला** (मंच के पीछे का गायक और वादक)
- यक्षगान का प्रदर्शन सर्दियों में फसल की कटाई के बाद खुले रंगमंचों (ओपन-एयर थिएटर) और गाँव में धान के खेतों में किया जाता है।

भागवत (भगवत)

- *भागवत, हिम्मेला के भाग के रूप में मुख्य गायक होता है और गीतों के माध्यम से कहानी सुनाता है, जबकि नर्तक/अभिनेता* ***(मुम्मेला)*** *रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियों के आधार पर अभिनय करते हैं।*
- *भागवत कहानी सुनाने वाला मुख्य वाचक होता है।*
- *भागवत अपनी मनोहर ऊँची आवाज में गाते हैं और शाम में किए जाने वाले प्रदर्शन के सफल समापन के लिए देवताओं का आह्वान करते हैं।*

- समकालीन प्रदर्शनों में, कर्नाटक के दक्षिणी तटों पर इस प्रमुख शैली को "**तेनकुटिट्टू**" के रूप जाना जाता है, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में, यह "**बडागुटिट्टू**" के नाम से प्रसिद्ध है।

प्रमुख विशेषताएँ

- आमतौर पर, इसका मुख्य केंद्र प्राचीन हिंदू महाकाव्यों रामायण या महाभारत के "**प्रसंग**" (एक छोटी उप-कहानी) होते हैं।
- इस अभिनय प्रदर्शन में प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा मंचीय प्रदर्शन और मुख्य गायक या **भागवत** द्वारा पारंपरिक संगीत के साथ सुनाए जाने वाले प्रसंग दोनों शामिल होते हैं।
- **यक्षगान में प्रयुक्त संगीत वाद्ययंत्रों में निम्नलिखित यन्त्र शामिल हैं:**
  1. चंदे (ड्रम)
  2. जगत् या चेंगिला (झांझ)
  3. चक्रताल या इलाथलम (छोटी झांझ)
  4. हारमोनियम
  5. मांदल
  6. ताल (छोटी धातु की क्लैपर) और बांसुरी
- **यक्षगान में उपयोग की जाने वाली पोशाकें विशिष्ट रूप से तैयार की जाती हैं, जिसमें निम्न शामिल हैं**
  - ✓ बड़े आकार की टोपी, रंगीन चेहरे, पूरे शरीर पर विस्तृत पोशाकें

और पैरों में बजने वाली मनके की माला (**गेज्जे**)।
- ✓ **कवच** को छाती पर पहना जाता है, कंधों के लिए बाजूबंद तथा बेल्ट्स हल्की लकड़ी से बने होते हैं तथा सुनहरे पर्ण से ढके होते हैं।
- ✓ **पगाडे (पगड़ी),** यक्षगान के दौरान पात्रों द्वारा पहना जाने वाला एक हेडड्रेस या किरीटा (जिसमें वीरतापूर्ण और चंचल दोनों विशेषताएँ होती हैं) एक कलाकृति है।

- आमतौर पर, यक्षगान को **कन्नड़ भाषा** में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन कुछ अवसरों पर **मलयालम और तुलु भाषाओं** में भी प्रस्तुत किया जाता है।
- पूरे वर्ष यक्षगान का प्रदर्शन करने वाले **लोकप्रिय 'मेला' (मंडली) में निम्न शामिल हैं :**

1. शालिग्राम मेला
2. धर्मस्थल मेला
3. मंदार्थी मेला
4. पेरदुरु मेला

- **यक्षगान को पहले कर्नाटक में कुछ लोग बयाताला (Bayatala) के नाम से जानते थे। यक्षगान से संबंधित अन्य कला रूप निम्नलिखित हैं**
  - ✓ थेरुकुथु (तमिलनाडु)
  - ✓ कुट्टी अट्टम (कुटियट्टम) और चक्यार कुथु (केरल)
  - ✓ वीथि नाटकम (आंध्र प्रदेश)

नृत्य-नाटक के अन्य उदाहरण

रूप	क्षेत्र
गिद्धा	पंजाब
घूमर	राजस्थान
गरबा	गुजरात
डांडिया रास	गुजरात
लावणी	महाराष्ट्र
नौटंकी	उत्तर प्रदेश
भवई (भवाई)	गुजरात
तमाशा	महाराष्ट्र

2. तमिलनाडु के आगमिक मंदिर

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने **आगमिक परंपरा** द्वारा शासित तमिलनाडु के मंदिरों में अर्चकों (पुजारियों) की नियुक्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

विवरण

- इस संबंध में दायर की गई याचिका में न्यायालय से तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिसके माध्यम से राज्य ने आगमिक मंदिरों में एक विशेष संप्रदाय के **अर्चकों की नियुक्ति की वंशानुगत पद्धति** में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था और इसे अन्य संप्रदायों के लोगों (जिन्होंने सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में अर्चकों के लिए एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया था) के लिए भी खोल दिया गया था।
- याचिकाकर्ता पक्ष द्वारा न्यायालय को बताया गया कि **"तमिलनाडु में प्रमुख शैव और वैष्णव मंदिर आगम के अनुसार ही निर्मित किए गए थे और उनमें आगम के ही अनुसार पूजा की जाती है"**।
- इस याचिका में तर्क दिया गया कि उच्चतम न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के फैसलों के बावजूद, राज्य सरकार **"कानून की परवाह न करते हुए, अब केवल राज्य में मंदिरों को नष्ट करने के उद्देश्य से, श्रद्धा नहीं रखने वाले व्यक्तियों को अर्चक के रूप में नियुक्त करने का प्रयास कर रही है।"**
  - ✓ यह स्पष्ट से परिभाषित है कि किसी भी धर्मनिरपेक्ष सरकार के पास अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि यह धार्मिक अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत पूरी तरह से संरक्षित है।
  - ✓ आगम निस्संदेह एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा से संबंधित है, जिसमें किसी धर्मनिरपेक्ष सरकार द्वारा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।
- याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से पेश होते हुए एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1972 के सेशम्मल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य तथा वर्ष 2016 के आदि शैव शिवचरियार्गल नाला संगम बनाम तमिलनाडु राज्य के

मामले में निर्णय दिया था कि आगम मंदिरों के अर्चकों को आगम परंपराओं के अनुसार ही नियुक्त किया जाना चाहिए।

आगम क्या है?

- "आगम" शब्द का शाब्दिक अर्थ है परंपरा ("वह जो हमारे पास आया है"), जो पीढ़ियों के बीच इसकी निरंतरता को दर्शाता है।
- वे हिंदू धर्मग्रंथों का संकलन हैं, जिन्हें निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया हैः
  i. **वैष्णव आगम** (108) (इन्हें पंचरात्र संहिता भी कहा जाता है)
  ii. **शैव आगम** (28)
  iii. **शाक्त तंत्र** (68) (इसे तंत्र के नाम से भी जाना जाता है)।
- आगम ग्रंथ खगोलीय विज्ञान (ब्रह्मांड विज्ञान), दर्शन, योग आदि सहित विषयों की एक विशाल विविधता पर प्रकाश डालते हैं तथा तमिल और संस्कृत दोनों भाषा में पाए जा सकते हैं।
- यद्यपि आगमिक परंपराएँ प्रायः तंत्रवाद से जुड़ी होती हैं। तंत्र शब्द विशेष रूप से शाक्त आगम को संदर्भित करता है।

- **यह एक बड़ा रहस्य है कि आगम परंपराएं कितनी पुरानी हैं।**

  ✓ कुछ लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत वैदिक युग के आसपास हुई है।

  ✓ विद्वानों ने उन्हें 1100 ईसा पूर्व से भी पहले का माना है, जबकि पुरातात्विक शोधों में पहली सहस्राब्दी ईस्वी के मध्य में पल्लव राजवंश के शासन काल के दौरान उनके अस्तित्व के संकेत मिलते हैं।

हिंदू आगमों की मुख्य विशेषताएँ

- इन्हें प्रायः वेदों के आधिपत्य का विरोध करते हुए पाया जाता है, वहीं वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि उन्होंने वेदों के वास्तविक सार को उजागर किया है।
- इस कारण आगमिक साहित्यिक शैली बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी श्रमणिक/शास्त्र विरुद्ध परंपराओं में प्रचलित हुई।
- आगम द्वारा तीर्थस्थल के लिए निम्न तीन मौलिक आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया हैः
  ✓ **स्थल** - मंदिर
  ✓ **तीर्थ** - तालाब
  ✓ **मूर्ति** - देवता की प्रतिमा
- उनके द्वारा मूर्तिकला के विस्तृत नियमों का वर्णन किया गया; वे प्रायः मंदिर की मूर्तियों की अपेक्षित गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हैं तथा उन्होंने मंदिरों और तीर्थ-स्थलों के वास्तुशिल्प विशिष्टताओं पर प्रकाश डालते हुए मूर्तिकला में उत्कृष्टता तक पहुँचने का मार्ग भी बताया है।

3. अल्लाह बख्श और मेवाड़ी शैली की पेंटिंग

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, पुस्तकों के एक चार-खंड सेट में महाभारत की लगभग 2,000 लघु कलाकृतियाँ, जो पहले कभी प्रकाशित नहीं हुई, प्रदर्शित की गई हैं, जिन्हें उदयपुर के महाराणा जय सिंह ने बनवाया था और जिन्हें वर्ष 1680 और वर्ष 1698 के बीच उनके दरबारी चित्रकार अल्लाह बख्श द्वारा चित्रित किया गया था।

विवरण

- "महाभारतः अल्लाह बख्श द्वारा बनाई गई मेवाड़ी लघु पेंटिंग (1680-1698)" चंद्र प्रकाश देवल और आलोक भल्ला द्वारा लिखी गई है।
- वे उस व्यक्ति के पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, जिसने महाकाव्य को मेवाड़ी लघु शैली में बनाई गई 4,000 पेंटिंग के साथ चित्रित किया, जो अब उदयपुर में सरकारी संग्रहालय में रखी है।
- बख्श द्वारा चित्रित ये दीप्तिमान लघुचित्र महाभारत के प्रत्येक अध्याय की लगभग प्रत्येक कहानी का अनुसरण करते हैं और भारत की कला परंपरा में इसकी कोई मिसाल नहीं है।
- इन चित्रों में वीरतापूर्ण मुद्रा और आध्यात्मिक गौरव पर जोर नहीं है, बल्कि उस दर्द पर जोर है जो पृथ्वी और उसके प्राणियों को तब

सहना पड़ता है जब मनुष्य दुखद रूप से अपने धर्म को पूरा करने में विफल हो जाते हैं।

- बख्श की प्रत्येक पेंटिंग में पात्रों की वेषभूषा, पृष्ठभूमि में वनस्पतियों एवं जीवों तथा जादुई और रहस्यमय घटनाओं का चित्रण है।

अल्लाह बख्श कौन थे?

- अल्लाह बख्श 17वीं शताब्दी के चित्रकार थे जो लघु चित्रकला के प्रतिष्ठित मेवाड़ी स्कूल से संबंधित थे।
- मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के संरक्षण में, उन्होंने भगवद गीता के सभी दोहों के लिए एक-एक पेंटिंग बनाई।
- वह अपने चित्रों में बारीकियों पर बारीकी से ध्यान देने के लिए जाने जाते थे।

मेवाड़ी शैली की चित्रकारी

- यह 17वीं और 18वीं शताब्दी की भारतीय लघु चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक थी।
- यह राजस्थानी शैली में एक स्कूल है और मेवाड़ (राजस्थान राज्य में) की हिंदू रियासत में विकसित हुआ है।
- स्कूल के कार्यों की विशेषता सरल चमकीले रंग और प्रत्यक्ष भावनात्मक अपील है।
- चित्रों की बढ़ती संख्या चित्रांकन और शासक के जीवन से संबंधित थी, हालांकि धार्मिक विषय लोकप्रिय बने रहे।
- साहिबदीन प्रारंभिक चरण के उत्कृष्ट चित्रकारों में से एक थे।

भारत में लघु चित्रकारी

- 'मिनिएचर' (लघु चित्रकारी) शब्द 'मिनियम' से लिया गया है, जो रेड लेड पेंट के लिए पुराना लैटिन शब्द है, जिसका उपयोग अक्सर पुनर्जागरण काल की प्रबुद्ध पांडुलिपियों में किया जाता था।
- संबंधित क्रिया का अर्थ 'मिनियम से रंगना' 'मिनियारे' था।
- चूँकि पांडुलिपियाँ छोटी थीं, समय के साथ 'मिनिएटूरा' का उपयोग न केवल पांडुलिपि सजावट के लिए किया जाता था, बल्कि किसी भी छोटी पेंटिंग और अंततः किसी भी बहुत छोटी चीज़ के लिए किया जाता था।
- लघुचित्र छोटी और विस्तृत पेंटिंग हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इन लघु चित्रों की एक लंबी परंपरा है, और इससे संबंधित कई स्कूल विकसित हुए जिनकी पेंटिंग रचना और परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भिन्न हैं।

लघु चित्रकारी की तकनीक

- पेंटिंग 25 वर्ग इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए।
- पेंटिंग का विषय वास्तविक आकार के छठे हिस्से से अधिक नहीं चित्रित किया जाएगा।
- अधिकांश भारतीय लघु चित्रों में मानव मूर्तियों को प्रोफ़ाइल में दर्शाया गया है। उनकी आंखें आमतौर पर उभरी हुई, नुकीली नाक और पतली कमर होती हैं।
- राजस्थानी लघुचित्रों में पात्रों की त्वचा का रंग भूरा होता है, जबकि मुगल लघुचित्रों में पात्र आमतौर पर गोरे होते हैं। इसके अलावा, भगवान कृष्ण जैसे दिव्य प्राणियों का रंग नीला है।

4. गारा कढ़ाई

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में पारसी गारा कढ़ाई के पुनरुद्धार पर विशेष ध्यान देते हुए 'एहसास-थ्रेड्स ऑफ इंडिया 2023' प्रदर्शनी का 7वां ऑनलाइन संस्करण आयोजित किया गया था।

गारा कढ़ाई का इतिहास

- पारसी गारा कढ़ाई एक प्रकार की कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति फारस में हुई थी और इसे पारसी समुदाय द्वारा भारत लाया गया था।
- इस समृद्ध शिल्पकला की उत्पत्ति के साक्ष्य 19वीं सदी [जिस अवधि में पारसी व्यापारी और शिल्पकार फारस (आधुनिक ईरान) से भारत आए थे] से जुड़े हैं।
- पारसी लोगों द्वारा पहली बार गुजरात में बसने के बाद इन्होंने चीन के साथ व्यापार प्रारंभ किया तथा शुरुआत में वे चीन से चाय खरीदकर भारत में बेचते थे।
- व्यापारिक प्रवास के दौरान, उनके द्वारा 'गाज' या 'पाज' नामक एक सुंदर रेशमी कपड़े की खोज की गयी।

- ✓ इसकी सुंदरता इतनी उत्कृष्ट थी कि उन्होंने अपनी पत्नियों के लिए गाज खरीदना प्रारंभ कर दिया।
- पारसी लोग चीन के साथ व्यापार करते हुए कढ़ाई तकनीक को भारत लेकर आए।
  - ✓ शीघ्र ही, यह कढ़ाई शैली मुंबई और सूरत के कपड़ा केंद्रों में फ़ैल गई।

गारा कढ़ाई

- पारसी गारा, जिसे पारसी गारा कढ़ाई या पारसी गारा वर्क के नाम से भी जाना जाता है, भारत में पारसी समुदाय द्वारा उत्पन्न एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है।
- 'गारा' नाम गुजराती शब्द 'साड़ी' या 'रैपर' से लिया गया है, जो साड़ियों को सजाने में इसके प्राथमिक उपयोग को दर्शाता है।
- इसे अपने जटिल और अत्यधिक विस्तृत पुष्प और प्रकृति से प्रेरित डिजाइनों के लिए जाना जाता है।
  - ✓ आमतौर पर, पारसी गारा कढ़ाई रंगीन रेशम के धागों का उपयोग करके रेशम या जॉर्जेट कपड़ों पर की जाती है।
- पारसी गारा कढ़ाई तकनीक में **रूपांकनों में अक्सर फूल, पक्षी, तितलियाँ और प्रकृति के अन्य तत्व शामिल** होते हैं जिन्हें साड़ी, ब्लाउज और पोशाक जैसे कपड़ों पर सावधानीपूर्वक सिला जाता है।
  - ✓ गारा पूरी तरह से कढ़ाईयुक्त हो सकती है या उसका बॉर्डर आंशिक कढ़ाई वाला हो सकता है।
- आमतौर पर किए जाने वाले रूपांकनों में 'चाइनामैन' और महिला, पक्षी और बहुत सारी वनस्पतियां एवं जीव होते हैं।
- परंपरागत रूप से गारा साड़ियाँ लाल, गहरे भूरे-लाल (Maroon) और गहरे जामुनी-लाल (Burgundy) जैसे गहरे रंगों में होती हैं ताकि सफेद धागे की कढ़ाई स्पष्टता से दिखाई दे सके, परन्तु बदलते समय के साथ, सफेद साड़ी पर सफ़ेद कढ़ाई और यहां तक कि काली साड़ी पर सफेद कढ़ाई वाली गारा साड़ियाँ भी उपलब्ध हैं, यद्यपि काले रंग को अशुभ माना जाता है।
- इस कढ़ाई शैली को इसके शिल्प कौशल के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है और इसे पारसी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है।

विस्तृत प्रक्रिया

- पारसी गारा बुनकरों द्वारा पहले कागज पर डिज़ाइन बनाये जाते हैं तथा उसके बाद नमूना रंग बनाने का कार्य किया जाता है।
- कारीगरों द्वारा डिज़ाइन का अध्ययन करने के बाद उन्हें साड़ी पर उकेरा जाता है। गारा साड़ी बनाना एक विस्तृत प्रक्रिया है, और इसे पूरा करने में दो से आठ महीने लगते हैं।

चुनौतियां

- **श्रमिकों की कमी:** केवल 55 प्रशिक्षित मास्टर कारीगर (बुनकर) बचे हैं, क्योंकि यह श्रम गहन प्रक्रिया है जिसके लिए उन्हें प्रतिदिन केवल लगभग 400 रुपये का भुगतान किया जाता है।
- **कम मांग:** शिल्प की घटती मांग के साथ, इन बुनकरों के बच्चों को अब पारसी गारा कढ़ाई की परंपरा को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी या प्रोत्साहन नहीं है।
  - ✓ इसके अतिरिक्त, पारसी समुदाय की जन्म दर कम होने के कारण मांग कम हुई है।
- **बहुत महंगा:** साड़ी/दुपट्टा बहुत महंगा है और इसकी कीमत लगभग 12,000 रुपये से शुरू होती है जो 1,20,000 रुपये तक जा सकती है।

निष्कर्ष

- पारसी गारा कढ़ाई अपनी सुंदरता और शिल्प कौशल के कारण बेशकीमती बनी हुई है और पारसी समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भारतीय संस्कृति के विविध चित्रपट में अनुकूलन और योगदान देने की उनकी क्षमता को स्मरण कराती है।
- इस लुप्तप्राय शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए मांग और जागरूकता में वृद्धि महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पारसी गारा को बढ़ावा देने में मदद की जा सकती है।

5. कलमकारी चित्रकला

वर्तमान संदर्भ

हाल ही में, तमिलनाडु के करुप्पुर कलमकारी चित्रकला (पेंटिंग) और लकड़ी पर होने वाली कल्लाकुरिची नक्काशी को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त हुए हैं।

विवरण

- करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग को पंजीकृत करने हेतु तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम (पूमपुहार) द्वारा आवेदन भेजा गया था।
- कलामकारी को धीरे-धीरे डिजाइनरों और कपड़ों के ब्रांडों द्वारा अपनाया जा रहा है, जो सदियों पुरानी तकनीकों और बेहतरीन ऊन का उपयोग करके तैयार किए गए बेहतरीन शॉल के लिए जाने जाते हैं।

- ✓ ये ब्रांड जैविक और रसायन-मुक्त रंगों, बिना ऊर्जा खपत करने वाली मशीनरी और पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक अपशिष्ट भंडारण का उपयोग करके कार्बन फुट्प्रिन्ट को कम करते हैं। घोड़े के बाल युक्त लकड़ी के ब्रशों को हटा दिया गया है।

भौगोलिक संकेत

- जीआई एक विशिष्ट टैग होता है, जिसका उपयोग किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले और कुछ विशेष विशेषताओं वाले उत्पादों की पहचान करने के लिए किया जाता है।
- यह टैग भारत में **माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** द्वारा शासित होता है।
- यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, चेन्नई द्वारा जारी की जाती है।

कलमकारी चित्रकारी

- कलमकारी, **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** का एक पारंपरिक चित्रकला रूप है, जिसकी उत्पत्ति सदियों पहले महाभारत, रामायण और भागवतम जैसे पवित्र ग्रंथों के दृश्यों को चित्रित करने के लिए हुई थी। इन चित्रों को अक्सर मंदिरों में सजावटी पृष्ठभूमि के रूप में प्रदर्शित किया जाता था।
- ये चित्रकारी (पेंटिंग) सूती कपड़े पर बांस के पेड़ और नारियल के पेड़ के तने से बने पेन या ब्रश का उपयोग करके सूक्ष्म रूप से बनाई जाती हैं।
- इसका नाम 'कलम' शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ पेन होता है। 'कलमकारी' **कपड़े पर हाथ से पेंटिंग करने की एक विशेष**, सूक्ष्म (जटिल) शैली को संदर्भित करता है।
- दुनिया में सबसे खूबसूरत चित्रकला रूपों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके हाथ से पेंट किए गए वस्त्र शामिल हैं। कलम बांस का एक छोटा टुकड़ा या खजूर के पेड़ की एक छड़ी होती है, जिसके सिरे के अंत में नुकीली आकृति की निब होती है।
- यह कला लगभग 3000 वर्ष पहले आंध्र प्रदेश में विकसित हुई थी। 13वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान, दक्कन क्षेत्र में इसका प्रचलन था और कोरोमंडल के तटीय क्षेत्रों में यह काफी अधिक प्रचलित था। वहाँ से, यह पश्चिम की ओर चला गया जहाँ कलमकारी एक अत्यधिक माँग वाली कला थी।
- कलमकारी एक -23चरणीय प्रक्रिया है, जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। कलमकारी बनाने के लिए कपड़े को पहले भैंस के दूध और कसैले (संकोचक) पदार्थों के मिश्रण में डुबोया जाता है। इसके बाद इसे धूप में सुखाया जाता है। लाल, काले, भूरे और बैंगनी रंगों को कपड़े पर लगाने से पहले एक रंगबंधक (mordant) के ऊपर रखा जाता है।

- कलमकारी में केवल प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। इन कच्चे सामग्रियों में सूती कपड़ा, सूखे कच्चे फल और 'रंगबंधक' बनाने के लिए दूध, चारकोल की छड़ें, काली कासिमी तरल, फिटकरी का घोल और लाल, नील और पीले रंग के प्राकृतिक रंग शामिल हैं।
- भारत में कलमकारी चित्रकला की दो अलग-अलग शैलियाँ यानी, श्रीकालहस्ती शैली और मछलीपट्टनम शैली हैं।
- कलमकारी पैटर्न की दो नई श्रेणियाँ सामने आई हैं, जो उन राज्यों पर आधारित हैं जहाँ वे बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश और गुजरात दो प्रमुख भारतीय राज्य हैं, जहाँ कलमकारी की दो विकसित और विशिष्ट शैलियों पर काम किया जाता है। जहाँ गुजरात पौराणिक पात्रों और महाकाव्यों से प्रेरणा लेता है, वहीं आंध्र प्रदेश उन महलों और किलों को दर्शाता है, जो देश में लोकप्रिय स्थल हैं।
- **गुजरात की कलमकारी** को **'माता नी पछेड़ी'** के नाम से भी जाना जाता है। जब गुजरात के खानाबदोश वाघारी समुदाय (जो माता की पूजा करते हैं) को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, तब उन्होंने देवी माँ (माता) के कपड़े के चित्रों से अपने पूजा स्थल बनाये।
- 20वीं सदी में आंध्र प्रदेश में आखिरी जीवित कलमकारी कलाकारों में से एक **लक्ष्मैया** थे, जो आज भी महाभारत और रामायण जैसी अपनी उत्कृष्ट चित्रकलाओं के लिए जाने जाते हैं।
- वर्ष 2008 में मछलीपट्टनम कलमकारी को जीआई टैग मिल था।
- आंध्र प्रदेश आज भी कलमकारी पेंटिंग के लिए देश का प्राथमिक केंद्र है।

9. व्यक्तित्व, पुरस्कार एवं खेल

9.1. व्यक्तित्व

1. एम.एस. स्वामीनाथन

वर्तमान संदर्भ

मनकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन [एम.एस. स्वामीनाथन] (MS Swaminathan) का 28 अक्टूबर, 2023 को 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया।

एम.एस. स्वामीनाथन का परिचय

- एम.एस. स्वामीनाथन एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत की 'हरित क्रांति' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- वह एक कृषिविज्ञानी, पादप आनुवंशिकीविद्, प्रशासक और मानवतावादी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने धान की उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि भारत के कम आय वाले किसान अधिक उपज पैदा करें।
- उनका जन्म वर्ष 1925 में कावेरी नदी घाटी के एक छोटे से शहर कुंभकोणम (जो तमिलनाडु का प्राथमिक अनाज उत्पादक क्षेत्र है) में हुआ था।

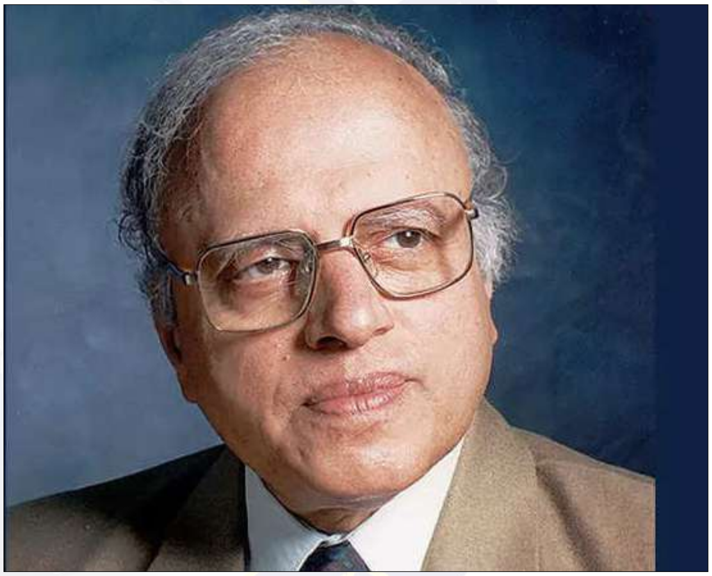

हरित क्रांति

हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई, जिसके दौरान उच्च उपज देने वाले किस्म (HYV) के बीज, मशीनीकृत कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशक और उर्वरक का उपयोग जैसी अत्याधुनिक तकनीक को अपनाकर भारत ने कृषि को एक आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में बदल दिया।

प्रमुख अनुसंधान योगदान

- स्वामीनाथन ने वर्ष 1949 में आलू, गेहूं, चावल और जूट के आनुवंशिकी पर शोध करके अपना कार्य शुरू किया।
- **आलू :** उनका अध्ययन जीनस सोलनम पर केंद्रित था, जिसमें जीन को संशोधित करने और परजीवियों और ठंड की स्थिति के प्रतिरोध को सक्षम करने के लिए आलू पर विशेष जोर दिया गया था।
- **गेहूं :** देशी भारतीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYV) का विकास।
- **चावल :** स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में कार्बन स्थिरीकरण क्षमताओं (बेहतर प्रकाश संश्लेषण और जल का उपयोग संभव करने वाला) के साथ चावल उगाने की दिशा में प्रयास शुरू किए गए।
  - ✓ उन्होंने विश्व के पहले अधिक उपज देने वाले बासमती चावल के विकास में भी भूमिका निभाई।
- **विकिरण वनस्पति विज्ञान :** स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जेनेटिक्स डिवीजन उत्परिवर्तनों पर अपने शोध के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध था।
  - ✓ उन्होंने विकिरण उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए कोबाल्ट-60 गामा गार्डन की स्थापना की।
  - ✓ कोशिकाओं और जीवों पर विकिरण के प्रभावों पर उनके प्रारंभिक शोध ने आंशिक रूप से भविष्य के रेडॉक्स जीव विज्ञान का आधार विकसित किया।
- जब भारत बड़े पैमाने पर अकाल के कगार पर था, जिससे खाद्यान्न की कमी हो गई, एम.एस. स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग और अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर **गेहूं के उच्च उपज किस्म (HYV) के बीज** विकसित किए।

- स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा "**आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक**" की उपाधि दी गई थी।
- डॉ. स्वामीनाथन ने **हरित क्रांति** का नेतृत्व किया, पहले वर्ष में ही गेहूं की फसल तीन गुना हो गयी।
  - ✓ कुल मिलाकर, चार फसल सत्रों में ही गेहूं की फसल 12 मिलियन से बढ़कर 23 मिलियन हो गई।
  - ✓ अधिक पैदावार के अलावा, किसानों के साथ डॉ. स्वामीनाथन के काम ने कृषि प्रौद्योगिकी में भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की, देश को 'भीख के कटोरे' से 'दुनिया की रोटी की टोकरी' में बदल दिया।

पुरस्कार

- भारत में अधिक उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों के विकास और अगुवाई के लिए उन्हें **वर्ष 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार** (विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया गया) से सम्मानित किया गया जिसके बाद, उन्होंने चेन्नई में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की।
- उन्हें वर्ष 1961 में **शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार** दिया गया।
- स्वामीनाथन को वर्ष 1971 में **रेमन मैग्सेसे पुरस्कार** और वर्ष 1986 में **अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार** से भी सम्मानित किया गया था।
- उन्हें वर्ष 1967 में पद्म श्री, वर्ष 1972 में **पद्म भूषण** और वर्ष 1988 में **पद्म विभूषण** से भी सम्मानित किया गया था।
- उन्हें **एच के फिरोदिया पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार** और **इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार** भी मिला।
- भारत में किए गए उनके कार्यों के अलावा, स्वामीनाथन विश्व स्तर पर एक शानदार व्यक्ति थे, जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कृषि और पर्यावरण पहलों में योगदान दिया।
  - ✓ टाइम पत्रिका द्वारा उन्हें 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक नामित किया गया था।

उपलब्धियाँ

- दूरदर्शी भारतीय कृषिविद् ने विभिन्न कृषि अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अनेक प्रशासनिक पदों पर कार्य किया।
  - ✓ उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में कार्य किया।
  - ✓ उन्होंने वर्ष 1979 में **कृषि मंत्रालय** के प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य किया।
- वर्ष 1988 में स्वामीनाथन प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष बने।
- वर्ष 2004 में स्वामीनाथन को चिंताग्रस्त किसानों की आत्महत्या के मामलों को देखरेख के लिए **राष्ट्रीय किसान आयोग** के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
  - ✓ आयोग ने वर्ष 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपनी सिफारिशों में सुझाव दिया कि न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए।
- अन्य कार्यभार जिनका वह हिस्सा थे, उनमें निम्न शामिल हैं :
  - ✓ **योजना आयोग** के सदस्य (वर्ष 1980-82)
  - ✓ महानिदेशक, **अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान**, फिलीपींस (वर्ष 1982-88)
  - ✓ **राज्य सभा** के लिए मनोनीत (वर्ष 2007)

2. मनोहर सिंह गिल

वर्तमान संदर्भ

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त मनोहर सिंह गिल (एमएस गिल) का दिनांक 15 अक्टूबर, 2023 को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

एमएस गिल का परिचय

- उनका जन्म 14 जून, 1936 को अविभाजित पंजाब के तरनतारन जिले के अलादीनपुर गाँव में हुआ था।
- नौकरशाह और राजनीति में प्रसिद्ध व्यक्ति एमएस गिल की सिविल सेवा वर्ष 1958 (पंजाब कैडर) में शुरू हुई।
- एक नौकरशाह के रूप उन्होंने वर्ष 1958 में अपना सफर शुरू किया जो वर्ष 2001 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्ति तक चला।
- वह शायद राजनीति में शामिल होने वाले पहले पूर्व सीईसी हैं। गिल कांग्रेस सदस्य के रूप में राज्यसभा के सदस्य बने तथा वर्ष 2008 में उन्हें केंद्रीय खेल मंत्री बनाया गया।

योगदान

- पंजाब कैडर के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी मनोहर सिंह गिल ने वर्ष 1996 से वर्ष 2001 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य किया।

- ✓ जिस समय निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय बना, उस समय वे जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति के साथ निर्वाचन पैनल में शामिल हुए।
- ✓ डॉ. मनोहर सिंह गिल **भारत के 11वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त** थे।
- ✓ उन्होंने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में श्री टीएन शेषन का स्थान लिया।
- ✓ सीईसी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, **भारत निर्वाचन आयोग** (ईसीआई) ने वर्ष **1998 में 12वीं लोकसभा और वर्ष 1999 में 13वीं लोकसभा के आम चुनाव; 11वें राष्ट्रपति चुनाव और वर्ष 1997 में उपराष्ट्रपति चुनाव** के अतिरिक्त **20 से अधिक राज्यों में विधान सभाओं के आम चुनाव** सफलतापूर्वक आयोजित कराया।
- ✓ उनकी प्रमुख उपलब्धि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) की शुरुआत थी, यह एक ऐसा विचार था, जिसने बड़े पैमाने पर देश में मतदान संबंधी कदाचार को रोकने में मदद की।

- अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एमएस सिंह गिल वर्ष 2004 में कांग्रेस में शामिल हो गए और वर्ष 2004 से 2016 तक राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया, जो उनके संसद सदस्य के रूप में दो सफल कार्यकाल को दर्शाता है, जिसके दौरान उन्होंने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में युवा मामलों और खेल मंत्री (वर्तमान में, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय) तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री के रूप में पद संभाला।
  - ✓ उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने नई दिल्ली में **2010 राष्ट्रमंडल खेलों** की मेजबानी की थी।

सफल लेखक

- मनोहर सिंह गिल एक प्रसिद्ध लेखक और विद्वान थे, जो अपनी विशिष्ट समझ के लिए जाने जाते थे। उन्होंने द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें निम्न हैं

  - ✓ वर्ष 1972 में "हिमालयन वंडरः ट्रेवल्स इन लाहौल एंड स्पीति"
  - ✓ वर्ष 2014 में "टेल्स फ्रॉम द' हिल्सः लाहौल्स एंड्युरिंग मिथ्स एंड लीजेंड्स"
  - ✓ एन इंडियन सक्सेस स्टोरी
- उनकी पुस्तक **"एग्रिकल्चर को-ऑपरेटिवः ए केस स्टडी ऑफ पंजाब"** पंजाब और भारत में कृषि मुद्दों पर उनके सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है।

पुरस्कार

- वर्ष 2020 में निर्वाचन आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के लिए उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार **पद्म विभूषण** से सम्मानित किया गया।
- खालसा की 300वीं वर्षगाँठ पर उन्हें **निशान-ए-खालसा** से भी सम्मानित किया गया था।

9.2. पुरस्कार

1. 2023 नोबेल पुरस्कार

वर्तमान संदर्भ

9 अक्टूबर, 2023 को अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की घोषणा के साथ छह अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार की घोषणा की बहुप्रतीक्षित श्रृंखला समाप्त हो गई।

पुरस्कार विजेता

श्रेणी	पुरस्कार विजेता	उपलब्धियाँ
फिजियोलॉजी या मेडिसिन	कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन	प्रभावी एमआरएनए कोविड-19 टीकों का विकास
भौतिकी	पियरे एगोस्टिनी, फ़ेरेन्क क्रॉस्ज़, ऐनी एल'हुइलियर	पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता पर अग्रणी कार्य
रसायन विज्ञान	मौंगी जी. बावेंडी, लुईस ई. ब्रूस, एलेक्सी आई. एकिमोव	क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण
साहित्य	जॉन फॉसे	अनकहे को आवाज देने वाले नवोन्वेषी नाटक और गद्य।
शांति	नरगिस मोहम्मदी	ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए समर्पण।
आर्थिक विज्ञान (अर्थशास्त्र)	क्लाउडिया गोल्डिन	श्रम बाजार में लिंग अंतर की समझ को विस्तृत करने के उनके अध्ययन के लिए।

विवरण

- **फिजियोलॉजी या मेडिसिन**
  - ✓ फिजियोलॉजी या मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार **कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन** को न्यूक्लियोसाइड बेस में संशोधन से संबंधित उनके अनुसंधान के लिए दिया गया है, जिसने **कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए (mRNA) टीकों के विकास** में सहायता की है।
  - ✓ अपने आश्चर्यजनक निष्कर्षों (जिसने एमआरएनए के सम्बन्ध में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है कि किस प्रकार से एमआरएनए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ क्रिया करता है) के माध्यम से नोबेल विद्वानों ने आधुनिक समय में मानव स्वास्थ्य के समक्ष उत्पन्न सबसे बड़े खतरों में से एक के दौरान टीके के विकास की अभूतपूर्व दर में योगदान दिया।
  - ✓ डॉ. कारिको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली **13वीं महिला** बन गई हैं।

- **भौतिकी**
  - ✓ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों- **पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस्ज़ और ऐनी एल'हुइलियर** को उनके "प्रयोगात्मक पद्धति, जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिकी के अध्ययन के लिए एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करते हैं" को संयुक्त रूप से दिया गया है।
  - ✓ इन पुरस्कारों विजेताओं के प्रयोगों में उन बेहद छोटी घटनाओं का अवलोकन किया गया, जो एटोसेकंड के कुछ दसवें हिस्से- एक सेकंड का एक क्विंटलियनवाँ हिस्से (10−18) में घटित होती हैं।

- **रसायन विज्ञान**
  - ✓ रसायन विज्ञान हेतु वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार **क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए मौंगी जी. बावेंडी, लुईस ई. ब्रूस और एलेक्सी आई. एकिमोव** को दिया गया है।
  - ✓ समकालीन प्रौद्योगिकी में इन क्वांटम बिंदुओं के कई उपयोग पाए जा सकते हैं।
  - ✓ **क्वांटम डॉट्स** में अद्वितीय गुण देखने को मिलते हैं तथा अब टेलीविजन स्क्रीन और एलईडी लैंप के जरिए अपनी रोशनी फैलाते हैं। वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं और उनका तीव्र प्रकाश एक सर्जन के लिए ट्यूमर ऊतक को प्रकाशमय करने में मदद कर सकता है।
  - ✓ रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार विद्वान् सभी नैनोवर्ल्ड के अन्वेषण में अग्रणी रहे हैं।

- **साहित्य**
  - ✓ नॉर्वेजियन लेखक **जॉन ओलाव फॉसे** को उनके "**अनकहे को आवाज़ देने वाले नवोन्मेषी नाटकों और गद्यों**" के लिए साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ।
  - ✓ फॉसे के काम के विषय मानवीय अनुभव की विसंगति, निरर्थकता और मौन शक्ति पर आधारित हैं। उनके नाटकीय क्रियाकलाप और भाषा का बहुत ही कम प्रयोग, सबसे बुनियादी शब्दों में चिंता और असहायता की सबसे शक्तिशाली मानवीय भावनाओं के रूप में परिलक्षित होते हैं।
  - ✓ उनकी लेखन शैली (जिसमें सरल, न्यूनतम, मार्मिक संवाद की विशेषताएं है) को सैमुअल बेकेट और हेरोल्ड पिंटर (दोनों ही नोबेल पुरुस्कार विजेता) के समान माना जाता है।

- **शांति**
  - ✓ ईरानी कार्यकर्ता **नरगिस मोहम्मदी** को **ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए** रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है।
  - ✓ नरगिस मोहम्मदी ने कई सुधारवादी प्रकाशनों के लिए एक पत्रकार के रूप में काम करते हुए मृत्युदंड के उन्मूलन,

महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और विरोध करने के अधिकार के लिए अभियान चलाये हैं।

- ✓ नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली 19वीं महिला तथा वर्ष 2003 में मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन एबादी के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली **दूसरी ईरानी महिला** हैं।

- **अर्थशास्त्र**
  - ✓ इस वर्ष अर्थशास्त्र विज्ञान का नोबेल पुरस्कार **हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन** को श्रम बाजार में लिंग अंतर की समझ को विकसित करने हेतु किये गए शोध के लिए दिया गया है।
  - ✓ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत का भाग नहीं था जिसके आधार पर अन्य पुरस्कारों की स्थापना की गयी थी।
  - ✓ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में **वर्ष 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा प्रारंभ** किया गया था तथा औपचारिक रूप से इसे आर्थिक विज्ञान में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के रूप में जाना जाता था।

नोबेल पुरस्कार

- भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले वार्षिक नोबेल पुरस्कार, स्वीडिश डायनामाइट आविष्कारक **अल्फ्रेड नोबेल** (जिनका निधन 1896 में हो गया था) की वसीयत से प्रारंभ हुए थे।
- इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नोबेल विजेताओं की घोषणा अक्टूबर में स्टॉकहोम में की जाती है जबकि **शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा** की जाती है।

  - ✓ **नोबेल शांति पुरस्कार एकमात्र पुरस्कार है** जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के बजाय नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है।
- अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के पांच साल बाद, **वर्ष 1901** में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- अल्फ्रेड नोबेल द्वारा विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों को प्रशासित करने हेतु, रसायन और भौतिकी के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, साहित्य के लिए स्वीडिश एकेडमी, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट और पीस के लिए नॉर्वेजियन पार्लियामेंट को नियुक्त किया गया था।
- इन पुरस्कारों में **11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर** का नकद पुरस्कार दिया जाता है और जो **10 दिसंबर** को प्रदान किया जाता है।
- विजेताओं को दिसंबर में पुरस्कार समारोहों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते समय 18 कैरेट का स्वर्ण पदक और डिप्लोमा भी प्रदान किया जाता है।

2. दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

वर्तमान संदर्भ

प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार (जो "भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान" के लिए दिया जाता है) से सम्मानित किया गया है।

विवरण

- वहीदा रहमान को प्यासा, कागज के फूल, चौदहवी का चांद, साहेब बीवी और गुलाम, गाइड और खामोशी जैसी हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए समीक्षकों द्वारा सराहाना मिली है।
- उन्होंने 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म "रोजुलु मारायी (1955)" से की थी।
- फिल्म "गाइड" और "नील कमल (1968)" में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें **फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार** प्रदान किया गया।
- वर्ष 1971 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का **राष्ट्रीय पुरस्कार** भी मिला और सरकार द्वारा वर्ष 1972 में **पद्म श्री** और वर्ष 2011 में **पद्म भूषण** से सम्मानित किया गया।

- वर्ष 2020 का 52वां दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार **अभिनेत्री आशा पारेख** को दिया गया था।

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

- दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हिस्सा है, जो फिल्म उद्योग में अत्यधिक प्रतिष्ठित है।
- इस पुरस्कार का नाम, अग्रणी फिल्म निर्माता **धुंडीराज गोविंद फाल्के** के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने **वर्ष 1913** में भारत की **पहली फिल्म "राजा हरिश्चंद्र"** का निर्माण किया था।
- यह पुरस्कार सरकार द्वारा वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था, और इसमें एक **'स्वर्ण कमल', 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र, एक रेशम का रॉल और एक शॉल शामिल** हैं।
- यह पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसे भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।
- **यह पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था।**
- यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

- *वर्ष 1954 में स्थापित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, देश में सबसे प्रतिष्ठित और बहुप्रतीक्षित आयोजनों में से एक हैं।*
- *इन्हें प्रत्येक वर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा पिछले वर्ष की फिल्मों के लिए प्रदान किया जाता है।*
- *इसका उद्देश्य कलात्मक एवं तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है।*
- *इसका उद्देश्य पूरे भारत में विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों का संवर्द्धन करना भी है, ताकि एकता और अखंडता को बढ़ावा दिया जाए।*

धुंडीराज गोविंद 'दादा साहेब' फाल्के

- दादा साहेब फाल्के का जन्म वर्ष 1870 में महाराष्ट्र के त्रिंबक में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग और मूर्तिकला का अध्ययन किया तथा वर्ष 1906 की मूक फिल्म "द लाइफ ऑफ क्राइस्ट" देखने के बाद मोशन पिक्चर्स में उनकी रुचि विकसित हुई।
- फिल्मों में आने से पूर्व दादा साहेब फाल्के ने एक फोटोग्राफर के रूप में काम किया, एक प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी बने और यहाँ तक कि उन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा के साथ भी काम किया था।
- वर्ष 1913 में दादा साहेब फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म (मूक) "राजा हरिश्चंद्र" का लेखन, निर्माण और निर्देशन किया। इस व्यावसायिक सफलता ने फाल्के को अगले 19 वर्षों में 95 से अधिक फ़िल्में और 26 लघु फ़िल्में बनाने के लिए प्रेरित किया।
- इसलिए, उन्हें **भारतीय सिनेमा के जनक** के रूप में जाना जाता है।

9.3. खेल

1. 19वें एशियाई खेल

वर्तमान संदर्भ

19वें एशियाई खेल 23 सितंबर से 08 अक्टूबर, 2023 तक हांगझोऊ, चीन में आयोजित किए गए थे।

विवरण

- पहले, ये खेल 10 से 25 सितंबर, 2022 तक आयोजित किये जाने थे, लेकिन चीन में बढ़ते COVID-19 महामारी के मामलों की वजह से इन्हें स्थगित कर दिया गया था।
- **19वें एशियाई खेलों की थीम – "HEART TO HEART, @FUTURE"**
  - ✓ इस नारे की अनूठी प्रकृति इंटरनेट के शहर के रूप में हांगझोऊ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिया गया।
  - ✓ दुनिया के लिए संदेश यह है कि विभिन्न देशों और क्षेत्रों के लोग एशियाई खेलों के भव्य मंच पर गहरी समझ हासिल कर सकते हैं।
- प्रतीक का आधिकारिक नाम **"टाइड्स सर्जिंग"** था। इसने हांगझोऊ में कियानतांग नदी का प्रतिनिधित्व किया, जो दुनिया की तीन सबसे बड़ी ज्वारीय नदी में से एक है।
- **हांगझोऊ 2022 के तीन शुभंकर कांगकॉन्ग, चेन्चेन और लियानलियन थे।**

- ✓ उन्होंने हांगझोऊ में स्थित तीन विश्व धरोहर स्थलों का प्रतिनिधित्व किया
  - i. लिआंगझू शहर के पुरातात्विक खंडहर
  - ii. बीजिंग हांगझोऊ ग्रैंड कैनाल
  - iii. वेस्ट लेक

- 19वां एशियाई खेल इतिहास में सबसे बड़ा था, जिसमें 45 देशों और क्षेत्र के 12,000 से अधिक एथलीटों ने 40 खेलों, 61 विधाओं और 481 स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा की।
- चीन 201 स्वर्ण के साथ समग्र एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में जापान (52), कोरिया गणराज्य (42) और भारत (28) से आगे रहा है।
  - ✓ हांगझोऊ में केवल चार देशों ने 100 से अधिक पदक जीते।
- वर्ष 1990 में बीजिंग और वर्ष 2010 में ग्वांगझो के बाद, हांगझोऊ एशियाई खेल में चीन ने एशियाड की तीसरी बार मेजबानी की थी।

भारत का प्रदर्शन

- भारत ने एशियाई खेल 2023 में 28 स्वर्ण पदक सहित **107 पदक** जीते, जिससे महाद्वीपीय बहु-खेल प्रतियोगिता में जीते गए पदकों की कुल संख्या के मामले में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

एशियन गेम्स 2023 में ई-स्पोर्ट्स

- ई-स्पोर्ट्स एशियाई खेलों में एक पदक कार्यक्रम के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा अर्जित पदक समग्र पदक गिनती में योगदान दिया। प्रतियोगी सात विशिष्ट आयोजनों में भाग लिए:

  - ✓ एरिना ऑफ वेलोर एशियन गेम्स वर्जन
  - ✓ डोटा 2
  - ✓ ड्रीम थ्री किंगडम्स 2
  - ✓ फीफा ऑनलाइन 4
  - ✓ लीग ऑफ लीजेंड्स
  - ✓ PUBG मोबाइल एशियन गेम्स वर्जन
  - ✓ स्ट्रीट फाइटर V: चैंपियन एडिशन
- हालाँकि, भारत का प्रतिनिधित्व इनमें से केवल चार आयोजनों (डोटा 2, फीफा ऑनलाइन 4, लीग ऑफ लीजेंड्स और स्ट्रीट फाइटर V: चैंपियन एडिशन) में ही किया गया।

Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

10. फैक्ट प्वाइंट्स

एबॉर्ट मिशन-1 (टीवी-डी1) की परीक्षण उड़ान सफलता

- केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने **"गगनयान"** लॉन्च से संबंधित संपूर्ण अभ्यास पूरा होने के तुरंत बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि अंतिम "गगनयान" लॉन्च से पहले 21 अक्टूबर 2023 को क्रमिक परीक्षण उड़ान **एबॉर्ट मिशन-1 (टीवी-डी1)** की परीक्षण उड़ान की सफलता का प्रतीक है।
- **"गगनयान" क्रू मॉड्यूल** (सीएम) के एक **प्रारंभिक डिप्रेसुराइज्ड संस्करण को एकल इंजन रॉकेट के साथ** लगभग **17 किलोमीटर** की ऊंचाई तक ले जाया गया और इसके बाद अंतिम रूप से नीचे उतरने के लिए पैराशूट का उपयोग किया गया।
- उन्होंने कहा, अभ्यास में गगनयान मिशन के **क्रू मॉड्यूल पर क्रू एस्केप सिस्टम** का परीक्षण किया गया।
- उन्होंने कहा कि मूल रूप से इससे **सुरक्षा तंत्र** का परीक्षण किया गया जो "गगनयान" मिशन के क्रू को किसी खराबी के कारण मिशन रद्द होने की स्थिति में अंतरिक्ष यान से बचने में सक्षम बनाएगा।

"कस्तूरी कॉटन भारत" की वेबसाइट लॉन्च

- केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 21 अक्टूबर, 2023 को **कस्तूरी कॉटन भारत** की वेबसाइट लॉन्च की।
- यह वेबसाइट इन पहलों पर **आवश्यक जानकारी और अपडेट के लिए एक डिजिटल मंच** प्रदान करती है और कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड के उत्पादन के लिए जिनर (रूई ओटने की मशीन चलाने वाले) हेतु **पंजीकरण प्रक्रिया** और इसकी प्रक्रियाओं, जो ब्रांडेड भारतीय कपास को अद्वितीय बनाती हैं, को रेखांकित करती है।
- कस्तूरी कॉटन भारत **भारतीय कपास की ब्रांडिंग, ट्रेसबिलिटी और प्रमाणन** की पूरी जिम्मेदारी लेकर स्व-नियमन के सिद्धांत पर काम करने के लिए **वस्त्र मंत्रालय, भारतीय कपास निगम, व्यापार निकायों और उद्योग की एक संयुक्त पहल** है, जिससे कि वैश्विक बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके और इसमें शामिल सभी हितधारकों के लिए एक टिकाऊ इको-सिस्टम का निर्माण किया जा सके।

"एक्सरसाइज हरिमाउ शक्ति-2023"

- भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास **"एक्सरसाइज हरिमाउ शक्ति 2023"** 23 अक्टूबर 2023 को **भारत के उमरोई छावनी में** शुरू हुआ।
- **मलेशियाई सेना** की टुकड़ी में मलेशियाई सेना की **5वीं रॉयल बटालियन** के सैनिक शामिल हैं।
- **भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट** की एक बटालियन कर रही है।
- **इस अभ्यास का पिछला सत्र नवंबर 2022 में पुलाई, क्लुआंग, मलेशिया में आयोजित** किया गया था।
- **"एक्सरसाइज हरिमाउ शक्ति 2023" 5 नवंबर 2023 तक** चलेगा। इसमें दोनों पक्षों के लगभग **120 जवान शामिल** होंगे।
- इसका उद्देश्य उप-पारंपरिक परिदृश्य में **मल्टी डोमेन ऑपरेशन** के संचालन के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाना है।

भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023

- **भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास (एनसीएक्स)** 2023, **9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2023 तक** नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- इस प्रमुख कार्यक्रम ने सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक संगठनों और निजी क्षेत्र के विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले **300 से अधिक प्रतिभागियों के लिए** एक ऐसे **एकीकृत मंच** के रूप में कार्य किया, जो महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।
- भारत एनसीएक्स 2023 ने प्रतिभागियों के लिए **छह दिनों तक गहन प्रशिक्षण और पांच दिनों तक रेड ऑन ब्लू लाइव फायर साइबर अभ्यास** का आयोजन किया, जिसमें प्रतिभागियों ने एक निर्धारित प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध अपने साइबर कौशल से उसका सामना किया।
- इस अभ्यास में वास्तविक वैश्विक साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए साइबर खतरे के परिदृश्य, घटना पर प्रतिक्रिया, संकट प्रबंधन पर **नेतृत्व स्तर की चर्चा के लिए एक स्ट्रेटेजिक ट्रैक** भी था।

सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट को डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया

- केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने 19 अक्टूबर, 2023 को **166 साल पुराने सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट** को डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया और नए विश्वविद्यालय की आधारशिला का भी अनावरण किया।
- **डी नोवो श्रेणी** ज्ञान के अनूठे और उभरते क्षेत्रों में **शिक्षण और अनुसंधान में नवाचारों** के लिए समर्पित संस्थानों को प्रदान की जाती है।
- केंद्र की मंजूरी के साथ, 'सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन' **महाराष्ट्र का एकमात्र सरकार द्वारा संचालित डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी** बन जाएगा और देश भर में 'डी नोवो' टैग वाले मुट्ठी भर संस्थानों में से एक बन जाएगा।

प्रोजेक्ट "हार्टलैंड त्रिपुरा"

- **त्रिपुरा के युवाओं की रोजगार लायक क्षमता और कौशल बढ़ाने के लिए डेलॉइट इंडिया और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी),** अगरतला के साथ साझेदारी में 19 अक्टूबर, 2023 को **'हार्टलैंड त्रिपुरा'** नामक एक परियोजना शुरू की गई।
- यह परियोजना **इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग दोनों ही क्षेत्रों में स्नातक-पूर्व (अंडर ग्रेजुएट) छात्रों के लिए** करियर और व्यक्तिगत विकास के नए अवसर उपलब्ध कराएगी।
- इसके लिए **भारत सरकार और त्रिपुरा की राज्य सरकार की ओर से आवश्यक सहायता** मुहैया कराई जाएगी।
- 'हार्टलैंड त्रिपुरा' परियोजना के तहत इस राज्य के लिए एनआईईएलआईटी-अगरतला के माध्यम से कौशल विकास प्रमाणन पाठ्यक्रमों का एक विशिष्ट सेट उपलब्ध कराया जाएगा।
- "हार्टलैंड त्रिपुरा" के तहत पेश किए जाने **वाले प्रमाणन पाठ्यक्रमों में साइबर सुरक्षा, आंतरिक ऑडिट एवं एनालिटिक्स जैसे नए युग के तकनीकी एवं व्यावसायिक विकास कौशल तथा व्यावसायिक संचार (बिजनेस कम्यूनिकेशन), प्रबंधकारी उपस्थिति (एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस) एवं ग्रूमिंग** से जुड़े व्यावहारिक कौशल को शामिल किया जाएगा।
- इस **परियोजना का उद्देश्य** प्लेसमेंट के लिए लक्षित संगठनों की पहचान करना और त्रिपुरा के चुनिंदा कॉलेजों से नियुक्ति के लिए निजी कंपनियों के लिए एक एडवोकेसी नेटवर्क का निर्माण करना भी है।

आईएसए की छठी असेंबली का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा

- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की छठी सभा** का आयोजन 30 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2023 तक नई दिल्ली में किया जाएगा।
- इस बैठक में आईएसए के **116 सदस्य** और **हस्ताक्षरकर्ता** देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि सहित संभावित देशों, साझेदार संगठनों, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
- आईएसए को **भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से पेरिस में सीओपी 21** के बाद शुरु किया गया था।

आईएसए असेंबली

- आईएसए सभा, आईएसए के लिए **निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय** है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होता है।
- **109 देश** आईएसए फ्रेमवर्क समझौते के हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिनमें से **90 देशों** ने आईएसए के पूर्ण सदस्य बनने हेतु सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।
- **भारत के पास आईएसए सभा के अध्यक्ष का पद है,** जिसमें फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार सह-अध्यक्ष है।

कैबिनेट ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के एमएसपी को मंजूरी दी

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति** ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए **सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि** को मंजूरी दे दी है।
- सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि **उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित** किया जा सके।
- एमएसपी में **सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दाल (मसूर) के लिए** 425 रुपये प्रति क्विंटल और इसके बाद **रेपसीड एवं सरसों** के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है।
- **गेहूं और कुसुम** में से प्रत्येक के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
- **जौ और चने** के लिए क्रमशः 115 रुपये प्रति क्विंटल और 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।

नाइजीरिया के लागोस में आईएनएस सुमेधा

- **आईएनएस सुमेधा** ने गिनी की खाड़ी में अपनी तैनाती के एक भाग के रूप में 13 अक्टूबर, 2023 को नाइजीरिया के लागोस में एक पोर्ट कॉल किया।
- इस यात्रा का उद्देश्य **भारत और नाइजीरिया की नौसेनाओं के बीच राजनयिक संबंधों** को और सुदृढ़ बनाना, **समुद्री सहयोग और और अंतरसंचालनीयता** को बढ़ावा देना था।
- अक्टूबर 2022 में **आईएनएस तरकश** द्वारा **गिनी की खाड़ी (जीओजी)** की पहली गश्ती के बाद समुद्री डकैती की आशंका वाली जीओजी गश्ती दल में यह भारतीय नौसेना की दूसरी तैनाती है।
- आईएनएस सुमेधा, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित **'सरयू' क्लास नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल (एनओपीवी)** का तीसरा पोत है।

भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसनथुरई के बीच नौका सेवाओं का शुभारंभ

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अक्टूबर, 2023 को भारत के **नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसनथुरई** के बीच नौका सेवाओं के शुभारंभ के अवसर पर वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया।
- भारत और श्रीलंका के बीच **संस्कृति, वाणिज्य और सभ्यता के साझा इतिहास** को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि **नागपट्टिनम और इससे जुड़े हुए आसपास के शहर श्रीलंका सहित कई देशों के साथ समुद्री व्यापार के लिए जाने जाते रहे हैं** और प्राचीन तमिल साहित्य में भी पूंपुहार के ऐतिहासिक बंदरगाह को प्रमुख केन्द्र बताया गया है।

- उन्होंने **पट्टिनप्पलाई और मणिमेकलाई** जैसे संगम युग के साहित्य के बारे में भी अपने विचार रखे, जिसमें दोनों देशों के बीच नौका सेवा और समुद्री जहाजों के परिचालन का वर्णन है।
- उन्होंने महान कवि सुब्रमण्यम भारती के गीत **'सिंधु नधियिन मिसाई'** को भी याद किया, जिसमें भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ने वाले एक पुल का वर्णन है।

सागर कवच 02/23

- भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए दो दिवसीय **व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 02/23** का आयोजन किया। यह अभ्यास **11-12 अक्टूबर, 2023** को आयोजित किया गया।
- इस **अभ्यास का उद्देश्य** समुद्र के खतरे से निपटने के दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता और सुदृढ स्थिति का आकलन करना था।
- क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए **तटरक्षक बल और अन्य तटीय सुरक्षा एजेंसियों** के साथ भारतीय नौसेना के जहाजों को तैनात किया गया था।
- विशाखापत्तनम, चेन्नई और रामनाथपुरम से संचालित होने वाले **डोर्नियर विमानों और हेलीकॉप्टरों द्वारा** व्यापक हवाई सर्वेक्षण किया गया।
- इस अभ्यास में सभी तटीय सुरक्षा हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय और तालमेल देखा गया।

भारतीय रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों (राइट्स लिमिटेड और इरकॉन) को नवरत्न का दर्जा दिया गया

- रेल मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (आईआरसीओएन) और राइट्स लिमिटेड (राइट्स) को सीपीएसई के बीच क्रमशः 15वें और 16वें नवरत्न घोषित किया गया है।
- वित्त मंत्रालय ने 12 अक्टूबर, 2023 को RITES और IRCON को 'नवरत्न' का दर्जा प्रदान किया।
- राइट्स लिमिटेड भारत में एक अग्रणी परिवहन अवसंरचना परामर्श और इंजीनियरिंग फर्म है।
- यह परिवहन, रेलवे, रोलिंग स्टॉक के निर्यात, राजमार्ग, हवाई अड्डे, महानगर, शहरी इंजीनियरिंग और स्थिरता, बंदरगाह और जलमार्ग और ऊर्जा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है।
- इरकॉन की मुख्य क्षमता रेलवे, राजमार्ग और अतिरिक्त उच्च तनाव सबस्टेशन इंजीनियरिंग और निर्माण में है।
- "नवरत्न" का दर्जा दिए जाने से, कंपनियों को बाजार की विश्वसनीयता बढ़ाने और बड़े आकार की पीपीपी परियोजनाएं शुरू करने में लाभ होना चाहिए।

"डाटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड" और "पूर्वोत्तर संपर्क सेतु" पोर्टल लॉन्च किया गया

- एमडीओएनईआर राज्य मंत्री, श्री बी.एल. वर्मा ने 11 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्चुअल माध्यम से **"एमडीओएनईआर डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड"** और **''पूर्वोत्तर संपर्क सेतु'' पोर्टल** शुरू किया।
- **"एमडीओएनईआर डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड"** में **55 विभागों** और मंत्रालयों की **112 योजनाओं** का डेटा है।
- इससे **(ए) डेटा आधारित निर्णय लेने, (बी) संचालन में आसानी, (सी) केंद्रीकृत निगरानी, (डी) नीति स्तरीय निर्णय उपकरण और (ई) सूचना एकीकरण** आदि में मदद मिलेगी।
- यह एनईआर के आकांक्षी जिलों, उत्तर पूर्व सीमावर्ती जिलों और एनईआर के सबसे पिछड़े जिलों पर कड़ी नजर रखेगा।
- एनईआर में योजनाओं के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के लिए एक बेंचमार्क बनाते हुए, डैशबोर्ड ई-गवर्नेंस में नवीनतम नवाचारों से लैस होगा और एक ही मंच पर कई विभागों और मंत्रालयों की जानकारी प्रदर्शित करेगा।

एनिमेटेड सीरीज़ 'कृष, ट्रिश और बाल्टिबॉय–भारत हैं हम'

- केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने 11 अक्टूबर, 2023 को **'कृष, ट्रिश और बाल्टिबॉय (केटीबी) -भारत हैं हम'** का ट्रेलर लॉन्च किया, जो **केन्द्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा निर्मित** दो सीज़न वाली एक एनिमेटेड सीरीज़ है।
- इस सीरीज़ में **11-11 मिनट के 52 एपिसोड** हैं, जिनमें **वर्ष 1500 से 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां** शामिल हैं।
- इस सीरीज़ की मेजबानी प्रतिष्ठित एनिमेटेड पात्रों **कृष, ट्रिश और बाल्टिबॉय** द्वारा की गई है।
- इस सीरीज़ का **निर्माण** ग्राफिटी स्टूडियोज के **मुंजाल श्रॉफ और तिलकराज शेट्टी** की सह-निर्माता जोड़ी ने किया है।
- इस सीरीज़ का निर्माण निम्नलिखित **12 भाषाओं में** किया जा रहा है: हिन्दी (मास्टर), तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, असमिया, उड़िया और अंग्रेजी।
- इस सीरीज़ को निम्नलिखित **अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी डब किया जाएगा:** फ्रेंच, स्पैनिश, रूसी, अरबी, चीनी, जापानी और कोरियाई।

बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए नए मानकीकृत प्रोटोकॉल की शुरुआत

- केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन ईरानी ने 10 अक्टूबर 2023 को बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए एक नए **मानकीकृत प्रोटोकॉल** की शुरुआत की।
- बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन का यह प्रोटोकॉल **भारत सरकार के**

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है।

- '**मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** के जरिए कुपोषण को कम करने के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रयासों में यह प्रोटोकॉल एक महत्वपूर्ण तत्त्व होगा।
- कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए नया लॉन्च किया गया प्रोटोकॉल **आंगनवाड़ी स्तर** पर **कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत कदम** प्रदान करता है, जिसमें रेफरल, पोषण प्रबंधन और अनुवर्ती देखभाल के संबंध में निर्णय लेना शामिल है।

वार्षिक संयुक्त एचएडीआर अभ्यास 2023 - (चक्रवात 2023)

- **वार्षिक संयुक्त एचएडीआर अभ्यास (एजेएचई) संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन-2015** के दौरान घोषित माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश का परिणाम है।
- **वर्ष 2015 में अपने पहले आयोजन** के बाद से **वार्षिक संयुक्त एचएडीआर अभ्यास**, **चक्रवात** ने खुद को एक बहु-एजेंसी प्रयास में बदल दिया है, जिसमें तीनों सेनाओं, अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ अनेक आपदा प्रतिक्रिया संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी शामिल है।
- वर्ष 2023 संस्करण सभी हितधारकों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों को और अधिक समन्वित किया, साथ ही **हिंद महासागर क्षेत्र के आठ देशों की भागीदारी** भी हुई।
- यह अभ्यास वर्ष 2016 से **भारतीय सेना, भारतीय नौसेना (आईएन) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ)** द्वारा बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
- अभ्यास का **पिछला आयोजन भारतीय वायु सेना द्वारा आगरा** में सम्पन्न कराया गया था।
- अभ्यास 2023 का आयोजन **09 से 11 अक्टूबर, 2023** तक **गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा** आयोजित किया गया।
- इस वर्ष के अभ्यास के प्रतीक चिन्ह में सभी भाग लेने वाली एजेंसियों के शिखर एवं प्रतीक चिन्ह और सभी देशों के झंडों को एक ही इकाई में दर्शाया गया, जो दर्शाता है कि एचएडीआर सभी एजेंसियों द्वारा संयुक्त और एकीकृत कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

भारतीय वायु सेना का नया ध्वज

- **08 अक्टूबर, 2023** को वायुसेना प्रमुख ने **नए वायुसेना ध्वज** का अनावरण किया।
- इतिहास में पीछे जाएं, तो आरआईएएफ ध्वज में ऊपरी बाएं कैंटन में **यूनियन जैक** और फ्लाई साइड पर आरआईएएफ राउंडेल (लाल, सफेद और नीला) शामिल था।
- **स्वतंत्रता के बाद**, निचले दाएं कैंटन में यूनियन जैक को **भारतीय ट्राई कलर** और आरएएफ राउंडल्स को **आईएएफ ट्राई कलर राउंडेल** के साथ प्रतिस्थापित करके भारतीय वायु सेना का ध्वज बनाया गया था।
- भारतीय वायु सेना के मूल्यों को बेहतर ढंग से प्रकट करने के लिए, अब एक नया आईएएफ ध्वज बनाया गया है।
- **इनसाइन के ऊपरी दाएं कोने में फ्लाई साइड की ओर वायु सेना क्रेस्ट** को शामिल करने से इसकी पुनःपुष्टि अब प्रतिबिंबित होगी।
- ऊपर आईएएफ क्रेस्ट के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का सिंह और उसके नीचे देवनागरी में "**सत्यमेव जयते**" शब्द हैं।
- अशोक के सिंह के नीचे एक **हिमालयी ईगल** है **(जिसके पंख फैले हुए हैं)**, जो भारतीय वायुसेना के युद्ध के गुणों को दर्शाता है।
- **हल्के नीले रंग का एक वलय** हिमालयी ईगल को घेरे हुए है, जिस पर लिखा है "भारतीय वायु सेना"।
- भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य "**नभः स्पृशं दीप्तम्**" हिमालयी ईगल के नीचे देवनागरी के सुनहरे अक्षरों में अंकित है।
- आईएएफ का आदर्श वाक्य **भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से** लिया गया है और इसका अर्थ है "**वैभव के साथ आकाश को छूना**"।

'आदि महोत्सव'

- केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 7 अक्टूबर, 2023 को झारखंड के जमशेदपुर में आदि महोत्सव- राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया।
- यह विशाल कार्यक्रम 7 से 16 अक्टूबर, 2023 तक जनजातीय मामलों के मंत्रालय के **ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीआरआईएफईडी)** द्वारा आयोजित किया गया।
- **आदिवासी उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का वार्षिक उत्सव,** आदि महोत्सव, देश भर की जनजातियों की समृद्ध और विविध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
- इस वर्ष यह महोत्सव विशेष रूप से **कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs)** और **वन धन विकास केंद्र (VDVK)** लाभार्थियों सहित **336 आदिवासी कारीगरों और कलाकारों** की प्रतिभा को उजागर किया।

भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया

- भारत को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संगठन **एआईबीडी** जीसी का

नेतृत्व करने के लिए **लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष** के रूप में फिर से चुना गया है।

- भारत एक अभूतपूर्व विकास के तौर पर **2018-2021 और 2021-2023** तक पहले ही **एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) जनरल कॉन्फ्रेंस (जीसी)** के अध्यक्ष के रूप में दो कार्यकाल पूर्ण कर चुका है।
- एआईबीडी, **यूनेस्को के तत्वावधान में 1977 में स्थापित** एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में **44 देशों के 92 सदस्य संगठन** हैं।
- **भारत एआईबीडी के संस्थापक सदस्यों में से एक** है और भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक, **प्रसार भारती एआईबीडी में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि निकाय** है।

विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया

- विश्व सेरेब्रल पाल्सी वैश्विक स्तर पर सेरेब्रल पाल्सी (सीपी) का लोगों, परिवारों और समुदायों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर प्रकाश डालता है।
- **हर साल 6 अक्टूबर** को मनाया जाने वाला यह दिन सीपी के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इस स्थिति से पीड़ित लोगों की सहायता करने, उनका समाज में समावेश और उन्हे समझने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह दिन सेरेब्रल पाल्सी ग्रस्त लोगों के बारे में अधिक जागरूकता, समझ और समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- **वर्ष 2023** में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस का **विषय "टुगेदर स्ट्रॉन्गर"** है।

गोवा, रिकॉर्ड 43 खेल विधाओं के साथ 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा

- गोवा **37वें राष्ट्रीय खेलों** की मेजबानी करके इतिहास रचने के लिए तैयार है, जिसमें **रिकॉर्ड 43 खेल विधाएं** शामिल होंगी।
- गुजरात में आयोजित पिछला संस्करण, जिसमें 36 विधाओं को शामिल किया गया था और केरल के 2015 के संस्करण जिसमें 33 विधाओं को शामिल किया गया था, की तुलना में **इस साल का राष्ट्रीय खेल अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा।**
- ओलंपिक शैली के बहु-खेल स्पर्धा में **28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी** होगी और यह **26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित** किये जाएंगे।
- 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक के स्तर पर **कई नए खेलों की शुरुआत** होगी, जिनमें बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेपकटकरॉ, स्क्वे मार्शल आर्ट, कलियारापट्टू और पेनकक सिलाट शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, नौकायन और ताइक्वांडो की वापसी हो रही है जिन्हें पिछले संस्करण में शामिल नहीं किया गया था।
- परंपरा का जश्न मनाने के लिए **लगोरी और गतका के खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल** किया गया है, जिससे इस आयोजन में एक अनूठा और सांस्कृतिक आयाम जुड़ गया है।

वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0

- **वीर गाथा परियोजना के तीसरे संस्करण** में सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 1.36 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
- छात्रों ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों/कर्मियों की बहादुरी और बलिदान को सम्मान देने के लिए कविताएँ, पेंटिंग, निबंध, वीडियो आदि भेजे।
- प्रोजेक्ट वीर गाथा को **वीरता पुरस्कार पोर्टल (जीएपी) के तहत 2021 में शुरू** किया गया था, जिसका **उद्देश्य छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं के साहसी कार्यों और इन बहादुरों के जीवन की कहानियों का विवरण सामने लाना** है जिससे देशभक्ति और नागरिक चेतना के मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सके।
- वीर गाथा परियोजना के दो संस्करण **(संस्करण-I और संस्करण-II)** क्रमशः 2021 और 2022 में आयोजित किए गए हैं।

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन

- भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 को **राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड** के गठन को अधिसूचित किया।
- राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में **हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि** पर फोकस करेगा।
- राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी से संबंधित मामलों में नेतृत्व प्रदान करेगा, प्रयासों को मजबूत बनाएगा तथा **हल्दी क्षेत्र के विकास और वृद्धि में मसाला बोर्ड** और अन्य **सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक समन्वय** की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह विशेष रूप से मूल्य संवर्धन से अधिक लाभ पाने के लिए **हल्दी उत्पादकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास** पर फोकस करेगा।
- बोर्ड **गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों** और ऐसे मानकों के पालन को भी प्रोत्साहित करेगा।
- बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त **एक अध्यक्ष, आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकार के फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग विभाग, तीन राज्यों के वरिष्ठ राज्य सरकार के प्रतिनिधि (रोटेशन के आधार पर), अनुसंधान में शामिल राष्ट्रीय/राज्य संस्थानों, चुनिंदा हल्दी किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधि** होंगे, बोर्ड के सचिव की नियुक्ति वाणिज्य विभाग द्वारा की जाएगी।

- **भारत** विश्व में **हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक** है।
- भारत में **हल्दी की 30 से अधिक किस्में** उगाई जाती हैं और यह देश के **20 से अधिक राज्यों में** उगाई जाती है।
- हल्दी के सबसे बड़े **उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु** हैं।

अभ्यास सम्प्रिति

- भारत और बांग्लादेश ने **उमरोई, मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, सम्प्रीति का 11वां संस्करण** आयोजित किया।
- दोनों देशों द्वारा बारी-बारी से आयोजित यह अभ्यास **मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल** का प्रतीक है।
- **वर्ष 2009 में असम के जोरहाट में शुरुआत** के साथ, इस अभ्यास के वर्ष 2022 तक दस सफल संस्करण देखे गए हैं।
- संप्रति-XI में दोनों पक्षों के लगभग 350 जवान शामिल हुए।

जम्मू और कश्मीर ने 100 प्रतिशत ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया

- केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने **20 जिलों के 285 ब्लॉकों में अपने सभी 6650 गांवों को** ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया है।
- केन्द्र शासित प्रदेश के सभी गांवों के लिए ओडीएफ प्लस मॉडल की उपलब्धि एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह **प्रत्येक गांव में गंदले पानी (ग्रे वाटर) और ठोस कचरे का प्रबंधन** करके स्वच्छता की दिशा में शौचालयों के निर्माण और उपयोग करने से बढ़कर उपलब्धि प्राप्त करना है।
- किसी गांव को ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा हासिल करने के लिए **ओडीएफ प्लस के तीन चरणों महत्वाकांक्षी, उन्नतिशील और आदर्श गांव** से गुजरना पड़ता है।
- जब कोई गांव **ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम)** और **पर्याप्त स्वच्छता जागरूकता सृजन** कार्यों के अलावा न्यूनतम कूड़े और ठहरे हुए पानी के साथ देखने में स्वच्छ होने की स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो इसे ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश ने 100 प्रतिशत ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया

- उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II के तहत एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है, राज्य के सभी 95,767 गांवों यानी मिशन के चरण II के तहत 100 प्रतिशत गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है।
- **ओडीएफ प्लस गांव** वह गांव है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ-साथ अपनी खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बरकरार रखा है।
- आज तक, देश भर में 4.4 लाख (75 प्रतिशत) गांवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया है, जो **वर्ष 2024-25 तक एसबीएम-जी चरण II के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।**
- 100 प्रतिशत की यह उपलब्धि चल रहे **स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस)–2023 अभियान** के दौरान चिह्नित की गई है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के तहत प्रतिवर्ष **15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एसएचएस मनाया जाता है।**
- **ओडीएफ प्लस मॉडल गांव** वह गांव है जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बरकरार रखे हुए है और इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है एवं वहां स्वच्छता दिखाई देता है, जैसे- न्यूनतम कूड़ा, न्यूनतम स्थिर अपशिष्ट जल, सार्वजनिक स्थानों पर कोई प्लास्टिक कचरा फेंका हुआ नहीं है और वह ओडीएफ प्लस जानकारी, शिक्षा और संचार (आईईसी) संदेश प्रदर्शित करता है।

भारतीय नौसेना ने 'खमरी मो सिक्किम' कार रैली को हरी झंडी दिखाई

- दूरदराज के क्षेत्रों के विकास के बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व के दृष्टिकोण को जारी रखते हुए, **भारतीय नौसेना** ने भारत के **पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संपर्क को मजबूत बनाने के लिए** एक **बहुआयामी पहुंच कार्यक्रम** शुरू किया है।
- **एक मोटर कार अभियान, खमरी मो सिक्किम (हैलो सिक्किम)** का महाराष्ट्र के लोनावला में **आईएनएस शिवाजी से सिक्किम तक** 24 सितंबर से 15 अक्टूबर, 2023 के बीच आयोजित किया जा रहा है। मोटर कार अभियान **6500 किलोमीटर की दूरी** तय करते हुए कई राज्यों से होकर गुजरेगी।
- इस टीम में महिला अधिकारियों और एनडब्ल्यूडब्ल्यूए सदस्यों सहित नौसेना कर्मी शामिल हैं जो **'नारी शक्ति'** का प्रदर्शन कर रही हैं।
- इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य रक्षा सेवाओं में सिक्किम के युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, इस **क्षेत्र में समुद्री जागरूकता को बढ़ाना** और **राष्ट्र निर्माण** को मजबूत बनाना है।
- यह रैली **तीन चरणों में आयोजित** की जाएगी।
- **पहले चरण** में महू, झाँसी, लखनऊ, वाराणसी और बागडोगरा में इसके पड़ाव शामिल हैं।
- **दूसरे चरण** में गंगटोक से शुरू होकर सिक्किम के अंदर की यात्रा शामिल होगी।
- **तीसरा चरण** कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, हैदराबाद और पुणे से गुजरेगा।

स्व कार्य हेतु

KGS IAS

Test Series

UPSC Prelims 2024

Offline Online

Detailed Solutions for all Questions (PDF)

Time - Bound, Disciplined, & Result-Oriented Tests

Holistic Coverage of all Study Materials & Sources

Pattern and Trend Based on UPSC CSE Prelims Exam

Fundamental and Comprehensive Test

Scan to Know More

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

Karol Bagh Office

57/14, Near Grover Mithaiwala, Old Rajendra Nagar,
New Delhi - 110060
Phone No.: +91 1149 052 928, +91 9205 777 818

Mukherjee Nagar Office

704, Ground Floor, Main Road Front of Batra Cinema
Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Phone No.: +91 1143 017 512, +91 9205 777 817

Connect With Us